खण्ड-434, अंक-4
बुधवार, 6 वैशाख, शक संवत् 1922
(26 अप्रैल, 2000 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2000)

खण्ड 434 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2000

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 21 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क
प्रश्नोत्तर	1–123
— मंत्रियों द्वारा प्रश्नों के सुसंगत उत्तर न दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न पर श्री अधिष्ठाता का निर्णय	123–124
— सांसद निधि की भांति विधायक निधि को दोगुना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-49 के अन्तर्गत चर्चा स्वीकार किये जाने हेतु व्यवस्था का प्रश्न	124–131
— नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	131–132
— जनपद बाँदा के विकास खण्ड जसपुरा में धोबर नाले पर रपटा निर्माण हेतु वर्ष 1997-98 में प्रदत्त धनराशि में किये गये कथित भ्रष्टाचार की जाँच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	132
— रुड़की नगर में सीवर साफ करने की अधिकांश सिविरेज ड्रेनेज पम्पों के खराब होने से नगर में व्याप्त गन्दगी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	132–133
— जिला महिला अस्पताल गोण्डा में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार की जाँच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	133–134
— मथुरा में चन्द्रशेखर आजाद पशु चिकित्सालय के समस्त कर्मियों/अधिकारियों के समस्त भुगतान एवं बकाया भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	134
— औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	135
— माध्यमिक शिक्षा परिषद् के आवेदन पत्रों में रंगीन फोटो स्वीकार न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	136–137
— दिनांक 24-4-2000 को श्री दद्दू प्रसाद की औचित्य के प्रश्न की सूचना पर पीठ के निर्देशानुसार शासन द्वारा कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	137–143
— औचित्य के प्रश्नों की शेष सूचनाओं का स्थगन	144
— विधान भवन के गेट नं०-9 के पास भारी मात्रा में रद्दी एकत्र होने से आग लगने की सम्भावना विषयक सूचना	144–145
— जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत विकास खण्ड घिरौर के ग्राम नगला रडा में प्रस्तावित राजकीय कन्या इण्टर कालेज को ग्राम शाहजहांपुर में स्थानान्तरित कराये जाने विषयक श्री जयपाल सिंह व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका का स्थगन	145

विषय	पृष्ठ-संख्या
— जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में दर्जी कुआं मनकापुर बभनान मार्ग और फैजाबाद मार्ग की मरम्मत और चौड़ीकरण कराये जाने विषयक डा० इरफान उल्ला खाँ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ... (उपस्थित की गयी)	145
— जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में आई०टी०आई लिमिटेड मनकापुर का प्रदूषित जल मनवर नदी में गिरने से रोकने विषयक श्री अशोक कुमार सिंह द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ... (उपस्थित की गयी)	145
— जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में झिलाही बाजार और साबरपुर बाजार में 33 के०वी०ए० विद्युत उपकेन्द्र खोले जाने विषयक श्री अनूप सिंह व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका.... (उपस्थित की गयी)	146
— राजकीय विकलांग कार्यशाला, पिथौरागढ़ को उच्चीकृत कर औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र का दर्जा दिलाये जाने विषयक श्री महेश गिरि व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	146
— राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिथौरागढ़ को कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल का परिसर बनाये जाने विषयक श्री केदार सिंह नेगी व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ... (उपस्थित की गयी)	146
— जनपद मथुरा के गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र के ताज ट्रेपोजियम के अन्तर्गत अवशेष ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने विषयक डा० नारायन सिंह व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ... (उपस्थित की गयी)	147
— जनपद सन्त रविदास नगर की नगर पंचायत नई बाजार में पशु चिकित्सालय स्थापित कराये जाने विषयक श्री तहसीलदार सिंह व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका..... (उपस्थित की गयी)	147
— कार्य मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव ..... (स्वीकृत)	147–152
— उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2000 (पुरःस्थापित)	152
— उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 2000 (पुरःस्थापित)	152–153
— वित्तीय वर्ष 2000–2001 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी)	153–170
— लोक निर्माण एवं चिकित्सा मंत्री के सम्बन्ध में अभियन्ता संघ के पत्र पर जांच की मांग	170–176
— अभियन्ता संघ के पत्र पर लोक निर्माण मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री के कथन में विरोधाभास होने के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न पर श्री अधिष्ठाता का निर्णय	176–200
— वित्तीय वर्ष 2000–2001 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा .... (जारी)	200
— बजट चर्चा में बसपा सदस्यों को संख्या के अनुपात में बोलने का अवसर देने के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न पर श्री अधिष्ठाता का निर्णय	200

विषय	पृष्ठ-संख्या
— वित्तीय वर्ष 2000–2001 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा	201–229
— प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु एक समान नीति बनाये जाने तथा बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों पर कड़ाई से लागू करने विषयक डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की नियम 103 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन	229
— नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	230–232
— डाक्टरों की प्रदेश व्यापी हड़ताल विषयक नियम 51 की सूचना पर वक्तव्य के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	232–233
— सम्पूर्ण प्रदेश में चिकित्सकों पर लगे लाइसेंसिग शुल्क के कारण डाक्टरों की प्रदेश व्यापी हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० वकार अहमद शाह व अन्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	233–234
— उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ के प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु रक्षा मंत्रालय भारत सरकार से नाम मंगाकर चयन किये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती कृष्णा राज द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा, भाषा राज्य मंत्री का वक्तव्य	234–235
— लखनऊ महानगर में पालीथीन के दुष्प्रभाव से पशुओं की हो रही मृत्यु तथा जन-सामान्य के स्वास्थ्य पर पड़ रहे दुष्प्रभाव के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	235–236
— जनपद लखीमपुर खीरी के थाना फूल बेहड़ की चौकी सुन्दर बल की पुलिस द्वारा एक दलित युवक को उत्पीड़ित किये जाने तथा उसे कथित रुप से गायब कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्रीमती माया प्रसाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	236–237
— कानपुर लखनऊ राजमार्ग पर स्थित पुराने गंगा पुल के जले हुए स्लीपरों को न बदले जाने से जनता के समक्ष उत्पन्न गम्भीर आवागमन की समस्या के सम्बन्ध में श्री राम कुमार एडवोकेट द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	237–238
— जनपद चित्रकूट के पठारी क्षेत्र के गाँवों में पेयजल के गम्भीर संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री ददू प्रसाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य	238–239

विषय	पृष्ठ-संख्या
— जनपद बाँदा में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पैलानी के भवन निर्माण में की गई अनियमितताओं तथा निर्माण कार्य की टी०ए०सी० द्वारा जांच कराकर दोषी जनों को दण्डित किये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर केवल वक्तव्य का स्थगन	240
— नत्थियाँ	241–250

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

बुधवार, दिनांक 26 अप्रैल, 2000

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला		बनारसी दास चान्दना, श्री	मेरठ
भइया, श्री	गोण्डा	बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
अजय राय, श्री	वाराणसी	महेन्द्र नाथ पाण्डेय, डा०	वाराणसी
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	मोती लाल, श्री	खीरी
अनिल कुमार, श्री	बलिया	यशवन्त, श्री	आजमगढ़
अफरोज अली खां, श्री	रामपुर	रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
अमर मणि, श्री	महराजगंज	राकेश त्यागी, श्री	बुलन्दशहर
अम्मार रिजवी, डा०	सीतापुर	राधेश्याम, श्री	कानपुर देहात
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी	राम आसरे पासवान, श्री	बस्ती
अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच	राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा०	कानपुर नगर
अशोक यादव, श्री	फिरोजाबाद	राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़	राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
काजिम अली खां, उर्फ		रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
नवेद मियां, श्री	रामपुर	राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
केदार सिंह फोनिया, श्री	चमोली	राम लखन, श्री	सुल्तानपुर
के० सी० सिंह "बाबा", श्री	उधम सिंह नगर	राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर
कैलाश, श्री	गाजीपुर	विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
गंगा बख्श सिंह, श्री	उन्नाव	विनय कुमार पाण्डेय "बिन्नू", श्री	गोण्डा
जगपाल, श्री	सहारनपुर	विनोद कुमार सिंह उर्फ	
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद	पंडित सिंह, श्री	गोण्डा
जय नारायन तिवारी, श्री	सुल्तानपुर	शिव पूजन राम, श्री	वाराणसी
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ		श्याम किशोर यादव, श्री	लखनऊ
पप्पू भइया, श्री	गोरखपुर	संजय सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
ज्ञान चन्द, श्री	उत्तरकाशी	सरजीत सिंह, डंग, डा०	मिर्जापुर
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर	सुमन लता सिंह, श्रीमती	बरेली
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर	हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी श्री	सोनभद्र
प्रेम प्रकाश सिंह, श्री	देवरिया		
बंश नारायण सिंह, श्री	भदोही		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनांक 26 अप्रैल, 2000

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के ।। बजें अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के विश्वविद्यालयों के शिक्षा सत्र नियमित करने की योजना

**।- श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि वर्तमान समय में प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शिक्षा सत्र अनियमित हैं ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार शिक्षा सत्र नियमित करने हेतु क्या योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई, बाढ़ नियन्त्रण एवं उच्च शिक्षा मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

प्रदेश में कुछ विश्वविद्यालयों का सत्र अभी भी अनियमित है एवं कुछ विश्वविद्यालयों के सत्र नियमित हो गये हैं।

कुलपतियों के सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष सभी विश्वविद्यालयों के शिक्षा सत्र को नियमित करने का प्रयास किया जायेगा और विश्वविद्यालयों द्वारा समय से परीक्षा कराकर परिणाम घोषित कर दिये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

(उत्तर पढ़ने के उपरान्त)

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि कुछ जो स्पेसिफिक निर्णय लिए गये हैं, वह बतला दें जिससे माननीय सदन को सुविधा होगी। यह निर्णय लिया गया कि 31 मई, 2000 तक परीक्षाएं सम्पन्न करा ली जायें। लखनऊ विश्वविद्यालय कुछ ज्यादा ही पीछे है, काफी वर्षों से है इसलिए उसमें 15 जून तक परीक्षा करा लेने का अन्तिम समय निर्धारित किया गया है कि अगला सत्र 15 जुलाई से प्रारम्भ कर दिया जाए। हम सभी अवगत हैं कि प्रवेश काफी लम्बे समय तक चलता रहता है, इससे भी कठिनाई होती है। इसलिए 31 अगस्त यह अन्तिम तिथि निर्धारित की है कुलपतियों के सम्मेलन में अगले सत्र में प्रवेश के लिए बी0एड0 में परीक्षाएं काफी देर से होती थीं, जुलाई माह के तृतीय रविवार को यह निर्णय लिया गया कि तृतीय रविवार से पूर्व यह परीक्षा करा ली जाये। यानि जिन कारणों से सत्र अनियमित होता था उससे नियमित करने के लिए, उन पर अंकुश लगाने के लिए यह तिथियां निश्चित की गयी हैं और यह जानाकारी देना चाहेंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परीक्षाएं काफी पहले से शुरू हो चुकी हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव होने के कारण

एक सप्ताह के लिए परीक्षाएं टाल दी गयी थीं, लेकिन 2 मई से होने वाली परीक्षाएं यथावत् रहेंगी जो एक सप्ताह टाला गया है, उसमें जो परीक्षाएं निर्धारित थीं वह 2 मई के बाद करा ली जायेंगी इसलिए 2 मई के बाद की तिथियां नहीं टाली गयी हैं और हमें विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में नियमित सत्र हो जायेगा।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता था, उसमें से माननीय मंत्री जी ने बहुत कुछ सारी समस्याएं हल करने के लिए कुछ जानकारी दी, मैं इसके लिए आभारी हूं। मान्यवर, जहां तक उच्च शिक्षा में इतनी बड़ी अनियमितता थी, परीक्षाकाल को लेकर, पठन-पाठन को लेकर पूरे प्रदेश में ऐसी स्थिति है। सत्र कब समाप्त हो रहा है, पठन-पाठन कब हो रहा है, प्रवेश कब हो रहे हैं, बड़ा व्यत्क्रम हो रहा था? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश में कुल कितने विश्वविद्यालय है, उसमें से किन-किन विश्वविद्यालयों का सत्र अभी अनियमित है और किन-किन विश्वविद्यालयों का सत्र नियमित कराने का प्रयास किया जा रहा है? मंत्री जी बता दें।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, उच्च शिक्षा के नियन्त्रणाधीन 13 विश्वविद्यालय हैं जिसमें बहुत ही विलम्ब या अनियमित कहा जाये तो इलाहाबाद और लखनऊ विश्वविद्यालय में सत्र कुछ ज्यादा ही अनियमित है और कई वर्षों से है और बाकी में एक महीने, डेढ़ महीने का है। इस वर्ष सभी 13 विश्वविद्यालयों में शिक्षण सत्र 16 जुलाई के आसपास से शुरू हो जायेगा और जो प्रगति है उससे लगता है कि वह हो जायेगा।

प्रदेश में दहेज उत्पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने हेतु कानून में संशोधन की मांग

**2-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दहेज उत्पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने एवं उनका अनावश्यक उत्पीड़न रोकने के लिये क्या सरकार वर्तमान कानून में आवश्यक संशोधन करने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

प्राविधिक शिक्षा, महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मन्त्री (श्रीमती प्रभा द्विवेदी)-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैंने अपने प्रश्न में जानना चाहा था कि दहेज उत्पीड़ित महिलाओं

को त्वरित न्याय दिलाने की दृष्टि से क्या शासन वर्तमान कानूनों में कुछ संशोधन करने पर विचार करेगा, माननीय मंत्री जी ने कहा है, जी हां, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या-क्या संशोधन इस दृष्टि से इस कानून में प्रस्तावित हैं, कृपा करके अवगत कराने का कष्ट करें?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1964 में जो प्राविधानित है उसमें अभी कुछ संशोधन का प्रस्ताव है। राज्य विधि आयोग ने कुछ संशोधन प्रस्तावित किये हैं। विभाग उन पर विचार कर रहा है। शीघ्र ही हम लोग यह संशोधन ले आयेंगे।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मैंने यह जानकारी चाही थी कि वह संशोधन क्या-क्या प्रस्तावित है। मंत्री जी ने कहा कि राज्य विधि आयोग ने जो संशोधन प्रस्तावित किये हैं उन पर विभाग विचार कर रहा है। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि उन संशोधनों को लाने का आधार क्या है?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

वर्तमान में दहेज लेना व देना अपराध माना गया है। राज्य विधि आयोग ने जो प्रस्ताव दिया है उसके अन्तर्गत केवल दहेज लेना ही अपराध माना जायेगा। दूसरे वधू पक्ष द्वारा वर पक्ष को दिया जाने वाला दहेज अपराध माना जायेगा और उपहारों की सूची बनाने की आवश्यकता नहीं मानी गयी है

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने काफी चिन्ता व्यक्त की है और कहा है कि उत्पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के लिए तथा भविष्य में उनका उत्पीड़न रोकने के लिए हम कानून में कुछ आवश्यक संशोधन करने पर विचार कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में दहेज उत्पीड़न या अन्य प्रकार के उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए कई राज्यों में मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार भी महिलाओं के उत्पीड़न को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन पर विचार करेगी?

श्री अध्यक्ष-

यह मूल प्रश्न से हटकर है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, आप मुझे संरक्षण दें, आप माननीय मंत्री जी को संरक्षण दे रहे हैं मंत्री जी कुछ बताना चाह रही हैं।

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

आपके विचार को सुन लिया। इस पर भविष्य में कोई बात होगी तो विचार किया जायेगा।

श्री अम्बरीष कुमार-

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि दहेज कानून का जो दुरूपयोग हो रहा है और इस कानून का सहारा लेकर निर्दोष लोगों का उत्पीड़न और उन पर अत्याचार हो रहा है। क्या सरकार उसको रोकने के लिए कोई कारगर उपाय करेगी?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

मान्यवर, माननीय विधायक जी ने जानना चाहा है कि जो दहेज से उत्पीड़ित महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है उसके सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश दहेज प्रतिषेध नियमावली, 1999 हमने बनाया है जिसके तहत हर जिले में दहेज प्रतिषेध बोर्ड का गठन किया गया है जो ऐसे समस्याओं को सुनकर उसके त्वरित निष्पादन की प्रक्रिया अपनायेगा।

श्री श्रीराम पाल-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि दहेज के कारण महिलाओं की निरन्तर हत्यायें हो रही हैं माननीय मंत्री जी ने अभी कानून में संशोधन की बात कही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन महिलाओं की दहेज के कारण हत्यायें हो रही हैं ऐसे व्यक्तियों का पुनर्विवाह विधवा या परित्यक्ता से ही करने के लिए क्या कानून में संशोधन किया जा रहा है?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

यह बड़ा सामाजिक प्रश्न है। इसका इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है। मैं समझती हूं कि इसके उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मुन्ना चौहान-

अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दहेज उत्पीड़न सम्बन्धी जो कानून है उस कानून की प्रदेश में दुरूपयोग की शिकायतें समय-समय पर मिलती हैं क्या इस प्रकार सरकार कोई कानून में संशोधन करने का काम करेगी? क्या सरकार ने इस कानून के तहत जो मुकदमें दर्ज हो चुके हैं उनकी समीक्षा की है? कि कितने मुकदमें उसमें सही पाए जाते हैं और कितने गलत मुकदमें दर्ज होते हैं जिसकी वजह से इन परिवारों का उत्पीड़न होता है?

श्री अध्यक्ष-

यह विस्तृत प्रश्न है।

श्री मुन्ना चौहान-

मेरी प्रार्थना है कि इस कानून की निश्चित रूप से समीक्षा होनी चाहिए। क्या इस कानून का जो मकसद था उसकी पूर्ति हो रही है? या इस कानून का दुरूपयोग हो रहा है। क्या सरकार किसी स्तर पर इसकी समीक्षा करने का काम करेगी? जिससे भविष्य में सुनिश्चित हो सके कि इसका दुरूपयोग नहीं होगा।

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

माननीय विधायक का सुझाव सराहनीय है इसकी निश्चित रूप से हम समीक्षा कर लेंगे।

श्री राम जग-

अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले वर्ष कुल कितने मामले दहेज उत्पीड़न के प्रकाश में आये? और जो मामले प्रकाश में आए उनमें कितने लोगों की जांच के उपरान्त सजा दी गई। यदि इस कानून में खामियां हैं तो क्या उसको प्रभावी बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जायेंगे?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

कानून में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। हम बहुत शीघ्र ही संशोधन को प्रस्तुत करेंगे। जो खामियों की बात कही गई खामियां हैं इसलिए संशोधन की आवश्यकता है।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं जहां तक त्वरित न्याय दिलाने का सम्बन्ध है क्या इसके लिए सरकार कोई विशेष अदालत के गठन पर विचार कर रही है यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

न्यायालय की प्रक्रिया का अपना स्वत: इंडेपेंडेंट संगठन है उसके तहत हमने प्रयास किया है। दहेज प्रतिषेध नियमावली, 1999 बनाकर नियम 6(2) के अन्तर्गत इसकी जो शिकायतें हैं उनकी त्वरित जांच कराने की बात है नियम 7(6) के अन्तर्गत जिला प्रतिषेध अधिकारी हैं यह एक महीने में रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

सदस्य का प्रश्न दूसरा है।

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

विशेष न्यायालय की बात भविष्य में हो सकती है फिलहाल नहीं है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि दहेज की बावत कितनी महिलाओं की हत्या 1999-2000 में हुई?

श्री अध्यक्ष-

यह विस्तृत प्रश्न है। यह मूल प्रश्न भी होता तो विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त कर दिया जाता।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

यह मूल प्रश्न से ही जुड़ा है।

दहेज उत्पीड़न दो प्रकार के होते हैं। पहला, दहेज के नाते महिलाओं की हत्या कर दी जाती है और दूसरा फिजिकली परेशान किया जाता है। दहेज से पीड़ित कितनी महिलाओं की हत्या हुई है दूसरा कि कितनी महिलाओं के उत्पीड़न के केस दर्ज हुये हैं। तीसरी बात यह कि पिछले वर्ष 97-98 की तुलना में जो यह हत्या उत्पीड़न में वृद्धि हुई है उसको रोकने के लिए क्या कोई ठोस कार्यवाही की जा रही है या यह सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

मान्यवर, मैंने पहले ही अनुरोध कर लिया है कि कितने मुकदमें दर्ज हुये हैं, या कितनी हत्यायें हुई है यह मूल प्रश्न से हट कर प्रश्न है। मैं माननीय विधायक जी को इसकी जानकारी बाद में दे दूंगी।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूंछना चाहता हूं कि जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि संशोधन विचाराधीन है, तो क्या-क्या संशोधन विचाराधीन है। जैसा कि पाल जी ने कहा कि यह शर्त लगा दी जाये कि जो लोग दहेज के लिए हत्या करते हैं उनका पुर्नविवाह किसी अविवाहित स्त्री से नहीं हो सकता, ऐसा कोई कानून बनानें पर सरकार विचार कर रही है या नहीं।

श्री अध्यक्ष-

दहेज अपराध से मृत्यु के दो ही दण्ड हो सकते हैं या तो मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास अगर वह दोबारा विवाह करेगा तो उसकी दूसरी पत्नी तो वैसे ही विधवा हो जायेगी। किसी कठोर दण्ड की बात करें तो ठीक भी है।

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

राज्य विधि अयोग ने कुछ संशोधन प्रस्तुत किये हैं। जैसे दहेज लेना और

देना दोनों अपराध हैं परन्तु दहेज लेना ही अपराध हो इस पर विचार किया जा रहा है।

श्री लाल जी वर्मा-

कौन-कौन से एक्ट में क्या-क्या संशोधन प्रस्तावित हैं?

श्री अध्यक्ष-

देखिये अब काफी अनुपूरक हो गये हैं। अब अगला प्रश्न लेते हैं।

(उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न)

प्रदेश के आयुर्वेद एवं यूनानी कालेजों की सम्बद्धता हेतु आयुर्वेद विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानकारी

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

*1.-क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय चिकित्सा परिषद् की संस्तुति पर प्रदेश में आयुर्वेद एवं यूनानी कालेजों को एक इकाई से सम्बद्ध करने हेतु आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना पर सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो उक्त विश्वविद्यालय का स्वरूप एवं उसकी रूपरेखा क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री कलराज मिश्र)-

जी नहीं।

आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापित करने की कोई योजना योजना विचाराधीन नहीं है।

मेडिकल विश्वविद्यालय की स्थापना शासनादेश दिनांक 15-01-1999 द्वारा किये जाने के उपरान्त आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापित करने का औचित्य नहीं है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रदेश में आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां तो शासन उस पर पुनर्विचार करने की स्थिति में है या नहीं?

श्री कलराज मिश्र-

मैंने उत्तर में कहा है कि ऐसी कोई योजना नहीं है। अलग से एक विश्वविद्यालय की व्यवस्था शासनादेश द्वारा की गई है, उसका विधेयक हम लाने वाले हैं।

श्री अध्यक्ष-

क्या इस विश्वविद्यालय में आयुर्वेद की शिक्षा भी दी जायेगी?

श्री कलराज मिश्र-

उसमें सभी की शिक्षा दी जायेगी। इसके अंतर्गत 10 आयुर्वेद महाविद्यालय, 10 होम्योपैथ और 2 यूनानी महाविद्यालय होंगे। चूंकि पी0जी0आई0 केन्द्र से सम्बन्धित है और के0जी0एम0सी0 लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बन्धित है। इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी धन्वंतरि विश्वविद्यालय से संबद्ध होंगे।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, जैसा मंत्री जी ने कहा कि इस विश्वविद्यालय में आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथ की शिक्षा दी जायेगी, संभवत: मंत्री जी को पता होगा कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में इसी तरह की व्यवस्था थी लेकिन कार्य रूप में नहीं हो पाया। बाजपेयी जी का सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है।...

अभी आपके विचाराधीन नहीं है। मान्यवर, अंग्रेजी दवाइयां इतनी मंहगी हैं और मल्टी नेशनल कम्पनियों के आने के बाद साधारण मनुष्य इन दवाओं को नहीं खरीद सकता है। आयुर्वेदिक दवाइयां सस्ती और कारगर हैं। क्या सरकार पुनर्विचार करेगी कि उत्तर प्रदेश में एक अलग से आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय खोला जाय? इसके पड़ा हुआ है और उसमें कुल संसाधन भी उपलब्ध हैं, वहां इस विश्वविद्यालय को खोल दिया जाये, यह मेरा अनुरोध है।

श्री कलराज मिश्र-

मान्यवर, अभी यहां कोई मेडिकल विश्वविद्यालय नहीं था। इसलिये पहली बार प्रदेश के अन्दर एक मेडिकल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। इसकी मन्शा यही है कि जो आयुर्वेदिक महाविद्यालय हैं, होम्योपैथिक महाविद्यालय हैं, एलोपैथिक महाविद्यालय हैं, इन विद्यालयों के अन्दर शिक्षा में सुधार, उसका नियमन, उनमें विभिन्न मेडिकल फैकल्टीज की समुचित व्यवस्था, पैरा मेडिकल साईन्स, नर्सिंग, ये सारी की सारी चीजें उससे सम्बद्ध होंगी। माननीय सदस्य ने जो शंका व्यक्त की है कि ठीक ढंग से व्यवस्था नहीं हो पाती है, उन्होंने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की चर्चा की इस विश्वविद्यालय के स्थापना के पश्चात् मैं समझता हूं कि इस समस्या का निस्तारण हो जायेगा।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, माननीयमंत्री जी ने बताया कि मेडिकल विश्वविद्यालय की स्थापना

प्रास्तावित है और उसकी रूपरेखा भी यहां पर बतायी कि उसमें 6 मेडिकल कालेज होंगे, आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक कालेज सम्बद्ध होंगे लखनऊ मेडिकल कालेज तथा पी0जी0आई0 को छोड़कर। पिछलें दिनों गोरखपुर मेडिकल कालेज के एम0एस0 तथा एम0डी0 कोर्सेस की सीटों में कमी करने का निर्णय इण्डियन मेडिकल काउन्सिल ने कर दिया और डिनोटिफिकेशन का निर्णय कर लिया। भविष्य में भी अन्य मेडिकल कालेजों के साथ यह हो सकता है तो सरकार इस पर क्या विचार कर रही है?

श्री कलराज मिश्र-

मान्यवर, यद्यपि इसका मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है फिर भी माननीय सदस्य ने जानना चाहा है, इसलिये मैं बताना चाहता हूं कि गोरखपुर मेडिकल कालेज में पोस्ट ग्रेज्युएशन की कोई सैंग्सन नहीं थी।.....

गोरखपुर मेडिकल कालेज ने यहां आकर निर्देशित किया कि यहां पी0जी0 नहीं चलेगा। स्थगित हुआ है तो जब हम प्रयत्नशील हैं कि गोरखपुर मेडिकल कालेज की ऐसी स्थिति निमार्ण करें ताकि वह सभी नार्म्स को फुलफिल करें और फिर पी0जी0 वहां स्थापित किया जाय। इसके पहले वहां पी0जी0 की पढ़ाई हुई थी। कई लोग वहां से पढ़कर निकले भी थे, डाक्टर भी हैं लेकिन वह एम0सी0आई0 से रिकगनाइज नहीं है। उसको हम रिकगनाइज करने के लिये उसके जो नार्म्स हैं उनको जल्दी ही फुलफिल करने का प्रयास कर रहें हैं। एक प्रश्न माननीय पाल जी का रह गया था। आपने कहा कि जो कुछ छात्रों की संख्या घटाई जा रही है। मान्यवर, एम0सी0आई0 के द्वारा जो मान्य छात्रों का प्रवेश था उससे भी ज्यादा प्रवेश मेडिकल कालेज में किया जा रहा था। एम0सी0आई0 ने अब जो प्रवेश की संख्या सुनिश्चित की है उसके अनुसार ही प्रवेश किया जाय। इसीलिये यह संख्या कम करनी पड़ रही है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीयमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि मेडिकल विश्वविद्यालय बनाने के सम्बन्ध में शासनादेश 15-01-1999 को जारी कर दिया गया और करीब सवा साल हो गया है इस शासनादेश के जारी हुए आप बतायें कि अब तक इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई, कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया, कहां पर जमीन एक्वायर की गई? दूसरी बात यह कि आज जब दुनिया पूरी तरह से हर्बल की तरफ बढ़ रही है ऐसी परिस्थितियों में कि इसको लोग महत्व दे रहें हैं आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय अलग से स्थापित किये जाने पर विचार करेगें ताकि विशेष रूप से आयुर्वेदिक चिकित्सा को आगे बढ़ाया जाय लोगों की उसके प्रति जागरूकता को देखते हुए।

श्री कलराज मिश्र-

विश्वविद्यालय से सम्बन्धित शासनादेश हो गया है और उस सम्बन्ध में टोकन

मनी के रूप में 20 लाख रुपये खर्च किये गये थे। उसके लिये एक व्यक्ति रखा गया है जो विशेष कार्याधिकारी नामित किया गया है जो उसकी सारी आवश्यकताओं को देख रहा है। उसके लिये जमीन आदि की व्यवस्था देख रहें हैं। अभी यह करने वाले हैं। यह लखनऊ स्थान होगा। अभी विधेयक हम लायेगें उसके अन्दर विस्तार से सारी चीजें दी होगीं।

श्री लाल जी वर्मा-

मेरा प्रश्न था कि क्या उसके बारे में पुनः विचार कर रहें है?

श्री अध्यक्ष-

उसका पहले ही उत्तर आ चुका है। डा0 बाजपेयी ने जो पहला अनुपूरक किया था उसका उत्तर आ गया है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, दो बातें माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। एक तो यह कि जो प्रदेश में निजी मेडिकल कालेज चल रहें है उनको भी इससे सम्बद्ध करेंगे? दूसरा जैसा कुंवर रेवती रमण जी ने कहा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में के0एन0 अप्पा के सम्बन्ध में इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल था जिसको इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकलसाइसेज में बदल कर उसकी सहचरी बना दिया और धीरे-धीरे बाद में कब्जा करके उसको बाहर कर दिया गया। उसकी देखभाल करने के लिये आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना के पुनर्विचार की बात कह दें?

श्री कलराज मिश्र-

मान्यवर, मैंने पहले ही कह दिया कि पहली बार उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा 40 आयुर्वेद, होम्योपैथ और एलोपैथ के मेडिकल कालेज हैं वो इससे सम्बद्ध होंगें। आपने प्रश्न पूछा कि जो प्राइवेट मेडिकल कालेज हैं वे भी क्या इससे सम्बद्ध होंगें? इस सम्बन्ध में कहना है कि जो प्राइवेट मेडिकल कालेज हैं उनके आवेदन पत्र देने के बाद विचार कर लिया जायेगा। इस सम्बन्ध में अभी बात नहीं हुई है। आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के बादे में पुनः विचार की बात इस तर्क के आधार पर कही है कि काशी हिन्दु विश्वविद्यालय में जो विस्तार करके मेडिकल कालेज कर दिया गया है आयुर्वेद को बाहर कर दिया। जब यह आयुर्वेद का बन रहा है तो बाहर होने का सवाल ही नहीं होता है। अलग से बनाने का कोई विचार अभी नहीं है।

श्री लाल जी वर्मा-

मैंने मान्यवर, कहा था कि आज पूरी दुनिया आयुर्वेदिक की तरफ बढ़ रही

है तो क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस दिशा में निर्णय नहीं करना चाहती है?

श्री अध्यक्ष-

चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी आपनें जो विश्वविद्यालय खोलनें के सम्बन्ध में बात कही वह उसी तरह है जैसे पूर्वान्चल विश्वविद्यालय है, यह विभिन्न डिग्री कालेज को सम्बद्ध करनें के लिये स्थापना हो रही है। अगर सम्बद्ध करनें वाला मेडिकल कालेज बनाया जाना है तो आयुर्वेद को सम्बद्ध करने के लिये अलग से आयुर्वेदिक क्यों नहीं बनाया जा सकता है?

श्री कलराज मिश्र-

मैंने सम्बद्ध की ही बात नहीं कही। शिक्षा सत्र को नियमित करने पी0जी0 की पढ़ाई, पैरा- मेडिकल साइंसेज के बारे में विचार करेंगें ताकि यह सारी चीजे जो मेडिकल शिक्षा में सम्बन्धित है उन पर विचार करने के बाद यह विश्वविद्यालय होगा। जिसमें कि सभी पैथी के लोग शामिल होंगे।

प्रदेश में क्षय रोग की रोकथाम हेतु सरकारी उपाय व योजना

श्री राम ललित चौधरी-

*2-क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में क्षय रोगियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है? यदि हां, तो क्षय रोगियों के नि:शुल्क इलाज के लिए क्या सरकार कोई योजना बना रही है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री (डा0 राम बाबू हरित)-

राज्य में क्षय रोग का पता लगानें हेतु किये गये किसी सर्वेक्षण के अभाव में निश्चित निष्कर्ष देना कठिन है। क्षय रोगियों के नि:शुल्क इलाज हेतु राज्य सरकार की निश्चित योजना है।

राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के क्षय रोगियों को जिला क्षयरुजालयों एवं अस्पतालों में नि:शुल्क निदान एवं चिकित्सा उपचार की सुविधा प्रदान की जाती है। क्षय रोगियों को अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी औषधियों से कम अवधि में रोग मुक्त किये जाने के उद्देश्य से प्रदेश के कतिपय जनपदों में विश्व बैंक की सहायता से परियोजना भी प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामललित चौधरी-

मान्यवर, एकदम गैर जिम्मेदाराना जबाव है सर्वेक्षण की क्या जरुरत है, टी0बी0 अस्पतालों में कितने मरीज आते जाते हैं यही सरकार को पता नहीं होगा तो धन का आवंटन कैसे होगा? बजट में पैसे का आवंटन कैसे होगा? जब मरीजों की

संख्या नहीं पता है, जबकि पंजीकृत होता है इसके अलावा कितने मरीज आते जाते हैं, यह मामूली बात है इसमें सर्वेक्षण की बात ही नहीं है।

डा0 रामबाबू हरित-

जिनका रजिस्ट्रेशन करते हैं उसकी जानकारी है मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं, लेकिन ऐसा सर्वेक्षण नहीं हुआ कि कितने लोग क्षय रोग से पीड़ित हैं?

(व्यवधान)

(इस समय ।। बजकर 32 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मुन्ना चौहान पीठासीन हुए)

श्री अधिष्ठाता-

उत्तर आने दें।

डा0 रामबाबू हरित-

मैं बता रहा हूं 1997-98 में ओ0पी0डी0 में जो मरीज आए वह 3 लाख 2 हजार 829 थे उनको दवा उपलब्ध कराई गई 1998-99 में मरीज आए वह 2 लाख 67 हजार 346 थे यह माह सितम्बर तक के आंकड़े हैं और मार्च, 2000 तक जो मरीज आये वह 2 लाख 42 हजार 527 थे उनका उपचार किया गया।

डा0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि इनके अनुसार तो क्षय रोग की संख्या कम हुई है जबकि वास्तविकता यह है कि संख्या दुगुनी हुई है। क्षय रोग अस्पताल में जो दवायें मिलती हैं उनकी क्वालटी खराब है कुछ ऐसे कोर्स हैं जिसमें 15 दिन की दवा मिली उसके बाद दवा नहीं मिलती है तो असर खत्म हो जाता है। कुछ लोग रजिस्टेन्ट होते हैं....

और उसके बाद जो लाइन आफ ट्रीटमेंट है वह सरकार के पास है नहीं। नतीजा वह हो रहा है कि मरीजों की संख्या दिन दुगनी बढ़ती जा रही है।

श्री अधिष्ठाता-

आप प्रश्न पूछें।

डा0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो दवाओं का निर्धारण होता है वह संख्या के आधार पर होता है। यह भ्रम में डाल रहे हैं इनको संख्या मालूम ही नहीं है, तो कैसे यह इलाज करेंगे?

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी प्रश्न यह है कि यदि आपके पास मरीजों की संख्या का

आंकलन नहीं है तो क्षय रोगों के नियंत्रण में जो इन्तजामात कर रहें हैं उसके लिए कोई योजना निर्धारित नहीं हो सकती है तो फिर कैसे आप तय करेगें कि जितनी डिमाण्ड है उसकी आपूर्ति आपके पास है कि नहीं ? माननीय सदस्य निश्चित जानकारी के आधार पर कह रहें हैं कि क्षय रोगों की संख्या बढ़ रहीं है। इन्होंने यह पूछा है कि क्या आपको यह जानकारी है कि मरीजों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है ?

डा0 राम बाबू हरित-

मान्यवर, 57 जनपदों में हमारे टी0बी0 क्लीनिक चल रहे हैं। कई स्वैच्छिक संस्थाए भी टी0बी0 क्लीनिक चला रही हैं। जो मरीज आता है उसकी बीमारी हम ठीक कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

दूसरा जो रेंजिस्टेन्ट कैसेज है जिसमें दवाओं का असर खत्म हो जाता है तो आप कैसे इन कैसेज को आइडेन्टीफाई करेंगे ?

डा0 राम बाबू हरित-

मान्यवर, हमारें पास पर्याप्त दवाएं हैं और कोई रेंजिस्टेन्ट केस हमारे पास नहीं है। जो भी मरीज आता है हमारे पास दवाएं हैं हम उससे ठीक कर देगें।

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसमें पूरे तथ्य नहीं हैं। मान्यवर, दुनिया में टी0बी0 के सबसे ज्यादा मरीज है और उससे लोग मरते हैं। उसमें भारत में सबसे ज्यादा मरते हैं और भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मरते हैं। आपने जवाब दिया कि 98-99 में दो लाख मरीज आये है तो क्या आप इसका फिर से सर्वेक्षण करायेगे ? दूसरा जो ड्रग रेंजिस्टेन्ट हो जाते हैं उसके लिए अलग से बजट किरेंगे और कितना बजट टी0बी0 के लिए दिया जाता है ?

डा0 राम बाबू हरित-

मान्यवर, भारत सरकार के द्वारा और उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा पचास-पचास प्रतिशत का औसत रखा गया है। डाट्स योजना हमने शुरू की है क्योंकि इस बीमारी में लम्बा ईलाज होता है। इस समय हमारे पास दवाओं की कोई कमी नहीं है। स्वास्थ्य निरीक्षक खुद मरीज को दवाएं खिलाते हैं यदि मरीज नहीं आते हैं तो उसके घर जाकर दवाएं खिलाते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

सर्वेक्षण कराये जाने की कोई योजना बनायी गयी है ?

डा0 राम बाबू हरित-

मान्यवर, पूरे जनपद में 57 जनपदों में टी0बी0 क्लीनिक खुले हैं और चल रहे हैं। जो बाकी जनपद हैं उसमें रजिस्ट्रेशन होता है और दवाओं की हमारे पास कमी नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

कितना बजट दिया गया है यह भी पूछा गया है?

डा0 राम बाबू हरित-

मान्यवर, हमारे पास पर्याप्त दवाएं उपलब्ध हैं।

श्री अधिष्ठाता-

यह क्षय रोग नियंत्रण प्रत्येक जिले में पृथक रूप से संचालित होता है तो निश्चित रूप से इसका बजटरी प्राविधान होता होगा।

डा0 राम बाबू हरित-

मान्यवर, सामुदायिक स्वास्थ्य, नवीन स्वास्थ्य केन्द्र वहां भी इसका इलाज करते हैं।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, आज आपको प्रश्न पूछना पड़ रहा है। इससे बड़ी नालायकी इस सरकार की क्या होगी कि प्रदेश में बीमारी बढ़ रही है या घट रही है यह नहीं पता है और उसकी रोकथाम के लिये कितना बजट है?

श्री अधिष्ठाता-

आप प्रश्न करें।

डा0 राम बाबू हरित-

मान्यवर, यह सरकार क्षय रोग के निवारण के लिये पूर्ण रूप से संकल्पित है दृढ़ संकल्पित है मरीजों को ठीक तरह से दवा दी जा रही है।

श्री बी0आर0 वर्मा-

मुझे इस शब्द का इसलिये इस्तेमाल करना पड़ा कि आप प्रश्न पूछ रहें हैं और जवाब नहीं आ रहा है। इसे प्रश्न एवं संदर्भ समिति को भेज दें।

श्री अधिष्ठाता-

चलिये सूचना का अभाव है।

श्री बी0आर0 वर्मा-

किसी भी पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 में दवा नहीं दी जाती है, क्या इसका वितरण वहां से भी सुनिश्चित करायेंगे?

डा0 राम बाबू हरित-

मैं जब भी किसी जनपद में जाता हूं मैं टी0बी0 क्लीनिक, टी0बी0 हास्पिटल का निरीक्षण करने अवश्य जाता हूं, निरीक्षण करता हूं। कल मैंने यहां ठाकुरगंज में निरीक्षण किया मरीजों से पूछकर आया हूं सभी को दवा मिल रही है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, जब इनको यह जानकारी नहीं है कि बजट कितना है, रोगियों की संख्या क्या है, कितनी दवा की खरीद फरोख्त हुई है तो यह आदर्श प्रश्न है, इसको प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्भित कर दें। मान्यवर, क्षय रोग के लक्षण होते हैं लड़खड़ाना, ठीक से सांस न आना, कमजोरी, स्मरण शक्ति कमजोर होना-यह सारे लक्षण इस सरकार में विद्यमान है। क्या क्षय रोगियों के रजिस्टर में सरकार का नाम दर्ज है?

श्री अधिष्ठाता-

यह कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं हुआ।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि प्रदेश के कतिपय जिलों में कुछ ऐसी प्रभावशाली दवाओं की व्यवस्था विश्व बैंक की परियोजना के तहत किया जाने वाला है तो मैं जानना चाहता हूं कि वह दवाएं क्या है और उनका असर तुलनात्मक दृष्टि से किस तरह से होना है और वह योजना कब से लागू हो जायेगी?

श्री अधिष्ठाता-

यह तो विशेषज्ञों का काम है कि वह बतायें कि हर दवाओं का विस्तृत प्रभाव क्या है, मैं इसकी अनुमति नहीं देता, यह उत्तर माननीय मंत्री जी नहीं दे सकते। आप बैठें।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के कितने जनपद में विश्व बैंक की योजना कहां-कहां प्रस्तावित है जिसमें क्षय रोगियों को कम अवधि में प्रभावी औषधि देने के लिए कौन-कौन सी प्रभावी योजना है?

(व्यवधान)

डा0 राम बाबू हरित-

मान्यवर, लखनऊ, बाराबंकी एवं रायबरेली में यह योजना शुरू कर दी है और उन्नाव में शुरू होने जा रही है, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत में प्रस्तावित है जिस पर शीघ्र निर्णय ले लिया जायेगा।

श्री राम जग-

मान्यवर, यह एक बहुत गम्भीर सवाल है। क्षय रोगी ज्यादातर गरीब परिवारों के हैं जो गरीब हैं, मजदूर हैं जिनके पास खाने-पीने की सुविधा नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

मैं भाषण की अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

श्री राम जग-

मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में औषधालयों में क्षय रोगियों की दवा का इन्तजाम आज भी नहीं है तो क्या सरकार इस बात की गारन्टी देगी कि क्षय रोग के रोगियों के लिए बेहतर दवा की व्यवस्था होगी?

श्री अधिष्ठाता-

इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री राम जग-

मान्यवर, क्षय रोग के रोगियों के लिए दवा के साथ-साथ गरीब परिवारों से आये हुए इन रोगियों के लिए क्या सरकार भोजन की व्यवस्था करेगी?

श्री अधिष्ठाता-

इसका उत्तर आ चुका है आप बैठें।

श्री राम जग-

मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या क्षय रोग के रोगियों के लिए भोजन की व्यवस्था यह सरकार करेगी?

श्री अधिष्ठाता-

आप स्थान ग्रहण करें।

(कुछ सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

राम जग जी, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप कोई प्रश्न न करके भाषण कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप बैठें।

आप खुद सोचें। तमाम [illegible] बातों का मंत्री जी ने अपने उत्तर में जिक्र किया कि सरकार की क्या-क्या योजना है, किस तरह से क्षय रोग नियंत्रण केन्द्रों पर व्यवस्था की गई है, किस-किस दवा की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। आपकी सारी बातों का उत्तर पहले ही आ चुका है। अनावश्यक चीजों का उत्तर हम नहीं दिलवा सकते हैं। मंत्री जी आप चाहें तो प्रश्न के इस हिस्से का उत्तर दे सकते हैं कि क्या क्षय रोग केन्द्रों पर मरीजों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने पर सरकार विचार करेगी?

(मंत्री जी उत्तर के लिए खड़े हुए)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, जैसा पौष्टिक भोजन उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों को उपलब्ध है, क्या वैसा ही पौष्टिक भोजन सरकार क्षय रोगियों को उपलब्ध करायेगी, जिसमें चर्बी खूब बनती हो?

श्री अधिष्ठाता-

आप दल के उपनेता हैं, आप सहयोग करें, यह कोई प्रश्न नहीं है।

(श्री राम जग के पुनः खड़े होकर कुछ कहने का प्रयास करने पर)

आप कृपया सहयोग करें, आपकी सारी बात आ गई है। अब आपका कुछ लिखा नहीं जायेगा, अखबारों में भी नहीं छपेगा, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि किसी सर्वेक्षण के अभाव में निश्चित निष्कर्ष देने में कठिनाई है। क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि क्षय रोगियों का सही रूप से इलाज हो सके और पर्याप्त दवा की व्यवस्था की जा सके, इसके लिये कोई सर्वेक्षण कराने की सरकार कृपा करेगी? दूसरी बात जानना चाहता हूं, मेरी निश्चित जानकारी है कि मेरे यहां टांडा में संयुक्त चिकित्सालय है, सी0एच0सी0, वहां पर क्षय रोग की कोई दवा उपलब्ध नहीं है। क्या माननीय मंत्री जी इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करेंगे कि सी0एच0सी0 और पी0एच0सी0 जितने हैं, वहां पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वालों को दवा की समुचित व्यवस्था हो?

श्री अधिष्ठाता-

इसका उत्तर आ चुका है। मंत्री जी, अपने उत्तर में आपने बताया है कि जिला क्षय रोग नियंत्रण केन्द्रों पर दवा की व्यवस्था है, लेकिन उसके बावजूद माननीय सदस्यों द्वारा बार-बार यह जिज्ञासा प्रकट की जा रही है कि क्या पी0एच0सी0 और सी0एच0सी0 पर भी क्षय रोग नियंत्रण के बारे में पर्याप्त दवा की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी?

डा0 राम बाबू हरित-

मान्यवर, मैं पहले ही सदन को अवगत करा चुका हूं कि जहां हमारी स्वास्थ्य सेवायें चल रही है.....

श्री अधिष्ठाता-

माननीय रामजग जी पहले आप बैठ जायं।

डा0 राम बाबू हरित-

मान्यवर, वहां व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। जहां तक माननीय सदस्य की जिज्ञासा है कि अच्छा भोजन मिल रहा है कि नहीं तो मैं मा0 अम्बिका चौधरी जी से कहना चाहूंगा कि वह चिकित्सालय में भर्ती हो जायं तो उनका वजन अच्छे भोजन के कारण एक माह में पांच किलो बढ़ जायेगा। क्योंकि वहां अच्छी डाइट मिल रही है।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या-3 पुकारे जाने पर)

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने से घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि निश्चित रूप से यह महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिए इसमें पर्याप्त अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति ली गयी। यदि एक साथ कई माननीय सदस्य खड़े होकर बोलेंगे तो सदन का समय बर्बाद होगा। मैंने यह भी अपेक्षा और अनुरोध किया था कि बावजूद इसके यदि माननीय मंत्री जी के उत्तर से आप लोग संतुष्ट नहीं हैं तो आप लिखकर दे सकते हैं जिसका मैं परीक्षण करा लूंगा कि उस पर चर्चा करायी जा सकती है कि नहीं अथवा उसे प्रश्न एवं संदर्भ समिति को भेजा जा सकता है कि नहीं, इसमें यदि आप लिखकर देंगे तभी यह सम्भव होगा। इसलिए आप लोग कृपया सहयोग करें और आगे के प्रश्न लेने दें। कृपया संसदीय कार्य मंत्री जी को बोलने दें।

(व्यवधान)

यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लिए सरकार का पक्ष आ जाये, इसके लिए तो माननीय मंत्री जी को अवसर देना चाहिए। मंत्री जी कोई सूचना उपलब्ध कराना चाहते हैं तो सभी माननीय सदस्यों का दायित्व है कि वे माननीय मंत्री जी को अवसर दें। श्री राम तेज यादव जी आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिह)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय ने काफी अनुपूरक भी कराये और कुछ मौलिक सुझाव भी आए। एक सुझाव माननीय विद्वान सदस्य अम्बिका चौधरी जी का था, प्रश्न था और उत्तर भी आ गया। मेरा आग्रह है कि जैसा ओरिजनल और मौलिक प्रश्न था वैसा ही ओरिजनल और मौलिक उत्तर भी आया है, मान्यवर, आप निर्देश दें कि ये अस्पताल में भर्ती हो जायें, 5 किलो वजन तो बढ़ जी जायेगा और एक महीने में सारी बात आ जायेगी।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री राम जग, डा0 धर्मज्ञ मिश्र तथा कुछ अन्य सदस्यों के एक बोलनें पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

मेरा एक अनुरोध है, माननीय मौर्या जी आप लिख कर दें दे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर जिस तरीके से माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस पर (× × × ×) उत्तर प्रदेश के किसी भी.....

श्री अधिष्ठाता-

मेरा सिर्फ आपसे एक अनुरोध है, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, कृपया आप स्थान ग्रहण करें। आप लिख कर दे दें, उसका परीक्षण कर लिया जायेगा यदि पीठ इस बात से संतुष्ट होगी तो निश्चित रूप से चर्चा या प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को सन्दर्भित करने पर विचार किया जायेगा।

श्री राम ओतार शाक्य-

मान्यवर, ये वाक आउट करना चाहते हैं, इनको मौका दिया जाये।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, जहां तक हमें जानकारी है प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को भेजने के लिए, इसके लिए लिखकर नहीं दिया जाता है। हम प्रश्न करते है और सरकार जवाब देती है, यदि पीठ संतुष्ट है तो उसे प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को सन्दर्भित कर सकती है।

श्री अधिष्ठाता-

इसलिए मैंने कहा कि आप चर्चा के लिए लिखकर दे दें यदि उचित होगा तो निर्देशित किया जायेगा। चर्चा के अतिरिक्त दूसरे विकल्प भी हैं। अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं, प्रश्न सं0-3

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

(× × ×)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मौर्य जी लिखा नहीं जायेगा, बिन अनुमति के यह लिखा नहीं जायेगा। माननीय मौर्य जी यह अखबारों में भी नहीं छपेगा। मैं निर्देश दे रहा हूं कि मौर्य जी द्वारा कही गई कोई बात लिखी नहीं जायेगी। और न अखबारों में छपेगी।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया।)

श्री राम जग-

इस सरकार को कोई चिन्ता नहीं है.....(व्यवधान) इसके विरोध में मैं सदन का बहिर्गमन करता हूं।

(श्री रामजग ने भी सदन का त्याग किया।)

खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम हेतु सरकारी रूपरेखा की जानकारी

* 3-श्री अवधेश प्रसाद-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के लिए सरकार कोई कानून बनाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 राम बाबू हरित-

खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही हेतु अलग से कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही करने हेतु खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 एवं नियमावली 1955 विद्यमान है, जिसमें निहित प्राविधानों के तहत मिलावट को रोकने हेतु नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही की जाती है।

नोट:- (× × ×) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने वर्ष 1954 और 1955 का अधिनियम और नियमावली की तरफ इशारा किया है और अपने उत्तर में कहा है कि मिलावट को रोकने के लिए किसी कानून को बनाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको और इस आदरणीय सदन को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि 97-98 में उत्तर प्रदेश में कडुवा तेल की मिलावट से बड़े स्तर पर ड्राप्सी रोग फैला था और जिससे सरकार की तरफ से कडुवा तेल को बेचने पर पूरे प्रदेश में प्रतिबन्ध लगा दिया गया था और इसका नतीजा यह हुआ कि 32 रुपये किलो का तेल 90 रुपये में बिकने लगा।.....

यही नहीं एक साल पहले दूध में मिलावट करने के नाम पर एक वर्ग विशेष के लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया गया था। तो मैं जानना चाहता हूं कि कड़वे तेल में मिलावट के मामले में लेसन लेकर मिलावट रोकने के लिए सरकार कोई कानून बनाने पर विचार करेगी। दूसरा सवाल यह है कि इस दिशा में भारत सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई प्रतिवेदन दिया है या कोई संस्तुतियां विगत दिनों में भेजी हैं?

डा0 राम बाबू हरित-

मान्यवर, माननीय सदस्य को मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि 1954 का जो खाद्य अपमिश्रण अधिनियम है उसके द्वारा सरकार कार्यवाही सुनिश्चित करती है और इस तरह के कैसेज आने पर उन पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है। जहां तक माननीय सदस्य ने ड्राप्सी की बात कही तो एक प्रश्न इस संबंध में आने वाला है। ऐसे मामलों में सैंपिल लिये जाते हैं और मुख्य खाद्य निरीक्षक तथा खाद्य निरीक्षक दूध के सैंपिल लेते है और समितियां बनी हुई है। इसके अलावा बार-बार निर्देश भी जाते रहते हैं। अगर कहीं मिलावट की स्थिति सामने आयेगी तो सरकार सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

श्री अम्बरीष कुमार-

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि सिंथेटिक दूध के सवाल पर सदन में चर्चा हुई थी और ड्राप्सी रोग तथा तेल की मिलावट पर चर्चा हुई थी और मंत्री जी को संज्ञान होगा कि विपक्ष की ओर से यह कहा गया था कि ऐसी मिलावट करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा दी जाय, एनएसए0 लगाया जाय, मृत्युदंड दिया जाय तो शासन की ओर से विवशता प्रकट की गयी थी कि कानून में ऐसा प्राविधान नहीं है और आज शासन कह रहा है कि जो प्राविजन हैं वह पर्याप्त हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि खाद्य अपमिश्रण अधिनियम में कोई स्टेट अमेंडमेंट करके कठोर दंड देने के संबंध में शासन विचार करने के लिये तत्पर है या नहीं?

डा0 राम बाबू हरित-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने कहा कि कार्यवाही नहीं की गयी तो मैं आंकड़े देना चाहता हूं।

श्री अम्बरीष कुमार-

मान्यवर, यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य का प्रश्न है कि फूड एल्ट्रेशन एक्ट की व्यवस्थाओं में कमी की वजह से कुछ कठिनाइयां आ रही हैं क्या सरकार इस कानून में व्यापक परिवर्तन करके कठिनाईयों को दूर करने का काम करेगी?

डा0 राम बाबू हरित-

मान्यवर, सिंथेटिक दूध के संबंध में, शासन ने इसको सख्ती से लिया है और मंत्रिपरिषद् में विचार हुआ है और अभी परीक्षण चल रहा है परीक्षण के उपरांत जो आवश्यक कार्यवाही होगी उसको सरकार गंभीरता से करेगी।

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि गत दिनों खाद्य तेलों में मिलावट के मामले को लेकर विधान सभा में गंभीर बहस हुयी थी और उसके संबंध में सरकार ने कुछ जगहों पर छापे मारने का काम किया था। तो गत दिनों खाद्य तेलों में मिलावट के संबंध में कितने प्रकरण ऐसे आये जिनमें सरकार को लगा कि अनियमितता की गयी है और जांच के बाद कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गयी?

डा0 राम बाबू हरित-

मान्यवर, 1-1-99 से लेकर 31-12-2000 तक अपमिश्रण के 8972 नमूने प्राप्त हुये। उनमें से 7047 मामलों की जांच की गयी। इनमें से 4236 मामले में अपमिश्रण पाया गया और 2811 मामले विशुद्ध पाये गये। इस सम्बन्ध में दायर वादों की संख्या 2218 है गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या 236 है जो आईपीसी की धारा 272-73 के मामले दर्ज किये गये उनकी संख्या 207 है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत दर्ज मामलों की संख्या 31 है।

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

मान्यवर, प्रति माह विदेशों से देश तथा प्रदेश में अखाद्य तेल बड़ी मात्रा में आ रहा है। मेरी निश्चित जानकारी है कि इस अखाद्य तेल की खाद्य तेलों में मिलावट की जाती है जिससे तमाम प्रकार के रोग फैल रहे हैं। अगर सम्बन्ध में जानकारी नहीं है तो मेरा निवेदन है कि यह जो अखाद्य तेल आ रहा है माननीय मंत्री जी क्या जानकारी करेंगे कि इस तेल का क्या उपयोग हो रहा है?

डा0 राम बाबू हरित-

मान्यवर, इसके बारे में लिखकर दे दें तो हम जांच कराकर बता देंगे।

श्री अधिष्ठाता-

चूंकि यह जनजीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचना है इसलिये आप इसको लिखकर दे दें तो सरकार आपकी नोटिस पर सुनिश्चित कार्यवाही करेगी।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, मेरी निश्चित राय है कि [* * *] प्रदेश में 1997-98 में बहुत बड़े पैमाने पर कड़ुवा तेल में मिलावट हुई और हजारों लोग मरे थे। आज जो खाद्य वस्तुओं के मिलावट के सम्बन्ध में मेरा प्रश्न था उस पर सरकार का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं आया है। इसलिये मैं सदन का बहिर्गमन करता हूं।

(श्री अवधेश प्रसाद ने सदन का त्याग किया)

तारांकित प्रश्न

*1-श्री राजधारी-

(मंत्रि-परिषद् में शामिल होने के कारण हटाया गया)।

जनपद सन्त रविदास नगर क्षेत्र ज्ञानपुर में रिबोरिंग हेतु नलकूप एवं चन्दापुर तथा नागमलपुर में बन्द नलकूपों को चालू कराने की मांग

* 2-श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद सन्त रविदास नगर विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर अन्तर्गत कई नलकूप रीबोरिंग हेतु प्रस्तावित हैं और इनमें चन्दापुर और नागमलपुर कई वर्षों से बन्द हैं जिसके फलस्वरूप सैकड़ों एकड़ जमीन असिंचित है? यदि हां, तो उसकी रिबोरिंग कब तक करा दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री मंगल सिंह सैनी)-

जनपद संत रविदास नगर में विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर में असफल होने के कारण नलकूप सं0 119 बी0जी0 चन्दापुर सं0 22 बी0जी0 चकपरौना रीबोरिंग हेतु विचाराधीन है।

नलकूप संख्या 119 बी0जी0 ग्राम चन्दापुर डीघ, ब्लाक दिनांक 01-04-97 से असफल होने के करण बन्द है तथा ग्राम नागमलपुर में स्थित नलकूप संख्या 41 बी0जी0 चालू हालत में है एवं इसके कमाण्ड में सिंचाई हो रही है।

वर्ष 1999-2000 में राजकीय नलकूप ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित कर दिये गये हैं। इससे पूर्व राजकीय नलकूपों का पुनः निर्माण जनपद योजना के अन्तर्गत कराया जाता था। वर्ष 1999-2000 में राजकीय नलकूपों हेतु जनपद योजना के

नोट:- (× × ×) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

अन्तर्गत कोई आय-व्ययक प्राविधान नहीं किया गया। अतः वर्तमान स्थिति के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत असफल नलकूपों ।।9 बी0जी0 एवं 22 बी0जी0 का पुनः निर्माण प्रस्तावित नहीं है।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

मान्यवर, मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया कि 01-04-97 से नलकूप संख्या ।।9 बी0जी0 ग्राम चन्दापुर डीघ ब्लाक असफल होने के कारण बन्द है। उत्तर के अन्तिम पैरा में मंत्री जी ने कहा कि वर्ष ।999-2000 में राजकीय नलकूपों हेतु जनपद योजना के अन्तर्गत कोई आय-व्ययक का प्राविधान नहीं किया गया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्ष 2000-200। में राजकीय नलकूपों की रीबोरिंग हेतु आय-व्ययक में प्राविधान करके रीबोरिंग कराने की कोई योजना बनायेगें?

श्री मंगल सिंह सैनी-

मान्यवर, वर्ष ।999-2000 विकेन्द्रीकरण प्रक्रिया के अन्तर्गत राजकीय नलकूप ग्राम पंचायतों को स्थानान्तरित कर दिये गये हैं। जहां तक आयं-व्ययक के प्राविधान की बात है तो आवश्यकता होगी वह किया जायेगा।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर के पहले भाग में कहा है कि नलकूप संख्या ।।9 बी0जी0 चन्दापुर तथा नलकूप सं0 22 बी0जी0 चकपरौना रीबोरिंग हेतु विचाराधीन है। आपने उत्तर के दूसरे भाग में कहा है कि वर्ष ।999-2000 में राजकीय नलकूपों हेतु जनपद योजना के अन्तर्गत कोई आय-व्ययक प्राविधान नहीं किया गया। एक तरफ यह कह रहें हैं कि रीबोरिंग विचाराधीन है दूसरी तरफ यह भी कह रहें हैं कि आय-व्ययक का प्राविधान नहीं किया गया। मान्यवर, जो दो उपर्युक्त नलकूप हैं उनकी रिबोरिंग इस वित्तीय वर्ष में कराने पर सरकार विचार करेगी या नहीं करेगी, मैं यह जानना चाहता हूं?

श्री मंगल सिंह सैनी-

मान्यवर, नलकूप ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित कर दिये गये है। रीबोरिंग जनपद योजना के अन्तर्गत किया जाता है। वर्ष ।999-2000 में जनपद योजना में कोई आय-व्ययक का प्राविधान नहीं किया गया। इसलिए रीबोरिंग प्राविधानित नहीं किया गया है।

सांसद निधि की भांति विधायक निधि की धनराशि समय से अवमुक्त करने तथा विधायक निधि को दोगुना करने की जानकारी

* 3-श्री राम औतार शाक्य-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सांसद निधि की भांति प्रदेश

में विधायक निधि की धनराशि को समयबद्ध तरीके से अवमुक्त करने की व्यवस्था तथा विधायक निधि को दो गुना करने पर सरकार विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री शिवप्रताप शुक्ल)-

विधायक निधि की धनराशि को समयबद्ध तरीके से अवमुक्त करने हेतु प्रदेश के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को शासनादेश दिनांक 16-08-99 द्वारा निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

विधायक निधि की धनराशि दो गुना किये जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश के वर्तमान संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए धनराशि का दुगना करना सम्भव नहीं है।

श्री राम औतार शाक्य-

माननीय अधिष्ठाता जी, मेरा सीधा प्रश्न आपके माध्यम से यह है कि जब सांसद निधि 3 करोड़ रुपये हो गयी है तो विधायक निधि को दो गुना करने पर यह सरकार विचार क्यों नहीं कर रही है?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

इस सन्दर्भ में मैंने माननीय सदस्य को अवगत करा दिया है और लिखित भी दे दिया है। इस प्रकार का कोई प्रकरण शासन के विचाराधीन नहीं है।

श्री अधिष्ठाता- प्रश्न काल समाप्त हुआ

*4-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

(दिनांक 05-01-2000 को अता0प्र0सं0-28 द्वारा उत्तरित)

*5-श्री राम ललित चौधरी-

(दिनांक 10-04-2000 को अ0सू0ता0प्र0सं0-2 द्वारा उत्तरित)

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण/उप विकास आयुक्त कार्यालय में कान्ट्रेक्ट पर कार्यरत कम्प्यूटर कर्मियों को नियमित करने की मांग

*6-श्री छोटे लाल गंगवार-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण/उप विकास आयुक्त कार्यालय में विगत 12 वर्षों से कान्ट्रेक्ट आधार पर कार्यरत कम्प्यूटर कर्मियों को नियमित कर दिया गया है? यदि हां, तो कब से? यदि

नोट :- नत्थी 'ग' तारांकित प्रश्न संख्या 3 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

नहीं, तो सरकार इन कर्मियों को कब तक नियमित करेगी ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार के अद्यतन मार्ग निर्देशों के अनुसार जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में तैनाती संविदा अथवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर ही किये जाने का प्राविधान है। कम्प्यूटर कर्मी पहले से ही संविदा के आधार पर कार्यरत हैं। भारत सरकार के मार्ग निर्देशों के परिपेक्ष्य में इन्हें विनियमित किया जाना विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश में चीनी मिलें बन्द किये जाने का कारण विस्थापित कर्मियों को अन्य विभागों में सेवायोजित करने की मांग

*7-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना तथा श्री अवधेश प्रसाद-

क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश में इस वर्ष कुछ चीनी मिलें बन्द की गयी हैं ? यदि हां, तो कितनी और उसके क्या कारण हैं ? बन्द की गयी चीनी मिलों की पेराई क्षमता कितनी थी ? क्या उसके विकल्प में किसानों को कोई सुविधा सरकार देगी ? क्या बन्द पड़ी चीनी मिलों के कर्मचारियों को कहीं सरकारी विभागों में समायोजित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गन्ना विकास मंत्री (डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)-

जी हां।

शासन द्वारा वर्ष 1999 में 06 चीनी मिलें बन्द की गयी हैं, क्योंकि इन मिलों में प्रतिवर्ष भारी वित्तीय हानि हो रही थी और इनको चलाने की तुलना में इन्हें बन्द करके इनके श्रमिकों को वेतन देना अधिक लाभकारी है।

1-रामपुर	-2200	टी0सी0डी0
2-मेरठ	-1219	टी0सी0डी0
3-घुघली	- 982	टी0सी0डी0
4-मुण्डेरवा	- 711	टी0सी0डी0
5-छितौनी	- 800	टी0सी0डी0
6-हरदोई	-1800	टी0सी0डी0

इन इकाइयों से सम्बद्ध गन्ना कृषकों के गन्ने को अन्य समीपवर्ती चीनी मिलों में व्यवर्तित कर दिया गया है।

जी नहीं।

चूंकि इन मिलों के कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प प्रदान किये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है अतः इन्हें किसी अन्य सरकारी विभागों में समायोजित नहीं किया जायेगा।

प्रदेश में गन्ने की अच्छी प्रजातियों की कमी से चीनी की उत्पादकता में कमी, अच्छी प्रजाति की मांग

*8-श्री नरेन्द्र सिंह-

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में अच्छी किस्म की गन्ने की प्रजातियां न होने के कारण चीनी का उत्पादन घट रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार चीनी के घाटे को कम करने के लिए गन्ने की अच्छी प्रजातियों को प्रदेश में प्रचलित करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

(अ) जी नहीं, चीनी का उत्पादन नहीं घट रहा है। चीनी की उपयुक्त व पर्याप्त परता देने वाली उन्नतशील प्रजातियां प्रदेश में उपलब्ध है। चीनी का उत्पादन विभिन्न कारणों से प्रभावित होता है जैसे मृदा जलवायु, शरद में अधिक वर्षा, धुंध वाले दिनों की अधिकता, गन्ना कटाई व पेराई के मध्य अन्तराल, जलभराव, पाला, विलम्ब से बसन्तकालीन बुवाई, बीमारी व कीटों का प्रकोप आदि।

(ब) राज्य सरकार द्वारा उच्च शर्करायुक्त व अधिक उपज देने वाली गन्ना प्रजातियों के विकास व सम्वर्द्धन तथा आयु पूर्ण कर चुकी प्रजातियों के बदलाव का चार वर्षीय कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है।

(स) उपरोक्त के दृष्टिगत प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश की नहरों की सफाई क्षमता पुनर्स्थापना हेतु धनराशि नहरों की सफाई का निर्धारित लक्ष्य

*9-कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री अम्बरीष कुमार-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1997-98, 1998-99 की तुलना में वर्ष 1999-2000 में नहरों की सफाई हेतु कुल कितनी धनराशि का प्राविधान किया गया है? वित्तीय वर्ष 1999-2000 में कितने कि0मी0 नहरों की सफाई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

नहरों की सिल्ट सफाई/क्षमता पुनर्स्थापना हेतु वर्ष 1997-98 में विभागीय

अनुरक्षण मद में 16 करोड़ रुपया, वर्ष 1998-99 में 15.69 करोड़ रुपया एवं वर्ष 1999-2000 में 10 करोड़ रुपया का प्राविधान किया गया।

वित्तीय वर्ष 1999-2000 में विभागीय अनुरक्षण मद के अन्तर्गत 10,000 कि0मी0 नहरों की सिल्ट सफाई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

जनपद सहारनपुर के ग्रामीण अंचलों में जल स्तर लगातार गिरने के सम्बन्ध में योजना की जानकारी

*10-श्री संजय गर्ग-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद-सहारनपुर के ग्रामीण अंचलों में जल स्तर लगातार गिर रहा है? क्या इसके कारण वहां पेयजल का गम्भीर संकट पैदा हो रहा है? यदि हां, तो इस संकट से निपटने के लिए क्या सरकार ने कोई योजना बनायी है? यदि हां, तो वह योजना क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण मंत्री (श्री मारकण्डेय चन्द्र)-

जी हां।

जनपद सहारनपुर के विकास खण्डों के कुछ क्षेत्रों में भूगर्भ जल स्तर में गिरावट परिलक्षित हुआ है।

पेयजल के गम्भीर संकट होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।
प्रश्न नहीं उठता।
प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के महमूदाबाद चीनी मिल के कर्मचारियों पर प्रबन्ध तंत्र के दमनात्मक रवैये के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

*11-डा0 अम्मार रिजवी-

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद-सीतापुर के महमूदाबाद चीनी मिल के कर्मचारियों ने वहां के प्रबन्ध तन्त्र के दमनात्मक रवैये के विरुद्ध माह अगस्त, 1999 से 10 नवम्बर, 1999 के मध्य कोई प्रार्थना-पत्र शासन को दिया है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार उन कर्मचारियों की मांगों पर विचार कर समस्या का समाधान करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जी हां, जनपद सीतापुर की किसान सहकारी चीनी मिल महमूदाबाद के कर्मचारियों ने वहां के प्रबन्ध तन्त्र की हठ धर्मिता का उल्लेख करते हुए पेराई सत्र 1998-99 के उत्पादन प्रोत्साहन बोनस के भुगतान हेतु प्रधान प्रबन्धक चीनी मिल, सहकारी चीनी मिल संघ, उत्तर प्रदेश शासन एवं अन्य को एक प्रार्थना-पत्र दिनांक

28-09-99 प्रेषित किया था।

उत्पादन प्रोत्साहन बोनस योजना 1992, जो वर्तमान में लागू है के प्रस्तर-5.7 में अंकित प्रावधान की शर्तों को पूरा न किये जाने के कारण पेराई सत्र 1998-99 में चीनी मिल महमूदाबाद के कर्मचारियों को उत्पादन प्रोत्साहन बोनस देय नहीं था।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम हेतु धनराशि तथा कीटनाशक के क्रय में गड़बड़ी विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

*12-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए लगभग रु0 799.36 लाख की कीटनाशक दवाई को एक विशेष ब्रिटिश फर्म (आई0सी0आई0 जेनका एग्रो केमिकल्स लिमिटेड) से ही क्रय किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र संख्या-क-2-159755-56, दिनांक 17/19 नवम्बर, 1999 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त शिकायती-पत्र पर शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी? क्या शासन उक्त घोटाले में लिप्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)-

जी हां।

प्रश्नगत शिकायती पत्र के सम्बन्ध में मा0 प्रश्नकर्ता सदस्य को मेरे अर्धशासकीय पत्र दिनांक 21-1-2000 द्वारा स्थिति से अवगत कराया जा चुका है।

स्पष्ट की गयी स्थिति के प्रकाश में अब आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

गन्ना मिलों द्वारा देय पेराई मूल्य उत्पाद मूल्य से कम होने की दशा में गन्ने का मूल्य निर्धारित करने की मांग

*13-डा0 वेद प्रकाश सिंह-

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि गन्ना मिलों को एक कुन्तल गन्ने की पेराई से लगभग 170 रु0 से भी अधिक मूल्य की उत्पाद वस्तुयें प्राप्त हो रही है? यदि हां, तो क्या गन्ना से उत्पादित वस्तुओं की कीमत को ध्यान में रखते हुए गन्ने का मूल्य निर्धारित किये जाने पर सरकार विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जी नहीं। उदाहरणस्वरूप पिछले दो वर्षों (वित्तीय वर्ष 1997-98 एवं 1998-99) में सहकारी चीनी मिलों में अंकिक्षित आंकड़ो के अनुसार औसत प्रति कुन्तल गन्ने से चीनी उत्पादन पर रु0 123.25 के मूल्य की उत्पाद वस्तुयें प्राप्त हो रही हैं, जिसमें से औसत गन्ना मूल्य रु0 75.62, अन्य चीनी उत्पाद हेतु लागत व्यय का रु0 52.11 चीनी मिल को वहन करने पड़ते हैं। अतः प्रति कुन्तल गन्ना मूल्य के सापेक्ष उक्त वर्षों में चीनी उत्पादन हेतु अन्य समस्त लागत को वहन करने में लगभग रु0 4.48 की हानि हुयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विचार करके एवं आर्थिक रूप से लाभप्रद चीनी मिलों की भुगतान क्षमता को देखते हुये गन्ना कृषकों के हित में सरकारी/सहकारी चीनी मिलों के लिये गन्ना मूल्य निर्धारित किया जाता है।

बाल विकास सामग्री/पुष्टाहार की आपूर्ति एवं वितरण में शासन की नीति तथा आपूर्ति हेतु उपक्रम व निगम या व्यापारिक संस्थाओं को अवसर देने की जानकारी

*14-श्री अक्षयवर लाल-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाल विकास सामग्री पुष्टाहार की आपूर्ति लेने एवं वितरण करने की शासन की नीति क्या है? क्या आपूर्तिकर्ता के रूप में उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रम एवं निगमों में से किसी की सहभागिंता है? वर्तमान में यह आपूर्ति किससे ली जा रही है? क्या प्रदेश के उपक्रम एवं निगम तथा अन्य व्यापारिक संस्थाओं को भी आपूर्ति के सन्दर्भ में अवसर दिया गया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

केन्द्रीय रूप से खाद्य सामग्री का प्रसंस्करण कराकर परियोजनाओं में वितरित किये जाने की नीति है।

जी नहीं।

वर्तमान में यह आपूर्ति मार्डन फूड इण्डस्ट्रीज इण्डिया लि0 से करायी जा रही है।

जी हां।

वर्ष 1993 से पूर्व।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सरसों के तेल में मिलावट के पंजीकृत मामले/प्रकरणों की जानकारी व मिलावट सम्बन्धी जानकारी

*15-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में इस वर्ष सरसों के तेल में मिलावट के कुल कितने मामले पाये गये तथा उनमें कितने प्रकरणों पर मुकदमा पंजीकृत हुआ तथा कितने लोगों को जेल भेजा गया ? भविष्य में इस प्रकार की मिलावट की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री रमापति शास्त्री-

प्रदेश में सरसों के तेल में मिलावट के दिनांक 01 जनवरी, 1999 से दिनांक 31 दिसम्बर, 1999 तक 89 मामले तथा दिनांक 01 जनवरी, 2000 से दिनांक 29 फरवरी, 2000 तक 22 मामले पाये गये, उनमें से 29 प्रकरणों पर मुकदमा दायर किया गया है तथा किसी भी व्यक्ति को जेल नहीं भेजा गया।

भविष्य में इस प्रकार की मिलावट की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये सरसों के तेल के नमूनों का संग्रह/विश्लेषण करके अपमिश्रित पाये गये नमूनों के सम्बन्ध में दोषी के विरुद्ध खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 एवं नियमावली, 1955 के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत और अधिक प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश में अधिष्ठापित नलकूपों के अनुरक्षण हेतु धनराशि व्यय तथा बन्द नलकूपों को चालू करने/नये नलकूपों के अधिष्ठापन के विवरण की जानकारी

*16-श्री भरत सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लगवाये गये नलकूपों के अनुरक्षण हेतु कितनी धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में उपलब्ध करायी गयी है तथा कितनी धनराशि अब तक व्यय की गयी है ? उक्त धनराशि से अब तक कितने नलकूप चालू किये गये ? शेष बन्द पड़े नलकूपों को चालू करने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

प्रदेश में कार्यशील 29230 नलकूपों के अनुरक्षण हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 1999-2000 में रु0 3400.00 लाख की धनराशि उपलब्ध कराई गई है।

माह जनवरी, 2000 तक रु0 2353.40 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

व्यय की गई धनराशि से 31008 बार बन्द नलकूपों को दोष मुक्त कर चालू किया गया।

सप्ताहान्त 9-12-99 को 1245 नलकूप यांत्रिक दोष से एवं 2124 नलकूप विद्युत दोष से बन्द थे जिनमें से सप्ताहान्त 16-3-2000 तक यांत्रिक दोष से सभी नलकूप एवं विद्युत दोष से 1666 नलकूप ठीक कराये गये। शेष विद्युत दोष से बन्द 428 नलकूपों को ठीक कराने हेतु विद्युत विभाग से प्रयास किये जा रहें हैं।

*-17-18-श्री राम नक्षत्र (स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया)।

*-19-श्री जगदम्बिका पाल-

(4 थे शुक्रवार में अता0प्र0 सं0-19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

"अतारांकित प्रश्न"

लखनऊ इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक हेल्थ एण्ड हाईजिन द्वारा इलाहाबाद, वाराणसी, झांसी एवं कानपुर में कोचिंग सेन्टर स्थापित करने के सम्बन्ध में संस्थान का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

श्री उबैदुर्रहमान-

1-क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक हेल्थ एण्ड हाइजिन, उतरेटिया-रायबरेली रोड, लखनऊ द्वारा उ0प्र0 के इलाहाबाद, वाराणसी, झांसी एवं कानपुर में कोचिंग सेंटर स्थापित करने के सम्बन्ध में संस्थान का पत्र दिनांक 20-7-99, 10-8-99 एवं माह अक्टूबर/नवम्बर, 1999 तथा कुलाधिपति के विशेष सचिव का पत्र सं0-ई-737/जी0एस0 लखनऊ दिनांक 15-9-1999 सचिव, उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ को प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हाँ।

उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी के पत्र दिनांक 07-10-99, 21-10-99, 03-11-99 एवं 18-12-99 द्वारा इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक हेल्थ एण्ड हाइजिन, उतरेटिया-रायबरेली रोड, लखनऊ को कतिपय बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करने हेतु लिखा गया है, लेकिन संस्थान द्वारा अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम खमरिया में गन्ना क्रय केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

2-क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 8-2-99 या इसके आसपास जिला अधिकारी शाहजहांपुर को ग्राम खमरिया में गन्ना क्रय केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस पत्र

पर जिला अधिकारी द्वारा अपने पत्र सं0-68 दिनांक 9-2-99 को जिला गन्ना अधिकारी शाहजहांपुर को आवश्यक कार्यवाही के लिए आदेशित किया गया था? यदि हां, तो जिला गन्ना अधिकारी द्वारा उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जी हाँ।

जी हाँ।

उपरोक्त पत्र ग्राम खमरिया में क्रय केन्द्र स्थापित कर गन्ना खरीद करने के सम्बन्ध में था। उक्त क्रय केन्द्र गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा पारित सुरक्षा आदेश संख्या-2801/सी/क्रय/सुर0 दिनांक 28-11-98 द्वारा खोलने के आदेश पारित किए गए तथा तिलहर चीनी मिल द्वारा उक्त क्रय केन्द्र से सम्बद्ध ग्रामों से गन्ने की खरी की गई।

जनपद शाहजहांपुर तहसील तिलहर ग्राम लालपुर, बडागांव के मजरा मीरपुर में नलकूप की स्थापना का कार्य पूर्ण कराने की मांग

3-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 8-2-99 या इसके आसपास जिला अधिकारी शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है जो श्री जंग बहादुर सिंह, प्रशासक, स्वामी सेवानन्द सरस्वती इण्टर कालेज, सलेमपुर पडरण तिलहर शाहजहांपुर के ग्राम लालपुर बड़ागांव तहसील तिलहर में नलकूप की स्थापना के सम्बन्ध में था? यदि हां, तो क्या यह सही है कि जिला अधिकारी शाहजहांपुर ने अपने पत्र सं0-66 दिनांक 9-2-99 को अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड शाहजहांपुर को आवश्यक कार्यवाही के लिए आदेशित किया? यदि हां, तो अधिशासी अभियन्ता द्वारा उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हाँ। प्रश्नकर्ता का पत्र जो दिनांक 16-1-99 में हस्ताक्षरित है, प्राप्त हुआ है। ग्राम लालपुर, बड़ागांव, तहसील-तिलहर, जनपद शाहजहांपुर के मजरा-मीरपुर के पूर्व में प्रसंगत बोरिंग सिंचाई विभाग द्वारा नहीं करायी गयी है। यह अन्वेषणात्मक बोरिंग केन्द्रीय भूमि जल परिषद् द्वारा वर्ष 88-89 में की गई थी। इसलिए वर्तमान में इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही सिंचाई विभाग द्वारा कराया जाना अपेक्षित नहीं है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद सन्त कबीर नगर की मन्ना मिल पर तथा बस्ती जिले की मुन्डेरवा चीनी मिल पर गन्ना किसानों का बकाये धन की मांग

4-श्री राम ललित चौधरी-

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतालायेंगे कि जनपद सन्त कबीर नगर की गन्ना मिल पर तथा बस्ती जिले की मुन्डेरवा चीनी मिल पर गन्ना किसानों का धन बकाया है ? यदि हां, तो कितना ? क्या सरकार इसे शीघ्र दिलाने की कोई व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जी हाँ । बस्ती जिले की मुन्डेरवा चीनी मिल पर वर्ष 1998-99 का रु0 78.66 लाख शेष है जिस हेतु उ0प्र0 राज्य चीनी निगम को मई, 2000 तक भुगतान किये जाने के निर्देश दे दिये गये हैं । निजी क्षेत्र की खलीलाबाद चीनी मिल पर वर्ष 96-97 का रु0 217.36 लाख व 97-98 का रु0 373.74 लाख अवशेष है जिसे भू-राजस्व की तरह वसूल करने हेतु वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया है । मा0 उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त होने के कारण वसूली नहीं हो सकी है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भगवन्त नगर एवं सुमेरपुर में कार्यरत डाक्टरों के अस्पताल न आने से मरीजों को असुविधा की जांच तथा जानकारी

5-श्री कृपा शंकर सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भगवन्त नगर, एवम् सुमेरपुर जनपद उन्नाव में नियुक्त डाक्टरों द्वारा प्रतिदिन अस्पताल में न उपस्थित होने से मरीजों को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर ऐसे डाक्टरों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भगवन्तनगर एवं सुमेरपुर, जनपद उन्नाव में नियुक्त डाक्टर नियमित रूप से उपस्थित होते हैं एवं मरीजों को देखते हैं । मरीजों को किसी भी प्रकार की असुविधा होने की सूचना नहीं प्राप्त हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

समाज कल्याण विभाग के स्थानान्तरित कर्मचारियों को विभाग में बिना अनुमति के वापस बुलाने की जानकारी

6-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि समाज कल्याण से महिला कल्याण में योजनाओं के स्थानान्तरण के पश्चात् वर्ष 1995 से वर्ष 1999 के मध्य

महिला कल्याण में स्थानान्तरित कुछ कार्मिकों को पुनः समाज कल्याण विभाग में वापस बुला लिया गया है ? यदि हां, तो क्या इसमें निदेशक, महिला कल्याण की अनुमति प्राप्त की गयी थी ? यदि हां, तो क्या अन्य कार्मिकों को भी समाज कल्याण में वापस किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री (श्रीमती प्रेमलता कटियार)-

महिला कल्याण विभाग में कार्यरत उन कार्मिकों को जो समाज कल्याण विभाग भेजे गये थे, को लोक सेवा आयोग द्वारा पदोन्नति के बाद उत्तर प्रदेश हरिजन एवं समाज कल्याण राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 1991 के प्राविधानों के सापेक्ष उ0प्र0 शासन के समाज कल्याण विभाग में वापस लिया गया है । इसमें निदेशक महिला कल्याण की अनुमति आवश्यक नहीं थी, तथापि महिला कल्याण विभाग द्वारा उन्हें कार्यमुक्त किये जाने पर प्रोन्नत कार्मिकों द्वारा सामाज कल्याण विभाग में अपना योगदान दिया गया है ।

अन्य कार्मिकों को कार्यहित में सम्प्रति वापस लेने का प्रश्न नहीं उठता । उल्लेखनीय होगा कि अन्य स्थानांतरित कार्मिक मूल पद एवं कार्य सहित सम्प्रति महिला कल्याण विभाग में कार्यरत हैं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला हरदोई मल्लावां क्षेत्र के नसीरपुर माइनर में टेल तक पानी न पहुंचने से सिंचाई की असुविधा की जानकारी/टेल तक पानी देने की मांग

7-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र नसीरपुर माइनर में क्या टेल तक पानी पहुंच रहा है ? यदि नहीं, तो क्या उक्त माइनर में टेल तक पानी न पहुंच पाने से सैकड़ों एकड़ जमीन सिंचाई से वंचित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त माइनर की खुदाई सफाई कराकर हेड से टेल तक पानी पहुंचायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हाँ ।

जी नहीं ।

आवश्यकतानुसार उक्त माइनर में शीर्ष से 0.9 कि0मी0 तक सफाई का कार्य करा दिया गया है, इससे टेल तक पानी पहुंच रहा है ।

प्रश्न नहीं उइता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई मल्लावां क्षेत्र के बिलग्राम रजबहा में टेल तक पानी न पहुंचने की जानकरी तथा पानी की व्यवस्था की मांग

8-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के बिलग्राम रजबहा जिसकी लम्बाई 28 कि0मी0 है, क्या उसकी टेल तक पानी पहुंच रहा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त रजबहा की खुदाई एवं सफाई कराकर टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

बिलग्राम रजबाहा की कुल लम्बाई 26.14 कि0मी0 है, जिसमें कि0मी0 12.00 से कि0मी0 26.02 तक अर्थात 14.02 कि0मी0 मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता हैं। इस रजबहा के कि0मी0 23.700 तक समुचित मात्रा में पानी पहुंच रहा है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर कि0मी0 0.0 से 9.00 तक सफाई का कार्य कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई मल्लावां क्षेत्र के बांसा रजबहा की खुदाई/सफाई कराकर टेल तक पानी पहुंचाने की मांग

9-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के बांसा रजबहा का पानी टेल तक पहुंच रहा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उसकी खुदाई, सफाई कराकर टेल तक पानी पहुंचायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां।

आवश्यकतानुसार शीर्ष से 4.00 कि0मी0 तक सफाई का कार्य करा दिया गया है जिससे टेल तक पानी पहुंच रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई मल्लावां क्षेत्र के सोनहार रजबहा की खुदाई/सफाई कराकर टेल तक पानी उपलब्ध कराने की मांग

10-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के सोनहार रजबहा का पानी टेल तक पहुंच रहा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार सोनहार रजबहा की खुदाई सफाई कराकर टेल तक पानी पहुंचायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां।

सोनहार रजबहा में शीर्ष से टेल तक सफाई का कार्य करा दिया गया है। जिससे टेल तक पानी पहुंच रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के स्वास्थ्य विभाग कर्मी वरिष्ठ सहायक एवं वरिष्ठ लिपिक को स्थानान्तरित किये जाने पर वहीं कार्यरत रहने की जानकारी

11-श्री शिशुपाल सिंह यादव-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य, गोरखपुर की जांच रिपोर्ट दिनांक 20-4-96, 11-5-98, 1-10-98 तथा 23-10-98 के आधार पर वरिष्ठ सहायक एवं वरिष्ठ लिपिक को गोरखपुर जनपद से अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने के निर्देश शासन द्वारा दिये गये थे? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हाँ।

सम्बन्धित लिपिकों को गोरखपुर जनपद से अन्यत्र स्थानान्तरित किया गया था किन्तु मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 5-1-2000 के अनुपालन में श्री शफी मोहम्मद का स्थानान्तरण स्थगित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ तहसील लालगंज में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय बेला की स्थापना हेतु धन के अवमुक्त करने/भवन निर्माण की मांग

12-श्री नरेन्द्र सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की लालगंज तहसील में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय बेला की स्थापना हेतु जिला योजना में प्राविधानित 30 लाख रुपया अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, आजमगढ़ का पत्र संख्या/एफ/रा0आ0प0वि0/नि0/99-2000, दिनांक 17 अप्रैल, 1999 निदेशक, समाज कल्याण को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या भवन निर्माण के लिये धन अवमुक्त कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के भवन निर्माण हेतु धन अवमुक्त करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हाँ।

जी हाँ।

शासनादेश सं0-780/26-3-2000-10(50)/98, दिनांक 29-3-2000 द्वारा प्रश्नगत आश्रम पद्धति विद्यालय के निर्माण हेतु रु0 30.00 लाख की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर में विधवा पेंशन देने/पेंशन स्वीकृत किये जाने की मांग

13-श्री संजय गर्ग-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सहारनपुर में कितनी विधवाओं को विधवा पेंशन दी जा रही है? कितने मामले विचाराधीन/लम्बित हैं? उन्हें कब तक पेंशन स्वीकृत कर दी जायेगी?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

जनपद सहारनुपर में 6723 विधवाओं को विधवा पेंशन दी जा रही है।

कोई मामला विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर में वृद्धों, विकलांगों को पेंशन के मामले/प्रतीक्षारत लोगों को पेंशन स्वीकृत करने की मांग

14-श्री संजय गर्ग-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सहारनपुर में कितने वृद्ध, विकलांग को पेंशन दी जा रही है? कितने वृद्ध, विकलांग प्रतीक्षा सूची में हैं? उन्हें कब तक पेंशन स्वीकृत कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेम लता कटियार-

जनपद सहारनपुर में 20942 वृद्धजनों तथा 1586 विकलांगों को पेंशन दी जा रही है।

कुल 1793 वृद्धजनों के आवेदन पत्र तथा 6 विकलांग जनों के आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु प्रतीक्षा सूची में हैं।

वृद्धजनों के लम्बित आवेदन पत्रों पर नवीन भौतिक लक्ष्य निर्धारण होने पर तथा विकलांग जनों के आवेदन पत्र स्वीकृति सम्बन्धी औपचारिकताओं की पूर्ति पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

15-श्री राजीव कुमार सिंह-

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड दुगड्डा/खड़ी खाल/जहरी खाल/नैनीडोंडा एवं यमकेश्वर की भू-स्खलन/बाढ़ से क्षतिग्रस्त नहरों को पुनः ठीक करने की मांग

16-श्री भारत सिंह रावत-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड दुगड्डा/खड़ी खाल/जहरीखाल/नैनीडोडा एवं यमकेश्वर में कितनी नहरें भू-स्खलन एवं बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई हैं? क्या उन्हें पुनः ठीक करने हेतु कोई कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड दुगड्डा/रिखड़ी खाल/जहरीखाल/नैनी-डांडा तथा यमकेश्वर में 74 नहरें क्षतिग्रस्त हुई हैं।

जी हां। उन्हें पुनः ठीक कराना दैवी आपदा राहत निधि के अन्तर्गत उत्तरांचल विकास विभाग से धनावंटन प्राप्त होने पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हरहुआ के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा वेतनादि आहरण वितरण में अनियमितता पर कार्यवाही की मांग

17-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हरहुआ, जनपद वाराणसी में कार्यरत कितने अधिकारी एवं कर्मचारी लेखा शीर्षक चिकित्सा स्वास्थ्य-2210 एवं लेखा शीर्षक परिवार कल्याण-2211 से वेतन भत्ता एवं यात्रा भत्ता वित्तीय वर्ष 1998-99 से प्राप्त किये हैं? क्या एक लेखा शीर्षक से वेतन एवं यात्रा भत्ता प्राप्त करने वाले अधिकारी दूसरे लेखा शीर्षक से यात्रा भत्ता प्राप्त कर सकते हैं? यदि नहीं, तो क्या उक्त वित्तीय अनियमितताओं के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी दोषी हैं? यदि हां, तो इसके लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री रमापति शास्त्री-

प्राथकिम स्वास्थ्य केन्द्र, हरहुआ, वाराणसी में कुल 69 अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं जिसमें से 36 अधिकारी एवं कर्मचारी लेखाशीर्षक चिकित्सा स्वास्थ्य-2210 तथा 33 अधिकारी एवं कर्मचारीगण परिवार कल्याण-2211 से वेतनादि भत्ते प्राप्त करते हैं। वित्तीय वर्ष 1998-99 में लेखाशीर्षक-2210 के अन्तर्गत यात्रा भत्ता मद से कुल 16 कर्मचारी व अधिकारी को भुगतान किया गया है तथा लेखाशीर्षक-2211 के अन्तर्गत मद से कुल 3 कर्मचारी व अधिकारी को भुगतान किया गया।

जी हां।
प्रश्न नहीं उठता।
प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी में जिला प्रोवेशन अधिकारी द्वारा चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति हेतु प्राधिकृत की जानकारी

18-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आदेश सं0-816-19/प्र0ग्र0/स्था0/78-79, दिनांक 5-3-79 के क्रम में श्री चन्द्रभान को चतुर्थ श्रेणी के पद पर जिला प्रोवेशन अधिकारी जनपद बाराबंकी द्वारा नियुक्त किया गया है? यदि हां, तो क्या जिला प्रोवेशन अधिकारी को नियुक्ति का अधिकार है? यदि नहीं, तो क्या इसके लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

जी हां।
तत्समय नियुक्ति का अधिकार था।
प्रश्न नहीं उठता।
प्रश्न नहीं उठता।

महिला कल्याण विभाग में प्रशिक्षित नर्सों/आक्जलरी नर्सों के सृजित पदों की प्रथक-प्रथक वरिष्ठता सूची की जानकारी

19-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महिला कल्याण विभाग में प्रशिक्षित, अक्जलरी नर्स, अप्रशिक्षित नर्सों के कितने पद सृजित हैं? क्या इनकी कोई अलग-अलग वरिष्ठता सूची बनायी गयी है? यदि नहीं, तो अब तक वरिष्ठता सूची न बनाने के लिए दोषी कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है? क्या उक्त कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची सदन के पटल पर रखी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

प्रशिक्षित नर्स के 47 पद एवं आक्जलरी नर्स (अप्रशिक्षित) के 56 पद सृजित हैं।

जी हां, इनकी अलग-अलग अनन्तिम वरिष्ठता सूची प्रसारित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।
संलग्न है।
प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 241 पर।)

जनपद उन्नाव, तहसील बीघापुर, ग्राम पाटन में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की मांग

20-श्री कृपा शंकर सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील मुख्यालय से दूर ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने की सरकार की प्राथमिकता है? यदि हां, तो क्या सरकार तहसील बीघापुर, उन्नाव स्थित ग्राम पाटन में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण जनपद की जिला योजना में परिव्यय की उपलब्धता तथा राज्य के वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता है।

प्रश्न नहीं उठता।

बलरामपुर चीनी मिल क्षेत्र में किसानों को सट्टा नीति के विरुद्ध अनुचित लाभ पहुंचाने की शिकायत व जांच की मांग

21-श्री बचनूराम पटेल-

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या बलरामपुर चीनी मिल क्षेत्र में वर्ष 1998-99 में विगत वर्षों से चले आ रहे अनेक गन्ना किसानों के सट्टों ने सट्टा नीति के विरुद्ध अनेक किसानों के नाम ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के आदेश से उन्हें संयुक्त कर अनुचित लाभ पहुंचाने हेतु सात गन्ना पर्यवेक्षक व एक गन्ना विकास निरीक्षक को दोषी मानते हुये निलम्बित किया गया है? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य हेतु ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक बलरामपुर को भी दण्डित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जी हां।

जांच दल से उक्त मामले की जांच कराई गई जिसमें ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के विरुद्ध कोई अनियमितता नहीं पाई गयी इसलिये ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, बलरामपुर के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद सन्त रविदास नगर क्षेत्र ज्ञानपुर में बंधी प्रखण्ड द्वारा चकवाताल ड्रेन, बिहरोजपुर कटान निरोधक बंधी, बरवा पहाड़ापुर कटान निरोधन तथा कलिंजरा कटान निरोधक बंधी के निर्माण कार्य को पूरा करने की मांग

22-श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद सन्त रविदास नगर के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में बंधी प्रखण्ड द्वारा वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 में चकवाताल

ड्रेन, बिहरोजपुर कटान निरोधक बंधी, बरवां पहाड़पुर कटान निरोधक तथा कलिंजरा कटान् निरोधक बंधी के निर्माण कार्य अपूर्ण हैं ? क्या इन कार्यों हेतु धन अवमुक्त हुआ है ? क्या सरकार इनकी जांच कराकर अवशेष कार्य को पूर्ण कराने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह -

जी नहीं। चकवा ताल ड्रेन का निर्माण वर्ष 1986-87 में पूर्ण कर लिया गया था। बिहरोजपुर कटाव निरोधक बन्धी का निर्माण कार्य लगभग 30 वर्ष पूर्व पूर्ण कर लिया गया था। बेरवां पहाड़पुर कटाव निरोधक कोई कार्य विभाग द्वारा निर्मित नहीं है। कलिंजरा ग्राम में विभाग द्वारा कोई कटाव निरोधक बन्धी नहीं बनाई गई है अपितु इस ग्राम के समीप फुलवरिया कटाव निरोधक बन्धी का निर्माण लगभग 30 वर्ष पूर्व पूर्ण कर लिया गया था।

चकवा ताल ड्रेन तथा बिहरोजपुर कटाव निरोधक बन्धी की विशेष मरम्मत/ पुनरोद्धार हेतु वर्ष 1998-99 में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा दस लाख कूप योजना के अन्तर्गत योजना स्वीकृत हुई थी। उक्त के सापेक्ष उपलब्ध हुई धनराशि के अनुरूप उक्त कार्य कराया गया है। अवशेष पुनरोद्धार कार्य को कराया जाना धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

23-डा0 धर्मज्ञ मिश्र -

(दिनांक 6-4-2000 की अता0प्र0सं0-47 द्वारा उत्तरित)

जिला शाहजहांपुर की सहकारी चीनी मिल तिलहर के मजदूरों की समस्याओं के सम्बन्ध में शिकायती पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

24-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना" -

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 2-2-99 या इसके आसपास जो सहकारी चीनी मिल तिलहर, जनपद शाहजहांपुर के मजदूरों की कतिपय समस्याओं के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि उन्होंने दिनांक 5-2-99 को प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 शासन सहकारी चीनी मिल संघ को उस पत्र पर आवश्यक कार्यवाही के लिये आदेशित किया था ? यदि हां, तो प्रबन्ध निदेशक द्वारा उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर -

जी हां।

जी हां।

उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल संघ के प्रधान प्रबन्धक (प्रशासन) से जांच करायी जा रही है।

जनपद शाहजहांपुर के उप खण्ड नलकूप तिलहर द्वारा कार्य में अनियमितताओं की जांच विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

25-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 2-9-97 जो उप खण्ड नलकूप तिलहर शाहजहांपुर में अनियमितताओं की जांच के सम्बन्ध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है? क्या इस प्रकरण को प्रमुख अभियन्ता को जांच हेतु निर्देशित किया गया था? यदि हां, तो क्या प्रमुख अभियन्ता ने जांच कार्य पूर्ण कर लिया है? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां।
जी हां।

प्रमुख अभियन्ता से प्रारम्भिक जांच आख्या प्राप्त हो गयी है जिसका परीक्षण किया जा रहा है।

उत्तरांचल के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के लिये शासन द्वारा स्वीकृत 5-5 आयुर्वेदिक चिकित्सालाओं में चिकित्सकों व अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की मांग

26-श्री लाखीराम जोशी-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तरांचल के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के लिये शासन द्वारा स्वीकृत 5-5 आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में चिकित्सकों व अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त चिकित्सालयों में चिकित्सकों एवं अन्य कर्मचारियों की कब तक नियुक्ति कर दी जायेगी?

श्री कलराज मिश्र-

जी नहीं।

चिकित्सकों व अन्य कर्मचारियों के पदों को री-इम्प्लायमेंट के आधार पर भरा जाना प्रक्रियाधीन है।

मेरठ क्षेत्र छपरौली के राजकीय नलकूपों की स्थिति की जानकारी तथा खराब नलकूपों को ठीक कराने की मांग

27-श्री गजेन्द्र कुमार "मुन्ना"-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र छपरौली, मेरठ के अन्तर्गत कुल कितने राजकीय नलकूप लगाये गये हैं? उनमें से कितने चालू हैं एवं कितने बन्द पड़े हैं? क्या सरकार बन्द नलकूपों की जांच कराकर जनहित में उन्हें ठीक करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

छपरौली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 25 राजकीय नलकूप लगाये गये हैं। उनमें से 13 चलित हैं। शेष 12 परित्याग हेतु प्रस्तावित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

गांधी स्मारक एवं सम्बन्धित चिकित्सालय, लखनऊ में वर्ष 1977 बैच की उपचारिका से सिस्टर पद पर प्रोन्नति/सिस्टरों के वेतन पुनरीक्षित का मामला

28-श्री गजेन्द्र कुमार "मुन्ना"-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि मेडिकल कालेज, लखनऊ में वर्ष 1977 बैच की उपचारिका से सिस्टर पद पर प्रोन्नति पाकर आई सिस्टरों का वेतनमान अभी तक पुनरीक्षित नहीं किया गया हैं? यदि हां, तो क्यों? इसके लिये कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी दोषी हैं? उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? उन सिस्टरों का वेतनमान कब तक पुनरीक्षित कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

गांधी स्मारक एवं सम्बन्धित चिकित्सालय, लखनऊ में वर्ष 1977 बैच की उपचारिका से सिस्टर पद पर प्रोन्नत सभी सिस्टरों का वेतन पुनरीक्षित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला टिहरी गढ़वाल में सिंचाई निर्माण-खण्ड-2 धनराशि का कार्यालय वहीं पर स्थापित करने की मांग/कृत कार्यवाही

29-श्री लाखीराम जोशी-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जिला टिहरी गढ़वाल में सिंचाई निर्माण खण्ड घनसाली का कार्यालय घनसाली से 152 कि0मी0 दूर नरेन्द्र नगर में स्थित है? यदि हां, तो क्या उक्त कार्यालय घनसाली में स्थापित किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां।

जी हां।

सिंचाई खण्ड-2 नरेन्द्र नगर को शासनादेश संख्या-2198/98-27-सिं-8-8 अ(8)/93 दिनांक 19-6-98 द्वारा पुर्नगठित कर सिंचाई खण्ड-2 घनसाली के नाम से स्थापित करने के आदेश दिये गये थे परन्तु मा0 उच्च न्यायालय द्वारा 9-6-99 को स्थागनादेश पारित किये गये हैं। स्थागनादेश अपास्त होने पर ही मुख्यालय घनसाली में स्थापित किया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पडरौना कुशीनगर विकास खण्ड खड्डा, ग्राम बसन्तपुर (शिवपुर) में दलित परिवार का आवंटित इन्दिरा आवास पर निजामुद्दीन पुत्र श्री इस्लाम के द्वारा आवास बनाये जाने की शिकायत

30-श्री दीप लाल भारती-

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पडरौना (कुशीनगर) के विकास खण्ड खड्डा के ग्राम बसन्तपुर (शिवपुर) निवासी राम चन्द्र पुत्र भोज (मुसहर-अ0 जा0) द्वारा मुख्य विकास अधिकारी पडरौना को दिनांक 23-1-95 के पत्र द्वारा सूचित किया है कि दलित परिवार के नाम का इन्दिरा आवास निजामुद्दीन पुत्र श्री इस्लाम ने बना लिया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

सूचना एकत्र की जा रही हैं।

देवरिया, कुशीनगर, पडरौना, महराजगंज तथा गोरखपुर में गोड व कहार जाति की जनसंख्या की जानकारी तथा उक्त जातियों की श्रेणी की स्थिति निर्धारित करने का मानक

31-श्री दीप लाल भारती-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया, कुशीनगर (पडरौना), महराजगंज तथा गोरखपुर में गोंड़ जाति व कहार जाति की जनसंख्या कितनी है? क्या ये जातियां पिछड़ी या अनुसूचित जाति में आती है? यदि हां, तो उसका आधार/मानक क्या है?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

भारत सरकार द्वारा जनगणना सम्बन्धी प्रकाशित अभिलेखों में जातिवार जनसंख्या का उल्लेख नहीं है जिसके कारण इस समय इन जातियों की जनसंख्या बताना सम्भव नहीं है।

"गोंड़" जाति न तो अनुसूचित जाति में है, न ही पिछड़ी जाति में। "गोंड" जाति अनुसूचित जाति की सूची में है। "कहार" जाति पिछड़ी जाति की सूची में सम्मिलित है। किसी जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किये जाने का मुख्य आधार उक्त जाति के लोगों का अस्पृश्यता जैसी सामाजिक कुप्रथा से प्रभावित होना है, जबकि पिछड़ी जातियों के सापेक्ष यह उनके शैक्षिक एवं सामाजिक पिछड़ेपन पर आधारित है।

प्रदेश के जनपदों में गोंड जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में तथा गोरखपुर मण्डल कमिश्नरी में गोड़ आदिवासी जाति को पिछड़ी जाति में रखने की जानकारी

32-श्री दीप लाल भारती-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन जनपदों में गोंड़ आदिवासी निवास करते हैं, जो अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आते हैं? क्या गोरखपुर कमिश्नरी में गोंड़ आदिवासी नहीं हैं? यदि हां, तो क्या भूजा-भूजने, कहारी करने वाली गोंड़ जाति पिछड़ी जाति में आती हैं? यदि नहीं, तो उन्हें किस जाति का प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है।

श्रीमती प्रेम लता कटियार-

"गोंड आदिवासी" नामक जाति अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित नहीं है। "गोंड" जाति अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित है।

प्राप्त सूचनानुसार गोंड़ आदिवासी नामक जाति गोरखपुर कमिश्नरी में नहीं है। भूजा-भूजने, कहारी करने वाली जातियां (भड़भूजा, कहार) पिछड़ी जातियों में आती हैं, परन्तु गोंड़ जाति पिछड़ी जातियों में नहीं हैं।

गोंड जाति को अनूसूचित जाति तथा भड़भूजा व कहार जाति को पिछड़ी जाति का प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

जनपद महराजगंज में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा सेन्टेज चार्ज कटौती से कार्यों को पूर्ण कराने के लिये शासन से अतिरिक्त धन की मांग

33-श्री विनोद मणि-

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा काटे गये सेंटेज चार्ज को शासन द्वारा समाप्त करने का निर्देश जारी किया गया है? यदि हां, तो जनपद महाराजगंज में विभाग द्वारा सेन्टेज चार्ज कटौती किये जाने से जो कार्य अधूरे हैं क्या उन्हें कटौती की धनराशी से पूरा करायेंगे अथवा उन अधूरे कार्यों को पूरा कराने हेतु शासन द्वारा अतिरिक्त धन अवमुक्त किया जायेगा?

श्री मारकण्डेय चन्द्र-

जी नहीं।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग एक कार्यदायी संस्था है, जो प्रदेश के अन्यान्य विभागों द्वारा निर्माण कार्यों के सापेक्ष उपलब्ध कराई गई धनराशि से निर्माण कार्य सुनिश्चित कराता है। अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने के लिए सम्बन्धित विभाग से धनराशि प्राप्त होने पर कार्यवाही की जाती है।

जनपद शाहजहांपुर में निर्माणाधीन इन्दिरा आवासों की जांच कराये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

34-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 4-2-99 को या इसके आसपास मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है जो वर्ष 1997-98 में निर्मित कराये गये इन्दिरा आवासों की जांच जिला विकास अधिकारी से कराये जाने के सम्बन्ध में था? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री ने दि0 4-2-99 को जिलाधिकारी शाजहांपुर को जांच के लिये आदेशित किया है? यदि हां, तो जिलाधिकारी द्वारा उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हां, प्रश्नकर्ता का पत्र, दिनांक 20-01-99 माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय को दिनांक 04-02-99 को प्राप्त हुआ है।

जी हाँ।

जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड जलालाबाद, जैतीपुर व खुदागंज में वर्ष 1997-98 में निर्मित कराये गये इन्दिरा आवासों की जांच करा ली गयी है। जो निम्नवत् है :-

1-विकास खण्ड जलालाबाद के अन्तर्गत ग्राम लालपुर इमलिया तथा बुधवाना में वर्ष 1997-98 में कोई इन्दिरा आवास स्वीकृत नहीं किये गये हैं।

2-ग्राम विरिया मकरन्दपुर में वर्ष 1997-98 में 36 आवासों का निर्माण स्वीकृत किया गया, जिसमें से 30 आवास पूर्ण हैं, शेष डोर, अथवा छत स्तर तक निर्मित हैं। लाभार्थियों द्वारा अभी तक छत नहीं डाली गयी है, जिसके लिए लाभार्थियों को नोटिस जारी किए गये हैं।

3-ग्राम बाबूपुर बुजुर्ग विकास खण्ड खुदागंज में वर्ष 1997-98 में 73 आवास स्वीकृत किये गये हैं, जिनके निर्माण पूर्ण हैं।

4-ग्राम शाहबाद शिवनगर विकास खण्ड जैतीपुर में वर्ष 1997-98 में 33 आवास स्वीकृत किये गये हैं। स्थलीय जांच के अनुसार 31 आवास पूर्ण हैं, दो आवास डोर स्तर व लिंटल स्तर तक निर्मित हैं, जिन्हें पूर्ण कराने हेतु नोटिस निर्गत किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बन्द चीनी मिलों की पेराई क्षमता/किसानों की गन्ना पेराई हेतु स्थायी व्यवस्था तथा विभिन्न वर्षों की तुलनात्मक चीनी मिलों की पेराई क्षमता की जानकारी

35-कुं0 रेवती रमण सिंह तथा श्री अम्बरीष कुमार-

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बन्द की गई ।। चीनी मिलों की पेराई क्षमता कितनी थी? किसानों के गन्ने की पेराई के लिये क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है तथा स्थायी व्यवस्था कब तक और क्या की जा रही है? प्रदेश के कुल गन्ने की कितने प्रतिशत मिलें वर्ष 1999-2000 में पेरेंगी और उसकी 1998-1999 तथा 1997-98 की तुलनात्मक स्थिति क्या है?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

बन्द की गयी ।। चीनी मिलों की पेराई क्षमता 14102 टी0सी0डी0 प्रतिदिन थी।

किसानों के गन्ने की पेरोई की व्यवस्था समीपवर्ती चीनी मिलों को गन्ना व्यावर्तन से की गयी है।

प्रदेश के कुल गन्ने का 35% लगभग चीनी मिलें वर्ष 1999-2000 में पेरेंगी। उसकी 1998-99 तथा 1997-98 की तुलनात्मक स्थिति निम्न प्रकार है :-

1997-98	-	30.7%
1998-99-	-	33.9%
1999-2000-	-	35.6%

जिला सन्त रविदास नगर ज्ञानपुर क्षेत्र में विट्ठलपुर छतमी धनापुर तक के सम्पर्क मार्ग की सोलिंग हेतु अवमुक्त धनराशि निर्माण न कराने की जांच एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

36-श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद संत रविदास नगर के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में 1998-99 जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत विट्ठलपुर छतमी होते हुए धनापुर तक । कि0मी0 सोलिंग कार्य हेतु 6.50 लाख रु0 सी0 एण्ड डी0एस0 विभाग को अवमुक्त हो चुका है? क्या यह सही है कि उसका निर्माण अभी तक नहीं किया गया है? क्या सरकार इसकी जांच कराकर कोई कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हां। प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु रु0 7.00 लाख की धनराशि सी0एण्ड0डी0 एस0 को अवमुक्त की गयी।

जी हां।

प्रकरण की जांच सहायक अभियन्ता, डी0आर0डी0ए0 से कराई गई। जार्चोपरान्त दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर, फैजाबाद, अम्बेदकर नगर में खादी विभाग द्वारा समाचार पत्र चरित्र विकास हिन्दी साप्ताहिक के विज्ञापन प्रकाशन की धनराशि के भुगतान की मांग

37-श्री चेतराम-

क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री को जानकारी है कि जनपद सुल्तानपुर, फैजाबाद, अम्बेदकर नगर में खादी विभाग द्वारा समाचार पत्र चरित्र-विकास हिन्दी साप्ताहिक के विज्ञापन प्रकाशन की धनराशि भुगतान किये जाने हेतु मामला लम्बित है? क्या यह सही है कि मंत्री जी द्वारा मंडलीय अधिकारी खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, फैजाबाद को बिलों के भुगतान हेतु दिनांक 9-6-99 के आदेश दिये थे? यदि हां, तो क्या उक्त बकाया धनराशि का भुगतान कर दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

खादी एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (राजा राम पाण्डेय)-

जी हां।

जी हां।

जी नहीं।

चरित्र विकास हिन्दी साप्ताहिक को विज्ञापन की स्वीकृत दरों पर इस शर्त के साथ विज्ञापन देने के निर्देश खादी बोर्ड द्वारा दिये गये थे कि इस पर आने वाले व्यय को जिला योजना के अन्तर्गत प्रचार-प्रसार मद से जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी/जिला अधिकारी की सहमति प्राप्त कर सुनिश्चित किया जायेगा। परन्तु जिला योजना में धनाभाव के कारण भुगतान नहीं हो सका है।

38-श्री अफजाल अहमद-

(दिनांक 6-4-2000 को अता0 प्र0 सं0-82 द्वारा उत्तरित)।

जनपद जौनपुर में जासोपुर माइनर की पटरी पक्की कराने के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

39-श्री अफजाल अहमद-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जासोपुर माइनर की पटरी

पक्की कराये जाने के सम्बन्ध में सिंचाई राज्य मंत्री का दिनांक 6-4-99 का पत्र जिलाधिकारी, जौनपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह -

जी हां।

उक्त पत्र के जिलाधिकारी जौनपुर ने परियोजना निदेशक जौनपुर को संदर्भित किया, परियोजना निदेशक जौनपुर ने जासोपुर माइनर की पटरी पक्की कराये जाने के सम्बन्ध में शारदा सहायक खण्ड-36 जौनपुर को अपने पत्रांक शून्य दिनांक 10-5-99 द्वारा भेजा था। शारदा सहायक खण्ड-36 जौनपुर द्वारा जासोंपुर माइनर के पक्की कराये जाने का प्रस्ताव बनाकर पत्रांक : सी-197/सड़क प्रा0अनु0/दिनांक 9-7-99 को परियोजना निदेशक जौनपुर को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेज दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर में पं0 दीन दयाल उपाध्याय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मेहरावां के विस्तार सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

40-श्री अफजाल अहमद-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पं0 दीन दयाल उपाध्याय प्राथकमिक स्वास्थ्य केन्द्र मेहरावां जनपद जौनपुर का विस्तार किये जाने के सम्बन्ध में विधायक श्री बांके लाल सोनकर का दि0 22-10-99 का पत्र मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी नहीं।

मेहरांवा जनपद जौनपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण कराने के समबन्ध में मा0 सदस्य श्री बांकेलाल सोनकर के पत्र दिनांक 05-12-99 एवं दिनांक 28-02-2000 प्राप्त हुआ हैं।

वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक में प्राविधान न होने के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत नहीं की जा सकी।

जिला शाहजहांपुर में सहकारी चीनी मिल तिलहर के मजदूरों की समस्या विषयक पत्र पर जांच आख्या की जानकारी व कार्यवाही की मांग

41-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 2-2-99 या इसके आसपास उन्हें प्राप्त हुआ है जो सहकारी चीनी मिल तिलहर, जनपद शाहजहांपुर के मजदूरों की कतिपय समस्याओं के सम्बन्ध में था ? क्या यह सही है कि उनके द्वारा दि0 5-2-99 को प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल संघ को जांच किये जाने हेतु आदेशित किया गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जी हां।

जी हां।

उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी-चीनी मिल संघ के प्रधान प्रबन्धक (प्रशासन) से जांच करायी जा रही है।

जिला शाहजहांपुर में नलकूप खण्ड/विभाग द्वारा कृत कार्यों में अनियमितता की जांच कराने की मांग

42-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 24-3-99 या इसके आसपास जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है जो नलकूप खण्ड/विभाग में कराये गये कार्यों में की गयी अनियमितताओं की जांच कराने के सम्बन्ध में था? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर के सदर हास्पिटल में दवाओं के क्रय हेतु बजट तथा एल0पी0 के बजट की जानकारी एल0पी0 को छोड़कर खरीदी गयी दवायें घटिया किस्म की होनें की शिकायत

43-श्री मुरलीधर-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के सदर हास्पिटल में दवाओं के क्रय हेतु वर्ष 1999-2000 के बजट हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है? इसमें से एल0पी0 की दवाओं का बजट कितना है? क्या यह सही है कि एल0पी0 दवाओं को छोड़कर जो दवायें मंगायी जा रही हैं वह घटिया किस्म की हैं? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी को दण्डित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जनपद फतेहपुर के सदर हास्पिटल में वित्तीय वर्ष 1999-2000 में दवाओं के क्रय हेतु रु0 17,38,300.00 की धनराशि आवंटित की गयी है। नियमानुसार औषधि मद में कुल आवंटित धनराशि में से 15% की धनराशि से एल0पी0 की दवाएं क्रय की जाती हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

44-45-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

46-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

(दिनांक 17-3-99 को अता0प्र0सं0-86 द्वारा उत्तरित)

जनपद शाहजहांपुर क्षेत्र तिलहर में इण्डिया मार्का-2 नलों की स्थापना में अनियमितता के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

47-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24-3-99 जिलाधिकारी शाहजहांपुर को विधान सभा क्षेत्र तिलहर में 25 इण्डिया मार्का-2 नलों की स्थापना में की गयी अनियमितताओं के संबंध में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र जांच के लिये दि0 26-3-99 को अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम, शाहजहांपुर को प्रेषित किया गया था? यदि हां, तो अधिशासी अभियन्ता ने उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी नहीं। पत्र दिनांक 24-3-99 प्राप्त नहीं हुआ है। माननीय विधायक तिलहर क्षेत्र का पत्र दिनांक 09-10-98 जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर को प्राप्त हुआ था।

जी हाँ।

विधान सभा क्षेत्र तिलहर में 25 इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प वर्ष 98-99 में लगाए गए हैं। उनके संबंध में प्राथमिक जांच अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय मण्डल, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ से करायी गयी एवं प्राथमिक जांच के आधार पर दो सहायक अभियन्ताओं एवं दो जूनियर इंजीनियरों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का निर्णय लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में सठियांव चीनी मिल में गन्ना की पहुंच व्यवस्था में सुधार करने की मांग

48-श्री नरेन्द्र सिंह-

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि सठियांव चीनी मिल आजमगढ़ के क्षेत्र में पेराई सत्र 1997-98, 1998-99 में किसानों का गन्ना चीनी मिल तक पहुंचाने की व्यवस्था अत्यधिक खराब होने के कारण गन्ने की पैदावार घटी है? यदि हां, तो क्या सरकार चीनी मिल तक गन्ना पहुंचाने की व्यवस्था में सुधार करेगी? यदि हां, तो कब तक और कैसे? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

पेराई सत्र 1997-98, 1998-99 में दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, सठियाँव-आजमगढ़ के क्रय केन्द्रों से चीनी मिल गेट तक गन्ना पहुँचाने की व्यवस्था खराब नहीं रही है तथा गन्ना ढुलाई के कारण गन्ने की पैदावार भी नहीं घटी है। वर्ष 1997-98 में मिल गेट के अतिरिक्त 33 एवं 1998-99 में 35 क्रय केन्द्र इस चीनी मिल को सुरक्षित/आवंटित थे जिससे चीनी मिल तक गन्ना पहुंचाने की व्यवस्था की गयी थी।

वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 में क्रय केन्द्र देवगाँव एवं मेहनाजपुर पर गन्ने की उपलब्धता बहुत ही कम रही है, फलस्वरूप कोई गन्ना परिवहन ठेकेदार गन्ना ढुलाई हेतु सुलभ/तैयार नहीं हुआ। गन्ना ढुलाई का कार्य इस चीनी मिल में केवल ट्रकों के माध्यम से ही होता है। ऐसी स्थिति में क्रय केन्द्र देवगाँव एवं मेहनाजपुर के गन्ना ढुलाई हेतु मिल की ट्रक एवं एक किराये की ट्रक लगाकर गन्ने की ढुलाई व्यवस्था पूर्ण कराई गई, साथ ही इच्छुक कृषकों को मिल गेट पर गन्ना आपूर्ति की सुविधा प्रदान की गई।

जनपद आजमगढ़ सहकारी चीनी मिल सठियांव के घाटे की जानकारी/सुधार करने की मांग

49-श्री नरेन्द्र सिंह-

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सठियांव चीनी मिल आजमगढ़ में पेराई सत्र 1998-99 में कुल कितना घाटा हुआ? घाटे के कारण क्या है? क्या घाटे के कारण की समीक्षा करके सत्र 1999-2000 में सुधार की व्यवस्था की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

सहकारी चीनी मिल सठियांव जनपद आजमगढ़ को वित्तीय वर्ष 1998-99 में रु0 811.67 लाख का शुद्ध घाटा हुआ है।

पेराई सत्र 98-99 में घाटे का कारण मिल की क्षमता के अनुरूप पर्याप्त गन्ना उपलब्ध न होना तथा चीनी के परते में कमी रहा है।

पेराई सत्र 1999-2000 में सुधार हेतु आवश्यक व्यवस्था की गयी है।

पेराई सत्र 1999-2000 में मिल क्षेत्र में उपलब्ध गन्ने को अधिक से अधिक मात्रा में लेने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही चीनी के परते में सुधार हेतु तकनीकी व्यवस्था की गई है।

जनपद हरदोई में स्वीकृत वृद्धावस्था पेंशन वितरण की प्रक्रिया का सरलीकरण एवं व्यवस्था ग्राम पंचायतों को दिया जाना तथा उसका लाभ

50-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि वृद्धावस्था पेंशन वितरण की प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए ब्लाक स्तर पर पेंशन स्वीकृत करने और न्याय पंचायत स्तर पर वितरण की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है ? यदि हां, तो जनपद हरदोई के अन्तर्गत आने वाले ब्लाकों और न्याय पंचायतों को भी उत्तरदायेत्व सौंपा गया है ? उनमें से अभी तक कितने ग्रामों के लोगों को इसका लाभ दिया गया है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृति व वितरण की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है परन्तु पेंशन स्वीकृति/वितरण की कार्यवाही ब्लाक तथा न्याय पंचायत स्तर पर नहीं बल्कि ग्राम पंचायत स्तर पर किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

51-श्री अजय कुमार पोइया-

(3रे शुक्रवार में अता0प्र0 सं0-188 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद बलरामपुर विकास खण्ड उतरौला में केरावगढ से विसाह मार्ग, महदेइया ताल नाले के निर्माण में अनियमितता की टी0ए0सी0 द्वारा जांच की मांग

52-श्री उबेदुर्रहमान-

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला के अन्तर्गत विकास खण्ड श्री दत्त गंज में गन्ना विभाग बलरामपुर द्वारा वर्ष 1998-99 में केरावगढ़ से विसाह मार्ग, महदेइया ताल तक जल निकास नाले का निर्माण कार्य मानक व गुणवत्ता के अनुसार न होने की जांच टी0ए0सी0 द्वारा करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला के अन्तर्गत विकास खण्ड श्री दत्त गंज में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत स्वीकृत वर्ष 1998-99 में केरावगढ़ ताल से असिनहता ताल तक नाला सफाई का कार्य गन्ना विकास विभाग द्वारा कार्य मानक एवं गुणवत्ता के अनुरूप ही कराया जा रहा है।

महदेइया ताल से खरदौरी पुल तक किसी मार्ग का निर्माण कार्य गन्ना विभाग से नहीं कराया जा रहा है।

कार्य मानक व गुणवत्ता के अनुसार होने के फलस्वरूप टी0ए0सी0 जांच का प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर विकास खण्ड उतरौला गन्ना विभाग द्वारा केरावगढ़ ग्राम से बीखलडीह, श्री दत्तगंज से गुमड़ी मनियारी मार्ग से वायभीट तक, शेरपुर मार्ग से महमूदनगर ग्राम तक, कोलवा से सिरिया होते हुए खमहरिया घाट तक मार्ग में अनियमितता की टी0ए0सी से जांच की मांग

53-श्री उबैदुर्रहमान-

क्या गन्ना विकास मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला के अन्तर्गत विकास खण्ड श्री दत्तगंज में गन्ना विभाग बलरामपुर द्वारा वर्ष 1998-99 में केरावगढ़ ग्राम से बीखलडीह, श्री दत्तगंज से गुमड़ी, मनियारी मार्ग से वायमीट तक, शेरपुर मार्ग से महमूदनगर ग्राम तक, कोलबा से सिरिया होते हुए खमहरिया घाट तक मार्ग निर्माण कराये गये कार्य मानक व गुणवत्ता के अनुसार न होने की जांच टी0ए0सी0 द्वारा करायी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला के विकास खण्ड श्री दत्तगंज में गन्ना विभाग द्वारा वर्ष 1998-99 में केरावगढ़ से बीखलडीह, श्रीदत्त से गुमड़ी, मनियारी मार्ग से वायभीट तक शेरपुर मार्ग से महमूदनगर ग्राम तक, कोलवा से सिरिया होते हुये खमहरिया घाट तक गन्ना विकास विभाग द्वारा कराये गये मार्ग निर्माण कार्य मानक एवं गुणवत्ता के अनुसार ही कराया गया है। निर्माण हेतु स्वीकृत आगणन के विरुद्ध अभी पूर्ण धन उपलब्ध न होने के फलस्वरूप अभी मार्ग निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। समस्त कार्य मानक व गुणवत्ता होने के फलस्वरूप टी0ए0सी0 जांच कराये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर उतरौला क्षेत्र में ग्रामीण अभियत्रंण सेवा प्रखण्ड गोण्डा द्वारा मार्ग निर्माण मानक गुणवत्ता के अनुसार न करने के कारण टी0ए0सी0 से जांच की मांग

54-श्री उबैदुर्रहमान-

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड गोण्डा द्वारा नहरिया पुल के उत्तर मैनहाबाग से तख्तरवां तक, जगदेवा नवीन नगर से पिपरा याकूब कर्बला तक, श्री दत्तगंज गुमड़ी मार्ग से पकड़ी रैकवार, महदेइय्या मुजहनी मार्ग से मेडुक डीह तक, लाल डीह व चौथा से पिपरी कुल्लई तक मार्गों के निर्माण में मानक व गुणवत्ता के अनुसार कार्य न कराये जाने की जांच टी0ए0सी0 द्वारा करायी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मारकण्डेय चन्द्र-

जी नहीं।

समस्त कार्य निर्धारित मानक के अनुसार कराया गया है अतः टी0ए0सी0 से जांच कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर उतरौला क्षेत्र में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड गोण्डा द्वारा मार्ग निर्माण कार्य न कराने की शिकायत की जांच

55-श्री उबैदुर्रहमान-

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड गोण्डा द्वारा श्री दत्तगंज गुलवरिया माफी से जूनियर हाईस्कूल विसाह तक, श्री दत्तगंज गुमड़ी मार्ग से लेवियन डीह मुरावन डीह मार्ग पर 2 स्यूम पाइप पुलिया निर्माण, स्वर्ण जयन्ती ग्राम कुल्लई बिनुहनी तक मार्गों के निर्माण में मानक व गुणवत्ता के अनुसार कार्य न कराये जाने की जांच टी0ए0सी0 द्वारा करायी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मारकण्डेय चन्द्र-

प्रश्नांकित मार्गों के निर्माण की स्वीकृति न तो वर्ष 1998-99 में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड-गोण्डा के लिए हुई थी और न ही इस प्रखण्ड द्वारा इन मार्गों पर किसी प्रकार का कार्य कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर में उतरौला क्षेत्र के अन्तर्गत ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड द्वारा अधूरे मार्गों का कार्य पूर्ण कराने की मांग

56-श्री उबैदुर्रहमान-

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 व 1998-99 में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड बलरामपुर द्वारा कराये गये अधूरे मार्गों को गालिबपुर से करमहना घाट तक, उतरौला गैडास बुजुर्ग मार्ग से बनकसिया तक, चिचूठी इसहाक डीह से चिचूठी तक, आसाम रोड से बलुआ जंगली तक, उतरौला-गैडास मार्ग पर सहियापुर से नौड़िहवा तक को कब तक पूर्ण कराया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मारकण्डेय चन्द्र-

प्रश्नांकित मार्गों में आसाम रोड से बलुआ जंगली नामक मार्ग ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, प्रखण्ड गोण्डा में न तो स्वीकृत हुआ है और न ही इस प्रखण्ड द्वारा इस पर किसी प्रकार का कोई कार्य कराया गया है। शेष मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर उतरौला में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड द्वारा बनाये गये अधूरे मार्गों के कार्य को पूर्ण कराये जाने की मांग

57-श्री उबैदुर्रहमान-

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड बलरामपुर द्वारा कराये गये अधूरे मार्गों को जाफराबाद से मौलाना मजार तक, वाजिदपुर से वम्माडीह तक, दरगाही डीह से बनकटवा महदेइय्या, नगवा से डडढी जोत तक, हाशिमपारा से कैथोलिया सलेमपुर को कब तक पूर्ण कराया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मारकण्डेय चन्द्र-

प्रश्नांकित मार्गों में जफराबाद में मौलाना मजार तक, वाजिदपुर से वम्माडीह तक तथा दरगाही डीह से बनकटवा महदेइय्या तक का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। नगवा से डडढ़ी जोत तक तथा हाशिमपारा से कैथोलिया सलेमपुर तक का कार्य आपूर्तिकर्ता (ठेकेदार) द्वारा आपूर्ति में विवाद कर दिये जाने के कारण पूर्ण नहीं कराया जा सका है। विवाद के निराकरण की कार्यवाही की जा रही है, जिसे समाप्त होते ही कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।

जनपद बलरामपुर उतरौला क्षेत्र के ग्रामीण अभियंत्रण प्रखण्ड द्वारा अधूरे मार्गों को पूर्ण कराने की मांग

58-श्री उबैदुर्रहमान-

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला के अन्तर्गत ग्रामीण अभियंत्रण प्रखण्ड बलरामपुर द्वारा वर्ष 1994-95 व 1995-96 तथा 1996-97 में कराये गये अधूरे मार्गों को आसाम रोड से मलमलिया मार्ग, देवरिया अगया मार्ग से घमौली ज्वाला पुरवा स्कूल तक गोण्डा-उतरौला मार्ग से चहटवा तक व उतरौला-सादुल्ला नगर मार्ग से परचोलिया चौराहा से बढ़नी चाफा तक को कब तक पूर्ण कराया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मारकण्डेय चन्द्र-

प्रश्नांकित मार्गों में आसाम रोड से मलमलिया का निर्माण कार्य ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, प्रखण्ड-गोण्डा में न तो स्वीकृत हुआ है और न ही इस पर किसी प्रकार का कोई कार्य इस प्रखण्ड द्वारा कराया गया है। शेष मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

59-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

(3 सरे शुक्रवार में अता0 प्र0 स0-189 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)।

जनपद सन्त रविदास नगर के ज्ञानपुर क्षेत्र में चन्द्रापुर तथा कौलापुर नलकूपों को चालू कराने की मांग

60-श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद संत रविदास नगर के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में चन्दापुर नलकूप तथा कौलापुर नलकूप, ब्लाक दीघ की बोरिंग ध्वस्त हो जाने के कारण पिछले कई वर्षों से बन्द हैं? क्या उक्त दोनों नलकूपों की रीबोरिंग कराये जाने की कोई योजना है? यदि हां, तो कब तक रीबोरिंग करायी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां। जनपद सन्त रविदास नगर के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में नलकूप संख्या-119 बी0जी0 चन्दापुर ब्लाक दीघ दिनांक 1-4-97 से तथा नलकूप संख्या-22 बी0जी0 कौलापुर (चक परोना) ब्लाक ज्ञानपुर माह 3/99 से असफल है।

वर्ष 1999-2000 में राजकीय नलकूप ग्राम पंचायतों को स्थानांतरित कर दिये गये हैं। इससे पूर्व इनका पुनः निर्माण जनपद योजना के अन्तर्गत कराया जाता था। वर्ष 1999-2000 में इस कार्य हेतु सिंचाई विभाग के आय-व्ययक में कोई व्यवस्था नहीं हुई।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बलरामपुर उतरौला क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड द्वारा मार्गों का कार्य मानक व गुणवत्ता के अनुसार न कराने की शिकायत की जांच

61-श्री उबेदुर्रहमान-

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड बलरामपुर द्वारा कराये गये मार्गों बदलपुर-हुसैनाबाद मार्ग से मानापार बहेरिया तक, उतरौला गैडास मार्ग के कि0मी0-7वें में से स्वर्ण जयन्ती ग्राम गहरौला तक, अक्सीकोट बडहरा से गो रिपनडीह तक, उतरौला-बलरामपुर मार्ग से रेगाई तक, उतरौला मनकापुर मार्ग पर बढ़या से मझौवा मजार होते हुए कुरधुवा तक निर्माण कार्यों को मानक व गुणवत्ता के अनुसार न कराये जाने की जांच टी0ए0सी0 द्वारा करायी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मारकण्डेय चन्द्र-

जी नहीं।

समस्त कार्य निर्धारित मानक के अनुसार कराया गया है। अतः टी0ए0सी0 से जांच कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर में नलकूप खण्ड बलरामपुर द्वारा वर्ष 1997-98 व 1998-99 में जल निकासी हेतु निर्माण की गयी नालियों का कार्य मानक के अनुरूप न कराने की शिकायत एवं टी0ए0सी0 से जांच की मांग

62-श्री उबैदुर्रहमान-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत नलकूप खण्ड बलरामपुर द्वारा वर्ष 1997-98 व 1998-99 में कितनी जल निकासी हेतु नालियों का निर्माण विधान सभा क्षेत्र उतरौला में कराया गया ? क्या निर्माण कार्य गुणवत्ता मानक के अनुसार नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार निर्माण स्थल की जांच टी0ए0सी0 द्वारा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला के अन्तर्गत नलकूप खण्ड बलरामपुर द्वारा वर्ष 1997-98 व 1998-99 में जल निकासी हेतु किसी भी नलकूप के नालियों का निर्माण नहीं कराया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद एटा के विकास खण्ड अधिकारी के विरुद्ध अनियमितता, पद का दुरुपयोग सम्बन्धी शिकायती पत्र एवं जांच परिणाम की जानकारी

63-श्री नेतराम सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद एटा के विकास खण्ड अधिकारी के विरुद्ध अनियमितताएं एवं पद का दुरुपयोग किये जाने के संबंध में ग्राम प्रधान, पावल डेरा का शिकायती पत्र दिनांक 13-2-99, जिलाधिकारी एटा को दिनांक 5-4-99, माननीय मुख्य मंत्री को दिनांक 8-4-99 को डाक द्वारा प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो आरोप क्या हैं ? क्या उसकी जांच करायी गयी ? जांच के परिणाम क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हाँ।

खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सिद्धपुरा, एटा द्वारा मनमाने ढंग से इन्दिरा आवासों का आवंटन किया जाना।

प्रकरण की पुनः जांच करायी जा रही है।

जनपद गोण्डा में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा वर्ष 1995-96 तथा वर्ष 1996-97 में निर्माण कार्यों के गुणवत्ता की जांच के सम्बन्ध में पत्र एवं कार्यवाही की जानकारी

64-श्री उबैदुर्रहमान-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के दूसरे बुधवार के लिये निर्धारित अता0प्र0सं0-68 के उत्तर के संदर्भ में क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या दुरुपयोग की गयी धनराशि की वसूली संबंधित कर्मचारियों से की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मारकण्डेय चन्द्र-

प्रश्नांकित प्रकरण में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक जांच कराये जाने का निर्णय लिया गया है। अनुशासनिक जांच में जांचाख्या प्राप्त होने पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

65-श्री उबैदुर्रहमान-

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

जनपद लखनऊ सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित कालोनी में अवैध कब्जों से विद्यालय चलाये जाने की शिकायत तथा हटवाने की मांग

66-श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई खण्ड, लखनऊ के अधीनस्थ इन्दिरा फीडर नहर के निकट ग्राम-लौलाई में सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित आवासीय कालोनी में वर्तमान में कितने सरकारी भवनों पर अवैध कब्जा करके विद्यालय चलाये जा रहे हैं? उक्त कब्जे को हटवाने हेतु संबंधित अधिकारियों द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

प्रश्नगत आवासीय कालोनी में वर्तमान में किसी भी सरकारी आवास पर अवैध कब्जा करके कोई विद्यालय नहीं चलाया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में धारा-9 के अन्तर्गत वित्त अधिकारी की नियुक्ति, एवं उनकी अनुपस्थिति में भुगतान की जांच की मांग

67-श्री अजय भट्ट-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि "संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ" के ऐक्ट (धारा-9) के अन्तर्गत "वित्त अधिकारी" की नियुक्ति की गयी है ? यदि हां, तो किसकी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार वित्त अधिकारी की अनुपस्थिति में किये गये भुगतानों की विशेष सम्परीक्षा (स्पेशल आडिट) करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र-

जी हाँ।

श्री विशम्भर नाथ-

प्रश्न नहीं उठता।

वित्त अधिकारी की अनुपस्थिति में किये गये भुगतानो की विशेष सम्परीक्षा (स्पेशल आडिट) कराने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग की एक इकाई सहायक निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा के अधीन संस्थान में विशेष रूप से तैनात है, जिसके द्वारा संस्थान के समस्त कार्यकलापों/भुगतान की शत-प्रतिशत सम्परीक्षा की जाती है।

68-श्री विनोद मणि-

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होनें के कारण निरस्त)

शारदा नहर खण्ड शाहजहांपुर के सहायक अभियन्ता द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच

69-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17-2-99 या इसके आसपास जो शारदा नहर खण्ड शाहजहांपुर के सहायक अभियन्ता सलाउद्दीन महमूद द्वारा व्यापक स्तर पर किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के संबंध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हाँ।

प्राप्त जांच आख्या के आधार पर प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये श्री सलाउद्दीन महमूद, तत्कालीन सहायक अभियन्ता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के पूर्व सैनिकों के रोजगार एवं पुनर्वास की समस्या को सुलझाने हेतु सरकार द्वारा उ0प्र0 भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम की स्थापना तथा पूंजी की व्यवस्था की मांग

70-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के पूर्व सैनिकों के रोजगार एवं पुनर्वास की समस्या को सुलझाने हेतु वर्ष 1989 में सरकार द्वारा उ0प्र0 भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम की स्थापना की गयी थी? क्या यह सच है कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित 5 करोड़ रुपये में से मात्र 50 लाख रुपये निगम को अवमुक्त किये जाने के कारण पूंजी के अभाव में निगम का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल रहा है? यदि हां, तो निगम की वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु सरकार द्वारा शेष धनराशि कब तक अवमुक्त कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

वर्ष 1989 में भूतपूर्व सैनिकों के कल्याणार्थ उ0प्र0 भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम की स्थापना की गयी थी।

जी नहीं। पांच करोड़ रुपये की अधिकृत अंशपूंजी में से रुपये 42.54 लाख शासन द्वारा अवमुक्त किया गया था। तत्पश्चात् निगम अपने अर्जित लाभ से अपना कार्य सुचारू रूप से चला रहा है।

अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जामो में कार्यरत श्री गया प्रसाद पाण्डे बी0एम0डब्लू की सेवानिवृत्ति के उपरांत समस्त देयों के भुगतान की मांग

71-श्री तेजभान सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जामो जनपद-सुल्तानपुर में कार्यरत श्री गया प्रसाद पाण्डे पुत्र श्री राम चरन पाण्डे, बी0एम0 डब्लू दिनांक 30-6-1998 को सेवानिवृत्त हो गये हैं? यदि हां, तो क्या इनकी पेंशन ग्रेच्युटी, राशिकरण, सामूहिक जीवन बीमा, एरियर नकदीकरण, पी0एफ0 आदि का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

मातृ एवं शिशु कल्याण तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री सरदार सिंह)-

जी हाँ।

नकदीकरण, पेंशन, ग्रेच्युटी, एवं राशिकरण तथा 90% भविष्य निधि का भुगतान कर दिया गया है। सामूहिक बीमा के भुगतान हेतु चेक सं0-21/4/187, दिनांक 22-2-2000 को निर्गत कर दी गयी है। 10% जी0पी0एफ0 के भुगतान हेतु महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को मुख्य चिकित्साधिकारी, सुल्तानपुर के पत्र सं0-जी0पी0एफ/10/स्वा0का0पु0/2000, दिनांक 21-2-2000 को भेज दिया गया है।

महिला बाल विकास कल्याण विभाग में प्रशिक्षित नर्स तथा स्वास्थ्य विभाग की प्रशिक्षित महिला नर्सों की अर्हतायें एक होने के कारण समान कार्य के लिए समान वेतन न देने का औचित्य

72-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1999 के पहले बुधवार के लिये निर्धारित अता0प्र0सं0-61 के उत्तर के संदर्भ में क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग में कार्यरत प्रशिक्षित नर्स की अर्हतायें स्वास्थ्य विभाग की प्रशिक्षित महिला नर्सों की भांति हैं? यदि हां, तो समान कार्य के लिये समान वेतनमान न देने का क्या औचित्य है? क्या महिला कल्याण विभाग में कार्यरत नर्सों का वेतनमान स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत नर्सों के बराबर देने पर सरकार विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

दोनों की अर्हतायें एवं कार्य भिन्न हैं।

73-श्री भाई लाल-

(दिनांक 6-4-2000 को अता०प्र०सं०-83 द्वारा उत्तरित)

जनपद लखनऊ, विकास खण्ड बख्शी का तालाब की न्याय पंचायत कुम्हरावां की ग्राम सभा उनई में जवाहर रोजगार योजना "ग्राम सभा अंश" से विकास कार्य हेतु प्राप्त धन तथा कराये गये कार्यों के सत्यापन की मांग

74-श्री उबैदुर्रहमान-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के अन्तर्गत विकास खण्ड बख्शी का तालाब की न्याय पंचायत कुम्हरावां की ग्राम सभा उनई में जवाहर रोजगार योजना "ग्राम सभा अंश" से वर्ष 1995-96 व 1996-97 में कुल कितनी धनराशि आहरित की गयी है? आहरित की गयी धनराशि से कौन-कौन विकास कार्य कराये गये हैं? क्या कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन कराया गया है? क्या सत्यापन कराये जाने के संबंध में अपर जिला अधिकारी, परियोजना, लखनऊ के पत्र संख्या-758/आ0 लि0/उनई/जांच/98-99 दिनांक 29-7-98 पर कोई कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हाँ। ग्राम सभा उनई में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 1995-96 व 96-97 में कुल रुपया 71,500/- आहरण किया गया।

खड़न्जा, प्राइमरी स्कूल की बाउण्ड्रीवाल आदि का निर्माण कराया गया।

जी हाँ।

निर्माण कार्यों की जांच खण्ड विकास अधिकारी से कराई गयी जांच के फलस्वरूप दुरुपयोग की गयी धनराशि की वसूली दोषी पाये गये ग्राम प्रधान उनई एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

75-श्री अब्दुल मन्नान-

(दिनांक 6-4-2000 को अता०प्र०सं०-84 द्वारा उत्तरित)

देवीपाटन मण्डल में सिंचाई विभाग के डाक बंगले का अधिग्रहण जिला प्रशासन द्वारा करने तथा डाक बंगले में अवैध रूप से रह रहे अधिकारियों से किराया लेने की कार्यवाही

76-श्री अजय भट्ट-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवीपाटन मण्डल के अन्तर्गत कितने जिलों में सिंचाई विभाग के डाक बंगलों का अधिग्रहण जिला प्रशासन द्वारा किया गया है? क्या यह सही है कि उक्त डाक बंगलों में जिला प्रशासन के अधिकारीगण निवास करते हैं तथा विभाग को भवन, बिजली, पानी का किराया न देकर क्षति पहुंचायी जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अधिकारियों से नियमानुसार पैनल रेट से किराये की वसूली करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

सिंचाई विभाग के अन्तर्गत देवी पाटन मण्डल में केवल बलरामपुर जनपद में सरयू नहर कालोनी स्थित डाक बंगला/फील्ड हास्टल का अधिग्रहण जिला प्रशासन द्वारा किया गया है जिसमें वर्तमान में परियोजना निदेशक, बलरामपुर निवास कर रहे हैं। भवन का किराया आदि वसूल करने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करने के बारे में मण्डलायुक्त व जिलाधिकारी को निर्देश दे दिये गये हैं।

शेष प्रश्न नहीं उठते हैं।

जनपद गौतम बुद्ध नगर में अस्तौली व हिरनोही ड्रेन की खुदाई न होने से आजमपुर, हुसेनपुर, अलीपुरा गांवों की प्रभावित फसल के लिए मुआवजा की मांग

77-श्री नरेन्द्र सिंह भाटी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतम बुद्ध नगर में स्थित अस्तौली ड्रेन व हिरनोही ड्रेन की खुदाई गत कई वर्षों से न होने तथा पानी निकासी न होने के कारण आजमपुर, हुसेनपुर अलीपुरा, बैलाना, जैतपुरन झाझर, नगला केसरी,

मोहम्मदपुर जादों आदि ग्रामों की लाखों रुपये की फसल नष्ट हो गयी हैं? यदि हां, तो क्या सरकार पीड़ित किसानों की फसल का मुआवजा देने एवं नालों की खुदाई कराने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

प्रश्नगत गांवों में फसल नष्ट होने की सूचना नहीं है।

फसल का मुआवजा देने का प्रश्न नहीं उठता। ड्रेनों की सफाई का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

78-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मन्ना"-

(दिनांक 29-3-2000 को अता०प्र०सं०-99 द्वारा उत्तरित)

79-श्री तेजभान सिंह-

(दिनांक 6-4-2000 को अता०प्र०सं०-85 द्वारा उत्तरित)

रायबरेली में खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध लगे आरोपों की जांच परिणामों की जानकारी

80-श्री तेजभान सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी, रायबरेली को सम्बोधित तथा आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ उप विकास आयुक्त, लखनऊ, लोक शिकायत अनुभाग-4 मुख्य मंत्री कार्यालय, सचिव, ग्राम्य विकास तथा माननीय ग्राम्य विकास मंत्री को पृष्ठांकित श्री जयशंकर सिंह, प्रमुख विकास खण्ड, लालगंज, रायबरेली का क्रमशः दिनांक 10-6-99, 18-6-99, 18-6-99 का रजि0 प्रार्थना-पत्र जो खण्ड विकास अधिकारी, लालगंज, रायबरेली के विरुद्ध लगे गम्भीर आरोपों की जांच कराने के सम्बन्ध में हैं, प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो इसकी जांच कब और किस अधिकारी से करायी गयी तथा जांच परिणाम क्या हैं? क्या जांच में आरोपी से भी साक्ष्य प्राप्त किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हां।

दिनांक 12-8-99 को उपविकास आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ द्वारा की गयी जांच में शिकायतें सिद्ध नहीं पाई गयी।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्र के फिरोजपुर माइनर की खोदाई सफाई, कराये जाने की मांग

81.-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई में 91.-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के फिरोजपुर माइनर की खोदाई सफाई न कराये जाने से सैकड़ों एकड़ भूमि सिंचाई से वंचित है? क्या शासन की नीति के अनुरूप सरकार उक्त माइनर की टेल तक पानी पहुंचाने हेतु खोदाई सफाई करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं।

उक्त माइनर पर आवश्यकतानुसार शीर्ष से कि0 मी0 3.00 तक सफाई करा दी गई है, जिससे टेल तक पानी पहुंच रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-सीतापुर तथा इलाहाबाद में राजकीय शिशु सदन को जल एवं विद्युत के बजट आवंटन की जानकारी

82-श्री संजय गर्ग-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1999 के प्रथम बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-105 के उत्तर के संदर्भ में क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय शिशु सदन, सीतापुर तथा इलाहाबाद को जल और विद्युत का बजट आवंटित कर दिया गया है? यदि हां, तो कितना-कितना? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

राजकीय शिशु सदन, सीतापुर से जलकर की मद में कोई मांग प्राप्त नही हुई है। राजकीय शिशु सदन, इलाहाबाद को जलकर मद में रु0 3000/- का आवंटन किया गया है। वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक में पर्याप्त धन व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण विद्युत मद में धनराशि आवंटित नहीं की जा सकी है।

जनपद सहारनपुर में बाल विकास परियोजनाओं के द्वारा संचालित केन्द्र खोलने की योजना

83-श्री संजय गर्ग-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में बाल विकास परियोजनाओं के कितने केन्द्र संचालित हैं? क्या और केन्द्र खोले जाने की भी कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

जनपद सहारनपुर में बाल विकास परियोजनाओं के कुल 1025 केन्द्र वर्तमान में संचालित हैं।

जी नहीं।

वर्तमान में संचालित 10 परियोजनाओं के अतिरिक्त इस जनपद के लिए कोई नई परियोजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं हुई है। अतः नये केन्द्र खोले जाने का प्रश्न नहीं उठता।

डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में स्टाफ नर्सों के सृजित पद/ए0एन0एम0 से स्टाफ नर्स का कार्य लेने की जानकारी

84-श्री संजय गर्ग-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1999 के प्रथम बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-75 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में स्टाफ नर्सों के कितने पद सृजित हैं? उनमें से कितनी स्टाफ नर्स कितने दिन के अवकाश पर थीं? क्या ए0एन0एम0 से स्टाफ नर्स का कार्य लिया जा सकता है? यदि नहीं, तो ए0एन0एम0 की ड्यूटी लगाये जाने वाले के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल, लखनऊ में उपचारिका के 61 पद सृजित हैं।

वर्ष 1999 में कुल 43 स्टाफ नर्स विभिन्न अवधि के लिये विभिन्न प्रकार के अवकाश पर रहीं। (सूची संलग्न है।)

सामान्यतः नहीं। किन्तु आपातकालीन स्थिति में स्टाफ नर्स के अभाव में ए0एन0एम0 से कार्य लिया जा सकता है, क्योंकि उनके द्वारा उपकेन्द्रों पर सामान्य रूप से सभी प्रकार के कार्य सम्पादित किये जाते हैं जिसके लिये वह प्रशिक्षित भी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

(विवरण के लिये देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 246 पर)

आजमगढ़ जिला अस्पताल द्वारा 01 जनवरी, 1999 से 31 अक्टूबर 1999 तक मरीजों को वितरित दवा की धनराशि तथा एल0पी0 में पात्रता के मानक की जानकारी

85-श्री नरेन्द्र सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 01 जनवरी, 1999 से 31 अक्टूबर, 1999 तक आजमगढ़ जिला अस्पताल द्वारा कुल कितने मरीजों के लिये कितने रुपये की दवाओं की एल0पी0 (व्यक्तिगत परचेज) की गयी है? क्या दवाओं की एल0पी0 में पात्रता का भी कोई मानक है? यदि हां, तो क्या पात्रता के मानक का अनुपालन किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

दिनांक 01 जनवरी 1999 से 31 अक्टूबर 1999 तक आजमगढ़ जिला अस्पताल द्वारा 1637 मरीजों के लिए रु0 11,47,007=50 पैसे की दवाओं की एल0पी0 (स्थानीय क्रय) की गई है।

जी हां।
जी हां।
प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के गांवों में ए0एन0एम0 की संख्या तथा केन्द्र करिया गोपालपुर तहसील लालगंज की ए0एन0एम0 के कार्यों का निरीक्षण व उसकी रिपोर्ट की जानकारी

86-श्री नरेन्द्र सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में कुल कितनी ए0एन0एम0 गांवों में कार्यरत हैं? क्या आजमगढ़ में कार्यरत सभी ए0एन0एम0 अपने केन्द्रों पर जाकर कार्य करती हैं? क्या ए0एन0एम0 के कार्यों का निरीक्षण किया जाता है? यदि हां, तो क्या केन्द्र करिया गोपालपुर (तहसील लालगंज, जनपद आजमगढ़) के ए0एन0एम0 के कार्यों का निरीक्षण जनवरी, 1999 से 31 अक्टूबर, 1999 तक कभी किया गया? यदि हां, तो क्या सभी कार्यरत ए0एन0एम0 की उपस्थिति सही पायी गयी? यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सरदार सिंह-

536
जी हां।
जी हां।
जी हां।
जी हां।
प्रश्न नहीं उठता।

आजमगढ़ की सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लालगंज की अल्ट्रासाउण्ड मशीन के संचालन तथा विशेषज्ञ चिकित्सक की नियुक्ति की मांग

87-श्री नरेन्द्र सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे की सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लालगंज, आजमगढ़ की अल्ट्रासाउण्ड मशीन कार्य करने लगी है? यदि हां, तो क्या उक्त मशीन के संचालन के लिये विशेषज्ञ डाक्टर की नियुक्ति कर दी गयी है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो कब तक नियुक्ति कर दी जायेगी?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

जी हां।

मशीन संचालन हेतु दिनांक 27-12-99 को विशेषज्ञ चिकित्सक की नियुक्ति कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

आजमगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लालगंज में रेडियोलाजिस्ट की नियुक्ति की मांग

88-श्री नरेन्द्र सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एक्स-रे की मशीनें हैं? क्या जिन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एक्स-रे की मशीनें हैं वहां रेडियोलाजिस्ट की नियुक्ति कर दी गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लालगंज, आजमगढ़ में भी रेडियोलाजिस्ट की नियुक्ति करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

प्रदेश में 284 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एक्स-रे मशीनें उपलब्ध हैं।

निर्धारित अर्हता प्राप्त चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध न होने के कारण कतिपय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर रेडियोलाजिस्ट का पद रिक्त है।

जी हां। दिनांक 27-12-99 को रेडियोलाजिस्ट की नियुक्ति कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत मुख्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत आशुलिपिकों का एकीकृत संवर्ग गठित करने की मांग

89-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-वे0आ0-1-1311/दस-101(एम)/89, दिनांक 16 जुलाई, 1993 के संलग्न 11 के प्रस्तर 5 एवं 6 का अनुपालन करते हुए चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मुख्यालय से लेकर जनपद स्तर तक के आशुलिपिकों का एकीकृत संवर्ग अन्य विभागों की भांति गठित कर दिया गया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जी नहीं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित वेतन विसंगति समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन सचिव, वित्त विभाग के अर्ध शासकीय पत्र संख्या-वे0आ0-1-131/दस-101(एम)/89, दिनांक 16 जुलाई 1993 के संलग्नक-11 के प्रस्तर-5 में दिये गये सुझाव के संदर्भ में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत मुख्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत आशुलिपिकों का एकीकृत संवर्ग गठित करने हेतु सेवा नियमावली बनाये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर में महिला कल्याण निदेशालय द्वारा 35 वर्ष से कम आयु की विधवा से विवाह करने वाले दम्पत्ति को पुरस्कार देने का भौतिक सत्यापन व विवरण की जानकारी

90-श्री संजय गर्ग-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री को जानकारी है कि 35 वर्ष की कम आयु की विधवा से विवाह करने पर दम्पत्ति को पुरस्कार दिये जाने की योजना महिला कल्याण निदेशालय से संचालित है ? यदि हां, तो क्या इस योजनान्तर्गत लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन कराया गया है ? यदि हां, तो जनपद सहारनपुर में विगत वर्ष 1995-96, 1996-97, 1997-98 में कितने मामलें फर्जी पाये गये ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

जी हाँ।

जी हाँ।

वर्ष 95-96 एवं 96-97 में विधवा से विवाह करने पर कोई पुरस्कार नहीं दिया गया। वर्ष 1997-98 में एक दम्पत्ति को पुरस्कार दिया गया, जो सही था।

91-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

(स्वास्थ्य समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

प्रदेश में समाज कल्याण विभाग के रिक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने की मांग

92-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में समाज कल्याण विभाग में 336 रिक्त पदों हेतु दिसम्बर, 1998 में परीक्षा आयोजित की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त रिक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां कर दी गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हाँ।

जी नहीं।

उक्त 336 पदों में से ग्राम विकास अधिकारियों के 119 पद मृत घोषित किये जाने के फलतः उनके चयन को रोक दिये जाने तथा शेष में औपचारिक कार्यवाही के प्रगति पर होने के कारण सम्प्रति चयनित अभ्यर्थियों को जैसा कि इंगित किया जा चुका है, नियुक्तियां नहीं की जा सकी हैं।

प्रदेश में चिकित्सा विभाग में समूह "ग" के रिक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग

93-श्री संजय गर्ग-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि प्रदेश में चिकित्सा विभाग में समूह-ग के 52 रिक्त पदों हेतु दिसम्बर, 1998 में परीक्षा आयोजित की गयी थी? यदि हां, तो क्या उन रिक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त नियुक्तियां कब तक कर दी जायेंगी?

श्री रमापति शास्त्री-

समूह "ग" के अधिकतर रिक्त पदों के लिये दिसम्बर, 1998 में परीक्षा आयोजित की गई।

अधिकतर पदों पर नियुक्ति कर दी है।

कुछ रिक्त पद अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता एवं मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों आदि की वजह से नहीं भरा जा सका।

जनपद सहारनपुर में स्वास्थ्य चिकित्सक स्तर के अधिकारियों द्वारा नियुक्ति के समय एवं वर्तमान में चल/अचल सम्पत्ति की जांच तथा कार्यवाही की मांग

94-श्री संजय गर्ग-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत चिकित्सक स्तर के अधिकारियों द्वारा नियुक्ति के समय अपनी चल-अचल सम्पत्ति का ब्योरा प्रस्तुत किया गया था? क्या उनकी वर्तमान समय में चल एवं अचल सम्पत्ति में कोई भिन्नता है? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इसकी जांच करायी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हाँ।

जी हाँ।

आय के सुसंगत श्रोतों के सापेक्ष अधिक चल-अचल सम्पत्ति अर्जित करने के प्रकरण संज्ञान में आने पर नियमानुसार जांच की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता है।

पशुओं हेतु आयुर्वेदिक औषधियों का लाइसेन्स, निदेशक, आयुर्वेद द्वारा दिया जाना एवं दवाओं पर पशुपालन विभाग द्वारा क्रय पर रोक का कारण विभिन्न वर्षों की खरीदी गयी दवा धनराशि के विवरण की जानकारी

95-श्री संजय वर्मा-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या पशुओं के लिये बनाये जाने वाली आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण का लाइसेन्स निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी द्वारा जारी किया जाता है? क्या उनकी सरकारी खरीद पर रोक लगा दी गयी है? यदि हां, तो रोक के क्या कारण हैं? वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000 में कितनी धनराशि की पशु औषधियां खरीदी गयी हैं?

श्री कलराज मिश्र-

जी हाँ, पशुओं हेतु आयुर्वेदिक औषधियों का लाइसेन्स निदेशक, आयुर्वेदिक विभाग द्वारा दिया जाता है।

जी हाँ, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 में रोक लगाई गई है।

"स्टेण्डर्ड फार्माकोपिया" उपलब्ध न होने के कारण।

आयुर्वेदिक औषधियों की खरीददारी नहीं की गयी।

एलोपैथिक औषधियों की खरीददारी पशुपालन निदेशालय स्तर पर वर्ष 1997-98 में रु0 70.00 लाख, वर्ष 1998-99 में कोई भी खरीददारी नहीं हुई तथा वर्ष 1999-2000 में रु0 40.00 लाख की औषधियां क्रय की गई हैं। जनपदीय स्तर से सूचना, निदेशक पशुपालन विभाग द्वारा एकत्र की जा रही है।

जनपद रायबरेली में महिला कल्याण निदेशालय द्वारा संचालित 35 वर्ष से कम आयु की विधवा से विवाह करने व पुरस्कार देने की योजना के भौतिक सत्यापन कराने की मांग

96-श्री राजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री को जानकारी है कि 35 वर्ष से कम आयु की विधवा से विवाह करने पर दम्पत्ति को पुरस्कार दिये जाने की योजना महिला कल्याण निदेशालय से संचालित है? यदि हां, तो क्या योजनान्तर्गत लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन किसी अन्य एजेन्सी से कराया जायेगा? क्या यह सही है कि जनपद रायबरेली में विगत वर्ष 1996-97 व 1997-98 में उक्त योजना के अन्तर्गत किसी को लाभ नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

जी हाँ५

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में महिला एवं बाल विकास पुष्टाहार विभाग में समूह-ग के रिक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रदान करने की मांग

97-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में महिला एवं बाल विकास पुष्टाहार विभाग में समूह-ग के ।।65 रिक्त पदों हेतु दिसम्बर, ।998 में परीक्षा आयोजित की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उन रिक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां कर दी गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

जी हाँ।

जी नहीं।

चयन की कार्यवाही पूर्ण न होने के कारण नियुक्तियां अभी नहीं की जा सकी हैं।

प्रदेश में सिंचाई विभाग में समूह "ग" के रिक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने की मांग

98-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि प्रदेश में सिंचाई विभाग में समूह-ग के 465 रिक्त पदों हेतु दिसम्बर, ।998 में परीक्षा आयोजित की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उन रिक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हाँ।

।8। अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी गयी है तथा शेष की नियुक्ति/चयन प्रक्रिया प्रगति में है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला में वर्ष 1998-99 में राजकीय नलकूपों क्रमशः यू0जी0 62; यू0जी0 77; यू0जी0 81; यू0जी0 98; यू0जी0 78 की जल निकासी हेतु निर्माणाधीन नालियों में की गयी अनियमितता की जांच की मांग

99-श्री उबेदुर्रहमान-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला में वर्ष 1998-99 में राजकीय नलकूपों क्रमशः यू0जी0 62, यू0जी0 77, यू0जी0 81, यू0जी098, यू0जी0 78 की जल निकास नालियों के निर्माण में मानक व गुणवत्ता के अनुसार कार्य न कराये जाने तथा सरकारी धन के दुरुपयोग की जांच करायी जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

वर्ष 1998-99 में अंकित नलकूपों पर नालियों का निर्माण कार्य नहीं कराया गया। अतः धन के दुरुपयोग का प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला में वर्ष 1998-99 में राजकीय नलकूपों क्रमशः यू0जी0 48, यू0जी0 28, यू0जी0 122, यू0जी0 137, यू0जी0 4, यू0जी0 5 की जल निकासी हेतु निर्माणाधीन नालियों में हुई अनियमितता की जांच की मांग

100-श्री उबेदुर्रहमान-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला में वर्ष 1998-99 में राजकीय नलकूपों क्रमशः यू0जी0 48, यू0जी0 28, यू0जी0 122, यू0जी0 137, यू0जी0 4, यू0जी0 5 की जल निकास नालियों के निर्माण में मानक व गुणवत्ता के अनुसार कार्य न कराए जाने तथा सरकारी धन के दुरुपयोग की जांच करायी जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

वर्ष 1998-99 में अंकित नलकूपों पर नालियों के निर्माण का कार्य नहीं कराया गया है। अतः धन के दुरुपयोग का प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला में वर्ष 1998-99 में राजकीय नलकूपों क्रमशः यू0जी0 26; यू0जी0 35; यू0जी0 46; यू0जी0 9; यू0जी0 47 की जल निकासी हेतु निर्मित नालियों में किये गये धन दुरुपयोग की जांच की मांग

101-श्री उबेदुर्रहमान-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला में वर्ष 1998-99 में राजकीय नलकूपों क्रमशः यू0जी0 26, यू0जी0 35, यू0जी0 46, यू0जी0 9, यू0जी0 47 की जल निकास नालियों के निर्माण में मानक व गुणवत्ता के अनुसार कार्य न कराये जाने तथा सरकारी धन के दुरुपयोग की जांच करायी जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

वर्ष 1998-99 में अंकित नलकूपों पर नालियों के निर्माण का कार्य नहीं कराया गया। अतः धन के दुरुपयोग का प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला में वर्ष 1998-99 में राजकीय नलकूपों क्रमशः यू0जी0 79; यू0जी0 99, यू0जी0 120 व यू0जी0 1 की जल निकासी हेतु निर्मित नालियों में धन के दुरुपयोग की जांच की मांग

102-श्री उबेदुर्रहमान-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला में वर्ष 1998-99 में राजकीय नलकूपों क्रमशः यू0जी0 79, यू0जी0 99, यू0जी0 120, व यू0जी0 1 की जल निकास नालियों के निर्माण में मानक व गुणवत्ता के अनुसार कार्य न कराये जाने तथा सरकारी धन के दुरुपयोग की जांच करायी जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

वर्ष 1998-99 में अंकित नलकूपों पर नालियों का निर्माण कार्य नहीं कराया गया। अतः धन के दुरुपयोग का प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी में नये राजकीय नलकूप लगाने हेतु वित्तीय वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 में सरकार की योजना की जानकारी

103-श्री राम औतार शाक्य-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 में कितने नये राजकीय नलकूप किन-किन जनपदों में बनवाये गये ? क्या सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष में जनपद मैनपुरी में नये राजकीय नलकूप बनवायेगी ? यदि हां, तो कितने? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

वित्तीय वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 में निम्नानुसार नलकूपों का छिद्रण कराया गया :-

क्र0सं0	जनपद	वर्ष 1998-99	वर्ष 1999-2000
1	नैनीताल	4	3
2	चम्पावत	0	1
3	पौड़ी	2	-
4	उधमसिंह नगर	2	1
5	गाजीपुर	4	-
6	बलिया	1	-
7	जालौन	1	-
8	संतरविदास नगर	2	-
9	मिर्जापुर	1	1
10	इलाहाबाद	1	-
	योग	18	6

इसके अतिरिक्त जनपद नैनीताल के 4, जनपद देहरादून के 4, जनपद पौड़ी के 2 तथा जनपद चम्पावत के 1 नलकूप का छिद्रण प्रगति में है।

राजकीय नलकूपों को ग्राम पंचायतों को स्थानान्तरित कर दिये जाने के परिप्रेक्ष्य में जिला योजना के अन्तर्गत नये राजकीय नलकूपों के निर्माण पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। अतः जनपद मैनपुरी में कोई भी नलकूप लगाया जाना प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय सिंचाई विभाग से अनुलग्न आवासीय कालोनी में रह रहे कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता देने की जानकारी

104-श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग से अनुलग्न आवासीय कालोनी में कितने ऐसे कर्मचारी रह रहे हैं जो मकान किराया भत्ता भी प्राप्त कर रहे हैं ? इस संबंध में अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ खण्ड, शारदा नहर के पत्रांक : 5754/ए-5, दिनांक 11-8-99 पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

कोई नहीं।

ऐसे कार्मिक जो किसी प्रकार के राजकीय संसाधन से निर्मित स्थान पर निवास करते हैं, को आवास भत्ता नहीं दिया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ खण्ड शारदा नहर द्वारा निर्गत शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में की गयी कार्यवाही का बिन्दुवार विवरण

105-श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों" की "आवासीय समस्याओं" के संबंध में दिनांक 27-10-99 को हुई बैठक के उपरान्त अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ खण्ड, शारदा नहर, लखनऊ द्वारा निर्गत अ0शा0 पत्रांक: 7552, दिनांक 28-10-1999 पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ खण्ड शारदा नहर, लखनऊ द्वारा निर्गत किये गये अ0शा0 पत्रांक : 7552/लखशान, दिनांक 28-10-99 के परिप्रेक्ष्य में की गयी कार्यवाही का बिन्दुवार विवरण संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 248 पर)

लखनऊ खण्ड शारदा नहर के अधीनस्थ उप खण्डीय कार्यालयों के कर्मचारी जो सरकारी भवनों में रह रहे हैं, मकान किराया भत्ता आहरण करने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश/कार्यवाही की जानकारी

106-श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ खण्ड शारदा नहर के अधीनस्थ उपखण्डीय कार्यालयों के कितने ऐसे कार्मिक वर्तमान में सरकारी भवनों में रह

रहे हैं, जो मकान किराया भत्ता आहरण कर रहे हैं ? उक्त के संबंध में अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ खण्ड शारदा नहर द्वारा निर्गत अ0शा0 पत्रांक : 7554, दि0 28-10-1999 पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह -

कोई नहीं ।

सहायक अभियन्ताओं द्वारा निर्देशित कार्यवाही कर ली गयी है तथा ऐसे कार्मिक जो राजकीय संसाधनों से निर्मित स्थान पर निवास करते हैं, को आवास भत्ता नहीं दिया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार विरोधी प्रकोष्ठ हेतु सृजित पदों की जानकारी एवं वर्तमान कर्मियों के स्थानान्तरण की मांग

107-श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि -

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग के स्तर पर स्थापित "भ्रष्टाचार विरोधी प्रकोष्ठ" हेतु किस संवर्ग के कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनके अभिमुख (अगेन्स्ट) कितने कार्मिक वर्तमान में कार्यरत हैं ? क्या उक्त प्रकोष्ठ के वर्तमान कार्मिकों की स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत स्थानान्तरण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह -

भ्रष्टाचार विरोधी प्रकोष्ठ में अलग से कोई पद स्वीकृत नहीं है वरन समूचे प्रमुख अभियन्ता कार्यालय हेतु एक मुश्त पद स्वीकृत हैं जिन्हें कार्यों के अनुरूप अनुभागों/प्रकोष्ठों को आवंटित किया जाता है और इस आधार पर भ्रष्टाचार विरोधी प्रकोष्ठ में प्रमुख अभियन्ता संवर्ग हेतु दो वरिष्ठ लिपिक तथा दो कनिष्ठ लिपिक के पद आवंटित हैं । दो वरिष्ठ लिपिक कार्यरत हैं । कार्यावधि कम होने के कारण इन्हें स्थानान्तरित करन का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नही उठता ।
कार्यावधि कम होने के कारण ।

जनपद लखनऊ में स्थित सिंचाई विभाग के विभिन्न कार्यालयों में मृतक आश्रित रूप में कार्यरत कर्मियों द्वारा पुनर्विवाह करने के उपरान्त भी पेंशन का भुगतान देनें की जानकारी

108-श्री अजय भट्ट -

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में स्थित सिंचाई विभाग के विभिन्न कार्यालयों में "मृतक कर्मचारी आश्रित" के रूप में कितने कर्मचारी

कार्यरत हैं ? क्या इनमें से कुछ कर्मचारियों द्वारा पुनर्विवाह कर लिया गया है ? यदि हां, तो उनमें से कितने कर्मचारियों द्वारा पुनर्विवाह के उपरान्त भी पेंशन का भुगतान प्राप्त किया जा रहा है ।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मऊ जनपद में बाढ़ खण्ड आजमगढ़ के अन्तर्गत पड़ने वाली छोटी सरयू नदी के निकट टोंस नदी में जमा खरपतवार तथा बहाव से पड़ रहे खेती पर प्रभाव के कारण सफाई कराने की मांग

109-श्री समर पाल सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि बाढ़ खण्ड आजमगढ़ के अन्तर्गत पड़ने वाली छोटी सरयू नदी जो मऊ जनपद के ग्राम-सहरोज के पास टोंस नदी में मिलती है, उसमें मिट्टी पटाव, बेहया, जलकुम्भी एवं अन्य खरपतवार के जमा होने से इसके बहाव वाले इलाकों में कई हजार एकड़ क्षेत्रफल में समय से खेती नहीं हो पा रही है ? क्या इस हेतु बाढ़ खण्ड आजमगढ़ ने छोटी सरयू के मऊ में पड़ने वाले भाग की खुदाई हेतु आगणन शासन-प्रशासन को प्रस्तुत किया है ? यदि हां, तो सरकार छोटी सरयू नदी के मऊ जनपद में पड़ने वाले भाग की खुदाई कब तक करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हाँ । जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, मऊ को अधीक्षण अभियन्ता गण्डक ड्रेनेज मण्डल, गोरखपुर के पत्रांक-559/गड़ेमगों/पी-1, दिनांक 15-9-95 द्वारा परियोजना रु0 74.14 लाख की जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत भेजी गयी है । जिला ग्राम्य विकास अभिकरण से धन प्राप्त होने पर कार्य का कराया जाना निर्भर करता है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

लखनऊ बलरामपुर अस्पताल में 10 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत स्टाफ नर्सों व सिस्टरों के अन्यत्र स्थानान्तरण करने की मांग

110-श्री बावन सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलरामपुर अस्पताल लखनऊ में विगत 10 वर्षों से अधिक समय से कितनी स्टाफ नर्सें और सिस्टर कार्यरत हैं ? उनके स्थानान्तरण न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उनको अन्यत्र स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

बलरामपुर चिकित्सालय लखनऊ में विगत 10 वर्षों से अधिक समय से 44 स्टाफ नर्स एवं 12 सिस्टर कार्यरत हैं ।

उपचारिका संवर्ग के कर्मचारियों का सामान्यतः स्थानान्तरण उनके स्वयं के अनुरोध पर या शिकायत के आधार पर किया जाता है।

ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

111-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना-

(दिनांक 6-4-2000 के अता0प्र0सं0-86 द्वारा उत्तरित)

जनपद शाहजहांपुर चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तिलहर में विभिन्न कार्यों हेतु आवंटित धन तथा उसके व्यय की जानकारी

112-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तिलहर, जनपद शाहजहांपुर को एक अप्रैल, 1997 से 20 फरवरी, 1999 तक उ0प्र0 शासन तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शाहजहांपुर से कितनी-कितनी धनराशि कब-कब, किस-किस कार्य के लिये प्राप्त हुई? उक्त धनराशि चिकित्सा अधीक्षक द्वारा कब-कब कहां-कहां व्यय की गयी?

श्री रमापति शास्त्री-

चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तिलहर, शाहजहांपुर को शासन तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शाहजहांपुर से वेतन, महंगाई भत्ते, अन्य भत्ते, अन्तरिम सहायता, यात्रा भत्ता, कार्यालय व्यय, स्टेशनरी, मकान किराया भत्ता, पेट्रोल, अनुरक्षण (बैट्री) जन स्वास्थ्य रक्षक (मानदेय) आई0ई0सी0, ट्यूबेक्टामी/वेसेक्टामी तथा अन्य व्यय तथा पल्स पोलियो/सिप्सा आदि के लिए 1-4-97 से 31-3-98 तक रु0 69,64,926.00 तथा दि0 1-4-98 से 20-2-99 तक रु0 59,93,726.50 की धनराशि चिकितसा अधीक्षक द्वारा दी गई। आवंटन के सापेक्ष्य में स्वीकृत मदों के अन्तर्गत ही दिनांक 1-4-97 से 31-3-98 तक रु0 64,91,997.00 तथा दिनांक 1-4-98 से 20-2-99 तक रु0 55,03,782.50 का व्यय किया गया।

जनपद जौनपुर में श्री अमरनाथ सेठ, ग्राम बढ़ौना, पो0 फतेहगंज में इन्दिरा आवास में हुए भ्रष्टाचार की जांच के सम्बन्ध में पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

113-श्री अफजाल अहमद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अमरनाथ सेठ, ग्राम बढौना, पो0 फतेहगंज, जनपद जौनपुर में इन्दिरा आवास में हुए भ्रष्टाचार की जांच के संबंध में जनपद के प्रभारी मंत्री श्री शिवाकान्त ओझा को दिनांक 20-5-99 को पत्र दिया था, जिसे मंत्री जी ने जांच हेतु मुख्य विकास अधिकारी को दिनांक 20-5-99 को भेजा था? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी नहीं। मुख्य विकास अधिकारी को कोई शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला आजमगढ़ तहसील लालगंज में स्थित आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्र लहुंआ में कार्यरत डाक्टर के अनुपस्थित रहने की शिकायत, प्रतिदिन उपस्थित रहने की मांग

1114-श्री नरेन्द्र सिंह-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्रों पर कार्यरत डाक्टर अपने चिकित्सा केन्द्रों पर प्रतिदिन कार्य करते हैं? यदि हां, तो उनके कार्यों के मूल्यांकन की कोई व्यवस्था है? यदि हां, तो वह क्या है? क्या लालगंज तहसील, जनपद आजमगढ़ में स्थित आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्र लहुंआ में कार्यरत डाक्टर की उपस्थिति की समीक्षा की गयी है? यदि हां, तो कब-कब और किसके द्वारा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

जी हाँ।

जी हाँ।

चिकित्साधिकारियों के कार्यों का मूल्यांकन क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, आजमगढ़ के स्तर पर किये जाने की व्यवस्था है। उनके द्वारा समय-समय पर चिकित्सालय का निरीक्षण करके चिकित्साधिकारियों के कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है।

जी हाँ।

दिनांक 22 मार्च, 1999 को क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा निरीक्षण किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के ग्रामीण अंचल में सस्ती और अच्छी स्वास्थ्य सेवा के लिये नये होम्योपैथिक चिकित्सा केन्द्र खोलने की योजना

1115-श्री नरेन्द्र सिंह-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में कितने होम्योपैथिक चिकित्सा केन्द्रों पर डाक्टर नियुक्त हैं तथा कितने पर डाक्टरों की नियुक्ति नहीं है? क्या सरकार आजमगढ़ के ग्रामीण अंचल में सत्र 1999-2000 में सस्ती और अच्छी स्वास्थ्य सेवा के लिये नये होम्योपैथिक चिकित्सा केन्द्र खोलेगी? यदि हां, तो कितने तथा कहां-कहां? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

जनपद आजमगढ़ में कुल 24 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में से 23 पर होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी नियुक्त है तथा एक चिकित्सालय में पद सृजित न होने के कारण चिकित्साधिकारी की नियुक्ति नहीं की गयी है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में वर्ष 1999-2000 में जिला योजना में कोई धनराशि स्वीकृत न होने के कारण वित्तीय संसाधन के अभाव में नये होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जनपद आजमगढ़ ब्लाक लालगंज में स्वर्ण जयन्ती गांवों के रूप में चयनित ग्राम पैड़हा में किया गया विकास कार्य तथा योजनाओं की जानकारी

116-श्री नरेन्द्र सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वर्ण जयन्ती गांवों में विकास सम्बन्धी कौन-कौन से कार्य किये जाते हैं? स्वर्ण जयन्ती गांवों के रूप में चयनित ग्राम पैडहा (ब्लाक लालगंज, जिला आजमगढ़) में कौन-कौन से विकास कार्य किये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

स्वर्ण जयंती ग्रामों में निम्नलिखित कार्यक्रम/योजनाएं क्रियान्वित की गयी हैं :-

1-जवाहर रोजगार योजना
2-इंदिरा आवास योजना
3-सम्पर्क मार्ग निर्माण
4-हैण्डपम्प अधिष्ठापन
5-आई0आर0डी0पी0
6-ट्राइसेम
7-डवाकरा
8-ग्रामीण विद्युतीकरण
9-स्वच्छ शौचालय
10-प्राइमरी स्कूल भवन निर्माण
11-पंचायत घर निर्माण
12-बायोगैस
13-उन्नत चूल्हा कार्यक्रम
14-अन्य औद्योगिक इकाईयां
15-न्यू माडल चर्खा

16-दुग्ध विकास कार्यक्रम
17-महिला डेयरी परियोजना
18-मिनी डेयरी परियोजना
19-डेयरी कोआपरेटिव
20-रेशम कीट पालन योजना

स्वर्ण जयंती ग्राम के रूप में चयनित ग्राम पैडहा वि0खण्ड लालगंज, जनपद आजमगढ़ में आई0आर0डी0पी0, ट्राईसेम, इवाकरा, न्यू माडल, चरखा, जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, हैण्डपम्प, चूल्हा एवं बायोगैस का कार्य कराया गया है। अन्य विभागों के अवशेष कार्य धनाभाव के कारण पूर्ण नहीं कराए जा सके हैं।

जनपद जौनपुर के ग्राम बरगांव पोस्ट सरायख्वाजा विकास क्षेत्र शाहगंज में इन्दिरा आवास में कर्मचारियों द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की शिकायत, जांच की मांग

117-श्री अफजाल अहमद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद जौनपुर के ग्राम बरगांव पोस्ट सरायख्वाजा वि0 क्षेत्र शाहगंज में इन्दिरा आवास में बहुउद्देशीय कर्मचारियों द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की शिकायत माह अगस्त, 1999 में श्रीमती सुशीला सिंह द्वारा जनपद के प्रभारी मंत्री एवं मुख्य विकास अधिकारी, जौनपुर से की गयी है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हाँ।

श्रीमती सुशीला सिंह ग्राम बरगांव, जनपद जौनपुर के शिकायती पत्र पर खण्ड विकास अधिकारी शाहगंज द्वारा जांच की गयी। जांच में शिकायतकर्ता की शिकायत असत्य एवं निराधार पायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत सुनिश्चित रोजगार योजना हेतु शासन द्वारा वर्ष 1998-99, 1999-2000 में प्राप्त धनराशि तथा उसके व्यय की जानकारी

118-श्री संजय गर्ग-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत सुनिश्चित रोजगार योजना हेतु शासन द्वारा वर्ष 1998-99, 1999-2000 में कितनी धनराशि दी गयी है? उक्त वर्षों की धनराशि से प्राप्त ब्याज की राशि किन-किन मदों पर व्यय की गयी है?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत जनपद सहारनपुर को वर्ष 1998-99 में रु0 577.76 लाख एवं वर्ष 1999-2000 में अब तक रु0 372.08 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

उक्त वर्षों में उपलब्ध ब्याज की धनराशि योजना का अंश मानते हुये भारत सरकार के मार्ग निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार व्यय की जा रही है।

जनपद बागपत के अन्तर्गत सुनिश्चित रोजगार योजना हेतु शासन द्वारा प्राप्त धनराशि तथा उसके व्यय की जानकारी

119-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के अन्तर्गत सुनिश्चित रोजगार योजना हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कितनी धनराशि वर्ष 1997-98 व 1998-99 में दी गयी थी? उक्त वर्षों की जमा धनराशि से प्राप्त ब्याज की उक्त राशि किन-किन मदों पर व्यय की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

वित्तीय वर्ष 1997-98 में सुनिश्चित रोजगार योजना जनपद मेरठ से संचालित थी। अतः जनपद बागपत के लिए ब्याज की कोई धनराशि अर्जित नहीं की गयी।

जनपद बागपत को सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 1998-99 में रु0 3,15,59,545 उपलब्ध रहें जिसमें रु0 1,90,355 ब्याज के रूप में अर्जित हुआ। अर्जित ब्याज की धनराशि का व्यय कार्यक्रम मदों यथा सड़क, खड़ंजा, सामाजिक वानिकी, नहर सिंचाई, तालाब खुदाई आदि परियोजनाओं पर व्यय किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत गठित कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ में नि:संवर्गीय पदों पर की गयी नियुक्ति का औचित्य

120-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश दिनांक 29 जून, 1991 द्वारा नि:संवर्गीय (एक्सकेडर) पदों की नियुक्तियों पर रोक लगायी गयी थी? क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत गठित कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ में दिनांक 5 जून, 1997 तथा 13 नवम्बर, 1997 को नि:संवर्गीय पदों पर नियुक्तियां की गयी हैं? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हां।

जी नहीं।

उक्त आदेशों द्वारा नि:संवर्गीय पदों पर नियुक्तियां नहीं की गयी हैं। 5 जून, 1997 के आदेश द्वारा कोष्ठक (कोष्ठ) में कार्यरत टंकक को अवर वर्ग सहायक के पद पर प्रोन्नति की गयी है। 13 नवम्बर, 1997 के आदेश द्वारा 4 कार्मिकों को कामचलाऊ व्यवस्था के अंतर्गत अस्थाई तौर पर प्रोन्नति दी गयी जिसमें 5 जून, 1997 के आदेश द्वारा प्रोन्नत अवर वर्ग सहायक को प्रवर वर्ग सहायक बनाया गया है। उक्त काम-चलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत की गयी अस्थाई तौर पर प्रोन्नतियों को समाप्त कर दिया गया है जिससे संदर्भित आदेश को मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका द्वारा चुनौती दी गयी है जिसके फलस्वरूप सम्प्रति यह प्रकरण न्यायाधीन है। उपरोक्त के सापेक्ष सम्प्रति शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ के विकास खण्ड कोपागंज में इटौरा से अबुपुर तक मार्ग निर्माण हेतु प्राप्त धन तथा निर्माण कार्य पूरा कराने की मांग

121-श्री समर पाल सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के विकास खण्ड कोपागंज में इटौरा से अबुपुर तक मार्ग निर्माण हेतु किस तिथि में ग्राम्य विकास अभिकरण मऊ से कितना धन दिया गया? सरकार उक्त मार्ग का निर्माण कब तक पूरा करा देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण मऊ द्वारा इटौरा से अब्बूपुर नाम का कोई सम्पर्क मार्ग स्वीकृत नहीं किया गया है अपितु अम्बेदकर ग्राम-अब्बूपुर के लिए कोपागंज भातकोल रोड से अब्दूपुर तक 1.824 कि0मी0 लम्बाई में टापकोट गिट्टी कुटाई एवं तीन पुलिया निर्माण कराने हेतु जवाहर रोजगार योजना से रु0 6.858 लाख अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मऊ को वर्ष 1997-98 में उपलब्ध करायी गयी थी। कोपागंज भातकोल रोड से अब्बूपुर तक 1.824 कि0मी0 गिट्टी कुटाई एवं तीन पुलिया हेतु स्वीकृत कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। यह सड़क कोपागंज भातकोल रोड से अब्बूपुर तक बनी है। यह मार्ग इटौरा होकर जाता है।

122-श्री समर पाल सिंह-

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

जनपद मेरठ के कसारा पेयजल योजना में व्यय धन की जानकारी

123-समर पाल सिंह-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1999 के पहले बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 188 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कसारा पेयजल योजना के निर्माण में कुल कितना धन व्यय किया गया था एवं किन-किन गांवों को इसमें सम्मिलित करते हुए कितनी जनता को पेयजल को उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? योजना में सम्मिलित गांवों में

कितने-कितने लोगों को कनेक्शन दिये गये हैं। इस पेयजल योजना के निर्माण एवं रख-रखाव पर व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष मात्र 80 व्यक्तियों को पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिये कौन-कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? क्या सरकार सम्बन्धित गांवों में कम से कम 50-50 कनेक्शन प्रदान करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

कसारा पेयजल योजना के निर्माण में अब तक कुल लागत रु0 40.93 लाख व्यय हुआ है। मूल प्रारम्भिक योजना में निम्नलिखित ग्रामों को सम्मिलित किया गया था, जिनकी वर्ष 2003 की अभिकल्पित जनसंख्या 20140 थी। वर्तमान में संशोधित एवं पुनरीक्षित योजना में इन्हीं ग्रामों की वर्ष 2009 में अभिकल्पित जनसंख्या 26189 है।

क्रमांक	ग्राम का नाम
1.	कनियारीपुर
2.	फिरोजपुर
3.	रईसा
4.	पिवरौसा
5.	हसनपुर मुतलिका लैरोबेरुआर
6.	लैरोबेरुआर
7.	जयरामगढ़
8.	लैरोदोनवार
9.	चिरुइया
10.	लाड़नपुर
11.	कसारा
12.	इन्दारा
13.	महुआर बसमितिया
14.	मुहम्मदपुर मुतलिका इन्दारा

निजी संयोजन उपभोक्ताओं के प्रार्थना पत्र पर दिये जाते हैं। अतः 80 निजी संयोजन उपलब्ध होने के लिए कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

योजना के ग्रामों में वितरण प्रणाली अभी पूर्णतः उपलब्ध नहीं है। अतः कनेक्शन दिया जाना, जल व वितरण प्रणाली की उपलब्धता तथा ग्राम वासियों के अनुरोध पर निर्भर है।

जनपद हरदोई के शाहाबाद क्षेत्र के बरबन गांव के निकट काटे गये वृक्षों से राष्ट्रीय क्षति, दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

1.24-श्री बाबू खां-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 89 शाहाबाद निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत वरवन राजबहा कैनाल पश्चिमी पटरी के शिरिया गांव के निकट 4 शीशम के मोटे वृक्ष काट लिये गये हैं? क्या इससे राष्ट्रीय सम्पत्ति का लगभग 1 लाख रुपये का नुकसान हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद इलाहाबाद राजकीय सम्प्रेक्षण गृह में वर्ष 1995 से 31.10.99 तक निरुद्ध संवासियों के विवरण की जानकारी

125-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-इलाहाबाद राजकीय सम्प्रेक्षण गृह में वर्ष 1995 से अक्टूबर, 1999 तक कुल कितने सम्वासी कितने-कितने दिन तक निरुद्ध रहे? निरुद्ध संवासियों के अभिभावकों को सुपुर्दगी में देने की क्या-क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, इलाहाबाद में वर्ष 1995 से 31-10-1999 तक निम्नलिखित संवासी निम्नांकित अवधि में निरुद्ध रहे:-

वर्ष	तीन माह से कम	तीन माह से अधिक किन्तु छः माह से कम	छः माह से अधिक	योग
1995	156	14	07	177
1996	214	11	10	235
1997	177	21	09	207
1998	219	29	05	253
1999 (अक्टूबर, 99 तक)	174	12	04	190

निरुद्ध/उपेक्षित संवासियों के अभिभावकों को सुपुर्दगी में देने हेतु निम्न कार्यवाही की गई :-

(1) निरुद्ध संवासियों का साक्षात्कार करके उनके अभिभावकों के विषय में आवश्यक जानकारी की गई।

(2) अभिभावकों को संस्था द्वारा पत्र के माध्यम से सूचना दी गयी।

(3) अभिभावकों द्वारा संस्था से सम्पर्क करने पर किशोर कल्याण बोर्ड के आदेश प्राप्त करके उनकी सुपुर्दगी में दिया गया।

(4) निरुद्ध अपचारी संवासियों के विषय में किशोर न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के राजकीय सम्प्रेक्षण गृह में संवासियों को औषधि वितरण हेतु नर्स/कम्पाउण्डर की तैनाती की मांग

126-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, जनपद इलाहाबाद में संवासियों को औषधि देने का प्राविधान है? यदि हां, तो औषधि वितरण के लिये क्या कोई नर्स/कम्पाउण्डर तैनात है? यदि नहीं, तो क्यों? नर्स/कम्पाउण्डर की तैनाती कब तक कर दी जायेगी?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

जी हां।

जी नहीं।

संस्था में औषधि वितरण का कार्य तैनात अंशकालिक चिकित्सक द्वारा किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली में संचालित राजकीय निराश्रित महिला कर्मशाला फुर्सतगंज में घटित घटना तथा उस पर की गयी कार्यवाही की जानकारी

127-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली में संचालित राजकीय निराश्रित महिला कर्मशाला फुर्सतगंज में दि0-26-4-1997 को घटित घटना की जांच जिलाधिकारी से करायी गयी है? यदि हां, तो क्या उसकी जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

जी नहीं। जिलाधिकारी से जांच नहीं कराई गयी थी, बल्कि जिला प्रोबेशन

अधिकारी द्वारा जांच की गई थी।

जी हां।

सम्बन्धित अपचारी कर्मी को प्रतिकूल प्रविष्टि देते हुये विभागीय कार्यवाही समाप्त कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ, सरोजनीनगर के गांव मरदूमपुर कैथी बन्थरा रोड पर से ग्राम दरसा, सरइया मजगांव, मोहनी खोड़ा आदि ग्रामों से होकर जाने वाले मार्ग पर खण्डजा लगाने की मांग

128-श्री उबैदुर्रहमान-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर के ग्राम मरवदूमपुर कैंथी तहसील व जनपद लखनऊ के मेन रोड बन्थरा-बिजनौर जो मात्र 3 या 4 किलोमीटर है और ग्राम मदरसा, सरइयां, मजगवां मोहनी खोड़ा आदि ग्रामों से होकर जाती है सड़क निर्माण न कराये जाने के कारण उक्त ग्रामों की जनता एवं किसानों को आने जाने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार मात्र 4 कि0मी0 में पड़ने वाले उपरोक्त ग्राम वासियों की असुविधा को दृष्टि में रखते हुए खण्ड़जा मार्ग बनवाने के आदेश् देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी नहीं, प्रश्नगत सड़क सरेइयां के अलावा अन्य ग्रामों से होकर नहीं जाती है।

जी हां।

उक्त मार्ग पर खडण्जा लगवाने हेतु सुनिश्चित रोजगार योजना (क्षेत्र पंचायत) की वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित कर लिया गया है।

जनपद आगरा में अडिंग रजबहा लोअर डिवीजन का फर्जी कार्य दिखाकर भुगतान करने के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

129-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या सिचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अडिंग राजवहा, लोअर डिवीजन, आगरा कैनाल, आगरा का फर्जी कार्य दिखाकर भुगतान करने के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक-सी0एम0/वि0को0/एम-21893/मथुरा/99, दिनांक 1 अप्रैल, 1999 जिलाधिकारी, मथुरा को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां।

प्रश्नगत शिकायती पत्र में अडिंग राजवाहे की सफाई न होने से फसल सीपेज से गल जाने, पानी के अभाव में आगे के कृषकों की फसलें सूख जाने तथा रु0 9.0 लाख की धनराशि के विरुद्ध मात्र रु0 25,000/- के कार्य कराकर अवशेष धनराशि हड़प लेने आदि का उल्लेख है।

अडिग रजवाहे के हेड से भरतपुर फीडर के उद्गम के रीच के कार्यों का सुदृढ़ीकरण कराये जाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा माह नवम्बर, 1998 में रु0 9.0 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी गयी थी, किन्तु नहरों में पानी चलते रहने के कारण प्रश्नगत धनराशि का उपयोग अभी नहीं किया गया। यह धनराशि निक्षेप मद में जमा है। वर्ष 1998-99 एवं वर्ष 1999-2000 में प्रश्नगत रजवाहे में केवल कृषकों द्वारा किए गये कटावों को बन्द करने में रु0 0.60 लाख की धनराशि व्यय की गयी, रजवाहे में जल भराव के कारण कुछ सीपेज की समस्या अवश्य ही हुई किन्तु फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ। रवी फसली 1406 में प्रश्नगत राजवाहे के अन्तिम छोर पर भी सीचे हुई।

चतुर्थ उपखण्ड सिंचाई विभाग, सिंचाई खण्ड जौनपुर ग्राम पंचायत ब्लाक पिण्डरा, वाराणसी के एक नालें के पुल को तोड़कर उसके सामान को उठाकर ले जाने की शिकायत तथा उसपर कार्यवाही की मांग

130-श्री राजेन्द्र यादव-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि गांव पंचायत शाहपुर, ब्लाक पिंडरा, वाराणसी, चतुर्थ उपखण्ड सिंचाई विभाग सिंचाई खण्ड, जौनपुर के अन्तर्गत एक नाले के पुल को तोड़कर उसका सामान कुछ लोग उठा ले गये थे? क्या इस सम्बन्ध में उक्त गांव के निवासियों का प्रार्थना-पत्र अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, जौनपुर को अक्टूबर, 1999 में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

ग्राम पंचायत शाहपुर, ब्लाक पिण्डा, वाराणसी में सिंचाई विभाग के चतुर्थ उपखण्ड के अन्तर्गत शाहपुर ड्रेन पर किसी अन्य विभाग द्वारा पूर्व में निर्मित एक छोटी तथा जीर्णशीर्ण पुलिया थी, जिसके निकट की कार्यस्थल की आवश्यकताओं के अनुरूप एक नया पुल सिंचाई विभाग द्वारा जुलाई-99 में निर्मित कराया गया था तथा पहले की क्षतिग्रस्त पुरानी पुलिया को ज्यों का त्यों छोड़ दिया गया था, क्योंकि उसे छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई थी। कालान्तर में स्थानीय ग्रामवासी पुरानी अनुपयोगी तथा क्षतिग्रस्त पुलिया को तोड़कर उसका मलवा अन्यत्र ले गये।

इस सम्बन्ध में उक्त गांव के कुछ लोगों का एक प्रार्थना पत्र सितम्बर, 99 में प्राप्त हुआ था। चूंकि उक्त पुरानी पुलिया का सिंचाई विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं था और नये पुल के बन जाने पर पुराने जीर्ण-शीर्ण पुल की कोई उपयोगिता नहीं रह गई थी। इसलिये विभाग द्वारा उक्त प्रार्थना-पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद पिथौरागढ़ व चम्पावत में किराये पर चल रहे भवनों के बाकी किराये के भुगतान की मांग

131-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ व चम्पावत में कुल कितने आयुर्वेदिक चिकित्सालय किराये के भवनों में चलाये जा रहें हैं? किराये के भवनों का मार्च 1999 तक कुल कितना किराया बाकी है? अवशेष किराये की धनराशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

श्री कलराज मिश्र-

जनपद पिथौरागढ़ में आयुर्वेदिक व चम्पावत में आयुर्वेदिक चिकित्सालय किराये के भवनों में चल रहे हैं।

किराये के भवनों में चल रहे चिकित्सालयों का किराया माह 3/99 तक कोषागार द्वारा रु0 44953=00 का चैक प्राप्त हो गया है। कोषागार द्वारा प्रतिबन्ध लगाने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका। प्रतिबन्ध हटते ही उक्त धनराशि का भुगतान कर दिया जायेगा।

जनपद पिथौरागढ़ व चम्पावत में विकास खण्ड सिंचाई विभाग में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नहरों के निर्माण की मांग

132-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या सिंचाई मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ व चम्पावत में विकास खण्डवार सिंचाई विभाग ने 31 मार्च, 1999 तक कुल कितनी नहरों का निर्माण किया है? इन नहरों से कुल कितने गांवों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध की जा रही है तथा कुल कितनी नयी नहरें निर्माण के लिए प्रस्तावित हैं?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जनपद पिथौरागढ़ व चम्पावत में सिंचाई विभाग ने 31 मार्च, 1999 तक विकास खण्डवार निम्न संख्या में नहरों का निर्माण किया है:-

जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	निर्मित नहरों की संख्या
1-पिथौरागढ़	1-विण	15
	2-मनाकोट	10
	3-कनालीछेना	14
	4-डीडीहाट	31
	5-धारचूला	19
	6-मनस्यारी	25
	7-बेरानाग	15
	8-गंगोलीहाट	20
	योग	149
2-चम्पावत	1-बाराकोट	06
	2-पाटी	15
	3-लोहाघाट	12
	4-चम्पावत	39
	योग	72

कुल 373 गांवों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है. एवं 52 नहरें प्रस्तावित हैं।

जानपद हरदोई क्षेत्र सहिजना ड्रेन उ0 प्र0 भूमि सुधार निगम को हस्तानान्तरित करने तथा ड्रेन पर पुलिया बनाने की मांग

133-डा0 धर्मेज मिश्र-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र 91-मल्लावां के अन्तर्गत सहिजना ड्रेन उ0प्र0 भूमि सुधार निगम को हस्तानान्तरित कर दी गयी है? क्या सरकार इस ड्रेन पर जनता को आने जाने के लिए सथरा व कहारनपुरवा के बीच तथा ग्राम बांसा से उड़ही के बीच पुलिया का निर्माण करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री ओम प्रकाश सिंह-

भूमि सुधार निगम द्वारा सहिजना ड्रेन का कार्य वर्ष 2001-2002 में प्रस्तावित है। कार्य को कराया जाना कार्य की साध्यता रिपोर्ट एवं प्राक्कलन भूमि सुधार निगम से स्वीकृत होने के उपरान्त धनावंटन पर निर्भर है।

जिला हरदोई मल्लावां क्षेत्र मंज जलालाबाद ड्रेन उ0प्र0 भूमि सुधार निगम को हस्तानान्तरित करने की जानकारी व ड्रेन को चिन्हांकित करने की मांग

134-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र 91-मल्लावां के अन्तर्गत गंज जलालाबाद ड्रेन उ0प्र0 भूमि सुधार निगम को हस्तानान्तरित कर दी गयी है? क्या अभी तक उ0प्र0 भूमि सुधार निगम द्वारा इसको चिन्हांकन नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त ड्रेन का चिन्हांकन करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं।

जी नहीं।

उ0प्र0 भूमि सुधार निगम द्वारा विभिन्न वर्षों हेतु सौडिक गांवों जिनकी ऊसर भूमि का सुधार किया जाना होता है, का चयन किया जाता है एवं उक्त सौडिक गांवों की जल निकासी से सम्बन्धित ड्रेनों का चयन सिंचाई विभाग के अधिकारियों एवं भूमि सुधार निगम के जनपदीय अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से किया जाता है।

जलालाबाद ड्रेन से सम्बन्धित सौडिक गांवों का चयन अभी तक भूमि सुधार निगम द्वारा सूचित नहीं किया गया है। अतएवं उक्त ड्रेन के चिन्हांकन का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

अभी उ0प्र0 भूमि सुधार निगम ने इस ड्रेन से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

लखनऊ नलकूप खण्ड में कार्यरत श्री दुर्गा प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त हेड मुंशी के देयकों के भुगतान के सम्बन्ध में पत्र, भुगतान की मांग

135-श्री रमेश राही-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वेतन निर्धारण अवशेष तथा

अन्य देयकों का भुगतान कराने विषयक श्री दुर्गा प्रसाद सिंह सेवा निवृत्त हेड मुंशी नलकूप खण्ड लखनऊ निवासी 6/533 विकास नगर, लखनऊ का पत्र दिनांक 26-12-98 कार्यालय प्रमुख अभियन्ता मध्य, सिंचाई विभाग, लखनऊ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र में किन-किन देयकों के भुगतान की मांग की गयी है? क्या अनुमन्य समस्त देयकों का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक अनुमन्य भुगतान कर दिया जायेगा?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

(1) 1–7–88 से मुन्शी पद पर 1200–2040 का वेतनमान।

(2) 1–5–89 से हेड मुन्शी ग्रेड का 1200–2040 का वेतनमान, उक्त वेतनमान का एरियर एवं संशोधित वेतनमान में संशोधित पेंशन एवं पेंशन का एरियर।

(3) 8/91 का रिटायरमेन्ट टी०ए० रु० 1386-89 पैसे।

(4) रिटायरमेन्ट के 8 माह बाद ग्रेच्युटी का भुगतान करने पर 7% ब्याज।

(5) कृतिम दन्तावली बनाने हेतु रु० 2500/- की मांग।

जी नहीं।

मांग किये गये देयकों की अनुमन्तता परीक्षणाधीन होने के कारण। अनुमन्यता का परीक्षण पूर्ण होने पर।

जनपद जौनपुर में खाद बिक्री में अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में श्री जगदीश राय स०वि०स० का पत्र/कृत कार्यवाही की जानकारी

136–श्री अफजाल अहमद–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि खाद बिक्री में अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में जौनपुर जनपद के विधायक श्री जगदीश राय का 23 जुलाई, 1999 का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मा० विधायक, श्री जगदीश राम का संदर्भित पत्र दिनांक 23 जुलाई, 1999 दिनांक 26–7–99 को गन्ना आयुक्त को भेजा गया था परन्तु उक्त पत्र गन्ना आयुक्त कार्यालय में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

मा० विधायक से उक्त पत्र की प्रतिलिपि पुनः प्रेषित करने का अनुरोध किया गया है।

जिला महिला चिकित्सालय गोण्डा में की जा रही अनियमितताओं की जांच के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का शिकायती पत्र/कार्यवाही की मांग

।37-श्री राम विशुन आजाद-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला महिला अस्पताल गोण्डा में की जा रही अनियमितताओं की जांच के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्रांक क-2 नम्बर-।74086 दिनांक ।8 अगस्त, ।999 मुख्यमंत्री को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या पत्र में दर्शाये गये सभी बिन्दुओं की जांच करायी गयी? यदि हां, तो जांच के आधार पर दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

जी हां। जांच अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण फैजाबाद मण्डल से करायी गई।

जांच आख्या दिनांक 25-03-2000 को प्राप्त हुई, जिसका परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षणोरान्त दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जिला महिला चिकित्सालय गोण्डा में श्रीमती डा0 बीना सक्सेना का लगातार एक स्थान पर दस वर्षों से कार्यरत होना एवं ।995 में हुई विभागीय जांच के परिणामों की जानकारी

।38-श्री राम विशुन आजाद-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जिला महिला अस्पताल गोण्डा में श्रीमती डा0 बीना सक्सेना गत दस वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं? क्या यह सही है कि इनके विरुद्ध अगस्त, ।995 में विभागीय जांच भी हुई थी जिसमें यह दोषी पायी गयी थी? यदि हां, तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

जी हां।

जी हां।

डा0 (श्रीमती) बीना सक्सेना की दो वेतन वृद्धियां स्थाई रूप से रोक दी गयी एवं प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

हरिद्वार में प्रा0 स्वा0 केन्द्र के चिकित्सक डा0 ब्रहम सिंह द्वारा रात्रि में केवलपुरी (निरंजनपुर) के सादीराम की चिकित्सा परीक्षण हेतु 1000 रुपयें लियें जानें के सम्बन्ध में पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

139-श्री अम्बरीष कुमार-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 20-7-99 को मा0 मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित तथा उनको पृष्ठांकित पत्र, जिसमें प्रा0 स्वा0 केन्द्र लक्सर (हरिद्वार) के चिकित्सक डा0 ब्रह्मसिंह द्वारा 16/17-7-99 की रात्रि में केवलपुरी (निरंजनपुर) के सादीराम के चिकित्सीय परीक्षप हेतु 1000/- रुपये लिये जाने के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हाँ।

प्रकरण की जांच करायी गयी। जांच में आरोप सिद्ध नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

140-श्री संजय गर्ग-

(दिनांक 6-4-2000 को अता0प्र0 सं0-88 द्वारा उत्तरित)

प्रदेश सरकार द्वारा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुति पर पिछड़ी जाति में शामिल जातियों एवं उत्तरांचल की शामिल जातियों के विवरण की जानकारी

141-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य सरकार द्वारा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुति पर कितनी जातियों को अब तक अन्य पिछड़े वर्ग में शामिल किया जा चुका है? उक्त सूची में उत्तरांचल की कितनी जातियां शामिल है तथा कितनी जातियों का प्रत्यावेदन विचाराधीन है?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

उत्तर प्रदेश पिछड़े वर्गों के लिये राज्य आयोग की संस्तुति पर अब तक इक्कीस (21) नई जातियों को "उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994" की अनुसूची-एक में शामिल किया जा चुका है।

उपर्युक्त अधिनियम, 1994 की अनुसूची-एक में शामिल सभी जातियां सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए मान्य हैं, किसी क्षेत्र विशेष के लिए ही नहीं। वर्तमान में 86 जातियों के प्रतयावेदनों पर कार्यवाही राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के स्तर पर की जा रही है जो सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिये हैं। यह एक निरन्तर चलने वाली प्रकिया है।

मथुरा सिकन्दराबाद क्षेत्र में बाजंरपुर कोंठी से नजदीक ग्राम सुनपेडा पर विगत कई वर्षों से टूटे पुल से प्रभावित गांवों का रास्ता बन्द होने की दशा में पुल निर्माण की मांग

142-श्री नरेन्द्र सिंह भाटी-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि मांट ब्रांच, मथुरा के क्षेत्र सिकन्दराबाद में बाजंरपुर कोठी से मात्र 3 कि0मी0 पूर्व में ग्राम सुनपेडा पर विगत कई वर्षों से पुल टूटा हुआ है? क्या इस कारण करीब 50 गांवों का रास्ता बंद हो गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुल का निर्माण करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हाँ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर पुल का निर्माण निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर मण्डल के गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के बकाये के भुगतान की मांग

143-श्री विश्वनाथ-

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर मण्डल के गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के बकाये का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

पेराई सत्र, 1998-99 का दिनांक 24-3-2000 तक गोरखपुर मण्डल में स्थित निम्न चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य बकाया देय है :-

1- चीनी मिल घुघली महराजगंज	रु0	57.25 लाख
2- चीनी मिल छितौनी, कुशीनगर	रु0	82.69 लाख
3- चीनी मिल, सरदारनगर, गोरखपुर	रु0	298.73 लाख

चीनी मिल घुघली तथा छितौनी उ0प्र0 राज्य चीनी निगम क्षेत्र की है, जो आर्थिक स्थिति जर्जर होने के कारण शीघ्र भुगतान नहीं कर पाई। शीघ्र भुगतान करने का आदेश दे दिया गया है।

निजी क्षेत्र की चीनी मिल, सरदारनगर का मामला बी0आई0एफ0आर0 एवं मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। निर्णयानुसार कार्यवाही की जायेगी।

144-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-
(दिनांक 6-4-2000 को अता0प्र0सं0-89 द्वारा उत्तरित)।

जनपद हरदोई मल्लावां क्षेत्र में सहिजना ड्रेन पर ग्राम गौतरा व सुमेरगंज के बीच तथा मजरा टिकरिया के पास पुल निर्माण कराने की मांग

145-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद के 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत सहिजना ड्रेन पर जनता को आने जाने के लिये गौकतरा व सुमेरगंज के बीच तथा मजरा टिकरिया के पास पुलिया का निर्माण कराया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

भूमि सुधार निगम द्वारा सहिजना ड्रेन का कार्य वर्ष 2001-2002 में प्रस्तावित है। कार्य को कराया जाना, कार्य की साध्यता रिपोर्ट एवं प्राक्कलन, भूमि सुधार निगम से स्वीकृत होने के उपरांत धनावंटन पर निर्भर है।

जनपद हरदोई मल्लावां क्षेत्र के अन्तर्गत अटवा अली मर्दानपुर ड्रेन तथा फुलई ड्रेन का उ0प्र0 भूमि सुधार निगम को हस्तान्तरित करने की जानकारी एवं चिन्हांकन की मांग

146-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता के 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत अटवा अली मर्दानपुर ड्रेन तथा फुलई ड्रेन का उ0प्र0 भूमि सुधार निगम को हस्तान्तरित कर दी गयी है? क्या अभी तक उ0प्र0 भूमि सुधार निगम द्वारा इसका चिन्हांकन नहीं कराया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त ड्रेनों का चिन्हांकन करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं।
जी हाँ।

उ0प्र0 भूमि सुधार निगम द्वारा विभिन्न वर्षों हेतु सौडिक गांवों जिनकी ऊसर भूमि का सुधार किया जाना होता है एवं उक्त सौडिक गांव की जल निकासी से सम्बन्धित ड्रेनों का चयन सिंचाई विभाग के अधिकारियों एवं भूमि सुधार निगम के जनपदीय अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से किया जाता है। प्रश्नगत ड्रेनों से संबंधित सौडिक गांवों का चयन अभी तक भूमि सुधार निगम द्वारा सूचित नहीं किया गया है अतएव चिन्हांकन का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

अभी भूमि सुधार निगम ने इन ड्रेनों से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

जनपद गोण्डा में जिला चिकित्सालय में कार्यरत डा0 विजयलक्ष्मी सक्सेना के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

147-श्री राम विशुन आजाद-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला महिला अस्पताल, जनपद-गोण्डा में कार्यरत डा0 विजय लक्ष्मी सक्सेना के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, गोण्डा की संस्तुति पर जिलाधिकारी, गोण्डा ने अपने अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-75/आ0नि0/चिकित्सा विभाग/98 दिनांक 7 सितम्बर, 1998 द्वारा प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को कार्यवाही करने की संस्तुति की थी? यदि हां, तो दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हाँ। जिलाधिकारी, गोण्डा का पत्र दिनांक 7 सितम्बर, 1998 जिला महिला चिकित्सालय, गोण्डा परिसर में स्थित मकान के आवंटन एवं कब्जेदारी को लेकर दो चिकित्सकों के बीच उत्पन्न विवाद से सम्बन्धित है।

दोनों पक्षों में आपसी समझौता हो चुका है तथा समझौते के आधार पर मा0 सत्र न्यायाधीश गोण्डा के न्यायालय में दायर रिविजन भी निरस्त कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील व ब्लाक सदर की ग्राम सभा ढेकाही में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों को सुविधा न पहुंचाने के कारण; दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

148-श्री बाबूलाल कुरील-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ की तहसील व ब्लाक सदर की ग्राम सभा ढेकाही में वर्ष 1997-98 से वर्ष 1999-2000 में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत जिन व्यक्तियों को आवास सुविधा उपलब्ध करायी गयी है क्या वे समस्त व्यक्ति नियमानुसार उक्त सुविधा के पात्र हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार जांच करके अपात्र लोगों को दी गयी सुविधा को निरस्त करके दोषियों को दण्डित करते हुये पात्र लोगों को उक्त सुविधा उपलब्ध करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हाँ। योजनान्तर्गत वर्ष 1997-98 से वर्ष 1999-2000 में पात्र व्यक्तियों को ही आवास सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ, ब्लाक रतनपुरा में वर्तमान बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा पुष्टाहार में मिले धन व सामान में अनियमितता के सम्बन्ध में दिये गये शिकायती पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

149-श्री अफजाल अहमद-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान बाल विकास परियोजना अधिकारी, रतनपुरा ब्लाक, जनपद मऊ द्वारा पुष्टाहार में मिले धन व सामान में की जा रही अनियमितता के संबंध में प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र संलग्नक सहित दिनांक 1-11-1999 तथा विधायक श्री रामतेज यादव का पत्र दिनांक 1-11-1999 मुख्य मंत्री एवं सचिव, महिला कल्याण को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

जी हां, इस संदर्भ में श्री रामतेज यादव, विधायक का पत्र दिनांक 1-11-99 प्राप्त हुआ है किन्तु प्रश्नकर्ता श्री अफजाल अहमद, सदस्य, विधान सभा का शिकायती पत्र दिनांक 1-11-1999 प्राप्त नहीं हुआ है।

प्राप्त शिकायतों की जांच करायी गयी। जांच में शिकायतें असत्य एवं निराधार पायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के फूलपुर कस्बें में 30 शैय्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टरों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति व कार्य करने की स्थिति की जानकारी

150-श्री जोखूलाल यादव-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद इलाहाबाद के फूलपुर कस्बें में क्या 30 शैय्या का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बन कर तैयार हो गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त सामुदायिक केन्द्र में डाक्टरों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त अस्पताल में कब से कार्य शुरू करा दिया जायेगा ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

जी नहीं।

उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ के पद स्वीकृत न होने के कारण इनकी नियुक्ति नहीं की जा सकी है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु आवश्यक पदों का सृजन/परिव्यय की उपलब्धता एवं राज्य के वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता है।

जनपद लखनऊ; मलिहाबाद क्षेत्र नलकूप सं0 103 के लगभग 10 वर्षों से अधिक समय से खराब रहने से हो रही सिंचाई असुविधा के लिए नलकूप ठीक कराने की मांग

151-श्री रमेश राही-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकरी है कि जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद का नलकूप सं0-103 लगभग 10 वर्षों से अधिक समय से खराब पड़ा है जिससे किसानों की कृषि भूमि की सिंचाई नहीं हो पा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नलकूप ठीक कराये जाने हेतु आदेश देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद का नलकूप संख्या-103 एम0जी0 वर्ष 95-96 से असफल है।

वर्ष 1999-2000 में राजकीय नलकूप ग्राम पंचायतों को स्थानान्तरित कर दिये गये हैं। इससे पूर्व इनका पुनः निर्माण जनपद योजना के अन्तर्गत कराया जाता था। वर्ष 1999-2000 में इस कार्य हेतु सिंचाई विभाग के आय-व्ययक में कोई व्यवस्था नहीं हुई।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 1999-2000 तक राज्य में स्वीकृत विकलांग पेंशन की जानकारी

152-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष 1999-2000 तक राज्य में कुल कितने विकलांगों को पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है? कितने प्रार्थना-पत्र स्वीकृति हेतु विचाराधीन है?

श्रीमती प्रेम लता कटियार-

वित्तीय वर्ष 1999-2000 में राज्य में माह फरवरी, 2000 तक कुल 1,27,183 विकलांगों को विकलांग पेंशन (विकलांग भरण-पोषण अनुदान) स्वीकृत की जा चुकी है।

वित्तीय वर्ष 1999-2000 में विकलांग पेंशन हेतु कुल 28,722 आवेदन-पत्र विचाराधीन है जिन पर भुगतान की कार्यवाही प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति एवं बजट की उपलब्धता न होने के कारण उक्त वित्तीय वर्ष में सम्भव नहीं हो सकी।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड हलधर मऊ के ग्राम गद्दोपुर में जल निकासी कार्य हेतु नाली निर्माण कार्य में की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में पत्र पर कार्यवाही की मांग

153-श्री बावन सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गद्दोपुर, विकास खण्ड हलधरमऊ, जनपद गोण्डा में जल निकासी कार्य हेतु नाली निर्माण कार्य में की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30-7-1999 मुख्य विकास अधिकारी गोण्डा को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हां।

शिकायती पत्र के अनुक्रम में लोक निर्माण विभाग से आख्या प्राप्त की गई, इसके अनुसार 223 मीटर लम्बी जल निकासी निर्माण हेतु 1.07 लाख की धनराशि लोक निर्माण विभाग को आवंटित की गई जिसके सापेक्ष 0.72 लाख की धनराशि व्यय करते हुए 160 मीटर लम्बाई में नाली का निर्माण कराया जा चुका है। अवशेष कार्य स्टाफ की कमी एवं स्थल विवाद के कारण रुका रहा। अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग की आख्या के अनुसार अवशेष कार्य को शीघ्र ही पूर्ण कराये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

जनपद अम्बेडकर नगर क्षेत्र जहाँगीरगंज के अन्तर्गत राजे सुल्तानपुर में 30 शैय्या का महिला चिकित्सालय खोलने की मांग

154-श्री भीम प्रसाद सोनकर-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकर नगर के अन्तर्गत राजे सुल्तानपुर में 30 शैय्या महिला अस्पताल खोलने पर सरकार विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जी नहीं।

वर्तमान में महिला चिकित्सालय खोलने की शासन की कोई योजना नहीं है। महिला चिकित्सा की सुविधा 30 शैय्या वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उपलब्ध करायी जाती है, परन्तु निर्धारित मानक पूर्ण न होने के कारण राजे सुल्तानपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना सम्भव नहीं है।

जनपद गाजीपुर में जमनियां पम्प कैनाल का निर्माणाधीन पम्प हाऊस चालू किये जाने की मांग

155-श्री सिंहासन सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गाजीपुर में जमानियां पम्प कैनाल का पम्प हाऊस वर्ष 1990 में बन कर तैयार हो गया था? क्या उसके निर्माण कार्यों में लगी हैवी अर्थ मूविंग मशीनें जैसे क्रेन इत्यादि बेकार पड़ी हैं? क्या इस हेतु नियुक्त कर्मचारियों पर प्रतिवर्ष 12 लाख रुपया वेतन के रूप में अनावश्यक खर्च हो रहा है? यदि हां, तो इस हेतु दोषी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां।

वर्तमान में तीन हैवी अर्थ मूविंग मशीने जो मरम्मत योग्य है, उपलब्ध है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर देवकली खण्ड प्रथम के नौली राजबहा की पट्टरी की लेपन स्तर तक पूर्ण करने हेतु प्राप्त धन तथा कार्य पूरा कराने की मांग

156-श्री सिंहासन सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि देवकली खण्ड प्रथम जमानियां, गाजीपुर के नौली राजवाहा की पट्टरी को लेपन स्तर तक पूर्ण कराने हेतु दो किस्तों में बयालिस लाख रुपये तथा पुनः 6 लाख रुपये दिये गये थे? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य अभी भी अपूर्ण है? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं।

कुल रु0 41.92 लाख प्राप्त हुआ है।

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर कार्य पूर्ण होना निर्भर है।

157-श्री भीम प्रसाद सोनकर-

(दिनांक 6-4-2000 को अंता0 प्र0सं0-87 द्वारा उचित)

जनपद सुल्तानपुर टाउन एरिया कादीपुर में निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण कराने की मांग

158-श्री काशी नाथ-

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि टाउन एरिया कादीपुर जनपद सुल्तानपुर में वर्ष 1992 से निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या निर्माण निगम ने पूरा धन ले लेने के बाद भी 7 वर्ष तक निर्माण कार्य पूरा नहीं किया? यदि हां, तो क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी?. यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जी नहीं।

कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम द्वारा निर्माण कार्य को पूर्ण कराने में विलम्ब करने से।

जी हां।

अधीक्षण अभियन्ता, स्वास्थ्य महानिदेशालय को निर्देश दिये गये हैं कि वह निर्माण कार्य पूर्ण होने में विलम्ब की जांच करके दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्रार्यवाही सुनिश्चित करायें।

प्रश्न नहीं उठता।

हरदोई, उन्नाव तथा लखनऊ सिंचाई विभाग के अन्तर्गत नहरों की सफाई एवं रख-रखाव हेतु आवंटित धन तथा कार्य के अपूर्ण रहने से हो रहे फसल के नुकसान की जानकारी

159-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग के अन्तर्गत नहरों की सफाई एवं रख-रखाव हेतु शारदा नगर खण्ड की हरदोई उन्नाव तथा लखनऊ खण्ड-2 को वित्तीय वर्ष 1996-97 व 1997-98 तथा 1998-99 में कितनी धनराशि आवंटित की गयी है? क्या यह सही है कि विगत वित्तीय वर्षों की अपेक्षा उक्त धनराशि कम कर दी गयी है जिससे नहरों की सफाई का कार्य अवरुद्ध होने से नहरों में टेल तक पानी पहुंच नहीं पाता तथा किसानों की फसलों को अत्यधित नुकसान होता है? क्या सरकार उक्त धनराशि बढ़ाने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

इस मण्डल के निम्नलिखित खण्डों को उनके समक्ष अंकित धनराशि नहरों की सफाई एवं रख-रखाव हेतु प्राप्त हुई है :-

(रु0 लाख में)

खण्ड का नाम	वित्तीय वर्ष			
	96-97	97-98	98-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1-हरदोई खण्ड शा0न0 हरदोई	40.23	51.09	31.16	42.40
2-रा0ज0प्र0यो0शा0न0 खण्ड हरदोई	42.23	51.08	32.02	36.47
3-उन्नाव खण्ड शा0न0 उन्नाव	55.98	56.01	40.18	41.45
4-सिंचाई खण्ड, उन्नाव	44.56	57.49	49.89	40.46
5-लखनऊ खण्ड-2 शा0न0 लखनऊ	49.46	52.12	32.40	50.62
योग	232.46	267.79	185.65	211.40

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के दृष्टिगत धनावंटन किया जाता है।

प्रदेश में वित्तीय संसाधन की उपलब्धता सीमित है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ राजकीय जन विश्लेषक विभाग में वर्ष 1998 में खाद्य के प्राप्त नमूनों की जांच में विलम्ब के कारणों की जानकारी एवं निर्धारित समय पर निस्तारित करने की मांग

160-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय जन विश्लेषक लखनऊ में वर्ष 1998 में खाद्य के कितने नमूने आये? क्या प्राप्त नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्ति की दिनांक से 40 दिनों के भीतर सी0एम0ओ0 को भेजी गयी है? क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कितने नमूनों की जांच प्राप्ति की दिनांक से निर्धारित 40 दिनों के भीतर भेजी गयी? कितने प्रकरणों में सी0एम0ओ0 द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है और कितनी रिपोर्ठ निर्धारित 40 दिनों के बाद राजकीय जन विश्लेषक लखनऊ द्वारा भेजी गयी है? क्या सरकार लम्बित रही रिपोर्ठ को निर्धारित समय के भीतर न निस्तारित करने पर दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दण्डित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला लखनऊ में वर्ष 1998 में खाद्य के 14,107 नमूने आए। 14,107 प्राप्त नमूनों में से विश्लेषित 2340 अपमिश्रित नमूनों तथा 212 विशुद्ध नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्ति के दिनांक से 40 दिनों के भीतर सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारियों को भेजी गई है।

मुख्य चिकित्साधिकारियों द्वारा प्रकरणों में की गई कार्यवाही की सूचना एकत्र की जा रही है तथा शेष 10,102 विशुद्ध नमूनों की जांच रिपोर्ट/निर्धारित 40 दिनों के बाद राजकीय जन विश्लेषक कार्यालय द्वारा भेजी गई है।

10,102 विशुद्ध नमूनों की जांच रिपोर्ट निर्धारित 40 दिनों के बाद भेजी गई, जिसके सम्बन्ध में दोषी अधिकारी/कर्मचारी को चिन्हित कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर में शारदा सहायक नहर की शाहगंज ब्रांच एवं शाहगंज रजबहा बी0आर0बी0 तथा लालगंज रजबहा पर साइफन बनाने हेतु दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

161-श्री अफजाल अहमद-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जौनपुर में शारदा सहायक नहर की शाहगंज ब्रांच एवं शाहगंज रजबहा बी0आर0बी0 तथा लालगंज रजबहा पर साइफन बनाने हेतु सिंचाई बन्धु सदस्य श्री सन्त प्रसाद राय निवासी ढालनगर टोला, जनपद जौनपुर का पत्र दिनांक 10 नवम्बर, 1999 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हाँ।

सिंचाई बन्धु सदस्य श्री सन्त प्रसाद राय के पत्र दिनांक 10-11-99 में चार स्थानों पर पुल निर्माण की बात कही गयी है। पत्र के क्रमांक 1,2 में की गयी मांग के अनुसार पुल का निर्माण करा दिया गया है।

क्रमांक-3 पर अंकित मांग के अनुसार पुल निर्माणाधीन है।

क्रमांक-4 पर अंकित बिन्दु पर अवगत कराना है कि इस स्थान पर एक फुट ब्रिज निर्मित है।

लालगंज रजबहा पर साइफन बनाने हेतु प्रस्ताव बनाकर डी0आर0डी0ए0 जौनपुर को भेजा गया है।

जनपद मैनुपरी में भोंगांव रजबहा, सुलखनपुर एवं महदवा माइनर की नगला धौकल मौजा तिसौली की टूटी पुलियों के पुननिर्माण की मांग

162-श्री राम औतार शाक्य-

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि भोंगांव रजबाह जनपद-मैनुरी में सुलखनपुर एवं महदवा माइनर की नगला धौकल मौजा तिसौली तह0 भोंगांव की पुलिया टूट गयी है ? यदि हां, तो उक्त पुलियों का पुनर्निर्माण कब करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां।
पुलिया का पुनः निर्माण धन उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद मैनपुरी ब्लाक बेवर, मौजा पटौखी ग्राम सोंवनपुर के पास मझोला स्केप में पुल निर्माण कराने की मांग

163-श्री राम औतार शाक्य-

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम सोंवनपुर मौजा-पटौखी ब्लाक-बेवर जनपद-मैनपुरी के पास मझोला स्केप में पुल निर्माण के लिए विगत कुछ माह पूर्व विभाग द्वारा शिलान्यास करवाया गया था ? यदि हां, तो पुल का निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हाँ।
पुल का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।
प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनुपरी ब्लाक सुल्तानगंज मौजा तिसौली शिम्भू व सूरजपुर के मध्य बेवर ब्रांच का पक्का अधूरा पुल पूर्ण कराने की मांग

164-श्री राम औतार शाक्य-

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि शिम्भू व सूरजपुर (तिलयानी) मौजा तिसौली ब्लाक सुल्तानगंज जनपद मैनपुरी के मध्य बेवर ब्रान्च का पक्का पुल अधूरा बना है ? यदि हां, तो उक्त पुल का निर्माण कब तक पूर्ण हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हाँ।
वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने के उपरान्त कार्य कराया जायेगा।
प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर; उतरौला क्षेत्र के श्रीदत्तगंज गैड़ास बुजुर्ग में जल निगम द्वारा अधिष्ठापित इण्डिया मार्का हैण्ड पम्पों की बोरिंग तथा प्लेटफार्मों के निर्माण में हुई अनियमितता की जांच की मांग

165-श्री उबैदुर्रहमान-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत स्थित विकास खण्ड उतरौला श्रीदत्तगंज, गैड़ास बुजुर्ग में जल निगम बलरामपुर द्वारा इण्डिया मार्का हैण्ड पम्पों की बोरिंग व प्लेट फार्मों के निर्माण में मानक व गुणवत्ता के अनुसार कार्य न कराये जाने के विषय में जांच हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र क-407185, दिनांक 4-2-99 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या शिकायती पत्र में वर्णित तथ्यों की जांच बिन्दुवार टी0ए0सी0 द्वारा करा ली गयी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हाँ।

जी हाँ। जांच में केवल टी0ए0सी0 द्वारा अपर निदेशक, अन्वेषणालय, उ0प्र0 लोक निर्माण, लखनऊ को भेजे गये दो नग सीमेंट कंक्रीट के नमूनों के परीक्षण/विश्लेषण के परिणाम अभी प्रतीक्षित हैं। शेष कार्य मानक के अनुसार पाये गये हैं।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, बांदा द्वारा लघु सीमान्त कृषक योजना एस0एम0एफ0पी0 के अन्तर्गत नि:शुल्क बोरिंग पर स्थापित पम्प सेटों के शेष अनुदान को उपलब्ध कराने की मांग

166-श्री आर0 के0 सिंह पटेल-

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लघु सीमान्त कृषक योजना (एस0एम0एफ0पी0) अन्तर्गत नि:शुल्क बोरिंग पर स्थापित पम्प सेटों पर वित्तीय वर्ष 1992-93 में जिला ग्राम विकास अभिकरण बांदा द्वारा अनुदान देना शेष है ? यदि हां, तो लाभान्वित कृषकों को अनुदान कब तक उपलब्ध कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द्र-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा के विकास खण्ड बल्देव में बरौली से मंगली गढ़ी मार्ग निर्माण में मिट्टी के कार्य में दोबारा भुगतान किये जाने का प्रकरण

167-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद मथुरा में विकास खण्ड बल्देव में बरौली से मंगली गढ़ी मार्ग निर्माण पर वर्ष 1996-97 में डी0आर0डी0ए0 के तकनीकी स्टाफ द्वारा 4 लाख रुपये की धनराशि का भुगतान बिना मिट्टी डाले प्राप्त किया है ? क्या पुनः मिट्टी कार्य हेतु लोक निर्माण (खण्ड सी0डी0-1) द्वारा रुपये 5 लाख का भुगतान दुबारा किया गया है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी है तथा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद संत रविदासनगर में ज्ञानपुर क्षेत्र में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत विश्वनाथपुर रोही मार्ग से धौराकया होते हुए पाल बस्ती तक सड़क निर्माण में हुई अनियमितता की जांच कार्यवाही की मांग

168-श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद संत रविदास नगर के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1998-99 में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत विश्वनाथपुर रोही मार्ग से धौराकया होते हुए पाल बस्ती तक 1.50 कि0मी0 सड़क का निर्माण सी0एड0डी0एस0 द्वारा कराया गया था ? क्या यह सही है कि उक्त सड़क निर्माण में अनियमिततायें की गयी हैं ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रकरण की जांच सहायक अभियन्ता, डी0आर0डी0ए0 से कराई गई। जाचोंपरान्त दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद संत रविदास नगर के ज्ञानपुर क्षेत्र में सीतागढ़ी में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत सी0एड0डी0एस0 द्वारा गंगाघाट के निर्माण हेतु अवमुक्त धन निर्माण कार्य में हुई अनियमितता के प्रति कार्यवाही की मांग

169-श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद संत रविदास नगर के विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर में सीतागढ़ी में 1998-99 में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत सी0एड0डी0एस0 द्वारा 6.60 लाख रुपये गंगाघाट के निर्माण हेतु अवमुक्त किया गया था? क्या यह सही है कि निर्माण कार्य में व्यापक पैमाने पर अनियमितायें की गयी है? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हाँ। प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु रु0 6.60 लाख की धनराशि जवाहर रोजगार योजना अन्तर्गत नहीं बल्कि सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत सी0एण्ड0डी0एस0 भदोही को अवमुक्त की गई।

जी हां।

प्रकरण की जांच सहायक अभियन्ता, डी0आर0डी0ए0 से कराई गई। जांचोपरान्त दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के मेहरांवा ड्रेन के निर्माण पर हुए व्यय एवं उसके भौतिक सत्यापन व भौतिक अस्तित्व की जानकारी

170-श्री अफजाल अहमद-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के चौथे बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-6 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि ड्रेन के गहरायी चौड़ाई के माप संबंधी क्या प्रश्नगत विवरण उपलब्ध हो गया है? यदि हां, तो उसका ग्रामवार विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हाँ।

विवरण संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 249 पर)

जनपद अम्बेडकर नगर में सिंचाई खण्ड टाण्डा के वर्तमान अधिशासी अभियंता की शिकायत के आधार पर स्थानान्तरण पुनः तैनाती का कारण तथा उनके विरुद्ध शिकायत की जानकारी

171-श्री लालजी वर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई खण्ड, टाण्डा जनपद-अम्बेडकर नगर के वर्तमान अधिशासी अभियन्ता का कुछ वर्ष पूर्व शिकायत के आधार पर स्थानान्तरण किया गया था? यदि हां, तो वह शिकायतें क्या थी? क्या पुनः उक्त अधिशासी अभियन्ता को सिंचाई खण्ड टाण्डा, जनपद अम्बेडकर नगर में तैनात कर दिया गया है? यदि हां, तो पुनः उसी स्थान पर तैनाती किस आधार पर की गयी है?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां।

कार्य से सम्बन्धित शिकायतें थी।

जी हां।

शिकायतकर्ता ने अपने शिकायती पत्र को फर्जी बताया अतः पुनः पदस्थापित किया गया।

जनपद पिथौरागढ़ व चम्पावत में खण्ड विकास अधिकारियों के कुल रिक्त पद तथा उन्हें भरे जाने की मांग

172-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद पिथौरागढ़ व चम्पावत में 31 अक्टूबर, 1999 तक खण्ड विकास अधिकारियों के कुल कितने पद रिक्त थे? रिक्त पदों को भरने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जनपद पिथौरागढ़ व चम्पावत में 31 अक्टूबर, 1999 तक खण्ड विकास अधिकारियों के दो-दो कुल चार पद रिक्त थे। उक्त पदों पर खण्ड विकास अधिकारियों की तैनाती करने हेतु आयुक्त, ग्राम्य विकास को निर्देश दे दिये गये हैं।

उप निदेशक (मुख्यालय) द्वारा एन0एस0ए0पी0 में किये गये विभिन्न घोटालों के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

173-श्री उबैदुर्रहमान-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप निदेशक (मुख्यालय) द्वारा एन0एस0ए0पी0 में किये गये विभिन्न घोटालों के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्रांक-क-2-नं0--02180, दिनांक 12 नवम्बर, 1999 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर कब तक जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी?

श्रीमती प्रेम लता कटियार-

प्रश्नकर्ता का पत्रांक-क-2-नं0-021780, दिनांक 12 नवम्बर, 1999 अबतक अभिलेखों की छानबीन से प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है ;

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ जनपद के सभी राजकीय प्रसूति गृहों में एयर कंडीशनर लगाये जाने की मांग

174-श्री चेतराम-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेगें कि लखनऊ जनपद में कुल कितने राजकीय प्रसूति गृह हैं। क्या सभी प्रसूति गृहों में एयर कंडीशनर लगे हैं? क्या लगाये गये सभी एयर कंडीशनर लगाये गये स्थानों पर मौजूद हैं? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सही है कि कुछ प्रसूति गृहों से एयरकंडीशनर गायब कर दिये गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर दोषी को दण्डित करते हुए सभी प्रसूति गृहों में एअर कंडीशनर की व्यवस्था करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सरदार सिंह-

कुल आठ प्रसूति गृह हैं।

एक को छोड़कर समस्त प्रसूति गृहों में ए0सी0 लगे हैं।

जी, नहीं तीन ए0सी0 अपने निर्धारित स्थान पर मौजूद नहीं हैं।

जी, हां। प्रसूति गृह फैजाबाद रोड के दो ए0सी0 तथा ऐशबाग प्रसूति गृह में एक ए0सी0 गायब है।

इस सम्बन्ध में थाने में प्राथमिकी (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज करा दी गयी है। कुल आठ प्रसूति गृहों में से सात में ए0सी0 लगे हैं, अवशेष एक प्रसूति गृह में ए0सी0 की व्यवस्था कराये जाने का प्रकरण सम्प्रति विचाराधीन नहीं है क्योंकि उक्त हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में कोई धन व्यवस्था नहीं है।

जनपद इलाहाबाद के राजकीय संप्रेक्षण गृह में वर्ष 1996-97 से 1999-2000 के मध्य संवासियों को भरण पोषण हेतु आवंटित धनराशि का वर्षवार विवरण

175-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-इलाहाबाद के राजकीय सम्प्रेक्षण गृह में वर्ष 1996-97 से 1999-2000 के मध्य संवासियों के भरण-पोषण मद में कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गयी? क्या मंत्री जी आवंटित धनराशि का व्यय एवं विवरण वर्षवार तथा मदवार उपलब्ध करायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, इलाहाबाद में संवासियों के भरण-पोषण मद में वर्ष 1996-97, 1997-98, 1998-99 व 1999-2000 में क्रमशः रु0 1.41 लाख रु0 1.76 लाख, रु0 3.00 लाख का आवंटन किया गया है।

जी, हां, संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ड0' आगे पृष्ठ 250 पर)।

महिला एवं बाल विकास विभाग में एक वर्ष से अधिक समय से मुख्य परिवीक्षा अधिकारियों के रिक्त पदों को समाप्त न किये जाने का कारण तथा दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

176-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वित्त संसाधन (विविध) अनुभाग के शासनादेश संख्या-3/10-सं0-वि0मित0-2/98, दिनांक 7 जनवरी, 1999 के प्रस्तर-9 में शैक्षणिक पदों को छोड़कर एक वर्ष से अधिक समय से रिक्त पदों को समाप्त करने के आदेश हुए हैं? यदि हां, तो महिला कल्याण विभाग में एक वर्ष से अधिक समय से मुख्य परिवीक्षा अधिकारियों के रिक्त पदों को समाप्त न करने के लिये कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी दोषी हैं? उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

जी हां।

विभाग में रिक्त समस्त पदों की समीक्षा के उपरान्त उक्त पद की उपादेयता एवं आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए इस पद को समाप्त करने का औचित्य नहीं पाया गया, फलस्वरूप कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर ब्लाक जहांगीरगंज, अहिरौली रानी मऊ में बने स्वास्थ्य केन्द्र की सफाई, टूटा दरवाजा, डा0 की व्यवस्था ठीक न होने की जानकारी तथा व्यवस्था सुनिश्चित कराने की मांग

177-श्री भीम प्रसाद सोनकर-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि अहिरौली रानी मऊ ब्लाक जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकर नगर में बने स्वास्थ्य केन्द्र की सफाई तथा दरवाजा जंगला ताला डा0 के बैठने की व्यवस्था न होने के कारण क्षेत्र की जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? यदि हां, तो मंत्री जी क्या इसकी सफाई, दरवाजा तथा जंगला लगवाकर डा0 के बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

जी हां।

जी हां।

प्रश्नगत कार्य हेतु जिला योजना में धन उपलब्ध होने पर संदर्भित चिकित्सालय के सुधार हेतु आवश्यक व्यवस्था की जायेगी।

जवाहर रोजगार योजना तथा सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित विकास कार्यों में विधायकों से भी सुझाव लिये जाने की मांग

178-श्री राम ललित चौधरी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना तथा सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित निर्माण कार्यों पर विधायकों से भी सुझाव लिये जाने हेतु सरकार विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

भारत सरकार द्वारा जवाहर रोजगार योजना समाप्त कर दी गयी है। सुनिश्चित रोजगार योजना की कार्य योजना को जिला पंचायतों की बैठकों में अन्तिम रूप देते समय मा0 विधायकों से परामर्श करने के लिये निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयु विज्ञान संस्थान, लखनऊ में ड्राइवर ग्रेड-I के पदों पर अनुसूचित जाति के चालकों को प्रोन्नति न देने का औचित्य तथा रोस्टर के आधार पर प्रोन्नति की मांग

179-श्री जगदीश नारायण राय-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में ड्राइवर ग्रेड 5। पद पर दिनांक 3-1-99 को 11 पदों पर पदोन्नतियां की गयी हैं? क्या चिकित्सा अनुभाग-3 के आदेश पत्र संख्या-9715/इकहत्तर-3-98 वी-22/92, दिनांक 21-8-98 के क्रम में पत्र संख्या 5503/इकहत्तर-3-98-वी-22/92, दिनांक 1-12-98 के अनुसार 11 पदों में से 3 पदों पर अनुसूचित जाति के चालकों की प्रोन्नति होनी थी किन्तु 2 ही ड्राइवर पदोन्नति पा सके? यदि हां, तो क्यों? शेष एक पद पर प्रोन्नति कब तक कर दी जायेगी?

श्री कलराज मिश्र-

जी हां, परन्तु ड्राइवर ग्रेड-5। के पद पर नहीं अपितु ड्राइवर ग्रेड-I के पद पर दिनांक 3.1.99 को नहीं अपितु दिनांक 3.1.97 को 10 पदों पर पदोन्नतियां की गयी है।

जी नहीं। शासनादेश संख्या : 9715/इकहत्तर-3-98 पी0 22/92, दिनांक 21.8.98 नहीं अपितु शासनादेश संख्या 4715/इकहत्तर-3-98 पी022/92, दिनांक 21.8.98 तथा शासनादेश संख्या:5503/इकहत्तर-3-98-पी022/92, दिनांक 1.12.98 में पदोन्नति द्वारा की गयी नियुक्तियों में भी आरक्षण अनुमन्य कराने के निर्देश दिये गये हैं। अतः 10 पदों में नियमानुसार (रोस्टर एवं प्रतिशत) पद ही आरक्षित होते है एवं दोनों पद आरक्षित वर्ग से भरे जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

संजयगांधी आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के आवासीय भवनों के टाइप । से लेकर 4 तक के भवनों में आरक्षण कोटे के अनुसार आवंटन की मांग

180-जगदीश नारायण राय-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के आवासीय भवनों के टाइप । से लेकर 4 तक के भवनों का आरक्षण कोटा पी0जी0आई0 एक्ट के पेज संख्या 39 तथा 53 पर निर्धारित किया गया है? यदि हां, तो क्या आरक्षण कोटे के अनुसार भवन आवंटित किये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों? इसके लिये दोषी कौन है? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री कलराज मिश्र-

पी0जी0आई0 एक्ट के पेज संख्या 39 पर संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (कठिनाईयों को दूर करना) आदेश, 1984 तथा पेज संख्या 53 पर संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के कर्मचारियों पर राज्य सरकार के नियम, जो सेवा सम्बन्धी है, लागू होने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-5185/सेक 14/पांच 1028/83 ठी0सी0(1) दिनांक 07 अगस्त, 1992 का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त पृष्ठों पर भवन आरक्षण प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है।

आवास आवंटन नियमावली संस्थान स्तर पर दिनांक 10.6.97 को बनायी गयी है। इस समिति के अध्यक्ष संस्थान के निदेशक है।

आरक्षण कोटे के अनुसार भवन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में न्याय विभाग से भी परामर्श प्राप्त किया गया था। न्याय विभाग ने परामर्श दिया कि आरक्षण कोटे के अनुसार भवन आवंटित करने का प्राविधान संजय गांधी आयुर्विज्ञान स्नातकोत्तर संस्थान पर नहीं लागू होता क्योंकि यह संस्थान एक विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करता हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के संयुक्त निदेशक (प्रशासन) श्रीमती एस0 ई0 सिन्हा के विरुद्ध करायी गयी जांच तथा उसके परिणामों की जानकारी

श्री जगदीश नारायण राय-

।8।-क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के संयुक्त निदेशक (प्रशासन) श्रीमती एस0ई0 सिन्हा के विरुद्ध चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 के पत्र संख्या 720/इकहत्तर-3-98वी0 35/90, दिनांक ।-7-98 द्वारा जांच कराई जा रही है? यदि हां, तो क्या जांच पूर्ण कर ली गयी है? यदि नहीं, तो जांच कब तक पूर्ण कर ली जायेगी?

श्री कलराज मिश्र-

पत्र संख्या 720/इकहत्तर-3-98-पी0 35/90 दिनांक 0। जुलाई, ।998 द्वारा श्रीमती एस0ई0 सिन्हा, संयुक्त निदेशक (प्रशासन) के विरुद्ध किसी जांच के आदेश नहीं दिये गये थे, अपितु पूर्व में प्राप्त शिकायती पत्रों पर सूचना/आख्या भेजने हेतु अनुस्मरण कराया गया था। उक्त पत्र के सन्दर्भ में प्राप्त आख्या पर कतिपय सूचनायें निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0 से मांगी गयी है, जो अभी प्रतीक्षित है। आख्या प्राप्त होते ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नवीन प्रा0 स्वा0 केन्द्र ओदारी रायबरेली के प्रभारी चिकित्सक द्वारा की गयी कपटपूर्ण अनियमितता तथा ।3 वर्षों से एक ही स्थान पर बने रहने का प्रकरण/विरुद्ध कार्यवाही की मांग

।82-श्री बाबू लाल कुरील-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि नवीन प्रा0 स्वा0 केन्द्र, ओदारी, रायबरेली के प्रभारी चिकित्सक द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस फुरसतगंज, जनपद-रायबरेली में किये जाने व तैनाती के स्थान पर न रहने एवं ।3 वर्षों से एक ही स्थान पर नियुक्त रहने विषयक श्री एस0एन0 शर्मा, भा0ज0पा0 कार्यकर्ता, क्षेत्र बहा, जनपद रायबरेली का पत्र मुख्य मंत्री जी को दिनांक 9-8-99 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

जी हां।

सम्बन्धित चिकित्सक को भर्त्सनात्मक प्रविष्टि प्रदान करते हुये उनके द्वारा कपटपूर्ण रीति से प्राप्त किये गये मकान किराये भत्ते की वसूली के आदेश जारी कर दिये गये हैं तथा उनके स्थानान्तरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर अन्तर्गत ग्राम सभा कुहतितरा हेतु जवाहर रोजगार योजना में दिया गया धन तथा कार्यों के भौतिक सत्यापन की मांग

183-श्री अफजाल अहमद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर अन्तर्गत ग्राम सभा कुहातेतरा को वर्ष 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 में अब तक कुल कितना धन जवाहर रोजगार योजना से दिया जा चुका है? उक्त धनराशि को किन-किन कार्यों में खर्च किया गया है? क्या सरकार इसका भौतिक सत्यापन करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हां। जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर अन्तर्गत ग्राम सभा कुहातेतरा को वर्ष 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-2000 में कुल रु0 2,33,078.39 की धनराशि दी गयी।

उक्त धनराशि का हैण्डपम्प, खडंजा, नाली निर्माण, मिट्टी कार्य आदि पर व्यय किया गया है।

समय-समय पर भौतिक सत्यापन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला उन्नाव में सार्वजनिक ट्रेनिंग कालेज सफीपुर, बांगरमऊ तथा औरास, में अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति भुगतान हेतु प्राप्त धनराशि में हुए घोटाले की जांच तथा दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

184-श्री राजाराम पाल-

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सार्वजनिक ट्रेनिंग कालेज, सफीपुर, बांगरमऊ तथा औरास, उन्नाव को वर्ष 1996-97, 97-98 तथा 98-99 में अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति भुगतान हेतु रु0 3,43,600.00 की धनराशि समाज कल्याण कार्यालय, उन्नाव द्वारा खाता संख्या 4094 अवध ग्रामीण बैंक, सफीपुर में हस्तान्तरित की गयी थी? यदि हां, तो किस-किस वर्ष के लिए कितनी-कितनी धनराशि कितने-कितने छात्रों के लिये भेजी गयी? क्या प्रधानाचार्य ने सम्बन्धित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा लाभान्वित छात्रों की सूची सम्बन्धित वर्षों की उपलब्ध करायी है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों? क्या लाभार्थियों की सूची आवासीय पते सहित प्राप्त कर फर्जी अनुसूचित जाति के छात्रों के नाम पर छात्रवृत्ति के घोटाले की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध विधिक कार्यवाही सरकार करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हां। धनराशि रु0 3,43,600/- में उक्त तीन वर्षों के अतिरिक्त वर्ष 1999-2000 की रु0 60,000/- की धनराशि भी सम्मिलित है।

वर्ष 1996-97 में रु0 85,200/- 164 छात्रों हेतु वर्ष 1997-98 में रु0 65,000/- 178 छात्रों हेतु, वर्ष 1998-99 में रु0 1,33,400/- 217 छात्रों हेतु तथा वर्ष 1999-2000 हेतु 60,000/- रु0 140 छात्रों हेतु भेंजी गयी थी।

जी हां। वर्ष 1996-97, 97-98, 98-99 तथा 99-2000 उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा छात्रों की सूची क्रमशः दिनांक 20-11-97, दिनांक 31-3-98 दिनांक 30-3-99 तथा दिनांक 25-3-2000 को उपलब्ध करायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृति वितरण की जांच करायी गयी। प्राप्त सूचनानुसार सम्प्रति कोई अनियमितता नहीं पायी गयी। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में कार्यालय अधीक्षक के पद पर प्रोन्नति में अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के प्रति की गयी अनियमितता की जांच/ दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

185-श्री जगदीश नारायण राय-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में 1997 में कार्यालय अधीक्षक के पद पर हुई पदोन्नतियों में शासी निकाय के निर्णय के विरुद्ध 8 पदों पर सामान्य वर्ग की पदोन्नति कर दी गयी तथा अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग की संस्तुतियों के बाद भी अनुसूचित जाति के किसी कर्मचारी की पदोन्नति नहीं की गयी? क्या यह सही है कि उक्त प्रोन्नति कर्मचारियों में से आठवें पद के कर्मचारी को अर्हता में छूट देकर उसे प्रोन्नत किया गया है किन्तु अनुसूचित जाति के कर्मचारी को अर्हता में छूट न दिये जाने के कारण उसकी प्रोन्नति नहीं की गयी? क्या इस पूरे प्रकरण की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

दिनांक 3-1-97 को संस्थान की शासी निकाय द्वारा कार्यालय अधीक्षक के कुल 10 पद स्वीकृत किये गये हैं जिसमें आरक्षण के नियमानुसार 2 पद अनुसूचित जाति के कर्मियों हेतु आरक्षित होते हैं एवं 8 पद सामान्य वर्ग के कर्मियों हेतु। कार्यालय अधीक्षक के पद पर अर्हतानुसार पदोन्नत हुए अर्ह कर्मी संयोगवश सामान्य वर्ग के ही थे जिसकी पदोन्नति अर्ह होने के फलस्वरूप की गयी जबकि आरक्षित

वर्ग के कर्मी अर्ह ही नहीं थे अतएवं दोनों पर रिक्त हैं।

अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग ने अपने पत्र के माध्यम से यह सुझाव दिया था कि कार्यालय अधीक्षक के जो पद अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है उस पर विभागीय परीक्षा द्वारा पदोन्नति प्रदान कर दी जाय। आयोग के सुझाव का पालन करते हुए संस्थान ने विभागीय परीक्षा का आयोजन किया, परन्तु उक्त परीक्षा में आरक्षित वर्ग का कर्मी उपस्थित ही नहीं हुआ जिसके फलस्वरूप आरक्षित वर्ग का पद अभी भी रिक्त है जिसकी सूचना आयोग को भी दे दी गयी है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव, ब्लाक बीघापुर, ग्राम इन्देमऊ में दो सुलभ शौचालय बनाये विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

186-श्री तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री सन्त राम सिंह, विधायक का पत्र दिनांक 24 जनवरी, 2000 को ग्राम इन्देमऊ, ब्लाक-बीघापुर, जनपद उन्नाव में दो सुलभ शौचालय बनाये जाने विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हां।

प्रधान ग्राम पंचायत इन्देमऊ से महिला काम्पलेक्स निर्माण हेतु दि0 26.02.2000 को जिला पंचायत राज अधिकारी, उन्नाव द्वारा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव मांगा गया है जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में अरावं ब्लाक के भनूपुरा पिडसरा ग्राम पंचायतों को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि/कार्यों के भौतिक सत्यापन की मांग

187-श्रीमती उर्मिला यादव-

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-फिरोजाबाद में अराव ब्लाक के भनूपुरा, पिडसरा, ग्राम पंचायतों को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1995-96 से अब तक कितनी धनराशि दी गयी है? क्या प्रश्नगत ग्राम पंचायतों के कार्यों का भौतिक सत्यापन टी0ए0सी0 द्वारा कराया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हां। जनपद फिरोजाबाद में अरावं ब्लाक के भनूपुरा पिडसरा ग्राम पंचायतों को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1995-96 में अब तक कुल रु0 2,93,805.00 की धनराशि स्वीकृति की गयी।

जी नहीं।

कोई अनियमितता प्रथम दृष्टया प्रकाश में नहीं आयी है, अतः टी0ए0सी0 द्वारा भौतिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं है।

जनपद मथुरा में नर्सरी अनुदान एवं पौधशाला के नाम पर की गयी वित्तीय अनियमितता के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

188-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या गन्ना विकास मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 में सुपरवाइजर सचिव (सोसाइटी छाता) जनपद मथुरा द्वारा नर्सरी, अनुदान एवं पौधशाला के नाम पर 75 लाख रुपयों का घोटाला किये जाने के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक-सी0एम0/ वि0का0/एम-21883/मथुरा/99, दिनांक 1-4-99 जिलाधिकारी, मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

डा0 नरेद्र कुमार सिंह गौर-

जी हां।

गन्ना समिति, छाता जनपद मथुरा में वर्ष 1993-94, 1994-95 व 1995-96 में नर्सरी अनुदान एवं पौधशाला के नाम पर रुपया 92.58 लाख की वित्तीय अनियमितता के सम्बन्ध में जिला गन्ना अधिकारी, मथुरा की आख्या के अनुसार बकाये की धनराशि के वितरण की संदिग्धता को विचार करते हुए गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 ने आदेश संख्या-पी0ए0 1466/99 दिनांक 12-02-99 द्वारा प्रकरण पर विस्तृत जांच जिला गन्ना अधिकारी, बुलन्दशहर के नेतृत्व में कराई गयी थी। जांच में वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि होने पर सम्बन्धित 23 दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

जनपद सन्त रविदास नगर के ज्ञानपुर क्षेत्र के अन्तर्गत चन्दापुर नलकूप दीघ ब्लाक तथा नागमलपुर नलकूप की बोरिंग खराब होने से रिबोरिंग की मांग

189-श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद सन्त रविदास नगर के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चन्दापुर नलकूप दीघ ब्लाक तथा नागमलपुर नलकूप की बोरिंग खराब हो जाने से सैकड़ों एकड़ जमीन कई वर्षों से असिंचित पड़ी हैं ?

क्या सरकार उक्त दोनों नलकूप चन्दापुर एवं नागमलपुर की रीबोरिंग कराये जाने की स्वीकृति प्रदान करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जनपद संतरविदास नगर के ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र में नलकूप संख्या-1।9 वी0जी0 चन्दापुर दिनांक 1-4-97 से असफल हो जाने के कारण सिंचाई रत नहीं है। नागमलपुर नलकूप चालू हालत में है व कृषकों द्वारा कमाण्ड में सिंचाई की जा रही है।

वर्ष 1999-2000 में राजकीय नलकूप ग्राम पंचायतों को हस्तानांतरित कर दिये गये हैं। इससे पूर्व इनके पुनः निर्माण का कार्य जनपद योजना के अन्तर्गत कराया जाता था। वर्ष 1999-2000 में इस कार्य हेतु कोई आय-व्ययक व्यवस्था नहीं हुई।

नलकूप-41 वी0जी0 ग्राम नागमलपुर ब्लाक सुरियांवा असफल नहीं है अतः इनका पुनः छिद्रण नहीं किया जाना है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के चन्दौरा एवं मरगूपुर दयाल एवं अटल सेतु का उद्घाटन करते हुए पहुंच मार्गों को पूर्ण करने की घोषणा के अनुरूप कार्यपूर्ण करने की मांग

190-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 16-7-99 को जनपद प्रतापगढ़ के चन्दौरा एवं मरगूपुर, दयाल एवं अटल सेतु का उद्घाटन करते हुए पहुंच मार्गों को पूर्ण कराने के लिए की गयी घोषणा के अनुसार पहुंच मार्गों का निर्माण पूर्ण करा दिया गया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मारकण्डेय चन्द्र-

प्रश्नगत पहुंच मार्गों के आंशिक भाग के ही निर्माण हेतु पूर्वांचल विकास निधि से ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, प्रखण्ड प्रतापगढ़ को धनराशि आवंटित हुई थी प्राप्त धनराशि से जो कार्य ग्रामीण अभिंत्रण सेवा विभाग द्वारा कराया जाना था, वह पूरा करा दिया गया है, केवल लेपन के द्वितीय कोट का अवशेष कार्य पूरा कराया जा रहा है।

जनपद सन्त रविदास नगर के ज्ञानपुर क्षेत्र में भावापुर से जाजपुर जंगीगंज से बड़गांव, वीरमपुर से लोकमनपुर गिरांई कलाशय से रेलवे लाइन सीतागढ़ी में गेस्ट हाऊस निर्माण लालानगर से बड़काडांड से जी0टी0 रोड जगन्नाथपुर से अलमऊहाल्ट तक लेपन स्तर तक मार्ग निर्माण कराने की मांग

191-श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद सन्त रविदास नगर के ज्ञानपुर

विधान सभा क्षेत्र के वर्ष 1997-98 में कराये जा रहें भावापुर से जाजपुर, जंगीगंज से बड़ागांव, बीरमपुर से लोकमनपुर, गिंराई कलाशय से रेलवे लाइन सीतागढ़ी में गेस्ट हाउस निर्माण, लालानगर से बड़काडांड से जी0टी0 रोड जगन्नाथपुर से अलमऊहाल्ट तक के लेपन कार्य पूर्ण करा दिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सही है कि कुछ कार्यों हेतु धनराशि भी अवमुक्त की जा चुकी है? यदि हां, तो कार्य कब तक पूर्ण करा दिये जायेंगे?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद सन्त रविदास नगर के ज्ञानपुर क्षेत्र में ज्ञानपुर रमईपुर से वयांव मार्ग को लेपन स्तर का कार्यपूर्ण कराने की मांग

192-श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद सन्त रविदास नगर के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र के वर्ष 1996-97 में ज्ञानपुर रमईपुर से वयांव तीन कि0मी0 लेपन का कार्य पूर्ण करा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सही है कि उक्त लेपन कार्य हेतु धन अवमुक्त किया जा चुका है? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करके कार्य को पूरा करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

सूचना एकत्र की जा रही है।

सुनिश्चित रोजगार योजना से 70 प्रतिशत धन सीधे क्षेत्र पंचायतों के विकास कार्यों के लिये दिये जाने विषयक जारी शासनादेश तथा विकास हेतु दी गयी सुविधाओं की जानकारी

193-श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद्-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सुनिश्चित रोजगार योजना से 70 प्रतिशत धन सीधे क्षेत्र पंचायतों को विकास कार्यों के लिये दिये जाने विषयक क्या कोई शासनादेश जारी हुआ है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो धन आवंटन में क्षेत्र पंचायतों को क्या वित्तीय सुविधायें विकास कार्यों हेतु दी जा रही है?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हां।

प्रत्येक जनपद को आवंटित धनराशि का 70 प्रतिशत क्षेत्र पंचायतों को ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर आवंटित किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ में प्रसूति विभाग एवं मेडिसिन विभाग में पति-पत्नी के रूप में कार्यरत चिकित्सक चिकित्सकों द्वारा की जा रही प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने की मांग

194-श्री चेतराम-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्रसूति विभाग एवं मेडिसिन विभाग, किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ में कई पति-पत्नी वर्तमान समय में तैनात हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त चिकित्सकों द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस की जा रही है ? क्या सरकार उक्त दम्पत्ति पर प्राइवेट प्रैक्टिस हेतु तत्काल रोक लगाकर उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार सभी चिकित्सकों पर प्राइवेट प्रैक्टिस बन्दी आदेश लागू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र-

वर्तमान में प्रसूति विभाग एवं मेडिसिन विभाग जार्ज मेडिकल कालेज लखनऊ में कोई पति-पत्नी एक साथ तैनात नहीं हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासन द्वारा शासनादेश दिनांक 23 फरवरी, 1996 से प्राइवेट प्रैक्टिस पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।
प्रश्न नहीं उठता।
प्रश्न नहीं उठता।

मन्त्रियों द्वारा प्रश्नों के सुसंगत उत्तर न दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न पर श्री अधिष्ठाता का निर्णय

195-श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब भी कोई सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछता है और पीठ की तरफ दृष्टि में उस प्रश्न के बारे में अगर यह राय बनती है कि मूल प्रश्न से इसका सीधा सम्बन्ध नहीं हैं, तो निर्देशित कर दिया जाता है कि आपका प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है इसलिए बैठ जाइए यह पीठ का अधिकार है। लेकिन सरकार द्वारा ऐसा उत्तर देने पर जो प्रश्न से दूर-दूर तक सम्बन्धित न हो।

श्री अधिष्ठाता-

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मैं आपकी अनुमति से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं पहले मेरा प्रश्न आ जाये। मुझे अपनी बात कहने का अवसर मिलना चाहिए। ऐसे मामलों में जिससे मंत्री द्वारा जो उत्तर दिया गया उसका अनुपूरक प्रश्न से दूर-दूर तक सम्बन्ध न हो तो उनको भी पीठ निर्देशित करना सुनिश्चित करेगी कि सभी प्रश्नों के वही उत्तर दिए जाएं जो प्रश्न में पूछा गया हो।

श्री अधिष्ठाता-

जो शाक्य जी का प्रश्न था।

श्री अम्बिका चौधरी-

मेरा शाक्य जी के प्रश्न से मतलब नहीं हैं यहां पर रोज यह होता है दर्शों बार बीसों बार पीठ द्वारा यह कहा गया है कि आपका उत्तर मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

श्री चौधरी जी ने यह प्रश्न उठाया कि माननीय सदस्यों द्वारा जो प्रश्न पूछा जाता है उसका सही उत्तर नहीं आता आप स्वयं विज्ञ हैं कि इसके लिए नियमों में व्यवस्था है कि यदि प्रश्न का सही उत्तर नहीं आता है तो पीठ को यह अधिकार है कि उसकों प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सुपुर्द कर दिया जाता है और अधिक चर्चा की आवश्यकता होती है तो नियम 49 में उस पर चर्चा होती है। जहां पर यह महसूस किया जाता है कि माननीय सदस्यों के प्वाइंटेड क्वेश्चन जो होते हैं उसका स्पष्ट उत्तर देना चाहिए इसमें जहां कहीं कमी महसूस होती है तो समय-समय पर मा0 अध्यक्ष द्वारा या दूसरे माननीय पीठासीन अधिकारियों द्वारा निर्देश दिये जाते हैं। भविष्य के लिए यह अपेक्षा की जाती है कि जो माननीय सदस्यों के प्रश्न हों उसमें यथाशीघ्र पूर्ण जानकारी के साथ उत्तर दिया जाये।

सांसद निधि की भांति विधायक निधि को दोगुना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-49 के अन्तर्गत चर्चा स्वीकार किये जाने हेतु व्यवस्था का प्रश्न

श्री प्रमोद कुमार-

अधिष्ठाता महोदय नियमावली के नियम 49 का संज्ञान लेने की कृपा करें। अध्यक्ष किसी ऐसे पर्याप्त लोक महत्व के विषय पर जो सदन में हाल में प्रश्नोत्तर का विषय रहा हो चर्चा करने के लिए आधे घंटे का समय नियत कर सकेंगे। कृपया आज की कार्य सूची के नत्थी ग के प्रश्न संख्या 3 को देखें जो श्री राम औतार शाक्य जी ने पूछा है यह प्रश्न यहां बैठे समस्त विधायकों और सम्पूर्ण उत्तर

प्रदेश से सम्बंधित है। इस पर मैंने और अन्य सदस्यों ने हस्ताक्षर करके नियम 49 के अन्तर्गत आपको लिखकर दिया है इसमें न हमको सप्लीमेंट्री प्रश्न करने का अवसर मिला न मंत्री जी को उत्तर देने का समय।

जो मान्यवर सदन के प्रश्नोत्तर का समय रहा है, अभी छः मिनट पूर्व तक प्रश्नोत्तर का समय रहा है। समस्त विधायकों की विधायक निधि से जुड़ा प्रश्न है। जब जवाहर रोजगार योजना से विधायकों की भागीदारी समाप्त हो गई है तो और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। मैं चाहता हूं कि आप इस पर अपनी व्यवस्था दे दें। लोक महत्व का प्रश्न भी है और 6 मिनट शेष भी रह गये है।

श्री अधिष्ठाता-

आपकी बात आ गई है। इसका परीक्षण कर लिया जायेगा। तनिक भी आवश्यकता महसूस होगी तो चर्चा करा ली जायेगी।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं आपको बहुत भिज्ञ मानता हूं। नियम 49 में दो ही कारण हैं पहला लोकमहत्व का प्रश्न हो और प्रश्नोत्तर का समय शेष हो। यह दोनों ही बातें लागू होती हैं। मैं आपके संज्ञान में ला दूं कि इस पर मात्र एक अनुपूरक हुआ है और सामान्यतः एक प्रश्न पर दो सप्लीमेन्टरी हो सकती है।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने व्यवस्था दे दी है। मैं मानता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और यहां बैठे सभी माननीय सदस्यों से सम्बन्धित है, आपकी बात को संज्ञान में ले लिया गया है और परीक्षण कराकर यदि आवश्यकता महसूस हुई तो चर्चा करा ली जायेगी।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, आप मुझसे ज्यादा भिज्ञ हैं आप इस सीट पर बैठ कर निर्णय करें कि आवश्यकता है या नहीं।

श्री अधिष्ठाता-

नियम यह भी है कि मैं अपना निर्णय सुरक्षित रख सकता हूं।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने से व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

यह उचित नहीं है, कृपया आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। यदि पीठ उचित समझेगी तो इसका विनिश्चय किया जायेगा और निर्णय दे दिया जायेगा। मैं अगली मद ले रहा हूं। कृपया स्थान गृहण करें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, आप अभी निर्णय लेने को सक्षम हैं।

डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

इसका परीक्षण कहां होगा। इस पीठ को अभी निर्णय लेना चाहिए।

(व्यवधान के मध्य कई सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर बोलते रहें)

(डा0 धर्मज्ञ मिश्र के खड़े होने पर-व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, यह सदन परम्पराओं और प्रक्रिया नियमावली के अनुसार चलता है तथा समय-समय पर पीठ द्वारा लिये गये निर्णयों के अनुसार चलता है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय श्री प्रमोद कुमार जी की नियम-49 के तहत नोटिस आ गई है। उसका परीक्षण हो रहा है। पीठ का काम पीठ को करने दीजिये परीक्षण के उपरान्त सूचित किया जाता है कि चर्चा स्वीकार हुई कि नहीं हुई।

(डा0 धर्मज्ञ मिश्र के खड़े होने तथा जोर-जोर से अपनी बात कहने पर-व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अधिष्ठाता-

श्री मिश्र जी आपकी बात नहीं लिखी जायेगी और न किसी समाचार पत्र में छपेगी। आपकी कोई बात कार्यवाही में नहीं लिखी जायेगी पाल जी आपने स्वयं कहा कि यह सदन परम्पराओं के अनुसार चलता है। प्रश्नकाल समाप्त हुआ और मैंने नियम 301 की सूचनायें ले ली। इसी बीच श्री अम्बिका चौधरी जी ने तथा श्री प्रमोद जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठा दिया। उसपर मैंने अपनी व्यवस्था दे दी। अब आप ही बतायें कि मैं आपको किस नियम के तहत सुनूं। यह उचित नहीं है। आप नियम 49(2) को देख लें। उसमें लिखा है "जब तक अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दें यह नियतन साधारणतया सदन के उपवेशन के दौरान किसी मंगलवार या वृहस्पतिवार के लिये सामान्य कार्य की समाप्ति के उपरान्त किया जायेगा।"

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क संसदीय मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, इसी नियम के (3) तथा (4) को भी देख लें।

श्री अधिष्ठाता-

आप नियम 49(2), (3) तथा (4) को पढ़ने का कष्ट करें।

(डा0 धर्मज्ञ मिश्र के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

आप व्यवधान पैदा न करें। आप कृपया बैठ जांय।

श्री जगदम्बिका पाल-

नियम 49 में लिखा है कि चर्चा करने के लिये आधे घंटे का समय नियत कर सकेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय पाल जी, मैं आपके विवेक को कदाचित चुनौती नहीं दे रहा हूं। आप केवल 49(4) को पढ़ें इसमें लिखा है कि यदि आवश्यक हो तो एक ही उपवेशन में दो सूचनायें ली जा सकेंगी।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी-

क्या रेफरेंस है इसका मान्यवर, आप पढ़िये। 49(4) का क्या संदर्भ है इससे। आपकी अनुमति से मैं पढ़ देता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

49(3) और (4) पढ़िये।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं पढ़ देता हूं आपकी अनुमति से। (3) में लिखा है कि कोई सदस्य जो ऐसा विषय उठाना चाहते हों.....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

पहले आप 49(2) पढ़ें।

श्री अम्बिका चौधरी-

(× × ×)

श्री अधिष्ठाता-

यह चौधरी जी की टिप्पणी कार्यवाही से निकाल दी जायेगी।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

नोट:- (× × ×) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, एक-एक शब्द निकाल दें। मुझे सर्वोच्च दण्ड दे दिया जाय लेकिन सदन को परम्पराओं से चलाया जाय। (× × ×) किसी सदस्य की मनमानी से सदन नहीं चलेगा। सदन नियमों से चलेगा।

श्री अधिष्ठाता-

अम्बिका जी, आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री अम्बिका चौधरी-

आप कह रहे हैं मैं बैठ जाता हूं। फिर कहूंगा।

श्री अधिष्ठाता-

कोई भी व्यवस्था का प्रश्न आप पीठ की अनुमति से उठायेंगे। आपको अनुमति दी। आपने व्यवस्था का एक प्रश्न किया पीठ से उस पर विनिश्चय कर दिया, व्यवस्था दे दी गई लेकिन पीठ के निर्देश के विपरीत जाकर के जिसका विनिश्चय पीठ द्वारा किया जा चुका है उस विषय को आप पुनः उठायेंगे। मैंने पुनः विचार के अनुरोध को अस्वीकृत कर दिया लिहाजा इस पर पुनः विचार नहीं कर रहा हूं अगली मद ले रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने कहा कि नियम 49(3) और (4) देखें। मैंने उसको पढ़ा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे यह बता दे कि (3) और (4) का क्या अर्थ है।

श्री अधिष्ठाता-

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

जैसा श्री प्रमोद कुमार जी ने कहा और मैने निवेदन किया है कि नियम-49 की मूल शर्तों के अनुरूप हमारा आपसे जो अनुरोध था इस प्रश्न के लोक महत्व को देखते हुए प्रश्नकाल के दौरान अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे गये। इन सारी शर्तों को पूरा करते हुए आपसे कहा।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने आपसे नियम 49 (2) (3) (4) पढ़ने को कहा है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मैं आपकी अनुमति से पढ़ रहा हूं। पहले मैं (4) पढ़ रहा हूं।

नोट:- (× × ×) यह अंश श्री अधिष्ठाता के अनुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया

श्री अधिष्ठाता-

वह तो निष्कर्ष है। आप (2) से पढ़िये।

श्री अम्बिका चौधरी-

मैं उसके बाद (3) पर आ रहा हूं। (4) तो एप्लीकेबिल नही है। मैं आपकी अनुमति से (3) पढ़ रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री बाबू राम यादव-

मान्यवर, आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं यदि आपकी अनुज्ञा हो इस प्रश्न पर व्यवस्था उठायी माननीय चौधरी साहब ने माननीय तिवारी जी ने जब व्यवस्था उठाई उस समय 12.20 हुआ था अब 20 मिनट हो गए हैं लेकिन इधर से माननीय सदस्य और उधर के माननीय सदस्य आपस में बातचीत करके निर्णय लेना चाहते हैं अपेक्षा यह होती है कि पीठ से...

श्री अधिष्ठाता-

आपस में बातचीत करके निर्णय लेना चाहते हैं। यह न कहें अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें। संसदीय भाषा का प्रयोग करें।

श्री बाबूराम यादव-

अगर वाद-विवाद न होता तो इस पर निस्तारण हो चुका होता।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

इसमें जिम्मेदारी किसकी है। अगर नियमों का पालन नहीं करें हर सदस्य अपनी मर्जी से कहना शुरू कर देंगे तो सदन की कार्यवाही संचालित हो पाएगी? मैं यह नहीं होने दूंगा अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर 4 के बाद 3 है मैं तीन पढ़ रहा हूं-कोई सइस्य जो ऐसा विषय उठाना चाहते हों, उस दिन से, जिस दिन वे उस विषय को उठाना चाहते हों, तीन दिन पूर्व सचिव को उसकी लिखित सूचना भेजेंगे और इस विषय या उन विषयों का, जिनको वे उठाना चाहते हों, संक्षेप में उल्लेख करेंगे अब मैं दो पर आता हूं ....

श्री अधिष्ठाता-

मैंने आपसे कहा आपने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया मैंने उस पर निर्णय..

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी-

तीन, चार आपके निर्देश से पढ़ा है।

श्री अधिष्ठाता-

यह उचित नहीं है मैंने भी पढ़ लिया है यह उचित नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी-

आप पुनः पढ़ लीजिए।

जटिल से जटिल प्रश्नों पर विचार की आवश्यकता होती है कई बार इतने त्वरित निर्णय आते हैं उसमें पीठ से सहमति होती है, लोक महत्व को स्वीकार किया जाता है। मान्यवर जो विषय नियम-49 में चर्चा के लिए आवश्यक हैं वह इसमें मौजूद हैं लेकिन पीठ अगर प्रतिष्ठा बना ले कि इस पर निर्णय नहीं देंगे तो यह उचित नहीं है। इसकी व्यापकता को देखें, 425 विधायक है जो मंत्री हैं बड़े मंत्री हैं उनसे भी यह जुड़ा है आप नियम 49 में चर्चा करने की घोषणा करें।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार-

प्रश्न मेरा है आपने कहा कि 2, 3 पढ़ लें कोई पढ़ नहीं रहा है मैं पढ़ देता हूं- "अध्यक्ष किसी ऐसे पर्याप्त लोक महत्व के विषय पर, लोक महत्व पर एक क्षण रूकें, लोक महत्व के विषय पर जो सदन में हाल में प्रश्नोत्तर का विषय रहा हो, चर्चा करने के लिए आधे घंटे का समय नियत कर सकेंगे।"

श्री अधिष्ठाता-

मुझे बता दें इसमें कहा लिखा है कि अध्यक्ष द्वारा उस सूचना पर आधे घंटे की चर्चा कराई जाय या न कराई जाए,

(व्यवधान)

मैंने आपसे नियम 49 में नोटिस प्राप्त कर लिया है मैंने कहा कि परीक्षण कराके निस्तारित कर दिया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार-

मैंने पढ़ दिया आपने सुन लिया। मान्यवर, एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, मैं अपने ज्ञानवर्धन के लिए पूछ रहा हूं। इसमें यह है कि चर्चा करने के लिए आधे घंटे का समय नियत करेंगे। आपने मुझसे प्रश्न पूछा कि तत्काल निर्णय लेने के लिए कहा इसमें लिखा है। तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि इसमें परीक्षण की व्यवस्था कहां है?

श्री अधिष्ठाता-

माननीय तिवारी जी आप तो कानून के ज्ञाता है।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अधिष्ठाता-

ऐसे नहीं सुना जायेगा। आप लोग कृपया अपने स्थान पर जायें। यह उचित नहीं है।

मैं सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अधिष्ठाता ने 12 बजकर 50 मिनट पर सदन की कार्यवाही 1 बजकर 05 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी। 1 बजकर 05 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता श्री मुन्ना चौहान के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, माननीय पीठ ने समय-समय पर कम से कम 100 बार ऐसे निर्णय लिये हैं और कहा है कि लिखकर दे दें विचार कर लेंगे, चर्चा करा देंगे। यह बात नहीं आयी कि परीक्षण करा लेंगे। यह सदन पीठ द्वारा लिये गये निर्णयों से भी चलता है।

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, जब भी ऐसा कोई विषय आया है कहा गया कि हम इस पर विचार कर लेंगे, आप भी विचार कर लें, हम भी कर रहें हैं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय तिवारी जी की ओर से नियम 49 में बकायदा लिखकर सूचना आ गयी है। परीक्षण का जो सवाल है माननीय अध्यक्ष जी के सचिवालय की अपनी प्रक्रिया है उसको परीक्षण ही कहा जाता है। आपकी नोटिस प्राप्त हो गयी है उस पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, निवेदन है कि चर्चा शीघ्र करवा देंगे।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें।

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 26 अप्रैल, 2000 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 10 सूचनाएं प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से अग्राहय को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गयी। श्री गोमती यादव, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री समर पाल सिंह, के अनुपस्थित होने पर केवल चार सूचनायें स्वीकृत हुई।

(स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली गयी) ।

जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा में धोवर नाले पर रपटा निर्माण हेतु वर्ष 1997-98 में प्रदत्त धनराशि में किये गये कथित भ्रष्टाचार की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद्–

(मान्यवर, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना है कि जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा में बरेहरा दिप्पाडेरा के बीच धोवर नाले पर रपटा निर्माण हेतु लघु सिंचाई विभाग बांदा को 22 लाख रु० वर्ष 97–98 में दिया गया था प्रदत्त धनराशि से विभाग ने जो निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया है वो बहुत ही निम्न कोटि का है रपटा निर्माण में बाढ़ से बहकर खेतों में पड़ी मिट्टी युक्त बालू का प्रयोग किया जा रहा है तथा नाम मात्र का सीमेन्ट लगाया जा रहा है ठेकेदार ने बांदा स्टोर से सीमेन्ट उठाकर बेच दिया है। कार्य में लगे मजदूरों की मजदूरी का भुगतान आज तक नहीं किया गया जिससे मजदूर भूखमरी की कगार पर पहुंच गये हैं। लघु सिंचाई विभाग द्वारा जो रपटा बनाया जा रहा है उसमें इतनी निम्न कोटि की सामग्री का उपयोग किया गया है कि पहली बरसात में बह जायेगा। यदि निर्माण कार्य की तकनीकी जांच कराकर दोषी से धन वसूल कर निर्माण की जिम्मेदारी किसी अन्य अधिकारी को देकर गुणवत्ता में सुधार लाया जाने मजदूरों की मजदूरी का भुगतान करने की कार्यवाही नहीं की गई तो जनता आन्दोलित हो सकती है।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की कृपा करें।)

रुड़की नगर में सीवर साफ करने की अधिकांश सिविरेज ड्रेनेज पम्पों के खराब होने से नगर में व्याप्त गन्दगी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम सिंह सैनी–

(महोदय, मैं आप की अनुमति से सदन के संज्ञान में रुड़की नगर के एक अधिक महत्वपूर्ण अविलम्बनीय समस्या की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं तथा मांग करता हूं कि जनहित में इस समस्या का समाधान तुरन्त किये जो रुड़की नगर में सिविरेज की स्थिति दिनों-दिन बद से बदतर होती जा रही है।

नोट :– ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अधिक काफी स्थानों पर सिविरेज का पानी तथा गंदी-गन्दगी लीक पहले से ही हो रही है। परन्तु पिछले कुछ दिनों से तो स्थिति इस गंभीर समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है। जब से इस नगर में लगे कुल 12 सिविरेज ड्रिनेज पम्पों में से 10 ने काम करना बन्द कर दिया है और केवल 2 पम्प काम कर रहें है। जिससे सड़कों पर गंदा पानी व मैला वह रहा है। शहर में प्रदूषण की भयंकर समस्या तो उत्पन्न हो गयी है। साथ ही साथ महामारी फैलने का खतरा उत्पन्न हो गया है। स्थिति विस्फोटक है। नागरिकों में भारी आक्रोष-रोष एवं असंतोष व्याप्त है।

अतः समस्या का तुरन्त समाधान कराया जाना आवश्यक है।(

जिला महिला अस्पताल गोण्डा में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम विशुन आजाद-

(मान्यवर, आपकों अवगत कराना है कि जिला महिला अस्पताल गोण्डा में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। गरीब मरीजों को बुरी तरीके से अधीक्षक और डा0 बीना सक्सेना, डा0 विजय लक्ष्मी एवं इनके पति ए0के0 सक्सेना जिला महिला अस्पताल में पिछले दस वर्षो से कार्यरत हैं इन लोगों के द्वारा डियूटी के समय में भी अपने घर पर दलालों के माध्यम से मरीजों से पैसा लिया जाता है इनकी लापवाही से अगस्त 1995 में एक महिला के उसके नवजात शिशु की चिकित्सा अभाव में चिकित्सालय में ही मृत्यु हो गयी।

इस प्रकरण में विभागीय जांच हुई इनको दोषी पाया गया। इसी तरीके से 10.7.99 को डा0 बीना सक्सेना ने श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी भगवती प्रसाद दूबे ग्राम मूसेगंज पो0 भिटौरा से तीन हजार रुपये की मांग की थी रुपया न देने पर मरीज के साथ अभद्रता का व्यवहार किया गया और एक बोतल खून 15 मिनट में मरीज को चढ़ा दिया गया जिससे हालत खराब हो गई और मरीज को प्राइवेट नर्सिंग होम में जाना पड़ा तब उनकी जान बची। इसी तरीके से श्रीमती सुशीला पाण्डेय पत्नी प्रेमशंकर पाण्डेय ग्राम इमलिया पो0 दलपतपुर गोण्डा द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी गोण्डा को 13-3-2000 को शिकायत की गई कि श्रीमती पाण्डेय को बच्चा पैदा हुआ बच्चे का इलाज डा0 विजय लक्ष्मी द्वारा इसलिए नहीं किया गया क्योंकि डा0 विजय लक्ष्मी द्वारा श्रीमती पाण्डेय से एक हजार रुपये मांगा गया और नहीं दिया गया इसलिए इलाज जानबूझकर न करने से नवजात स्वस्थ्य बच्चा होते हुए भी मर गया। इसकी जांच के लिए मेरे द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी को अवगत कराया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा डा0 डी0 एम0 सक्सेना एवं डा0 विजय लक्ष्मी सक्सेना के भ्रष्ट गतिविधियों के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक गोण्डा की संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी गोण्डा ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को अपने अर्द्ध शासकीय पत्र सं0-675/आ0 लि0/चि0 विभाग 98 दिनांक 7 सितम्बर, 1998 को उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की प्रबल संस्तुति की है।

नोट:- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए भ्रष्ट डाक्टरों के स्थानान्तरण करने एवं कार्यवाही की मांग करता हूं।)

मथुरा में चन्द्र शेखर आजाद पशु चिकित्सालय के समस्त कर्मियों/अधिकारियों के समस्त भुगतान एवं बकाया भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार पोइया-

(आपके माध्यम से लोकहित के विषय के महत्वपूर्ण तथ्य को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

कानपुर कृषि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत मथुरा जनपद स्थित महाविद्यालय चन्द्रशेखर आजाद पशु चिकित्सालय सम्बद्ध है, यहां के अधिकारी एवं कर्मचारियों को वेतन समय से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है चूंकि सर्वप्रथम कानपुर कृषि विद्यालय के कानपुर में स्थित सभी अधिकारी एवं कर्मचारी वेतन स्वयं अपना हर माह भुगतान कर लेते हैं, मथुरा प्रांगण के कर्मचारियों की ओर किसी भी अधिकारी उप कुलपति एवं प्रशासन ध्यान नहीं रखते, सौतेला व्यवहार रखते हैं प्रमुख कुछेक को छोड़कर अधिकांश अल्पवेतन भोगी कर्मचारी हैं, मथुरा चन्द्रशेखर आजाद पशु चिकित्सालय को कृषि विश्वविद्यालय के अधिकारी जानबूझकर उसकी उपेक्षा कर रहे हैं तथा उजाड़ने पर उतारू हैं. अल्पवेतन के अलावा जो भी मद है वह भी प्रभावित है बिजली, दूरभाष सहित दैनिक उपयोग महाविद्यालय के लिए छात्र/छात्राओं को उपलब्ध भी नहीं हो पा रही है। कानपुर कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के लिए यूथ की धनराशि जो भी है इसे उपलब्ध करायी जाय तथा चन्द्रशेखर आजाद पशुचिकित्सालय मथुरा के समस्त खर्चे की धनराशि शासन को सीधे महाविद्यालय के डीन को कर्मचारियों एवं महाविद्यालय के हित में उनके खाते में भेजी जाय जिससे उस धन राशि का सदुपयोग हो सके। जैसे ही शासन मथुरा चन्द्रशेखर आजाद पशु चिकित्सालय के समस्त कर्मचारी/अधिकारियों के समस्त वेतन सहित पिछले भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के निर्देश प्राथमिकता के आधार पर करने का शासन कष्ट करें तथा दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही भी हो।

अतः लोकहित के महत्वपूर्ण विषय पर तत्काल कार्यवाही की अपेक्षा आपके माध्यम से करने की मांग करता हूं।)

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, पोइया जी के साथ मथुरा में एक बारात में क्या घटित हुआ।

श्री अधिष्ठाता-

मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, किसी सदस्य के साथ मारपीट होती है, मैं तो मर्माहत हूं।

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अधिष्ठाता-

आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप स्थान ग्रहण करें। नियम 300 की सूचनाओं पर चर्चा करेंगे।

आज दिनांक 26 अप्रैल, 2000 को नियम 300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 7 सूचनाएं प्राप्त हुई। पहली सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी की है।

(श्री श्याम देवराय चौधरी द्वारा बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री दद्दू प्रसाद-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मेरे साथ जो घटना घटी थी उसमें दो दिन का समय मांगा गया था। आज समय पूरा हो गया है।

श्री अधिष्ठाता-

मैं अनुमति नहीं देता हूं, बीच में यह बात व्यवस्था के माध्यम से नहीं उठायी जा सकती है।

(श्री लाल जी वर्मा सहित कुछ अन्य सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अधिष्ठाता-

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

मैंने नियम 300 की सूचना ली है और एक माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति दी तो इस बीच में कोई व्यवस्था का प्रश्न कैसे उठ सकता है?

श्री बी0आर0वर्मा-

मान्यवर, इसके बाद में सुन लीजिएगा।

श्री अधिष्ठाता-

व्यवस्था का प्रश्न बनेगा तो सुनूंगा, नहीं बनेगा तो नहीं सुनूंगा। मैंने माननीय सदस्य का नाम पुकार लिया है इस बीच में मैं नहीं सुनूंगा।

श्री बी0आर0वर्मा-

मैंने यह अनुरोध किया था कि उसके बाद सुन लेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

मैं व्यवस्था दे रहा हूं कि किसी माननीय सदस्य के वक्तव्य के बीच में, भाषण के बीच में व्यवस्था के प्रश्न की अनुमति नहीं दी जा सकती।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् के आवेदन पत्रों में रंगीन फोटो स्वीकार न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री श्याम देव राय चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित हाईस्कूल एवं इन्टर के परीक्षा फार्मों पर प्रदेश भर के केन्द्र व्यवस्थापकों द्वारा फार्म लेने से इस बात से इन्कार कर दिया जाता है कि परीक्षा फार्म पर रंगीन फोटो चिपकयी गई है। अभिभावक और जो परीक्षार्थी हैं इससे उनके समक्ष बहुत विषम परिस्थिति पैदा हो गयी है। मैंने इसको नियम 51 के अन्तर्गत एक ध्यानाकर्षण सूचना प्रस्तुत करते हुये यह मांग की थी कि परिषद् को यह निर्देश दिया जाये कि ब्लैक एण्ड व्हाइट फोटों के साथ रंगीन फोटो स्वीकार की जाय। मान्यवर, 11-4-2000 को माननीय मंत्री जी ने जो अपना लिखित वक्तव्य प्रस्तुत किया उसमें उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा परीक्षा आवेदन पत्रों पर रंगीन फोटो लगाने का निषेध करने का कोई निर्देश नहीं दिया गया है। मान्यवर, मैंने अपने ध्यानाकर्षण सूचना में यह कहा है कि जो विभिन्न जिलों के केन्द्र व्यवस्थापक हैं उनके द्वारा जिन फार्मों पर रंगीन फोटो चिपकायी हुई होती है तो उसको इस आधार पर लेने से इंकार किया जाता है कि रंगीन फोटो लगी हुई है।

मान्यवर, मैं यह आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मैंने यह नियम 300 के औचित्य के प्रश्न के साथ ही जो फार्म है उसकी एक फोटो स्टेट कापी संलग्न किया हूं, उसकों देखने की कृपा करें।

निर्देश के स्तम्भ-14 पर मुद्रित है, निर्धारित स्थानों पर परीक्षार्थी द्वारा पासपोर्ट आकार का ब्लैक एण्ड वाइट फोटो चिपकाया जाय, जबकि माननीय मंत्री जी ने कहा था कि ऐसा कोई निषेध नहीं है। तो मैं शासन से अपेक्षा करता हूं कि चूंकि निर्देश में स्पष्ट रूप से अंकित हैं, ब्लैक एण्ड वाइट फोटो चिपकाया जाय, इस कारण प्रदेश के विभिन्न जिलों के जो केन्द्र व्यवस्थापक है, वह रंगीन फोटो लगा होने पर अस्वीकार करते हैं, आनाकानी करते हैं, इसलिये मैं चाहता हूं कि जहां आवश्यक निर्देश मुद्रित हैं, जब आगामी 2000-2001 के फार्म लिये जायें, उसमें यह भी मुद्रित करा दिया जाय कि ब्लैक एण्ड वाइट अथवा रंगीन फोटो चिपकाये जा सकते हैं। साथ ही प्रदेश भर के केन्द्र व्यवस्थापकों को भी स्पष्ट रूप से यह निर्देश भेज दिया जाय कि दोनों ही प्रकार के फोटो चिपकाये जा सकते हैं और अस्वीकार नहीं किये जायेगें।

पंजीयन, मनोरंजनकर स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैंने सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् से जानकारी प्राप्त की और उनकी जानकारी के अनुसार दोनों ही प्रकार के फोटों स्वीकार किये जा रहें हैं, ब्लैक एण्ड वाइट अथवा रंगीन, कहीं अस्वीकृत नहीं किया जा रहा है। माननीय सदस्य ने जो चिन्ता दर्शायी है, ऐसी निर्देश दे दिया गया है और इस निर्देश को भी सुनिश्चित

करने के आदेश दिये गये हैं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय श्याम देव राय चौधरी तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात्, मैं इस सूचना को औचित्य के प्रश्न के रूप में अस्वीकार करता हूं परन्तु जैसा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्वंय भी कहा, मैं पुनः इस बात के लिये निर्देश दे रहा हूं कि यह सुनिश्चित कर दिया जाय, कि जो इंस्ट्रक्शन हैं, फार्म भरे जाने के सम्बन्ध में, उसमें लिखकर चला जाय, जहां ब्लैक एण्ड वाइट फोटो लिखा है, उसमें रंगीन फोटो का भी स्पष्ट जिक्र कर दिया जाय।

श्री हुकुम सिंह-

मैं फिर स्पष्ट कर दूं, वैसे आपका निर्देश शिरोधार्य है। लेकिन इस निर्देश के पूर्व ही यह आदेश सरकार द्वारा सचिव को दे दिये गये हैं कि क्रम संख्या-14 को संशोधित कर दिया जाये।

दिनांक 24-4-2000 को श्री दद्दू प्रसाद की औचित्य के प्रश्न की सूचना पर पीठ के निर्देशानुसार शासन द्वारा कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

* श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। 24 तारीख की कार्यवाही में आपकी अनुमति से एक औचित्य का प्रश्न माननीय दद्दू प्रसाद ने उठाया था। उस औचित्य के प्रश्न पर माननीय पीठ द्वारा यह निर्देश शासन को दिया गया था कि 2 दिन के अन्दर इस पर कार्यवाही कराकर सदन को सूचित कर दिया जाये। 24, 25, 26 आज तीसरा दिन है, लेकिन उस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही को नहीं बतलाया गया, न कोई सूचना दी गयी। इसी प्रकार श्री शिवचरण प्रजापति का मामला था, उसमें भी 10 दिन में सूचित करने को कहा गया था। लेकिन एक महीना हो गया और सदन को सूचित नहीं किया गया। इस पीठ के निर्देशों की सरकार द्वारा अगर अवहेलना होती है तो निश्चित रूप से यह औचित्य का प्रश्न बनता है और यह एक गंभीर प्रश्न है, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं अन्यथा सदन की मर्यादा नहीं रह जायेगी।

संसदीय कार्य पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैनें इसकी जानकारी प्राप्त की और माननीय सदन को स्वयं अवगत कराना चाह रहा था, उससे पूर्व आपने स्वयं प्रश्न उठा दिया। जो कार्यवाही की है, जो तथ्य हमारे सामने अभी तक आये हैं, उसका संक्षेप में उल्लेख कर देना चाहता हूं। यह दिनांक 19-4-2000 की घटना है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, घटना इस प्रकार है कि विकास खण्ड मानिकपुर जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायतों के नामांकन की प्रक्रिया चल रही थी। वहां विधायक श्री दद्दू प्रसाद जी, श्री मोती लाल का नामांकन हेतु निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में गये, जो वहां दूसरी पार्टी के लोग थे उन्होंने इस पर एतराज किया और कहा कि आप लाइन में आयें और अन्दर नामांकन के लिए नहीं जा सकते हैं। इस पर दोनों पक्षों में तनाव पैदा हुआ। वहां ड्यूटी पर जो पुलिस अधिकारी थे उन्होंने माननीय विधायक जी से निवेदन किया कि चूंकि व्यवस्था जो है उसमें आप सहयोग दें और आप बाहर आ जायं। इस पर तर्क चलता रहा और तर्क के चलते तनाव भी व्याप्त हो गया, तनाव इसी बात को लेकर पैदा हुआ कि बाहर जायें या नहीं।

मान्यवर, हमने इस बात की पुष्टि वहां के एस0एस0पी0 और डी0आई0जी0 को स्वयं बुलाकर किया तो जानकारी प्राप्त हुई कि जो तथ्य सामने आये हैं उसके अनुसार अभी तक मैंने देखा कि वहां जो निर्वाचन अधिकारी श्री पी0 एन0 सिंह थे उनका साक्ष्य महत्वपूर्ण है चूंकि वह प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं और छुट्टी पर थे इसलिए मैंने कहा कि उनका ब्यान लेकर आयं चूंकि जो कहा-सूनी हुई है उसके बारे में वह बतायें। मान्यवर, इसमें दो बातों की अपेक्षा की गयी थी, एक यह कि प्रार्थना-पत्र एस0पी0 को दिया था जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कराया जाये और दूसरे उसकी जांच एक गजटेड अधिकारी से करायी जाय। मान्यवर, आमतौर पर जांच एस0 ओ0 करते हैं लेकिन यह विधायक का प्रकरण था इसलिए निर्देश दिये गये कि इसकी जांच राजपत्रित अधिकारी से करायी जाय तो जांच जारी है और मुकदमा दर्ज है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय वर्मा जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न और औचित्य का प्रश्न उपस्थित किया उसमें मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से पीठ के जो निर्देश होते हैं उसके कुछ व्यवहारिक पहलू भी हैं लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि पीठ के निर्देशों का पालन होना चाहिए और उनका पालन करते हुए संसदीय कार्य मंत्री जी ने जैसा अभी सदन को बताया कि जो अपेक्षित कार्यवाही थी और जो सदन में आश्वासन दिया था उसके अनुसार अपेक्षित कार्यवाही की जा चुकी है।

श्री बी0आर0 वर्मा-

मान्यवर, उस दिन की कार्यवाही मंगवा लें और उसे देख लें तो पायेंगे कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने घोषणा किया था उसका सदन में पालन नहीं हो रहा है जो सदन की अवमानना होती है। उस दिन आपने कहा था कि इतने बिन्दु नहीं हैं, एफ0 आई0 आर0 दर्ज करा दें तो मंत्री जी ने कहा था कि अभी दर्ज करा देते हैं। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इसमें पूरी छानबीन हो जाये चूंकि दरोगा वहां से स्थान्तरित है।

मान्यवर, वह दारोगा स्थानांतरण के बाद भी वहां बना हुआ है, इसकी भी जानकारी दे दें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, वह दरोगा कार्यमुक्त कर दिया गया है, नम्बर-2 जांच कुछ अपूर्ण थी मैंने डी0आई0जी0 को निर्देश दिये थे कि वे अपने स्तर से जानकारी प्राप्त कर लें। मुकदमा कायम करने के आदेश शासन से दिया गया है और यह कहा गया है कि इसकी जांच राजपत्रित अधिकारी करेगा।

श्री अधिष्ठाता-

अब तो इस बात से संतुष्ट हो जाना चाहिए, माननीय वर्मा जी।

* श्री बी0आर0 वर्मा-

मान्यवर, जो प्रकरण था, आज तीसरा दिन है। माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने निर्देश दिया कि एफ0आई0आर0 दर्ज करा दी जाये मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं, संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि यह एफ0आई0आर0 तो स्वतः ही हो जानी चाहिये थी। मान्यवर, 19 तारीख की घटना है, विधायक के लिखने के बाद भी उस पर एफ0आई0आर0 नहीं लिखी गई। यदि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी के निर्देश के बाद भी एफ0आई0आर0 दर्ज हो गयी है तो मैं उसका क्राइम नम्बर जानना चाहता हूं। यदि सरकार के निर्देश के बाद एफ0आई0आर0 हो गया है तो उसका क्राइम नम्बर क्या है? सरकार ने स्वीकार किया है कि उसका स्थानांतरण जालौन के लिए कर दिया गया है, लेकिन वह दरोगा किस तरह से वहां पर पड़ा रहा, इसकी जानकारी चाहता हूं। तीसरी चीज यह जो एफ0आई0आर0 हुआ वह किस सेक्शन में हुई, आईपीसी की किस धारा में हुई। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने इन सारी चीजों की जानकारी करके क्या कार्यवाही की है, इसकी भी जानकारी दे दें। यह एक विधायक के अपमान का मामला है, सदन के अपमान का मामला है। वह दरोगा वहां उपस्थित था, मंत्री जी सूचना दे रहें हैं कि मोती लाल जी गये और वहां कमरे में घुस गये तो इसमें दद्दू प्रसाद जी कहां से आ जाते हैं। दद्दू प्रसाद के साथ जो दरोगा स्थानांतरित है, वह उनके साथ दुर्व्यवहार करता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि संसदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करें कि अब तक एफ0आई0आर0 जो नहीं हुई, डिले हुआ, आप के निर्देश के बाद दर्ज हुई उसका क्राइम नम्बर, अपराध संख्या और कौन सेक्शनों में हुआ है, यह जानना चाहता हूं। जो एफ0आई0आर0 आज तक नहीं लिखी गयी उसमें संसदीय कार्य मंत्री ने, सरकार ने क्या कार्यवाही की। वह स्थानांतरित दरोगा वहां पर बना हुआ है। श्री शिवचरण प्रजापति जी के मामले में कहा था कि 10 दिन में कार्यवाही करेंगे, आज तक उनके लाइसेंसी असलहे वापस नहीं हुए। संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि इससे सदन को अवगत करायेंगे। क्या कार्यवाही की, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। मंत्री जी स्पष्ट कर दें।

नोट :- * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, लगभग सभी बिन्दुओं के बारे में मैं कह चुका हूं। अब इसमें स्पष्टीकरण यह मांगा जा रहा है कि क्राइम नम्बर क्या है। मान्यवर, परीक्षण करने के बाद शासन स्तर से निर्णय हुआ कि विधायक जी का मामला है और मुकदमा कायम किया जाये। कल हमने रिपोर्ट प्राप्त की थी। आज पूछा जा रहा है कि क्राइम नम्बर क्या है। यह उचित परम्परा नहीं है। आप इन्टेरोगेशन कर रहें हैं। यह कहना काफी है कि हमने मुकदमा कायम करा दिया है।

श्री अधिष्ठाता-

इसकी धाराएं बताने की आवश्यकता भी नहीं है। माननीय वर्मा जी, माननीय लालजी वर्मा, आपने जो प्रश्न उपस्थित किया, माननीय सदस्यों को सुनने के पश्चात् और माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने शासन का जो पक्ष रखा उससे निश्चित रूप से पीठ संतुष्ट है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

कृपया शान्त रहें। माननीय लालजी वर्मा एवं श्री बी0आर0वर्मा जी ने औचित्य के प्रश्न के माध्यम से एक विषय उठाया उस पर माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने सरकार का पक्ष बताया। उसको सुनने के पश्चात् निश्चित रूप से पीठ को यह समाधान हो जाता है कि पीठ द्वारा जारी किये गये निर्देशों का पालन सरकार द्वारा कर दिया गया है। मुकदमा अपराध संख्या आदि का विवरण दिये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः इस औचित्य के प्रश्न को निस्तारित करता हूं। (श्री आर0के0 सिंह पटेल, श्री दद्दू प्रसाद, श्री लालजी वर्मा श्री सतीश जतरिया, श्री मुरलीधर, श्री अकबर हुसेन सहित बहुजन समाज पार्टी के कई सदस्य सदन के वेल में आ गये और "पुलिस के बल पर यह सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।" "गुण्डागर्दी की सरकार, नहीं चलेगी नहीं चलेगी।" दरोगा की गुलाम, यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी के नारे लगाने लगे)।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्यगण, आप अपने स्थान पर जांय। कोई भी बात कहनी है तो अपने स्थान पर जाकर कहें। माननीय वर्मा जी, कृपया माननीय सदस्यों को अपने स्थान पर जाने के लिए कहें। (बेल में आये हुये सदस्य सरकार विरोधी नारे लगाते रहें।)

सरकार विरोधी नारे लगाये जाते रहें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मौर्या जी आप अपने सदस्यों को अनुशासित कीजिये, आप इनको बुला लें।

(कई सदस्यों द्वारा लगातार नारे लगाते रहने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य जो कुछ कहना चाहते हों तो वह पहले अपने आसन पर जाये तभी कोई बात सुनी जा सकती है।

(कई सदस्य नारे लगाते हुये श्री अध्यक्ष के आसन की ओर बढ़ने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता-

मैं सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित कर रहा हूं। (घोर व्यवधान के कारण । बजकर 40 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही । बजकर 55 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी । बजकर 55 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अधिष्ठाता ने सदन का स्थगन 2 बजकर 15 मिनट तक बढ़ा दिया है, 2 बजकर 15 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को पुनः सूचित किया कि श्री अधिष्ठाता ने सदन का स्थगन 2 बजकर 30 मिनट तक के लिए और बढ़ा दिया है।

2 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मुन्ना चौहान के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता जी, अभी एक प्रकरण यहां उठा श्री ददद्दू प्रसाद जी का। 24 तारीख को इसी सदन में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि अभी एक घण्टे में एफ0आई0आर0 दर्ज हो जायेगी।

श्री अधिष्ठाता-

वर्मा जी मेरा आपसे अनुरोध है...

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, आप सुन तो लें मेरी बात। 24 तारीख की कार्यवाही के पेज-40 निकाल लें इसमें संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि एफ0आई0आर0 के लिये परेशान न हों। यह अभी एक घंटे के अन्दर दर्ज हो जायेगी। आगे भी पढ़िये।

श्री अधिष्ठाता-

मेरे भी सामने रखी है।

श्री लाल जी वर्मा-

आगे लिखा है कि "लेकिन हम इसको गम्भीरता से लेना चाहते हैं। मान्यवर, एफ0आई0आर0 की बात में हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन गम्भीरता से लेना चाहते हैं। यही मेरा प्रश्न है कि इसे कितनी गम्भीरता से लिया गया ?

माननीय अध्यक्ष जी ने भी कहा था कि पुलिस अधीक्षक के पत्र को एफ0आई0आर0 मानकर कार्यवाही करवा लीजिये। इन्हीं दो बातों को माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन में कहा था। मेरी जानकारी के अनुसार अभी भी वह दरोगा वहीं पर बना हुआ है जबकि उसी दिन एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा गया कि उसका स्थानान्तरण जालौन के लिये हो गया। मान्यवर, ऐसी स्थिति में यह औचित्य का प्रश्न इसलिये बनता है कि पीठ ने निर्देश किया था, संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। अगर इस तरह के गम्भीर प्रश्न पर टालमटोल किया जायेगा तो सदन की कोई गरिमा नहीं रह जायेगी।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जो प्रश्नगत पुलिस उप निरीक्षक हैं, उसको कार्यमुक्त कर दिया गया है। यह मैंने पहले भी सदन को अवगत कराया था और जैसा मैंने पूर्व में कहा था उसी को दोहराना चाहता हूं। माननीय विधायक जी ने जो प्रार्थना-पत्र या पत्र उक्त घटना के बारे में पुलिस अधीक्षक को दिया था उसके आधार पर एफ0आई0आर, करने के निर्देश शासन को दिये जा चुके हैं और अगर एफ0आई0आर0 करने के निर्देश शासन को दिये जा चुके हैं और अगर एफ0आई0आर0 की प्रति की आवश्यकता आपको है, तो मैं कल ही उसकी प्रतिलिपि भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। यह दो जिज्ञासाएं थी जिसके बारे में मैंने अपनी बात कह दी।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

सम्पूर्ण प्रकरण की जांच के सम्बन्ध में भी कहा था।

श्री हुकुम सिंह-

एक तो जो मुकदमा कायम हुआ उसके बारे में निर्देश दिये कि मुकदमें की तफ्तीश किसी राजपत्रित अधिकारी से कराई जाय। सारे प्रकरण के कुछ बिन्दुओं पर मुझे लगा तो मैंने पुनः डी0आई0जी0 को निर्देशित किया है कि अपने स्तर से जांच करके दोबारा लायेंगे।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता-

मौर्य जी अब पर्याप्त हो गया।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से सरकार को यह स्मरण दिलाना चाहता हूं कि 2 दिन पूर्व यह कहा गया था कि हम एक घंटे के अन्दर एफ0आई0आर0 दर्ज करवा देंगे। आज दो दिन हो गये और यह पुनः कह रहे हैं कि उसके खिलाफ एफ0आई0आर0 होगी। इन्होंने यह भी कहा था कि हम दो दिन

के अन्दर किसी उच्च अधिकारी से उसकी आख्या मंगवा लेंगे। आज तक मान्यवर, वह आख्या नहीं आई। मान्यवर, हम आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं कि आज भी रात में टेलीफोन पर वह दरोगा जिसके खिलाफ द्ददू प्रसाद जी ने लिखित शिकायत की थी, उसने इनको गोली से मारने की धमकी आज भी दी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से उस कमल सिंह दरोगा, जिसके खिलाफ अपराध के एफआई0आर0 दर्ज हो चुके हैं जो अपने उच्च अधिकारी के ऊपर खुद एक बार रिवाल्वर तान चुका है वह दद्दू प्रसाद जी को गोली क्यों नहीं मार सकता है। आज भी उसके पीछे जांच चल रही है। आज भी वह दद्दू प्रसाद जी को जान से मारने की धमकी दे रहा है। ऐसी स्थिति में हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि उस आपराधिक चरित्र के दरोगा को तत्काल स्थानान्तरित करें। एफ0आई0आर0 अगर हो चुकी है तो उसकी कापी तत्काल सदन में प्रस्तुत की जाय। दूसरी बात यह है कि जब दो महीने पहले से वह दरोगा स्थानान्तरित था। दो महीने पहले उसके स्थानान्तरित के आदेश हो चुके थे तो माननीय अधिष्ठाता जी तो आज तक वह वहां क्यों बना हुआ है।

श्री अधिष्ठाता-

यह सारी बातें पहले आ चुकी हैं पुनः माननीय लालजी वर्मा जी ने आज इस मसले को फिर से उठाया इसमें संसदीय कार्यमंत्री का जवाब आ गया है निश्चित रूप से पीठ भी संतुष्ट है आप भी संतुष्ट है पीठ के निर्देशों के अनुरूप शासन द्वारा, सरकार द्वारा कार्यवाही की गई है एफ0आई0आर0 दर्ज करने के निर्देश दे दिए गए हैं। दरोगा को हटा दिया गया है। तफ्तीश वाला जो प्रकरण है उसके बारे में विस्तार से यहां चर्चा नहीं हो सकती है। इसमें सदन के माननीय सदस्य का मामला था इसलिए सभी ने सरकार ने भी माननीय सदस्यों ने भी सत्तापक्ष और विपक्ष तथा पीठ ने इसे बहुत गम्भीरता से लिया है मैं समझता हूं कि औचित्य का प्रश्न जो वर्मा जी ने उठाया है उसका समाधान हो जाना चाहिए और पीठ के निर्देशानुसार समाधान हो गया है। अब आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, हम आपके निर्देशानुसार बैठे जा रहे हैं लेकिन वहां से जो आख्या मंगाई गई है उसको तथा एफ0आई0आर0 की प्रतिलिपि जो दर्ज हुई है उसको कल प्रस्तुत कर दिया जाए, कल फिर यह न हो कि फिर इसको देखेंगे। कल सुबह सदन चले तो इसका कार्यान्वयन होना चाहिए।

श्री जगदम्बिका पाल-

मैं एक बात कहना चाहूंगा अगर दरोगा कार्यमुक्त हो गया है तो वह प्राइवेट तौर से उस जिलें में न रहे, पता लगा छुट्टी के बाद वह और उत्पीड़न की कार्यवाही करें।

औचित्य के प्रश्नों की शेष सूचनाओं का स्थगन

श्री अधिष्ठाता-

नियम 300 की अगली सूचना रेवती रमण सिंह जी की है।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

इसको कल के लिए स्थगित कर दें।

श्री अधिष्ठाता-

कल दुबारा नोटिस लाना पड़ेगा।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

समय देख लें बजट पर चर्चा होनी है सरकार की तरफ से जवाब भी आना है तीन बजने में बीस मिनट रह गए हैं आप कहेंगे तो आज भी कर लेंगे लेकिन हम चाहते हैं और सदस्य भी बजट में सामान्य चर्चा पर भाग लेना चाहते हैं इसलिए हम चाहते थे कि इसको कल तक के लिए स्थगित कर दें।

श्री अधिष्ठाता-

कुंवर रेवती रमण सिंह और अम्बरीष कुमार जी की सूचना को कल तक के लिए स्थगित किया जाता है।

श्री प्रमोद कुमार-

बाकी सूचनाएं भी स्थगित कर दें।

श्री अधिष्ठाता-

तीसरी सूचना श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रमोद तिवारी, श्री कौकब हमीद, श्री अखिलेश सिंह तथा चौथी सूचना श्री राम औतार शाक्य, पांचवी सूचना श्री राम सखी, छठी सूचना श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव सातवीं सूचना श्री अजय कुमार पोइया सभी सूचनाओं को कल तक के लिए स्थगित किया जाता है।

विधान भवन के गेट नं0-9 के पास भारी मात्रा में रद्दी एकत्र होने से आग लगने की सम्भावना विषयक सूचना

श्री अधिष्ठाता-

एक सूचना है राम औतार शाक्य जी ने विशेष उल्लेख के तहत दी है कि विधान भवन में गेट नं0 9 के पास भारी मात्रा में रद्दी एकत्र होने से आग लगने की सम्भावना।

श्री राम औतार शाक्य-

कोई भाषण की बात नहीं है आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि विधान सभा सचिवालय के गेट नम्बर-9 पर बहुत सारा कूड़ा इकटठा हो गया है। इस भीषण गर्मी के कहीं आग लग जाय तो यह सचिवालय जलने लगेगा। तो ऐसी व्यवस्था वहां पर करा दें ताकि भविष्य में विधान भवन हमारा न जल पाय क्योंकि यह हमारा विधान भवन पूरे हिन्दुस्तान की शान है।

पंजीयन, मनोरंजनकर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, कूड़ा हम साफ करवा देंगे। जहाँ-जहाँ कूड़ा हमें दिखायी देगा हम उसे साफ करवा देंगे। कूडा बहुत जगह इकट्ठा हो गया है।

जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत विकास खण्ड घिरौर के ग्राम नगला रडा में प्रस्तावित राजकीय कन्या इन्टर कालेज को ग्राम शाहजहांपुर में स्थानान्तरित कराये जाने विषयक श्री जयपाल सिंह व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका का स्थगन

श्री अधिष्ठाता-

मद संख्या-4 माननीय सदस्य श्रीमती उर्मिला यादव जी के अनुरोध पर स्थगित की जाती है।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में दर्जीकुआं मनकापुर बभनान मार्ग और फैजाबाद मार्ग की मरम्मत और चौड़ीकरण कराये जाने विषयक डा0 इरफान उल्ला खाँ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका +

श्री राम बिशुन आजाद-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से (।) जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में दर्जीकुआँ मनकापुर बभनान मार्ग और फैजाबाद मार्ग की मरम्मत और चौड़ीकरण कराये जाने विषयक डा0 इरफान उल्ला खां निवासी जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के आई0टी0आई0 लिमिटेड मनकापुर का प्रदूषित जल मनवर नदी में गिरने से रोकने विषयक श्री अशोक कुमार सिंह द्वारा हस्ताक्षरित याचिका +

श्री राम बिशुन आजाद-

मान्यवर मैं आपकी आज्ञा से जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में आई0टी0आई0 लिमिटेड मनकापुर का प्रदूषित जल मनवर नदी में गिरने से रोकने विषयक श्री अशोक कुमार सिंह, निवासी जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

नोट:- + छापी नहीं गयी।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में झिलाही बाजार और साबरपुर बाजार में 33 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र खोले जाने विषयक श्री अनूप सिंह व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ।

श्री राम बिशुन आजाद-

मान्यवर मैं आपकी आज्ञा से जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में झिलाही बाजार और साबरपुर बाजार में 33 के0बी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र खोले जाने विषयक श्री अनूप सिंह तथा वीरेन्द्र प्रताप सिंह, निवासीगण-जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

राजकीय विकलांग कार्यशाला पिथौरागढ़ को उच्चीकृत कर औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र का दर्जा दिलाये जाने विषयक श्री महेश गिरि व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ।

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से (।) राजकीय विकलांग कार्यशाला पिथौरागढ़ को उच्चीकृत कर औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र का दर्जा दिलाये जाने विषयक श्री महेश गिरि तथा श्री गणेश गिरी, निवासीगण पिथौरागढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिथौरागढ़ को कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल का परिसर बनाये जाने विषयक श्री केदार सिंह नेगी व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ।

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिथौरागढ़ को कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल का परिसर बनाये जाने विषयक श्री केदार सिंह नेगी तथा श्री बालादत्त गहतोड़ी, निवासीगण-जनपद पिथौरागढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(मद संख्या-7 पुकारे जाने पर श्री पूर्णमासी पंकज उपस्थित नहीं थे)।

श्री अजय कुमार पोइया-

मान्यवर, मैं आपकी..

श्री पूर्णमासी पंकज-

मान्यवर, मैं उपस्थित हो गया हूं।

श्री अधिष्ठाता-

पहले यह मद संख्या-8 हो जाने दीजिये मैंने नाम पुकार लिया है फिर आपकी मद ले लेंगे।

नोट:- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मथुरा के गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र के ताज ट्रेपेजियम के अन्तर्गत अब शेष ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने विषयक ठा0 नारायन सिंह व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिक

श्री अजय कुमार पोइया-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद मथुरा के गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र के ताज ट्रेपेजियम के अन्तर्गत अब शेष ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने विषय ठा0 नारायन सिंह तथा श्री चेतन सिंह सिरोही निवासीगण-जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद सन्त रविदास नगर की नगर पंचायत नई बाजार में पशु चिकित्सालय स्थापित कराये जाने विषयक श्री तहसीलदार सिंह व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री पूर्णमासी पंकज-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद सन्त रविदास नगर की नगर पंचायत नई बाजार में पशु चिकित्सालया स्थापित कराये जाने विषयक श्री तहसीलदार सिंह तथा श्री गया सिंह, निवासीगण-जनपद संत रविदास नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, हमने विशेषाधिकार की सूचना दी थी।

श्री अधिष्ठाता-

वह अभी परीक्षण में है।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता-

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 25 अप्रैल, 2000 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 26 अप्रैल से 26 मई, 2000 तक के उपवेशों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:-

अप्रैल, 2000

26 बुधवार- 1-वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।

2-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत अभियूचित एवं चर्चाधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक घण्टे की चर्चा:-

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक समान नीति बनाई जाय तथा उसे बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों पर कड़ाई से लागू किया जाय।"

नोट:- + छापी नहीं गयी।

27 गुरूवार- 1-श्री लालजी वर्मा, श्री बी0आर0 वर्मा, श्री जगदीश राय, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी तथा श्री गोरखनाथ पाण्डेय, सदस्यगण विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर एक घण्टे की चर्चा:-

"यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों/सदस्यों द्वारा राज्य सभा एवं विधान परिषद् के निर्वाचन हेतु आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान का प्राविधान किया जाय।"

2-वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक की अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

28 शुक्रवार- वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक की अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

29 शनिवार- बैठक नहीं होगी।

30 रविवार-

मई, 2000

1 सोमवार- वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानो की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2 मंगलवार- 1-वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानो की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2-श्री बाल चन्द्र मिश्र, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक घण्टे की चर्चा:-

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश के भूगर्भ जलस्तर में हो रही गिरावट पर नियंत्रण हेतु भूगर्भ विशेषज्ञों की एक स्थायी समिति गठित की जाय।

3-"प्रदेश में बढ़ती हुई पेयजल समस्या और गिरते हुए जल स्तर से उत्पन्न स्थिति" के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं चर्चा हेतु लम्बित सूचना पर एक घण्टे की चर्चा।

3 बुधवार- 1-वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2-उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1998-99) का विशेष प्रतिवेदन, जो उत्तर प्रदेश, राज्य सेतु निगम लिमिटेड के कार्य-कलापों के संबन्ध में है और जिसे 26 फरवरी, 1999 को सदन में प्रस्तुत किया गया, पर प्रक्रिया नियमावली के नियम 216(4) के अन्तर्गत डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, श्री श्यामदेव राय चौधरी, श्री केंशो मेहरा, श्री गोरखनाथ पाण्डेय, श्री (मेजर) जे0पी0 सिंह श्री अतुल कुमार, सदस्यगण, विधान सभा की मांग दिनांक 26 फरवरी, 1999 पर आधे घण्टे की चर्चा।"

4 गुरूवार- 1-वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2-"ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों, नगर पंचायतों एवं नगर निगमों को संविधान के 73 वें एवं 74 वें संशोधन के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों के दुरूपयोग से उत्पन्न स्थिति" के सम्बन्ध में श्री गोरखनाथ पाण्डेय एवं डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्यगण विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर दो घण्टे की चर्चा।

5 शुक्रवार- 1-असरकारी दिवस।

(असरकारी दिवस आधा दिन+आधा दिन सरकारी दिवस दिनांक 28 अप्रैल, 2000 के स्थान पर)

2-"कानपुर दक्षिण नाम से कानपुर महानगर में नये जनपद के सृजन किये जाने" के सम्बन्ध में श्री बालचन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर एक घण्टे की चर्चा।

6 शनिवार- बैठक नहीं होगी।

7 रविवार

8 सोमवार- 1-वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं आधे घण्टे की चर्चा हेतु स्वीकृत निम्नलिखित चर्चाधीन प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा:-

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत और सरकारी संगठनों (एन0जी0ओ0) की कार्य प्रणाली को पारदर्शी, निष्पक्ष, स्वच्छ एवं उत्तदायी बनाये जाने हेतु शासन द्वारा सामान्य नीति बनायी जाय।"

3-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं आधे घण्टे की चर्चा हेतु स्वीकृत चर्चाधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रतर चर्चा-

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि पं0 दीन दयाल उपाध्याय की हुई मृत्यु की जांच/परीक्षण हेतु एक आयोग गठित किया जाय जो अपना प्रतिवेदन छः माह में प्रस्तुत करें।"

9 मंगलवार- 1-वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2-"प्रदेश में मध्यांचल के पूर्ण विकास हेतु "मध्याचंल विकास निधि" की स्थापना किये जाने" के सम्बन्ध में डा0 कौशल किशोर व डा0 अशोक बाजपेयी, सदस्यगण विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर एक घण्टे की चर्चा।

10 बधुवार- 1-वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2-"प्रदेश में आई0एस0आई0 की गतिविधियों के विस्तार से आतंक फैलने तथा जाली नोटों का प्रचलन होने से स्थिति" के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर एक घण्टे की चर्चा।

11 गुरूवार- वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

12 शुक्रवार-	वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
13 शनिवार	बैठक नहीं होगी।
14 रविवार	
15 सोमवार	1-वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। 2-"पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड-पीठ की स्थापना किये जाने" के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचना सूचना पर एक घण्टे की चर्चा।
16 मंगलवार	वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
17 बुधवार-	
18 गुरूवार	(बुद्ध पूर्णिमा का अवकाश)
19 शुक्रवार	
20 शनिवार	बैठक नहीं होगी।
21 रविवार	
22 सोमवार	(महाबीर जी के मेले का अवकाश)
23 मंगलवार	
24 बुधवार	वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
25 गुरूवार	
26 शुक्रवार	1-वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। 2-4.00 बजे अपरान्ह --- उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2000 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापना, उस पर विचार एवं उसको पारण।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजनकर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री-

(श्री हुकुम सिंह)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना माननीय अधिष्ठाता द्वारा सदन को दी गयी है, से सहमत है।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)।

श्री अधिष्ठाता-

इसमें कोई वक्तव्य नहीं है।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2000+

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री बालेश्वर त्यागी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक 2000 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2000 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बालेश्वर त्यागी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2000 को पुर:स्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 2000+

श्रम राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से, उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 2000 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

+ दिनांक 27-4-2000 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 2000 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

श्री धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 2000 को पुर:स्थापित करता हूं।

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय व्ययक पर साधारण चर्चा ++

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री (डा0 अरविन्द कुमार जैन)-

मान्यवर, आपका आदेश हुआ है, मेरा भाषण कल अधूरा रह गया था, इसलिये मैं कल की लय में ही बोल रहा हूं, कुछ बिन्दु हमारे रह गये थे। कल हमारे पी0डब्लू0डी0 विभाग पर कुछ लोगों ने आक्षेप लगाये, मुझे इसका दुख हुआ। हमारे विपक्षी बन्धुओं ने पी0डब्लू0डी0 विभाग पर टिप्पणी की, जो मुझे नागवार गुजरी। सत्य बातें होती तो अच्छा लगता, पूरा झूठ का पिटारा था, जिसका मुझे रंज है, हम आज उसकी सफाई पेश करेंगे। इस विभाग में जिनकी उपयोगिता कम थी, जिनके कारण सरकार पर बिना बजह का भार पड़ रहा था, ऐसे कुछ विभाग तोड़े गये हैं। ऐसा नहीं हुआ है कि विभाग के लोगों को परेशान किया गया हो। आप खुद चल के देख सकते हैं, यहां विधान सभा के भीतर से मालूम नहीं पड़ता है, पी0डब्लू0डी0 के जो काम आजकल हो रहें हैं। बनारस से ललितपुर, एक उत्तर दक्षिण दूसरा पूरब, इस सड़क पर चलेगें तो पेट का पानी भी नहीं हिलेगा, यदि विश्वास न हो तो मेरे साथ चलें, मैं वायदा करता हूं। हम पूरा प्रदेश देख आये, कुछ जगह लिंक रोड की कमी है और यह काम एक-दो साल में पूरा नहीं हो सकता। मान्यवर, माननीय सदस्य कुछ समय हमें दें और हमारी बात को सुनें। यदि हमारे विभाग द्वारा किये गये कार्यों को देखना है तो जनपद बिजनोर में चलकर देखें जहां लिंक रोडस बनायी गयी हैं और छोटे-छोटें गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ दिया गया है। जहां-जहां आप लोगों की सरकारें हैं, कांग्रेस की सरकारें हैं जैसे मध्य प्रदेश में देखें तो 4 गाड़ी ले जायं तो वहां से एक ही गाड़ी वापस आएगी चूंकि वहां सड़कों में बड़े-बड़े गड्ढे हैं और कांग्रेस की सरकार है। बिहार में चले जायं तो देखेंगे कि वहां लोक गाड़ी/बसों में ऊपर बैठते हैं, नीचे नहीं बैठते हैं। इसलिए जहां-जहां इसकी सरकारें है वहां हालत बड़ी खराब है। मान्यवर, हमारे विभाग में बहुत कार्य हो रहे हैं। लिंक रोडस बनवाई जा रही हैं। हमने छोटे-छोटे गांवों में पुल बनवाये हैं और सड़कें बनवाई हैं। हमारे विभाग की यह बड़ी उपलब्धता है। आप हमारी सरकार को बुरा कहते हैं तो यह ठीक नहीं हैं।

++ दिनांक 25 अप्रैल, 2000 की कार्यवाही से।

मान्यवर, श्री लोकपति त्रिपाठी जी ने कहा था कि हमारी पार्टी में बड़ा भ्रष्टाचार है तो मैं आपके माध्यम से उन्हें बताना चाहता हूं और मैं उनके पूर्वजों तक को जानता हूं और हमने कल इशारा भी किया था और कहा था कि उनके समय में बड़े-बड़े बांध टूटे हैं और गांवों में ड्रेनेज हुआ है। मान्यवर, 1952, 1953, 1954 में देखें तो बनारस के अखबारों में इनके बारे में खबरे छपी पड़ी हैं। आज उन बांधों में बाढ़ आ रही है और वे टूट रहे हैं जिससे अरबों रुपयों की सम्पति नष्ट हो गयी है और नष्ट हो रही है वह पुल और बांध उनके समय के बनवाये हैं।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें और बैठ जायं चूंकि कल आप काफी बोल चुके हैं।

डा० अरविन्द कुमार जैन–

ठीक है, मैं एक दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

मान्यवर, जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार आयी और तब से उनके समय से भ्रष्टाचार की गंगा बही है जिसे हमारी पार्टी की सरकार उस भ्रष्टाचार को दूर कर रही है। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं, कहा गया कि अरविन्द कुमार जैन आये थे तब उनके पास एक कमीज़ और टूटी हुई साइकिल थी। उन्होंने क्या समझ रखा है। मैं भी तो सफाई दे लूं। यदि आप हमें भी बेइमान कहते हैं, तो दुनिया में कहीं ईमानदारी दिखेगी? ईमानदारी कहां रहेगी? मेरी जांच करायें यदि मैं भ्रष्टाचारी हूं तो आप सदन से बर्खास्त करें।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शान्त रहें, जैन साहब अब आप समाप्त करें। श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

एक माननीय सदस्य–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है। हमारे एक सदस्य बोल रहे थे। हम उनको रोज झेलते हैं सुबह से शाम तक झेलते हैं, हमारा एक खड़ा हो गया तो उनको परेशानी हो रही है।

श्री अधिठाता–

इस तरह से समय जाया करेंगे, मैंने भाटी जी का नाम ले लिया है।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है। यहां पर अध्यक्ष जी का और पीठ का यह स्पष्ट निर्देश है कि माननीय सदन में कोई सेलुलर फोन का इस्तेमाल नहीं करेगा और जब भी सदन चलता है, वह बोलता ही नहीं है, उसी स्थान पर बैठकर बात होती है। कल भी निर्देशित किया गया था और कल भी जमा नहीं किया गया और आज भी मंत्री जी का फोन बज रहा है और वह नीचे से बात कर रहे हैं। क्या इनका सेलुलर फोन जमा करायेंगे? मान्यवर, आपके मुंह से निर्देश दिया जाए, आप पीठ से निर्देश देते हैं और यह मानते नहीं हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का म. . दिया मैं इसके लिए आभारी हूं। मान्यवर, बजट प्रस्तुत हो चुका है। मैंने बजट को पढ़ा और देखा मान्यवर, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बजट में ही दर्शाई गयी हैं और एक दूसरे का विरोधाभास दर्शाती हैं। जैसे बजट में आय और व्यय की जो व्यवस्था दर्शायी गयी है जबकि सरकार ने कहा है कि कर रहित बजट पेश किया गया है और आय की प्राप्तियां 12.37 प्रतिशत अधिक हैं। और पुनरीक्षित अनुमानों से व्यय को जो अनुमान है वह 62.30 प्रतिशत अधिक है। मान्यवर, कर रहित बजट है, आय भी बढ़ रही है और व्यय भी बढ़ रहा है। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। यदि कर रहित बजट है तो व्यय कैसे बढ़ेगा, यह बात समझ से परे है। बजट में कहा गया है कि क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए प्रदेश में कुछ निधि बनायी गई हैं जैसे कि पूर्वांचल निधि है, बुन्देलखण्ड निधि है, उन जिलों के लिए कुछ धन की व्यवस्था की गयी है, 150 करोड़ और 50 करोड़ की व्यवस्था है। इसी के साथ साथ पिछले वर्ष हमारे पूर्व नेता सदन माननीय कल्याण सिंह जी ने यहां आश्वासन दिया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए विशेष पैकेज दिया जायेगा तो इस पैकेज को भी दर्शाया गया है। मान्यवर, न उसके लिए कोई धन की व्यवस्था है और न उसमें कोई प्रोग्राम दिया गया है, केवल एक कृषि विश्वविद्यालय मोदीपुरम्, मेरठ में स्थापित करने की बात कही गयी है। उसमें भी 450 करोड़ खर्च के सापेक्ष 10.3 करोड़ की व्यवस्था सरकार ने की है। 10.3 करोड़ रुपये से अगले 45 वर्षों में कृषि विश्वविद्यालय शायद नहीं बन पायेगा। तो यह भी एक भ्रामक तथ्य है, कृषि विश्वविद्यालय के लिये 100 करोड़ रुपये सरकार को देना चाहिये। इसके अलावा सरकार की ओर से गड्ढा मुक्त सड़कों और भय मुक्त समाज की बात कही जाती है लेकिन आप देखिये हर तरफ क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सड़कों की हालत बहुत खराब है। पश्चिम में हम लोगों ने विशेष पैकेज देने की मांग की थी। हमारे यहां सड़कों की दशा सुधारी जाय। माननीय नेता सदन राम प्रकाश गुप्त जी उसी जनपद के रहने वाले हैं, वहां पैदा हुये हैं और वहीं पर पढ़े लिखे हैं बुलंदशहर जनपद और पूरे मेरठ मंडल में एक भी सड़क चलने योग्य नहीं है। नयी गाड़िया भी 6 महीने में पुरानी गाड़ियों से बदतर को जाती है। हम लोगों ने मांग की थी कि वहां पर एक इंजीनियरिंग कालेज और एक मेडिकल कालेज और सड़कों को प्रायरिटी पर वहां बनवाया जाना चाहिये।

वहां पर हम लोगों के बच्चों को कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात और दूसरे प्रांतों में पढ़ने जाना पड़ता है। जिससे प्रदेश का काफी पैसा उनको चंदे में हम लोगों को देना पड़ता है। अगर पश्चिम में यह व्यवस्था कर दी जाय तो हमारे प्रदेश का पैसा हमारे प्रदेश में रहे। कृषि विश्वविद्यालय का जो लालीपाप हम लोगों को दिया गया है मुझे उम्मीद नहीं है कि इस 10 करोड़ रुपये से वह अगले 45 सालों में बन पायेगा। इसलिये मेरी मांग है कि इसके लिये अधिक धन देकर वहां पर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिये। मान्यवर, बजट में पुलिस बल के सुदृढ़ीकरण की बात की गयी है। मेरा कहना है कि प्रदेश की 16 करोड़ जनता की सुरक्षा मात्र 3 थानों और 4 चौकियों की स्थापना करके नहीं की जा सकती है।

अकेले गौतमबुद्ध नगर के लिये इतनी व्यवस्था काफी नहीं होगी। वहां पर क्राइम करने वाले बदमाश 5 मिनट में दिल्ली और हरियाणा की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। हमारी पुलिस के पास अत्याधुनिक हथियार नहीं हैं और इतनी रफ्तार की गाड़िया नहीं हैं जितनी अपराधियों के पास हैं इसलिये हमारी पुलिस अपराधियों का मुकाबला नहीं कर पाती है। गाजियाबाद, नोयडा और मुजफ्फरनगर में क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर के हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी रहने वाले हैं अगर मेरी जानकारी सही है तो पूरे विश्व में मुजफ्फरनगर तीसरे नंबर पर क्राइम में है। इस क्राइम से निपटने के लिये पुलिस के पास कोई व्यापक व्यवस्था नहीं है। एक बात जो बजट में कही गयी, इससे पहले स्थिति बड़ी ऊहापोह की थी कि नये जिले रहेंगे या खत्म हो जायेंगे लेकिन सरकार ने माना है कि नये जिले और कमिश्नरी ज्यो के त्यों बने रहेंगे। एक नये जिले पर 100 करोड़ रुपये का खर्च आता है लेकिन नये जिलों के लिये कहीं कोई धनराशि नहीं दी गयी है। एस०पी० और कलेक्टर कहां बैठेगा, जनपद मुख्यालय कहां पर बनेगा तहसील और ब्लाक कहां पर बनेंगे यह बजट में नहीं दर्शाया गया है। मैं पिछले वर्ष से और उसके पहले वर्ष से, लगातार 2 वर्षो से इस सदन में बोल रहा हूं और सदन ने आश्वासन दिया था कि हमारे प्रदेश के राजस्व मंत्री परिसीमन करेंगे जिलों का और परिसीमन करने के बाद कहां जिला हेडक्वार्टर होगा, कहां तहसील होगी, कहां ब्लाक होगा, कौन सा गांव किस जिले में रहेगा। ये सारी चीजें राजस्व मंत्री तय करेंगे। वह परिसीमन कमेटी के इंचार्ज बनाये गये थे लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक राजस्व मंत्री ने कोई रिपोर्ट उत्तर प्रदेश शासन को नहीं दी है।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया संक्षिप्त करें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

दो मिनट का समय और दे दीजिए, बहुत ही अहम मसले पर बोल रहा हूँ। आज जनपद गौतमबुद्ध नगर में 50 लाख रुपया जिला योजना से दिया गया था जिला हेड क्वार्टर बनाने के लिए। लेकिन उसका बाउण्ड्री वाल बना और उसका कार्य रोक दिया गया। माननीय राजस्वमंत्री जी का बयान पढ़ने को मिला कार्य रोक दिया गया। अभी यह निश्चित नहीं है कि हेडक्वार्टर कहां होगा? पूरे जिले के लोग असमंजस्य में हैं कि जिला रहेगा या नहीं रहेगा, हेडक्वार्टर कहां रहेगा, भ्रम की स्थिति पैदा है। मैंने शुरू से मांग की थी और अपना लिखित सुझाव दिया था कि सिकन्दराबाद तहसील अथवा सिकन्दराबाद विधनसभा क्षेत्र तहसील बनाकर गौतमबुद्ध नगर का हिस्सा माना जाये। 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी और 85 किलोमीटर लम्बा जिला बना दिया। 20 वर्ष पहले वह बाढ़ का एरिया कहलाता था। कही अगर बांध में दरार आ गयी तो एक भी मकान नहीं बचेगा, सारे ध्वस्त हो जायेंगे। मैंने मांग की थी जिला चौकोर होना चाहिए। जिले की सीमाएं ऐसी होंनी चाहिए.....

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी-

मान्यवर, एक मिनट और लूंगा। जेवर क्षेत्र में आगजनी हो जाती है तो हमारे जिले का कलेक्टर, एस0एस0पी0 और फायर बिग्रेड की गाड़िया सिकन्दराबाद खुर्जा होती हुई तब जेवर पहुंचती हैं। मान्यवर पूरी सिकन्दराबाद तहसील को गौतमबुद्ध नगर का हिस्सा माना जाये। मेरी विधान सभा क्षेत्र के 36 ग्राम सभायें और एक कस्बा सिकन्दराबाद बुलन्दशहर में पड़ता है। सारा क्षेत्र गौतमबुद्ध नगर में समायोजित हो चुका है अगर 36 ग्राम सभायें और एक कस्बा सिकन्दराबाद दे दिया जाता तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही मान्यवर, आखिरी वाक्य के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। सिकन्दराबाद 450 गांवों की तहसील थी। दादरी तहसील सिन्दराबाद से काटकर बनी जो कि पहले गाजियाबाद का हिस्सा बना है। गौतमबुद्ध नगर में सिकन्दराबाद तहसील का अधिकांश हिस्सा चला गया। सिकन्दराबाद में 80 हजार की जनसंख्या है जो भूखों मरने के कगार पर है। लोगों ने वहां 5-7 लाख रुपये लगाकर अपने मकान बनाये थे उसका अब कोई 3 लाख रुपये में भी खरीददार नहीं है। अगले 10 वर्षों में सिकन्दराबाद कस्बा उजड़ जायेगा, यह मेरा निश्चित मत है। दनकौर स्टेशन और यमुना पर ओवर ब्रिज प्रदेश सरकार स्वीकृत दे तो उसे ग्रेटर नोयडा बनाने के लिए तैयार है। ग्रेटर नोयडा हमारी जमीन बहुत ही सस्ते दामों में खरीद रही है और 30 हजार रुपये मीटर तक बेच रही है। अभी 15 दिन पहले जो नीलामी हुई है वह 30 हजार रुपये मीटर में हुई है। अगर दनकौर और मझावली का पुल प्रस्तावित करें तो ग्रेटर नोयडा उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा हिस्सा लगाने के लिए तैयार है। इन्हीं शब्दों के साथ में इस बजट का विरोध करता हूं क्योंकि इसमें इन सारी चीजों का समावेश नहीं है।

श्री राम नरेश रावत-

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस बजट के समर्थन में अपनी बात रखने का अवसर दिया। अभी हमारे मित्र भाटी जी बोल रहे थे तो आखिर में उन्होंने कहा कि मैं मजबूरी में इसका विरोध करता हूं। दरअसल दिल से वह समर्थन करते हैं। जो हमारे मित्र बजट की आलोचना कर रहे हैं वह उचित नहीं है। यह बजट जो पेश किया गया है वह ग्रामोन्मुखी है, गरीबों के हक में है किसानों के और जो लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं उनके हक में है। पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में 674 करोड़ रुपये की सड़कों का जाल बिछाया जायेगा यह बजट में है। जो गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, किसान हैं उनको वृद्धावस्था पेंशन और किसान पेंशन में 20 करोड़ की बढ़ोत्तरी की गई है, जो छात्रवृत्ति है उसमें 12 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। जो विकलांग और निराश्रित लोग हैं, उनके लिए पिछले वर्ष के सापेक्ष अधिक राशि की व्यवस्था की गई है यह बजट में दर्शाया गया है। गरीबों, किसानों निर्धनतम लोगों को नगर विकास के द्वारा पांच रुपये, दस रुपये,

पन्द्रह रुपये रोजाना के भुगतान पर उनको आवास उपलब्ध कराया जा रहा है । जो मध्यम आय वर्ग के लोग हैं, लघु आय वर्ग के लोग हैं उनको ढाई लाख रुपये सेल्फ फाइनेंस में देकर वह अपना आवास हासिल कर सकते हैं । यह बहुत बड़ी जनसंख्या के लिए फायदेमंद होगा । पंचायत राज के द्वारा वित्त मंत्री जीने पंचायतों को ।100 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं । क्षेत्रीय पंचायतों और जिला पंचाचतों को ।160 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं । इससे पंचायत राज भावना की पुष्टि होगी । जो गांव में गरीब लोग हैं उनके लिए 75,886 भवन बनाए गए हैं । इंदिरा आवास योजना में 1,90,000 मकान देने का लक्ष्य रखा है इसके लिए वित्तमंत्री जी बधाई के पात्र हैं । यह चीजें हमारे मित्रों को दिखाई नहीं दी होगी । यह कहा जाता है कि यह गरीबों की विरोधी सरकार है । मैं समझता हूं कि जितना हिस्सा गांव गरीब को इस बजट में मिला है उतना पहले कभी नहीं मिला । गरीब लोगों के लिए तीन लाख 92 हजार 466 शौचालय बनाए गए यह शानदार उपलब्धि है । किसानों के लिए गन्ने मूल्य इस वर्ष पांच रुपये बढ़ाये गए इससे 225 करोड़ रुपये की आमदनी किसानों को होगी । शीरे को डिकंट्रोल किया गया है उससे चीनी उद्योग मजबूत होगा । मैं एक बात का निजी तौर पर धन्यवाद करूंगा जो मोदीपुरम योजना है उसके लिये । प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में डेढ़ किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है, ऐसा किसी भी प्रदेश में नही है । यदि किसी गांव में तीस बच्चे भी हैं तो उनके पढ़ने की व्यवस्था के लिए दो अध्यापक और स्कूल की व्यवस्था की गई है, यह सराहनीय कार्य है । पूर्वांचल विकास निधि के लिये ।50 करोड़ एलाट किया गया है । किसी भी अंचल के लोग हों सभी हमारे भाई-बहन है, सबका विकास होना चाहिए । बुन्देलखण्ड के लिये 50 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है यह बहुत अच्छा कदम है । उत्तरांचल के लिये ।50.86 करोड़ का प्राविधान किया गया है ।

यदि पश्चिमी क्षेत्र के लिये भी कुछ धन आवंटित कर दिया जाता तो और अच्छा होता, सभी को बराबरी का मौका मिलता । इसे आलोचना न समझा जाय । अगर तीन क्षेत्र के लिये विकास निधि की व्यवस्था की गई है तो पश्चिम के लिये भी हो जाती तो अच्छा होता । पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग भोले भाले होते है हमारे मुख्य मंत्री जी बहुत भोले भाले है इसलिये शायद वह मान गये और पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिये कोई निधि नहीं रखी गयी । विद्युत में क्षेत्र में हमारे वित्त मंत्री जी ने यह स्वीकार करने में कोई परहेज नहीं की कि हमारा प्रदेश अन्य प्रदेशों की तुलना में अच्छी परफोरमेंस दिखा समता था यदि विद्युत परिषद् की कार्यप्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ा होता । मान्यवर, इन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ इस समस्या की निदान खोजा है और 19500 करोड़ रुपये विद्युत परिषद् के ऊपर ऋण था उसे बट्टे खाते में डाल दिया और एक हजार करोड़ रुपया केन्द्रीय वित्त मंत्री जी ने दिया ।300 करोड़रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था विद्युतीकरण के लिये की गई है । यह विद्युत सुधार का अच्छा कदम है ।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें ।

श्री रामनरेश रावत-

तीन साल में पहली बार बोल रहा हूं। थोड़ा समय दें 19500 करोड़ रुपये बट्टे खाते में डाल दिया जबकि कुल प्राप्तियां 4700 करोड़ कुछ होंगी। यह विद्युत को सुधारने में एक अच्छा कदम है। मगर मैं सरकार से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि बिजली की समस्या का हल निकालना है तो सबसे पहले व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना पड़ेगा। जो हाई रिकवरी है उनको सख्ती के साथ रिकवरी करना होगा अन्यथा ऊर्जा की समस्याओं का निदान नहीं हो सकता। हमें उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। अन्त में मैं अपने क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर की कुछ समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुये अपनी बात समाप्त करुंगा। यह बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। हमारे यहां 98-99 में आई0टी0आई0 की स्थापना हुई थी आज वह किराये के भवन में चला रहा है, इसके भवन के लिये साढ़े तीन करोड़ की व्यवस्था होनी थी जो कि अभी तक नहीं हो पाई है। मेरा आग्रह है कि यह व्यवस्था कर दी जाय।

गढ़मुक्तेश्वर से सबसे ज्यादा चावल पैदा होता है, मैं दावा तो नहीं करता लेकिन अन्य जिलों से अधिक चावल का उत्पादन हमारे यहां से होता है लेकिन फिर भी कोई मण्डी भवन हमारे यहां नहीं है। उसके लिए जमीन भी एक्वायर कर ली गयी है। उस पर भवन बनाने का कार्य शीघ्र चालू कराने की व्यवस्था कर दी जाय। पॉलीटेक्निक के लिए फाइल चल रही है जिसमें सरकार की अनुमति की आवश्यकता है। मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि जो उन्होंने बजट पेश किया हे वह गरीबों, किसानों, मजदूरों, आम जनता, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग सभी के हित में है। धन्यवाद।

* कुंवर रेवती रमण सिंह-

माननीय अधिष्ठाता जी, 2000-2001 का जो बजट इस सदन में पेश किया गया है वह एक बेजान बजट है और यह प्रदेश को पीछे ले जाने वाला बजट है कल श्री प्रमोद कुमार जी ने वित्त मंत्री जी के लिये जो बाते कहीं, वह मैं तो नहीं कहूंगा परन्तु इतना जरूर कहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी अनुभवी तो हैं परन्तु वित्त के मामले में अनुभव शून्य हैं। वित्त विभाग चाहे दिल्ली का हो और चाहे प्रदेश का हो एक तकनीकी विभाग है। अर्थशास्त्र को जानने वाले और इन्टरनेशनल मोनेटर फूड को जानने वाले व्यक्ति के हाथ में यह होना चाहिये जो कि हमारी अर्थ-व्यवस्था को मजबूत बना सके और सुदृढ़ कर सकें। आपने कोशिश तो की है लेकिन ऐसे लोगों के साथ है और परिस्थितियां भी विपरीत हैं। इस प्रदेश में, खासकर लखनऊ में जगह-जगह लिखा हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश को उद्योग प्रदेश बनाना चाहते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेरा मानना है कि उद्योग और कृषि दोनों महत्वपूर्ण उद्योग है प्रदेश और देश के विकास की धुरी कहा जा सकता है। साढ़े तीन साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार विराजमान है परन्तु आज इतने समय में प्रदेश को उद्योग प्रदेश तो नहीं बना पाये बल्कि [×××] ।। चीनी मिलें आपने बन्द कर दी और जो कताई मिलें थी, वह बन्द कर दी। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि जब आप उप मुख्य मंत्री थी तो उस समय जो कताई मिलें खोली गयी थी, उन्हें आपके आफिसरों ने आपसे बन्द करवा दी। आई0डी0बी0आई0 ने अपनी रिपार्ट दी है इन मिलों को चलाया जा सकता है। बी0एफ0आई0आर0 ने भी उसे मान लिया परन्तु आफिसरों के कहने पर आपने एक कलम से उन्हें बन्द कर दिया। अगर चीनी मिलें, कताई मिले बन्द कर दी जायेंगी तो आप हम यह बतायें कि इन साढ़े तीन सालों में अपने प्रदेश के अन्दर कौन से कारखाने लगाये हैं।

कहीं तो कल कारखाने इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिये लगायें। केन्द्र में भी आपकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की और केन्द्र की सरकार ने स्पेशल पैकेज दिया उड़ीसा को, बंगाल को और आन्ध्र प्रदेश को। हमारे प्रदेश को जहां से कि प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, हमारे यहां के कई मंत्री दिल्ली सरकार में हैं, यहां यह भी पैकेज उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं मिला। कितने दुर्भाग्य की बात है कि अभी स्पेशल ट्रेड जोन बनाया है भारत सरकार के उद्योग मंत्री ने और बम्बई, महाराष्ट्र और बंगलौर को बनाया है। उत्तर प्रदेश को स्पेशल ट्रेड ज़ोन बनाने का कार्य भारत सरकार ने नहीं किया। माननीय वित्त मंत्री जी कल आप कह रहें थे कि 1500 करोड रुपये हमको मिल गये। आप इस 1500 करोड़ रुपये से आगे नहीं जायेंगें।

आगे आने के लिये उद्योग लगाने की आवश्यकता है। अभी कल परसों एक तारांकित प्रश्न के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया कि 1000 करोड़ रुपये 97-98 में और 98-99 में 600 करोड़ रुपये पूंजी निवेश हुआ इस प्रदेश में। आप विचार करें कि 600 करोड़ रुपये और 1000 करोड़ रुपये क्या होगा है जबकि गुजरात में 50-50 हजार करोड़ जाये, महाराष्ट्र में 40 हजार करोड़ रुपये हुआ है। आप इसी से संतुष्ट हैं कि आपने एक हजार करोड़ रुपये पूंजी निवेश प्रदेश में हुआ। हमारा प्रदेश बहुत आगे जा रहा है, आप यह सोचकर सन्तुष्ट हो सकते हैं लेकिन मैं इस प्रदेश की जनता की तरफ से आपसे आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली जायें और केन्द्र सरकार से केवल यह न कहें कि आप हमें 2 हजार करोड़ रूपये दे दें बल्कि बड़े-बड़े लाइसेंस मन्जूर करवाइये और उद्योग लगवाने का काम करिये जिससे प्रदेश की गरीबी दूर हो सके। लोगों को रोजगार मिल सकें। वित्त मंत्री जी ने रोजगार के लिये सरकारी नौकरियों की बात कही। सरकारी नौकरियों पर तो रोक लगी हुई है। इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी आपने टैक्स नहीं बढ़ाया।

नोट :- [×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के अनुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

यह टैक्स विहीन बजट है। शिक्षा का शुल्क बढ़ा दिया गया, सिंचाई का शुल्क दोगुना हो गया, बिजली का आपने 27 प्रतिशत बढ़ा रहें हैं, बस का किराया 40 प्रतिशत बढ़ गया। आखिर बजट में इन चीजों का प्राविधान करके क्यों नहीं एक अच्छी पद्धति बनाई। एक अच्छे वित्त मंत्री की तरह कार्य करिये बजट में एक बार बढ़ाकर। बजट के बाद व्यापार कर बढ़ा दिया तो आप एक चीज को निश्चित कर लें कि आपको घाटा कितने का है। उन तथ्यों में मैं बाद में आऊंगा पहले मैं इस प्रदेश की सरकार की आलोचना नहीं समालोचना भी कर रहा हूं।

मैं चाहता हूं कि आप इस पर विचार करें कि जब आजादी मिली तो इस प्रदेश की जनसंख्या 6 करोड़ थी आज हमारे प्रदेश की जनसंख्या 16 करोड़ है यानि 50 साल के अन्दर ढ़ाई गुना ज्यादा आबादी हमारी बढ़ी है। कितने अफसोस की बात है कि जन्म दरे और मृत्यु दर दोनों हमारे यहां सर्वाधिक है। न केवल भारत में अपितु दुनिया में सबसे अधिक जन्म दर और मृत्यु दर उत्तर प्रदेश की है। मुख्यमंत्री जी कल्पना करियें कि 2050 में इस प्रदेश की क्या हालत होगी। इस प्रदेश की आबादी होगी 44 करोड़, 16 करोड़ से बढ़कर 44 करोड़ 2050 में पहूंच जायेगी। भारत को जब आजादी मिली 33 करोड़ आबादी थी यह आबादी माई में एक अरब हो जायेगी। यह जन्म दर अधिक होने का कारण यह है कि अशिक्षा, गरीबी, स्वास्थ्य के लिये सही व्यवस्था न होना। श्री अमृत सेन को जिसके लिये नोबल पुरस्कार मिला है उसमें दो ही विषय थे। शिक्षा और स्वास्थ्य हमारा प्रदेश इन दोनों मामलों में इतना पीछे है कि बिहार और उड़ीसा को छोड़कर नीचे से तीसरे नम्बर पर है। एक दिन आपने कहा था मुझे स्मरण है कि जब जनता पार्टी की सरकार थी तब विकास दर सबसे अधिक थी पिछले साढ़े तीन साल से आपकी सरकार यहां पदारूढ़ है।

एक दशक में जहां तक मुझे याद है इतना लम्बा समय किसी भी सरकार को नहीं मिला, कोई एक साल कोई डेढ़ साल कोई पौने दो साल यह सरकार साढ़े तीन साल से है, अब चाहे वह जिन परिस्थितियों में चल रही हो लेकिन दायित्व तो आपका है। यह ठीक है कि आपके मित्र लोग समय-समय पर आपका दोहन करते रहते हैं वह आप जानें, लेकिन सरकार तो आपकी अबाध गति से चल रही है आप विचार करें यह बजट प्रस्तुत कर दिया और आप समझते हैं अपने दायित्वों का निर्वहन कर लिया, मैं यह नहीं मानता हूं मैं समझता हूं कि प्रदेश को आगे ले जाने के लिए कम से कम भारत की विकास की दर की तरफ ध्यान देना चाहिए अगर 5.6 प्रतिशत से कम विकस दर होगी तो 7, 8 प्रतिशत का लक्ष्य आप एक दशक में पूरा नहीं कर पाएगें। दुनिया के जितने विकसित देश हैं चाहे मलेशिया हो चाहे थाइलैंड हो चाहे इण्डोनेशिया हो 89.10 प्रतिशत विकास दर पहुंच गई है। भारत में जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हैं और उत्तर प्रदेश में भी बुन्देलखण्ड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहने वाले गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं इसके लिए क्या कार्य योजना हे संसदीय कार्य मंत्री जी ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बारे में बताया लग रहें हैं क्योंकि वह दिल्ली के करीब हैं।

पंजीयन, मनोरजनकर स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

इलाहाबाद में भी हैं।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

50 करोड़ कुछ नहीं है इलाहाबाद में बिजली घर लगा है लेकिन 10 हजार करोड़ मलकानी लगाने को तैयार हैं लेकिन सरकार नहीं लगवा रही है। उद्योग प्रदेश बनाने के लिए मंत्री जी को बहुत प्रयास करना होगा। उद्योग बन्धु बना है लेकिन परम्परा पिछलें कई सालों से यह रही हैं कि वहां मुख्य मंत्री जी नहीं जाते हैं और उनके बदले सेकेट्री चले जाते हैं अगर उद्योग बन्धु की बैठक में मुख्य मंत्री की हैसियत से आप जायेगें तो भी अफसर भी जाएगें, पांच साल के अंदर इस प्रदेश को उद्योग प्रदेश बनाया जाएगा, आप सुनिश्चित करें जो प्रदेश में उद्योग लगाने आए उसको वी0आई0पी0 ट्रीटमेंट दिया जाएगा और महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु के मुकाबले इस प्रदेश को खड़ा किया जाएगा। कृषि के बारे में कहना चाहूंगा सिंचाई मंत्री जी हैं नहीं उन्होंने जवाब दिया कि नहरों की सफाई में 16 करोड़ रुपया खर्चा हुआ फिर 12 करोड़ खर्चा हुआ इस साल 10 करोड़ खर्चा हुआ है इसके मायने क्या हुए, नहरों की सफाई तो हुई नहीं। माननीय सदस्य कहते है कि टेल पर पानी नहीं गया लेनिक राजवाहों में ही जो महत्वपूर्ण हैं वहीं पानी नहीं गया आप भले ही आंकडे दे दें लेकिन वह सही आंकड़े नहीं है। इस बार प्रदेश में निश्चित रूप से कृषि उत्पादन घटेगा, कृषि में एकदम पीछे जा रहें हैं। दूसरी बात कही गई कि हमने तीन कारपोरेशन बना दिए निगम, तो और प्रदेशों ने भी बनाए हैं, आंध्र प्रदेश ने बनाये हैं, उड़ीसा ने बनाए हैं....

हरियाणा ने बनाया है। इन निगमों के बनने से कोई तात्कालिक फायदा नहीं होगा बल्कि उनका अनुभव बहुत कड़ुवा रहा है। इसमें तभी फायदा हो सकता है जब उसमें निजी क्षेत्र आगे आयें। अभी भारत सरकार के उर्जा मंत्री जी ने कहा है कि हमें बड़ी निराशा हुई है इसमें निजी क्षेत्र के लोग पूंजी निवेश करने नहीं आ रहें हैं। तो एक चीज यह देखें कि यह एक परम्परा सी बन गयी है जितना स्थानान्तरण हो सके।

(लाबी से आवाजें आने पर)

श्री अधिष्ठाता-

मार्शल जरा देखें। बहुत आवाजें आ रहीं हैं।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने कहा कि 100 दिनों में 1444 मेगावाट बिजली तभी संभव होगी, मान्यवर, मैं कोट कर रहा हूं निजी क्षेत्र में उत्पादन के मामले में अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहा है और लक्ष्य कम किया जा रहा है इसलिए विवश

होकर एक साल में दो हजार ढाई हजार ट्रांसफर हो रहें हैं। एक जिले में एक अधिकारी का समय एक महीने, तीन महीना या चार महीना तो यह ट्रांसफर एक व्यापार बन गया है, एक उद्योग बन गया है और सी०ए०जी भी इसकी जांच कर रही है। माननीय उच्च न्यायालय ने भी टिप्पणी की कि ट्रांसफर नीति तो बनायें। एडमिनिस्ट्रेटिव कर सकते हैं लेकिन रोज ट्रांसफर करें तो यह परम्परा न बनायें और आपका अनुसरण कर उद्योग विभाग, सिंचाई विभाग, बिजली विभाग, सभी विभाग साल में एक-एक अफसर का चार-चार बार स्थानान्तरण करते हैं।

कभी आपने इस पर विचार किया। एक अफसर अक्षम है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करें। आप कहते हैं कि यह सरकार पारदर्शी है तो यह कैसी पारदर्शी सरकार है जिसमें स्थानान्तरण केवल एक उद्योग रह गया है और बाकी उद्योग बन्द हो गये हैं। इसी तरह से जो आर्थिक उदारीकरण जो पूरे देश में कांग्रेस ने लागू किया उसका आप अनुसरण कर रहे हैं। आपने स्वदेशी का नारा दिया लेकिन जितनी तेजी से विदेशी ला रहे हैं, हर क्षेत्र में विदेशी की भरमार और जो हमारे उद्योग हैं वह धीरे-धीरे बन्द होते जा रहें है और बेकारी बढ़ रही है।

और बाहर के लोग जितना पूंजी निवेश जहां करते हैं उसका फायदा अपने देशों में ले जाते हैं। अभी भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि गरीब और अमीर के बीच बढ़ती खाई विश्वीकरण की देन है। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है तो यह जो आपकी नीति है यह कहां ले जायेगी। जो क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने की बात है। बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल में कौन उद्योग लगायेगा? पहले सरकार से हाल में किया जाता था कि वे जहां चाहती थीं वहां लगाती थी। अब केवल बम्बई, मद्रास, नोयडा में उद्योग लग रहें हैं लेकिन गाजीपुर, बांदा, झांसी में नहीं लगायेंगे तो इससे क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ रहा है। शिक्षा में आपने कहा कि बिल विहीन मान्यता हम देंगे। आपने नकल विरोधी कानून बना दिया जितनी अबकी बार प्रदेश में नकल हुई हैं उतनी जीवन में मैंने कभी न देखी, ठेके पर नकल कराई गई। फर्स्ट डिवीजन, सेकेण्ड डिवीजन के लिये यह कमरा और वह कमरा निर्धारित था। रात में पर्चे फाड़कर केवल वह उस स्कूल तक सीमित नहीं था अपितु कई स्कूलों तक पहुंचकर वह साल्वकर बंट रहा था आप पूछेंगे तो जगहों के नाम बता देंगे, आपके यहां साइन्स, मैथेमेटिक्स, ज्योग्राफी के टीचर्स नहीं हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि नकल नहीं होगी, जब छात्र सूची में इन विषयों को पढ़ नहीं पायेगा तो कहां से परीक्षा दे पायेगा। आपने प्रतिबन्ध लगा रखा है कि कही नियुक्ति नहीं होगी, हम प्रदेश को वहां ले जा रहें हैं। यह प्रस्ताव किया था कि आप शिक्षा शुल्क लगा दीजिये ताकि उससे टीचरों की नियुक्ति हो सके। एक आदेश हुआ कि अब हाईस्कूल में प्रैक्टिकल की परीक्षा नहीं होगी, जब इम्तहान हो गये तो फिर जी०ओ० हो गया कि अब प्रेक्टिकल की परीक्षा ले लें, यह कैसी सरकार आप चला रहें हैं। महात्मा गांधी जी ने एक बार कहा था कि हर आंख से हमें आसुंओं को पोछना है, लेकिन यहां तो हर आंख में आंसू दिख रहे हैं। मान्यवर, कन्ट्रोल का गेहूं 9 रुपया किलो कर दिया है, 12 रु० किलो चावल कर दिया है।

मान्यवर, 12 रुपये किलो कंट्रोल का चावल कर दिया, सात-साढ़े सात रूपये मिट्टी का तेल कर दिया और अब कह रहें हैं कि गरीबी को हटा रहें हैं। हम तो कह रहें हैं कि आप [× × ×] 87-88 में ढाई सौ करोड़ का सरप्लस था इस प्रदेश में और आज जब आप वहां पर बैठे हैं तो 8200 करोड़ का घाटा है। राजस्व घाटा सकल राजस्व व्यय का 33 प्रतिशत तक पहुंचा है जो विचारणीय और गम्भीर बात है। वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पादन का 7.7 प्रतिशत तक पहुंच गया है जिसके कारण आपके प्रदेश में ऋणग्रस्तता इतनी बढ़ गयी है कि जो आपकी आमदनी होती है वह ब्याज देने में ही और अनप्रोडक्टिव काम में ही खर्च हो जाती है। आप भी क्या करें 93 आदमी का यह मंत्रिमडंल बैठा है उसका ही खर्चा इतना है कि उससे ही परेशान हैं।

ऋण, सकल घरेलू उत्पादन का 35 प्रतिशत तक पहुंच गया है। विकास कार्यों के खर्च का अनुपात 86-87 में 67.33 था और अब 53.44 है तो जरा आप सोच लीजिए कि यह प्रदेश कहां जा रहा है, भारत सरकार के वित्तमंत्री ने कहा कि हम 10 हजार का डिसइन्वेस्टमेण्ट करेंगे, कितना कर पाये, 1400 करोड़ का और अभी हमने पढ़ा कि कैबिनेट में उसको लेकर मतभेद हो गया है। जो शेयर बढ़े हुये दामों में बिकने थे उसको मार्केट वैल्यू पर भी नहीं बेंच रहें हैं। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि मितव्ययता करिये और इस प्रदेश को आग्र ले जाने के लिए ऐसा कुछ करिये कि जनता आपको याद रखे। क्योंकि चह निश्चित हैं कि अब आपकी सरकार अंतिम दौर में हैं। बहादुर शाह जफर और यह जो आपके तमाम लोग थे यह अटल जी के बाद आपका चिराग हमेशा के लिए बुझने वाला है एक बार आप राम मंदिर के नाम पर आ गये, एक बार कारगिल के नाम पर आ गये और अब आपको कोई बचाने वाला नहीं है आप इस प्रदेश से जाने वाले हैं।

श्री भगवती प्रसाद-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, जैसा कि आपको मालूम है पूरे उत्तर प्रदेश में गांव की जो सामाजिक स्थिति है, दलित शोषित समाज के लोग जब अपने अधिकार की बात करते हैं तो सामन्तवादी लोगों के उत्पीड़न के कारण वह गांव से पलायन कर जाते हैं और जब बड़े-बड़े शहरों में पहुंचते हैं तो वहां पर उनको रहने के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है।

मान्यवर, वह शहरों में जाकर नाली से किनारे, रेलवे लाइन किनारे अपनी झुग्गी-झोपड़ी डालकर जीवन यापन करते हैं और आज पूरे प्रदेश में गरीबों को बसाने के बजाय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुन्दरीकरण के नाम पर बड़े पैमाने पर उजाड़ने का काम कर रही है। इस बजट में मैंने अध्ययन किया, कहीं भी ऐसी झलक देखने को नहीं मिली, जो दलित, पिछड़े, मजलूम लोगों को, जो पीड़ित होकर शहरों में आते हैं, उनकों बसाने की कोई व्यवस्था की गई हो। जैसा सर्वविदित है,

---

नोट :- [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के अनुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

गांव में इन्दिरा आवास योजना सरकार द्वारा चलाई जाती है, इसमें गरीब और पात्र लोगों को इन्दिरा आवास उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, लेकिन जो पैसे वाले लोग हैं, वह दलालों के माध्यम से, बिचौलियों के माध्यम से इन्दिरा आवास हासिल कर लेते हैं, इस सरकार के गरीबों के ऊपर जुल्म-ज्यादती दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, जिन गरीबों के लिये योजनायें बनाई गयी हैं, उनको उनका लाभ नहीं मिल रहा है।

इस सदन में कई बार चर्चा हुई कि शिक्षा शुल्क बढ़ाया गया, लेकिन शिक्षा शुल्क बढ़ाने के साथ, शिक्षा के सुधार की ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया है, शिक्षा का स्तर दिन-प्रतिदिन गिरता जा रहा है और शिक्षा पर जो पैसा खर्च किया जा रहा है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति से सभी सर्वविदित हैं, यह किसी से छिपी नहीं है, आपस में बंदरबांट करके बीच में बिचौलिये लोग खा रहें है। गरीब आदमी अपने इलाज के लिये मोहताज है, वह अस्पतालों में दम तोड़ते हैं। दवायें जो बंटती हैं, आधी दवा दी जाती है और सिग्नेचर पूरे पर करवा लिये जाते हैं इस प्रकार गरीबों को कहीं से न्याय नहीं मिल पा रहा है। आज आप देख रहें हैं कि प्रदेश में और देश में भरतीय जनता पार्टी की सरकार है, मिट्टी का तेल और दूसरे पेट्रोलियम पदार्थो के रेट दूगने कर दिये गये हैं। गरीब आदमी दिन-प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है और उसकी मजदूरी नहीं बढ़ाई जाती हैं, जिससे पूंजीपति और अमीर होता जा रहा है, एक गरीब आदमी दिन के 24 घण्टे में 12 से 16 घण्टे मजदूरी करता है, लेकिन वह अपने बच्चों को भी नहीं पाल पा रहा है। पूंजीपतियों के बच्चे कान्वेंट में पढ़ते हैं, लेकिन जो गांव में प्राइमरी स्तर की शिक्षा है, उसमें आप देखें, कक्षा 5 का छात्र सही ढ़ंग से हिन्दी की किताब भी पढ़ना नहीं जानता। मैं इस सरकार से मांग करता हूं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाय। आप सभी लोग जानते हैं कि आज से 3 वर्ष पूर्व आलू के क्या दाम थे और आज आलू एक रुपये किलो बिक रहा है। आज से 3 वर्ष पूर्व के मुकाबले आलू किसानों की लागत बहुत बढ़ गई है, उर्वरक के दाम बढ़ गये हैं, बीज के दाम बढ़ गये हैं, कीटनाशक दवाओं के दाम बढ़ गये हैं, बिजली के रेट बढ़ गये हैं, सिंचाई की दरें बढ़ गयी हैं, जिसके कारण 3 साल पहले आलू की जो लागत थी, वह आज बहुत बढ़ गई है, परन्तु 3 साल पूर्व आलू भण्डार के लिये 47 रुपये प्रति बोरा किराया पड़ता था, वह आज बढ़कर 80-85 प्रति बोरा हो गया है, इससे किसान की कमर बराबर टूटती जा रही है।

मान्यवर, यदि सरकार आलू किसानों का ध्यान रखती तो जिस तरह गेहूँ, चावल आदि का समर्थन मूल्य सरकार घोषित करती है उसी तरह आलू का भी समर्थन मूल्य सरकार निर्धारित करती जिससे आलू किसानों को लाभ होता। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार आलू का समर्थन मूल्य घोषित करें।

मान्यवर, जब से इस सरकार ने सिंचाई और ट्यूबवेलों के अधिकार पंचायतों को दे दिया है तब से पूरे उत्तर प्रदेश में सारे ट्यूबवेल बन्द हो गये हैं और नहरों की सफाई न होने के कारण सिल्ट जमा है जिससे नहरों का पानी टेल तक नहीं पहुंच पाता है जिससे फसलों की सिंचाई ठीक से नहीं हो पा रही है। सरकार ने नहरों की सफाई और बन्द पड़े ट्यूबवेलों को चालू करने के लिये बजट में कोई व्यवस्था नहीं किया है इसलिये सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये।

मान्यवर, प्रतिवर्ष महंगाई बढ़ रही है इसलिये मैं समाज कल्याण मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि जो दलित शोषित और पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्रायें हैं जिनका स्टाइपेंड लम्बे समय से नहीं बढ़ाया गया है इसलिये मैं चाहता हूं कि महंगाई के अनुसार स्टाइपेंड दूगना किया जाये और इसका बजट में प्राविधान किया जाय। इसके साथ स्टाइपेंड समय पर छात्रों को दिया जाय। मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ग्राम विरहुन में दो-ढाई लाख रुपये का गबन हुआ जिसकी जांच कराई गयी लेकिन जांच रिपोर्ट को ठण्डे बस्ते में डाल दिया गया है इसलिये इस ओर ध्यान दिया जाये और दोषी व्यक्तियों को सजा दिलाई जाये।

मान्यवर, दलित शोषित समाज की लड़कियों की शादी में अधिकांशतः विवाह अनुदान अपात्र व्यक्तियों को दिया जाता है लेकिन जब तक कर्मचारियों को अतिरिक्त पैसा नहीं दिया जाता है तब तक दलित, शोषित और पिछड़े पात्र लोगों को अनुदान नहीं दिया जाता है। इसलिये इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

मान्यवर, विद्युतीकरण के सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि जिन गांवों में विद्युतीकरण हुआ है उनमें दलित, शोषित समाज की बस्तियों को छोड़ दिया जाता है। इसलिये सरकार दलित शोषित समाज की बस्तियों में विद्युतीकरण कराये क्योंकि प्रभावशाली लोग अपने घरों के सामने अतिरिक्त खम्भे लगवाकर बिजली लेते हैं और दलित समाज की बस्तियां विद्युतीकरण से छूट जाती हैं इसलिये इस ओर ध्यान दिया जाय। मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रसूलाबाद, जिला कानपुर देहात में वर्ष 1997 विद्युत सब-स्टेशन स्वीकृत किया गया था लेकिन तीन साल हो गये हैं वहां धन भी अवमुक्त हो गया है किन्तु वह सब-स्टेशन अभी तक नहीं बन पाया है इसलिये इसके शीघ्र बनवाने की तरफ ध्यान दिया जाये।

मान्यवर, इस सरकार के पी०डब्लू०डी० मंत्री जी यहां बड़े-बड़े भाषण देते हैं और कहते हैं कि एक हजार की आबादी वाले गांवों को हम पक्के मार्गों से जोड़ देंगे।

मान्यवर, एक हजार की आबादी पर जो प्राविधान है, जोत मिर्जापुर, लकुठिया, बकुठिया, टिपटिया, पहाड़ीपुर से असालतगंज, सिसई, इटैली आदि तमाम गांव हैं जिनकी आबादी एक हजार से लेकर 5 हजार के बीच में हैं, इनमें कुछ की दूरी 4-5 किलोमीटर है, केवल 2 किलोमीटर का प्राविधान होने के कारण वह गांव आज तक नहीं जुड़ पाये हैं।

श्री अधिष्ठाता–

भगवती प्रसाद जी आप समाप्त करें।

* लोक निर्माण एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री कलराज मिश्र)–

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। मान्यवर, जो बजट प्रस्तुत किया गया है मैं समझता हूं, बहुत वर्षों के बाद पहली बार एक ऐसा बजट आया है जो ग्रामोन्मुखी है। ग्रामोन्मुखी श्रीमन्, मैंने इसलिये कहा कि 53 वर्ष की आजादी के पश्चात् जब पूरे प्रदेश का स्वरूप सामने रखकर देखा जाता है तो स्पष्ट रूप से दिखायी पड़ता है कि जो मूलभूत अवस्थापना सुविधायें हैं अभी तक आम जनता को नहीं प्राप्त हो सकी हैं जिसको आजादी के 10-15 वर्षों में तत्काल पूरा कर लेना चाहिये था। जब तक अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध नहीं होंगी, मूलभूत सुविधायें उपलब्ध नहीं होंगी, तब तक प्रगति और विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है लेकिन दुर्भाग्य है हम आज भी सड़क का रोना रो रहे हैं, अज भी पेयजल का रोना रो रहें हैं, विद्युतीकरण का रोना रो रहें है, शिक्षा का रोना रो रहे हैं। आज हम टेक्नालोजी की बात कर रहें हैं और कह रहें हैं कि प्रदेश को ऊंचा उठाया जाये लेकिन हम अज तक पीछे जा रहें हैं, यह विश्लेषण करने की आवश्यकता है। हमें तो तीन, साढ़े तीन वर्ष जुमा-जुमा हुये हैं और ती, साढ़े तीन वर्ष के अन्दर जो वित्तीय स्थिति निर्माण कर दी गयी थी, उसके लिये कौन जिम्मेदार था। मान्यवर, जो वित्तीय स्थिति निर्माण कर दी गयी थी, उस वित्तीय स्थिति की जर्जरता के बारे में 1998 में इसी सदन में स्वेत पत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया था और कहा गया था कि जिस तरह से आर्थिक जर्जरता है उसमें कोई काम नहीं कर सकता और हमारे पहले की सरकार ने इसी प्रकार का काम किया था कि लोगों का ध्यान प्रदेश के विकास की तरफ से हटाने के लिये लोकतन्त्र को कब्जियाने की प्रक्रिया को आगे बढ़या है। उन्होंने लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश की थी। विकास की तरफ राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय देते हुये आर्थिक जर्जरता के बावजूद हम अगे बढ़ सकते हैं, इसका परिचय नहीं दिया गया था। लेकिन हमारी सरकार ने प्रदेश की आर्थिक जर्जरता को चुनौती के रूप में लिया है इस हालत में महंगाई भी बढ़ सकती है। आर्थिक भार भी बढ़ सकता है लेकिन प्रदेश के लिये हम समर्पित हैं, हम इसके लिये काम करेंगे .....

(श्री राम औतार शाक्य के खड़े होकर कुछ बोलने पर)

श्री कलराज मिश्र–

मान्यवर, राम औतार जी अपना काम ठीक कर रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है इसलिये मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि पहली सरकार यह रही जो पहला हमने बजट दिया उसमें हमने गांव को केन्द्र मानकर प्रदेश की अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिये प्रभावी तौर पर अभियान चलाया और आज भी जो हमने बजट प्रस्तुत किया है इसी को ध्यान में रखकर जो कमी रह गयी है। जैसा हमारे माननीय सदस्य ने बताया कि एक हजार की और उससे ऊपर की आबादी है लेकिन गांव अभी तक नहीं जुड़े।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, इसी को ध्यान में रखकर जो काम रह गये हैं उनको पूरा करने के लिये हमने यह बजट रखा है। अवस्थापना आवागमन की सुविधा मार्ग होता है। यह पहली सरकार है जिसने मार्ग जो हमारे विकास के स्तम्भ हैं उनके लिये एक नीति बनायी है। हमने मार्ग विकास नीति बनाकर मार्गो को सुदृढ़ करने की योजना बनायी है। जो प्रमुख मार्ग हैं चाहे वह राष्ट्रीय राजमार्ग हों या प्रांतीय मार्ग हों उनको सुदृढ़ किया जा रहा है। जो एक हजार या उससे अधिक आबादी के गांव हैं उनको प्रमुख मार्गो से जोड़ने के लिये प्राविधान किया है। इन गांवों को प्रमुख मार्गों से सन् 2005 तक जोड़ दिया जायेगा, अभी 2005 नहीं आया है। इतना ही नहीं हमने यह भी कहा है कि राष्ट्रीय मार्ग, राजमार्ग और जिला मार्ग और अन्य मार्गो को गडढा मुक्त करेंगे। मैं कह सकता हूं, यह पहली सरकार है जिसके समय में उत्तर प्रदेश में रोड रिवोल्यूशन हुआ है, मार्ग क्रांति हुई है और पूरे प्रदेश में हुयी है। हमने संतुलित विकास किया है। अभी कुंवर साहब असंतुलन की बात कह रहे थे।

हम इस प्रदेश में उद्योगपतियों को लाकर पूंजी निवेश कर रहें हैं, हम आकर्षित कर रहें हैं कि वह हमारे यहां आयें। वह हमारे यहां इसलिये नहीं आ रहे हैं कि हमारे पास अवस्थापना सुविधायें नहीं हैं यही कारण है कि हमारे प्रदेश का अपेक्षित विकास नहीं हुआ है। राजस्व प्राप्तियों के बारे में हमारे वित्त मंत्री जी ने बताया है। इस बार पिछली बार की अपेक्षा 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जायेगी। हमने यह भी कहा है कि हम अपने प्रशासनिक खर्च में कटौती करेंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे सम्मानित सदस्यगण भी सहमत होंगे कि हमने प्रशासकीय खर्चों की कटौती करने के लिये अभियान छेड़ा है। मैं अपने विभाग की बात कहना चाहता हूं कि हमारे विभाग में 353 खण्ड हैं जिनमें से 67 खण्डों को हमने समाप्त कर दिया है। लेकिन इसके इंजीनियर और सभी कर्मचारी उसी रूप में रखे जायेंगे उनकी प्रोन्नति आदि पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनकों समायोजित किया जायगा। जैसा श्रीमन्, बाबूराम जी ने कहा कि भ्रष्टाचार किया जा रहा है, मान्यवर, अभियन्ता संघ के पेट में दर्द होने लगा, 146 अभियन्ताओं को हमने समायोजित किया है।

श्री बाबू राम यादव-

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं।

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

मान्यवर, इस तरह से व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, यह उचित नहीं है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, सदन की परम्परा रही है कि जब किसी सदस्य का नाम लिया जाता है तो उसको स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार होता है।

श्री बाबूराम यादव-

अधिष्ठाता महोदय, मंत्री जी ने हमारा नाम लिया है इसलिए मेरी बात सुनें।

श्री अधिष्ठाता-

जब कोई अपनी बात कहें तो उसको शांतिपूर्वक सुनना चाहिए। यह भी सदन की परम्परा है। जब मंत्री जी अपनी बात समाप्त कर लेंगे उसके बाद आपको अवसर मिलेगा।

श्री बाबू राम यादव-

मंत्री जी मेरा नाम तक नहीं जानते वह तो मुझे बाबूलाल कह रहे थे जबकि मेरा नाम बाबूराम है। मैंने मंत्री जी पर अपने भाषण में आरोप नहीं लगाया था।

श्री अधिष्ठाता-

मंत्री जी जो बात कहना चाहते हैं उसको सुन लीजिए। मैं बाद में आपको अवसर दूंगा।

श्री कलराज मिश्र-

मैंने कहा कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से खर्चे में कटौती की गई। सिंचाई विभाग ने पहले यह किया था, मेरे विभाग ने 67 खण्डों को फालतू किया उसका मानक सुनिश्चित किया, मानक सुनिश्चित करने के बाद हमने जो हमारे अभियन्ता थे उनको बाकायदा आश्वासन दिया है कि उनके प्रमोशन या सर्विसेज में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। सबको समायोजित करेंगे। हमने मानक बनाया है मानक बनाकर 146 अभियन्ताओं को 25 जनपद में जो आते हैं उनको समायोजित किया। मानक यह बनाया कि जो सबसे अधिक वर्षों तक उन जिलों में है उनको वहां से हटायेंगे और बाकियों को वहां समायोजित करेंगे ऐसे 47 अभियन्ता थे, उनको हटाया। लखनऊ में स्वीकृत पदों से 11 अधिक थे उनको हटाया अतः अभियन्ता संघ ने जो उसमें कहा है वह उससे प्रभावित हुए। विभाग पर आरोप लगाया और यह कहा कि मंत्री के नाम पर कोई पैसा ले रहा है। शायद बाबूराम जी ने भी यही बात कही थी। मान्यवर, इन अभियंताओं को जो कुण्डली मारकर बैठे रहना चाहते थे, मेरे द्वारा बनायी गयी इस नीति के कारण भयंकर तरीके से प्रभावित हुए। कल जो आपने सवाल पूछा था, मैंने अखबार में देखा। मैंने नोटिस दिलवायी कि एक भी आरोप साबित करो। अगर नहीं कर पाये तो तुमने सामान्य विभागीय अनुशासन का उल्लंघन किया है इसलिए तुम्हारे विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने खेद व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। हमें भ्रम हो गया था। इससे पारदर्शी स्वरूप और कोई नहीं हो सकता कि 12 से 15 प्रतिशत तक प्रशासनिक व्यय में कमी आयेगी। इसी हिसाब से और भी विभागों में हमारी सरकार ने कटौती करने का फैसला किया है और इन सारी कटौती के आधार पर यह प्रयत्न कर रहे हैं कि सरकार ने जो राजस्व प्राप्ति की बात कही है, राजस्व प्राप्ति हम बढ़ायेंगे और इसी संसाधन में। चूंकि संसाधनों की कमी लगातार बाकी सरकारें दिखाती रहीं।

इसको चुनौती के रूप में लेकर हमारी सरकार ने फैसला किया है कि संसाधनों की बढ़ोत्तरी करते हुये प्रभावी तरीके से रिकवरी का आधार बनाते हुए प्रदेश की स्थिति अच्छी करेंगे। इसका परिणाम रहा कि हमारे कार्य-कलाप को देखकर वर्ल्ड बैंक ने हमारी प्रशंसा की है और 1100 करोड़ रुपया देने का फैसला किया है। उसने यह कहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से काम करने का फैसला किया है उससे हम सन्तुष्ट हैं। कल प्लानिंग कमीशन के लोग आये हुये थे। सी०आई०आई का एक कार्यक्रम था। उसमें आवला साहब ने उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत ऐसी टिप्पणी की थी कि उत्तर प्रदेश का विकास होना कठिन है। उत्तर प्रदेश को जिस तरह से तेजी से विकास करने का प्रयत्न किया जा रहा है उस हिसाब से हम जो काम कर रहे हैं उसकी उन्होंने प्रशंसा की और यहां तक कहा कि आगामी दो तीन वर्षो में उतने अधिक फाइनेन्शियल संसाधन विकसित हो जायेंगे कि हम प्रदेश को जिधर ले जाना चाहते हैं उधर ले जायेंगे। अभी कुंवर साहब ने अपने भाषण में कहा कि बहादुर शाह जफर वाली स्थिति है। कुंवर साहब, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखकर आत्ममुग्ध मत होइये। जनता समझ रही है कि कौन किस तरह से काम कर रहा है। हमारी सरकार ने संकल्प किया है कि जनता की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुये मूलभूत आवश्यकताओं को उपलब्ध कराने के लिए पहल करेंगे और आगे आने वाले समय में जो भी पूंजी निवेश करने के इच्छुक हैं उनको आकृष्ट करेंगे, और लोग धीरे-धीरे अकृष्ट हो रहे हैं। इस दिशा में हमने काम किया है। पर्युटन विभाग के अन्दर यह पहली बार ऐसा हुआ कि हमने 10 सर्किट स्थापित किये हैं पूरे प्रदेश को समेकित रूप से रखकर किया है। किसी क्षेत्र विशेष या जिला विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। पूरे प्रदेश की जनता को ध्यान में रखकर हमने पर्यटन सर्किट बनाया। उत्तर प्रदेश के अन्दर समुचित तरीके से पर्यटन का विकास हो जाये तो पर्यटन के माध्यम से उत्तर प्रदेश का विकास कर सकते हैं और इसको हम प्राथमिकता देंगे। मान्यवर, जो हमारा बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें सारी चीजों को ध्यान में रखकर राजनैतिक इच्छाशक्ति से प्रेरित होकर, पूरे प्रदेश के बारे में सम्पूर्ण संकल्प रखते हुए सम्पूर्ण प्रदेश का समोत्कर्ष हो सके, सभी का ध्यान रखा गया है। हमें पूरा विश्वास है कि हम सफल होंगे। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

लोक निर्माण एवं चिकित्सा मंत्री के सम्बन्ध में अभियन्ता संघ के पत्र पर जांच की मांग

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से माननीय मंत्री जी के लास्ट सेनटेन्स से शुरुआत करता हूं। मैंने कल भी कहा था कि यह एक चिट्ठी है, मैंने आरोप नहीं लगाया था। अब जब उन्होंने मुझे संदर्भित कर दिया है तो मैं बोल रहा हूं। इन्होंने कहा है कि जनता हमको देख रही है, जनता हमसे खुश है, तो मान्यवर, 98 के एम० पी० के चुनाव मे 60 और 99 में 29 रह गई तब जनता कहां चली गई।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय बाबू राम जी, आपसे संबंधित जितना संदर्भ है कृपया वहीं तक स्पष्टीकरण पूछें, पूरे भाषण को संज्ञान में न लें।

श्री बाबूराम यादव–

हम जानते हैं कि [* * *] लेकिन हम अपनी पूरी बात कहेंगे।

श्री बालचन्द्र मिश्र–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है कि बाबूराम जी ने आपको सम्बोधित करते हुए कहा है कि [* * *] यह ठीक नहीं है। मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, जब माननीय बाबूराम जी बोल रहे हैं तो उसमें व्यवस्था का प्रश्न कहां से आ गया?

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप सभी माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें यदि कोई आक्षेपात्मक बात कार्यवाही में होगी तो उसे निकलवा दिया जायेगा।

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, मैं सबका सम्मान करता हूं। यहां माननीय कलराज मिश्र जी हमारे और इस सदन के बड़े सम्मानित नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिये भ्रष्टाचार बहुत ही मामूली बात है।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

पहले अपनी ओर देखो फिर हमारी बात कहना। [* * *] अगर हमने अपना शेर खड़ा कर दिया तो सब भाग जाओगे।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री बाबू राम यादव–

जिस प्रकार से अभियन्ता संघ ने आरोप लगाया है कि स्थानांतरण उद्योग मैं एक लाइन पढ़ कर फिर सुना देता हूं इस चिट्ठी की। "ऐसा रोड्स, भवन तथा अन्य कार्य हेतु बजट आवंटन .....

(सत्ता पक्ष के कई सदस्य एक साथ बोलने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

नोट :–[* * *] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री बाबू राम यादव–

[* * *] अभियन्ता संघ ने आरोप लगाया है।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में एक भी चीज ऐसी नहीं पढ़ी जायेगी। जब तक कि उसकी प्रति आपके पास न हो।

श्री बाबू राम यादव–

1-9-1999 की यह चिट्ठी है।

श्री अधिष्ठाता–

आपके नाम का जितना संदर्भ आया है, उस पर आप स्पष्टीकरण पूछ सकते हैं।

श्री बाबू राम यादव–

[* * *] उस पत्र को मैं पढ़ देता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

मैं पत्र पढ़ने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री बाबूराम यादव–

मैं जानता हूं [* * *] माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से भी निवेदन कर रहा हूं कि हमारी बात को भी पूरी होने दीजिए।

श्री अधिष्ठाता–

मैं सिर्फ यह अनुरोध कर रहा हूं और परम्परा भी यह रही है यदि किसी मामले में किसी माननीय सदस्य का नाम आ जाता है तो वह स्पष्टीकरण दे सकते हैं या स्पष्टीकरण पूछ सकते हैं। कल माननीय सदस्य ने सामान्य चर्चा में हिस्सा लिया था हालांकि मैंने कार्यवाही का अवलोकन नहीं किया, उन्होंने लोक निर्माण मंत्री जी के बारें में एक बात कही हांलाकि नाम नहीं लिया चूंकि माननीय मंत्री जी के भाषण में आपका नाम आ गया तो इसलिए निश्चित रूप से स्पष्टीकरण पूछने का आपको अवसर मिला। इसका यह कदाचित मतलब नहीं है कि आप स्पष्टीकरण के नाम पर भाषण देना प्रारम्भ कर दें। माननीय मंत्री जी ने जिस स्वरूप में कोट किया यदि कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो स्पष्टीकरण दे सकते हैं। मैं भाषण की अनुमति नहीं दूंगा जो आपने कहा माननीय मंत्री जी ने उसका उत्तर दिया।

नोट :–[* * *] यह अंश श्री अधिष्ठाता जी के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री बाबू राम यादव-

अभी आपने मुझे बोलने तो नहीं दिया। मैं कहना चाह रहा हूं कि जो पत्र मैंने संदर्भित किया वह पत्र 1-9-1999 का है।

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

यह पत्र जो मैंने संदर्भित किया है वह 1-9-1999 का है इसमें अधिकारियों और कर्मचारियों ने (* * *) यह इल्जाम मैं नहीं लगा रहा हूं। यह जो पत्र है उसे पढ़ रहा था।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

आपने अपना पक्ष तो रख दिया। अब मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। स्पष्टीकरण आपको देना था आपने दे दिया।

श्री बाबूराम यादव-

आप बात तो सुन लें। मैं भाषण नहीं कर रहा हूं। एक सवाल पर पूछना चाहता हूं। अभियंता संघ ने और कर्मचारियों ने (* * *) आप तो मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे। अभी प्रदेश में बड़े विभाग के मंत्री हैं (* * *) कोई जांच नहीं कराई (* * *)।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी-

इसकी जांच क्यों नहीं कराई, यह माननीय मंत्री जी से पूछ लीजिये।

(संसदीय कार्य मंत्री के खड़े होने पर सदस्य जोर-जोर से बोलने लगे)

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय मंत्री जी ने माननीय बाबू राम जी का नाम लिया है और मंत्री जी उपस्थित हैं सदन में। वह जवाब दें। सीधा प्रश्न है कि इन आरोपों की जांच क्यों नहीं कराई गई। पूरे प्रदेश के अभियन्ताओं ने लिखकर दिया है।

(श्री बाबूराम यादव के खड़े रहने पर)

श्री अधिष्ठाता-

आप कृपया बैठ जायं। पीठ का सम्मान करिये। आप हर वक्त परम्पराओं की बात करते हैं इस पीठ का सम्मान करिये। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कृपया बैठ जायें। माननीय बाबूराम जी आप अपना आसन तो ग्रहण करें। आप वरिष्ठ सदस्य हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि मैंने आपसे कहा कि आपका नाम आया।

नोट :- (* * *) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

आपको अवसर दिया गया। आपने पत्र के जिन अंशों को आप चाहते थे, पढ़ दिया। अपनी स्थिति भी कह दीं। माननीय मंत्री जी को अवसर दिये बगैर आप चाहेंगे कि एक पक्षीय बात हो....

(व्यवधान)

मेरा अनुरोध स्वीकार करें। कृपया आप लोग बैठ जायें।

श्री अधिष्ठाता-

आप बैठें बाबूराम जी, यह अनुचित है।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी-

* * *

श्री अधिष्ठाता-

मुझे बेहद खेद है, अम्बिका चौधरी जी मुझे आपकी बात पर भी आपत्ति है।

श्री अम्बिका चौधरी-

* * * की आवाजें निकाली जा रही हैं मैं ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता-

परम्पराओं की बात करें और परम्पराओं का उल्लंघन करें ये क्या बात हुई, आप सहयोग करें।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी-

* * *

श्री अधिष्ठाता-

हमें कोई क्रोध नहीं आया कृपया आप बैठ जायं।

श्री बालचन्द्र मिश्र-

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है इस सम्मानित सदन के महत्वपूर्ण समय का दुरुपयोग हो रहा है, बजट पर चर्चा चल रही थी नियमों से परे हटकर कार्यवाही हो रही है। (व्यवधान)।

श्री अधिष्ठाता-

श्री बालचन्द्र जी कृपया स्थान ग्रहण करें।

बहुत शान्तिपूर्ण ढंग से सुबह से सदन चल रहा है। बाबूराम जी, मेरी एक शर्त है, एक शर्त के साथ मैं आपको बोलने की अनुमति दे रहा हूं। आप जब अपेक्षा

नोट :- * * * यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल

करते हैं कि आपको अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाए तो निश्चित रूप से यदि किसी माननीय सदस्य से संबंधित कोई बात है तो उसको सुना जायेगा।

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, हम सुनेंगे। मैं निवेदन यह कर रहा था कि जो पत्र दिया गया है अभियंता संघ ने [* * *] यह 1–9–99 का पत्र है.....

श्री अधिष्ठाता–

यह तो आप कह चुके हैं क. ी नयी बात आप कह रहे हैं।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, उस पत्र की जांच नहीं हुई है।

श्री अधिष्ठाता–

आपका प्रश्न पूरा हो गया है और जो आपने कहा है कि उसकी जांच क्यों नहीं हुई है तो उस पर माननीय मंत्री जी को जवाब देने दें।

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, उस पर माननीय मुख्य मंत्री जी के हस्ताक्षर कराकर जांच करायेंगे। आठ महीने हो गये हैं। मेरी माननीय मुख्य मंत्री जी से अपेक्षा है कि उसकी जांच करायें [* * *]।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि किसी अभियंता संघ ने आरोप नहीं लगाया है। यह इनके दिमाग की उपज है और यह इसका सबूत दें। मान्यवर, मैं आपके सामने 289 (क) पढ़ना चाहता हूँ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शांत रहें।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं पढ़ रहा हूँ। इसमें लिखा है कि "किसी सदस्य, द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधारोपक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जायेगा, जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा संबंधित मंत्री को पूर्व सूचना न दे दी

नोट :– [* * *] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

हो जिसमें मंत्री उत्तर के प्रयोजन के लिए विषय की जांच कर सके।" मान्यवर, यह जो चिटठी आयी है उसके बारे में कह रहे हैं। जो मैंने कहा है मैं उस पर बल देते हुए पुनः कहना चाहता हूं कि किसी अभियंता संघ ने कोई आरोप किसी प्रकार का माननीय मंत्री जी पर नहीं लगाया है। जो यह चिट्ठी की बात कर रहे हैं यह मनगढ़न्त है इनकी बनायी गयी है और उसके आधार पर कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता है। अगर कोई आरोप पत्र आया है तो उसकी एक कापी आपको दे दें ताकि आप उसका परीक्षण करा लें।

(व्यवधान)

मान्यवर, यह सदन नियमों से चलेगा। यह नहीं कि जब बाबूराम जी के मन में आया एक चिट्ठी बना ली। मान्यवर, जो माननीय सदस्य ने मानहानिकारक शब्द कहें है उनको कार्यवाही से निकाल दिया जाय वह कार्यवाही का हिस्सा नहीं रहना चाहिए।

अभियन्ता संघ के पत्र पर लोक निर्माण मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री के कथन में विरोधाभास होने के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न पर श्री अधिष्ठाता का निर्णय

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, यह व्यवस्था का प्रश्न है अभी एक प्रकरण सामने आया आप कार्यवाही देख लें माननीय कलराज मिश्र जी ने स्वीकारोक्ति दी है कि यह आया है पत्र और अभियंताओं ने खेद व्यक्त किया है।

मान्यवर, आप कार्यवाही देख लें। मेरा व्यवस्था का सवाल है माननीय मुख्यमंत्री जी से। वह यह है कि माननीय श्री कलराज मिश्र जी ने उस पत्र की स्वीकारोक्ति की है और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा है कि यह असत्य है यह विशेषाधिकार का हनन है मैं आपको विशेषाधिकार हनन की नोटिस देता हूं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के प्रति आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग कृपया बैठ जायें। माननीय शाक्य जी मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं, यह कह रहा हूं कि आपने किसी पत्र का जिक्र किया जिसकी बावत आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि उस पत्र की अथॉटिकेटेड सर्टिफाईड कापी हमें प्रस्तुत करें आपके हस्ताक्षर और आरोप लगाने वाले माननीय सदस्य के हस्ताक्षर होंगे। हम उसकी जांच करायेंगे।

(व्यवधान)

आप लोग कृपया शांत रहें, आप बैठें, कोई व्यवधान की आवश्यकता नहीं है, हम जांच करायेंगे यदि कार्यवाही निकालकर देख ली जायेगी कार्यवाही और उस पत्र को जो आपने वक्तव्य दिया है उसको को-रिलेट किया जायेगा। आप चाहें तो नोटिस के संबंध में विशेषाधिकार की दे सकेंगे और यदि सदन को गुमराह करने की आपने सूचना दी है तो आपके खिलाफ भी विशेषाधिकार के हनन की कार्यवाही हो सकती है।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय पाल साहब आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री रामऔतार शाक्य-

मान्यवर, मुझे सुन लें।

श्री अम्बिका चौधरी-

जो यह सूचना मान्यवर, आज आपने सदन में उपलब्ध कराई है यह एकान्त में नहीं है इस सदन में आप द्वारा व्यवस्था के माध्यम से दी गयी जानकारी को आधार बनाकर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी पर विशेषाधिकार हनन की नोटिस दिये जाने की सूचना आपको देते हैं और इसके साथ ही जो राम औतार शाक्य जी ने पत्र की बात कही है मैं अपने दल के सभी सदस्यों की तरफ से कह रहा हूं, चुनौती स्वीकार करने की जो बात है, अगर सदन में इस जानकारी को देने का अन्यथा कारणों से देने की बात है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

मैं इसको सुनूंगा नहीं।

श्री अम्बिका चौधरी-

किसी को अलग से इंगित करने की आवश्यकता नहीं है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, संयुक्त उत्तरदायित्व है पूरे मंत्रिमंडल का, एक मंत्री इस सदन में आज की कार्यवाही में कुछ ही मिनटों पहले कहता है कि अभियंताओं ने इस पर खेद व्यक्त किया है और दूसरे मंत्री कहते हैं अभियन्ताओं ने पत्र नहीं लिखा है। इनकी इससे भी जिम्मेदारी बनती है, मान्यवर, मैं चुनौती देता हूं और इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं कि जिस पत्र का हवाला माननीय बाबूराम जी ने दिया है वह पत्र पूरी तरह से संघ के लोगों ने इस सरकार के सम्बन्धित मंत्री के विरुद्ध जो लिखा है उस आरोपों में कितनी सच्चाई है इसकी जांच मुख्यमंत्री जी करा लें। मैं चाहता हूं कि आज मुख्यमंत्री जी को निर्देशित करें कि घोषणा करें कि इस पूरे प्रकरण की जांच करा लेंगे।

(कई सदस्यों द्वारा अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

मैं इस प्रकरण को अंतिम रूप से समाप्त कर चुका हूं मैं इस प्रकरण पर कोई भी वक्तव्य देने के लिए अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

इस प्रकरण से सम्बन्धित अब कोई बात कार्यवाही में नहीं लिखी जायेगी। मैं अंतिम रूप से प्रकरण को समाप्त कर चुका हूं।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने उत्तर प्रदेश की इस मौजूदा सरकार के सामान्य आय-व्यय चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन्, अभी रामऔतार शाक्य जी ने जो विशेषाधिकार हनन का प्रश्न उठाया है और सूचना दी है विशेषाधिकार हनन की, इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आपका निर्णय है, तो रामऔतार शाक्य जी इस बीच में कहीं नहीं आते हैं। उन्होंने तो केवल इतना कहा है कि माननीय बाबूराम जी ने इस पत्र का हवाला दिया उस पत्र के हवाले के सम्बन्ध में माननीय मिश्रा जी ने तो स्वीकार किया और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने इन्कार किया। इसलिए उन्होंने कहा कि हम विशेषाधिकार की नोटिस दे रहे हैं आपने कहा [* * *] कि उसकी प्रति नहीं प्रस्तुत करेंगे तो आपके खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही होगी तो श्रीमन्, रामऔतार शाक्य जी कहां से आ जाते हैं। बाबूराम जी ने प्रश्न उठाया है उन्होंने जिस प्रश्न के रूप में उठाया है उसी रूप में सूचना प्राप्त करनी चाहिये। आपने तो संदर्भित किया और माननीय मिश्रा जी ने माना और उसके बाद संसदीय कार्यमंत्री जी ने इन्कार कर दिया चूंकि उन्होंने कहा कि गलत है इसका कोई प्रश्न है ही नहीं तब विशेषाधिकार की नोटिस दी है तो इस पर अपने निर्णय के बारे में पुनर्विचार कर लीजिए और जो आपने कहा है कि आपके खिलाफ कार्यवाही होगी तो आपसे कोई उसका मतलब नहीं है।

* श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, अगर आप जानकारी नहीं भी देंगे और कार्यवाही हो जायेगी तो जो कार्यवाही होने वाली है वह कार्यवाही हो जायेगी, लेकिन यह [* * *] की तरह का है कि गड़बड़ हुआ तो कार्यवाही हो जायेगी तो मेरा सम्मानित विधान सभा की पीठ से इस शब्दों के बारे में निवेदन है कि [* * *] की भाषा में यह नहीं दिया जाना चाहिए आपने कह दिया कि आपके खिलाफ कार्यवाही हो जायेगी। मेरा यह कहना है कि जो सदस्य वहां आये हैं उनको नियमों की जानकारी है, नियमों के अन्तर्गत जो कार्यवाही उनके विरुद्ध हो सकती है वह हो जानी चाहिये उसमें कोताही नहीं होनी चाहिये, लेकिन व्यवस्था का प्रश्न एक सदस्य उठाता है और अपना विशेषाधिकार का प्रश्न यहां पर उपस्थित करता है?

नोट– [* * *] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अगर शिकायत गडबड़ निकली तो उल्टे आपके खिलाफ कार्यवाही हो जायेगी, यह भाव उचित नहीं है। राम औतार शाक्य जी इस सदन के विद्वान सदस्य हैं, नियमों का, संविधान का, परम्पराओं का उनको सम्यक् ज्ञान है और पूरी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने विशेषाधिकार हनन की सूचना दी है, उसके सारे कान्सीक्वेंसेस और परिणामों से वह भिज्ञ हैं, [* * *] यदि आप मंत्री जी से कहते कि यह बात सिद्ध हो जायेगी तो मुख्यमंत्री को आपको बर्खास्त करना पड़ेगा, तब आपका वाक्य पूरा होता, आधे से काम नहीं चलेगा।

श्री अधिष्ठाता–

अप अनधिकार बोल रहे हैं, जब आपकी मर्जी होगी, तब आप बोलना शुरू कर देंगे और सदैव परम्परा और नियमों की बात करेंगे, खुद किसी परम्परा का पालन नहीं करेंगे।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मेरा एक दूसरा व्यवस्था का सवाल है।

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया बैठें। माननीय नेता विरोधी दल ने कोई बात कही है।

(श्री श्याम देव राय चौधरी एवं श्री बाल चन्द्र मिश्र के खड़े होने पर)

आप लोग बैठें मैं आपको अवसर दूंगा। अभी माननीय नेता विरोधी दल ने पीठ से जो एक व्यवस्था माननीय राम औतार शाक्य के समबन्ध में जो विनिश्चिय किया गया प्रकरण को लेकर एक बात कही। उन्होंने यह बताया कि माननीय राम औतार शाक्य ने अपनी तरफ से कोई साक्ष्य या पत्र नहीं दिया है, उन्होंने तो किसी दूसरे माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का जिक्र मात्र किया। मैं पुनः बहुत विनम्रमतापूर्वक आग्रह कराना चाहता हूं अम्बिका जी, आपसे भी अनुरोध कर रहा हूं कि पीठ से किसी धमकी देने का प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ ऐसा जरूर लगता है कि कभी-कभी आप धमकी देने की कोशिश अवश्य कर लेते हैं, यह।

मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि पीठ से किसी धमकी का प्रश्न नहीं उठता है। माननीय नेता विरोधी दल ने अपना मंतव्य व्यक्त किया। पीठ का प्रयास है कि निश्चित रूप से केवल उत्तेजना पैदा करने के लिए किसी दस्तावेज का जिक्र करें तो आप कहते हैं कि नियमों का संदर्भ लें। संसदीय कार्य मंत्री जी ने नियम 289-क को पढ़कर सुनाया। आप आरोप लगा सकते हैं लेकिन आक्षेप और आरोपों का नियमावली में एक प्रक्रिया निर्धारित है उसका आप पालन करें तो नियमावली में एक प्रक्रिया निर्धारित है उसका आप पालन करें तो नियमावली के अनुसार उसका निस्तारण किया जायेगा। लेकिन आक्षेप और आरोप लगायें और नियमावली का अनुसरण न करें और उत्तर न आने देंगे तो यह उचित नहीं होगा। इसलिए

नोट :–[* * *] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री शाक्य जी से कहा कि या तो उस आरोप से अपने का सम्बद्ध करें या न करें अथवा आप उससे सम्बद्ध करते हैं तो निर्देश देता हूं कि उस आरोप की जिसकी बात कर रहें हैं उसकी सर्टिफाइड कापी आप पीठ को उपलब्ध करायेंगे और फिर उसकी जांच करवाकर प्रश्न का निस्तारण करेंगे।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी-

मैंने आरोप की बात नहीं कही है। मैंने तो कहा है कि एक मंत्री जी एक बात कहते हैं और दूसरे मंत्री जी दूसरी बात कहते हैं इस प्रकार दो बातें कही जा रहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

श्री शक्य जी आप बैठ जायं। आप व्यवस्था का प्रश्न कर चुके हैं जिसका निस्तारण मैं कर चुका हूँ। माननीय नेता विरोधी दल ने जो विचार प्रकट किये हैं उसका आशय निश्चित रूप से अनावश्यक रूप से विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही किसी माननीय सदस्य के विरुद्ध अथवा किसी मंत्री के विरुद्ध करने की मंशा नहीं है। उसकी मंशा यह है कि निश्चित रूप से हमको अपनी बात कहने से पूर्व तथ्यों को प्रमाणित कर लेना चाहिए और जो तथ्य प्रमाणित नहीं है उसके आधार पर कोई बात नहीं कहना चाहिए। इसलिए इस प्रकरण को मैं समाप्त करता हूं। (व्यवधान) माननीय नेता विरोधी दल आप अपनी बात कहें।

(व्यवधान)

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, आप विधान सभा की कार्य संचालन नियमावली के नियम-291 को देखने की कृपा करें।

श्री धनीराम वर्मा-

मान्यवर, यह सदन नियमावली से चलता है, मनमाने तरीके से नहीं चलता है, जब आप ने हमें बुला लिया तो बोलने का समय दें, यह गलत तरीका है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय श्यामदेव राय चौधरी जी, मेरा आप से एक अनुरोध है, माननीय नेता विरोधी दल कोई बात कहना चाहते हैं, नेता विरोधी दल की बात आ जाए। माननीय चौधरी जी और माननीय मिश्र जी मैं आप दोनों को अवसर दूंगा।

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, जो इसके पहले भी मैंने कही थी। श्रीमन्, जो आपने कहा आरोप की बात, माननीय राम औतार जी ने आरोप की बात कही, आरोप की बात कुछ नहीं है और न बाबू राम जी ने कोई आरोप लगाया। उन्होंने हवाला दिया है और श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं माननीय राम औतार शाक्य जी ने केवल इतना कहा है कि दो माननीय मंत्रियों के जो बयान हैं, बनायों में अन्तर है, उसके लिए विशेषाधिकार की बात कही है, केवल इसकी व्यवस्था हम चाहते हैं कि क्या यह सही है कि जो माननीय राम औतार शाक्य जी ने दो मंत्रियों के कन्ट्राडिक्शन की बात कही है क्या वह वाजिब है, इस पर व्यवस्था दे दें।

श्री कलराज मिश्र–

मान्यवर, मैंने समाचार पत्र का उल्लेख किया था। मुझे कोई पत्र नहीं मिला है। समचार पत्र के माध्यम से अभियन्ता संघ का आया उसके आधार पर संज्ञान लेकर हमारे अधिकारियों ने पूछा कि क्या है? बाद में अभियन्ता संघ ने समाचार पत्र के माध्यम से ही क्षमा मांगी, खेद व्यक्त किया और ऐसा कुछ नहीं है। समाचार पत्र का उल्लेख किया है, कोई पत्र नहीं मिला है यह मैं सदन को बताना चाहता हूं। मैंने समाचार पत्र का ही उल्लेख किया है।

श्री अधिष्ठाता–

यदि आप निकालकर देखें जो मैंने व्यवस्था दी है, मैंने स्पष्ट किया है कि माननीय मंत्री जी ने इस बारे में जो विचार व्यक्त किये हैं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा जो उत्तर दिया गया, माननीय लोक निर्माण मंत्री जी द्वारा जो उत्तर दिया गया, माननीय सदस्यों द्वारा जो व्यवस्था का प्रश्न किया गया, उन सभी का सत्यापन कराकर, मैंने कहा कि आपकी नोटिस पर भी विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही हो सकती है। तथ्यों का परीक्षण करके और आपको भी मैंने निर्देशित किया कि यदि आपने दावा किया है कि यह नोटिस है, पत्र है तो आप सर्टीफाइड कापी उपलब्ध करायें अन्यथा आपके खिलाफ भी सदन को गुमराह करने की कार्यवाही प्रचलित हो सकती है।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप कार्य संचालन नियमवली के नियम-291 को देखने की कृपा करें। उसमें कहा गया है....

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता–

कुछ माननीय सदस्यों को व्यवस्था का प्रश्न उठाने का अधिकार होगा और दूसरे माननीय सदस्यों को नहीं होगा, यह तो नहीं हो सकता।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, नियम 291 में यह व्यवस्था है कि अध्यक्ष ऐसे सदस्य को जो बार-बार असंगत बात करें या स्वयं अपनी या अन्य सदस्यों द्वारा वाद-विवाद में प्रयुक्त युक्तियों की अरूचिकर पुनरावृत्ति करें, व्यवहार की ओर सभा का ध्यान दिलाने के उपरान्त उस सदस्य का भाषण बन्द करने का निर्देश दे सकेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस माननीय सदन का कुछ बहुत वरिष्ठ सदस्य सारी परंपराओं, मान्यताओं, नियमों का उल्लंघन करके जिस प्रकार से माननीय सदन को डिस्टर्ब कर रहे हैं और आपने आचरण का [* * *] नाच कर रहें हैं, मेरा निवेदन है कि आप उस पर अंकुश लगाने की कृपा करें इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय चौधरी जी, इस प्रकरण पर पीठ द्वारा आवश्यकतानुसार सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध किया गया है और मुझे निश्चित रूप से उम्मीद है और मैं आश्वस्त हूँ कि उसका सभी माननीय सदस्य अनुपालन करेंगे, उसका सम्मान करेंगे।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, [* * *] शब्द कार्यवाही से निकलवा दीजिये।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, यह वाटर की शूटिंग का मामला नहीं है [* * *] शब्द निकाल दीजिये।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इसको दिखवा लूंगा।

(वित्तीय वर्ष 2000–2001 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (क्रमागत)

श्री रामसिंह सैनी–

मान्यवर, आपने मुझे 2000–2001 के आय-व्ययक की सामान्य चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने के लिये समय देने को कहा था।

श्री अधिष्ठाता–

आपने कई बार व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करने की अनुमति चाही थी। मैं आपने अनुरोध कर रहा हूं कि जो प्रकरण समाप्त हो चुका है अगर उसी से सम्बन्धित आपका प्रश्न हो तो उसे न उठायें किसी अन्य विषय पर व्यवस्था का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।

नोट :–[* * *] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(इस समय 5 बजकर 25 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

* श्री जगदम्बिका पाल-

अध्यक्ष महोदय, मैंने बार-बार व्यवस्था चाही थी। मान्यवर, आज बजट की सामान्य चर्चा का अन्तिम दिन है। यह पहला अवसर है कि इस बजट की चर्चा पर कुछ इस तरह का प्रसंग आया जिस पर लगभग । घण्टा समय लग गया। तमाम माननीय सदस्य इस पर अपने सुझाव रखना चाहते हैं। प्रतिपक्ष द्वारा कोई चर्चा रखी जाती है तो वह इसलिये नहीं रखी जाती है कि हम सिर्फ सरकार की आलोचना करें बल्कि तमाम सदस्य उनके क्षेत्र की जनता की जो अपेक्षायें होती हैं उनको सुझाव के रूप में शासन के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में बैठे हैं, मैं समझता हूं कि यदि इस तरह का प्रकरण सदन में उठा था और माननीय सदस्य किसी पत्र का उल्लेख कर रहें थे तो मुख्य मंत्री जी खड़े होकर कह सकते थे।

श्री अध्यक्ष-

इस प्रकरण पर अधिष्ठाता महोदय ने अपनी व्यवस्था दे दी है। यह प्रकरण समाप्त हो गया है और अधिष्ठाता महोदय ने माननीय राम सिंह सैनी को बुला लिया है। इस पर व्यवस्था दे दी गयी है इसलिये यह प्रश्न समाप्त हो गया है।

श्री राम सिंह सैनी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका हृदय से आभारी हूं कि आपने मुझे 2000-2001 के बजट पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया।

श्री अध्यक्ष-

अनुरोध है कि बहुत संक्षेप में 8-10 मिनट के अन्दर अपनी बात समाप्त करें। 8 मिनट पर मैं लालबत्ती जला दूंगा।

श्री राम सिंह सैनी-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्तारूढ़ हुई तो एक नारा दिया था कि "कानून का राज होगा, भयमुक्त समाज होगा।" सिर्फ लखनऊ की दो दिन की घटना प्रस्तुत करना चाहता हूं कि किस तरह से भयमुक्त समाज और रामराज्य की स्थापना इस सरकार के द्वारा हुई है। 23-24 तारीख को लखनऊ में जघन्य अपराधों में पर्यटन विभाग के निदेशक की पत्नी समेत नृशंस हत्या कर दी गयी। कृष्णानगर थानान्तर्गत केशरीगंज इलाके में एक युवती से सामूहिक बलात्कार कर हत्या के बाद लाश खेत में फेंक दी गयी। हसनगंज थाने में एक किशोर की लाश कमरे में मिली है। काकोरी इलाके में एक विवाहिता की संदिग्ध

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्थिति में हत्या। राजेश अग्रवाल, श्रीराम टावर के मालिक की हत्या, कैसरबाग में दिनदहाड़े डेढ़ लाख की डकैती और लूट। शहर के 5 जगह से लाखों रुपये के माल की चोरी। इसी तरह से 7 वर्षीय मासूम मुमताज के साथ बलात्कार और अनाचार। न्यू हैदराबाद के दवा गोदाम में डकैती। यह मैंने सिर्फ दो दिन की घटनाओं को संदर्भित किया है। यह भयमुक्त समाज और रामराज्य की स्थापना की है। तो रावण राज क्या होगा? बजट के बारे में कहा गया कि यह बजट गरीबों का हितैषी है, किसानों के लिए कल्याणकारी योजनायें प्रस्तुत की जायेंगी, जो नौजवान बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराये जायेंगे। लेकिन मान्यवर, यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह मैं एक उर्दू का शेर पढ़ रहा हूं-

बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का,
जो चीरा तो इक कतरये खून निकला।

मान्यवर, न तो विकास की कोई बात है, न किसान के लिए कोई बात कही गयी है। यह कहा गया कि पिछली सरकारों की वजह से ऋणग्रस्तता बनी है। पिछले 46 सालों में 46 हजार करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश के ऊपर ऋण था आपके तीन-साढ़े तीन साल के शासन काल में 66 हजार करोड़ रुपये ऋणग्रस्तता हो गयी है। मात्र तीन-साढ़े तीन साल में 20 हजार करोड़ का ऋण आपने बढ़ा दिया। 46 साल का औसत एक हजार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का है। आपको 1000-1500 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष ब्याज का देना पड़ रहा है। आपकी बड़ी जर्जर स्थिति है। आपने कहा है कि 2004 में हमारी विकास दर 5 प्रतिशत होगी। 2004 में आप रहेंगे। मात्र एक साल इस विधान सभा का कार्यकाल बाकी है। 2004 में विकासदर क्या होगी यह आप नहीं कह सकते।

राज्य विद्युत परिषद् को आपने 3 निगमों में बांट दिया। निगम और परिषद् में क्या अन्तर है। जितने भी निगम चल रहे हैं वह सब घाटे में हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट निगम हो, वित्तीय निगम हों सारे के सारे घाटे में हैं। कितनी बड़ी विडम्बना है कि 19,500 करोड़ रुपये तो आपने बट्टे खाते में डाल दिया। गरीब लोगों की जो कमाई थी 19,500 करोड़ रुपया बट्टे खाते में चला गया। मैं बधाई देना चाहता हूं नरेश अग्रवाल को कि उन्होंने आपसे सारा का सारा पैसा ले लिया। पहले 1350 करोड़ रुपये दिए गए उनको बाद में 2477 करोड़ रुपये दिए गए। बिजली की हालत यह है कि पहले के तुलनात्मक आंकड़े बताना चाहता हूं मुलायम सिंह जी के समय में किसानों को 18 घंटे बिजली मिलती थी। जब मायावती मुख्यमंत्री थी तब भी 10-11 घंटे किसानों को बिजली मिलती थी लेकिन आज दो तीन घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिलती। ट्यूबवेल उनके चलते नहीं है तो फिर किस तरह से प्रदेश का विकास होगा। यह समझ से परे है। इन्होंने बाढ़ रोकने के लिए 50 करोड़ रुपये रखे हैं मेरे क्षेत्र में दर्जनों गांव हैं जो बाढ़ की चपेट में आते हैं हर साल आबादी की जमीन कट जाती है लेकिन उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। आप किसी भी नगर में जाकर देखें सब जगह सीवर की सही व्यवस्था नहीं है रूड़की में 12 पम्प हैं जो सीवर

को साफ करते हैं लेकिन उनमें से 10 खराब है दो चलते हैं इससे सारा का सारा मल सड़कों पर आ गया है यह नगरपालिकाओं का हाल है पानी जो वहां नगरों में पीने को मिल रहा है चाहे कानपुर हो, लखनऊ हो या दारुल शफा में जहां विधायक गण रहते हैं बालू मिला पानी आता है। यह दुर्दशा जब हम लोगों की है तो फिर आम जनता की क्या हालत होगी। गांव में रहने वालों के लिए पेयजल की कोई योजना नहीं बनाई गई है। इसी तरह से गन्ने के दामों के बारे में मैं कहना चाहता हूं शासन दल के लोगों ने कहा कि गन्ने के दाम पांच रुपये प्रति कुंतल बढ़ा दिए गए हैं। जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस समय 11 रुपये प्रति कुंतल गन्ने के दाम दो बार बढ़ाए गए थे उस समय पंजाब और हरियाणा में भी उत्तर प्रदेश से एक रुपए प्रति कुंतल कम दाम मिलते थें क्योंकि हमारे यहां रिकवरी इन प्रदेशों से अच्छी है। आज स्थिति यह है कि हरियाणा में 20 रुपया प्रति कुंतल और पंजाब में 25 रुपये प्रति कुंतल यहां से गन्ने का मूल्य अधिक है। यह गन्ना किसानों का शोषण हो रहा है। हमारे यहां शुगर मिल महालक्ष्मी शुगर मिल इकबालपुर है इसके सम्बन्ध में मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था और इस सदन में भी कई बार निवेदन किया है। इस शुगर मिल पर किसानों का 5 करोड़ रुपए बाकी है किसानों का भुगतान नहीं हुआ है। अतः इस मिल का गन्ना देवबन्द और लश्कर की मिलों को डायवर्जन किया जाना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जिसका असर यह हुआ है कि आज यह बकाया साढ़े आठ करोड़ रुपए से ज्यादा गन्ना किसानों का हो गया है जो ट्रैक्टर किसानों के हैं उनकी नीलामी तहसील में कर दी गई क्योंकि किसान अपने बकायों की अदायगी नहीं कर पाए क्या यह अत्याचार नहीं है। आज डीजल के दाम बढ़ गए किसानों को पानी नहीं मिलता है ट्यूबवेल बन्द हो गए ग्राम पंचायतों का कोई ट्यूबवेल नहीं चल रहा है। हमारे क्षेत्र में अपर गंगा कैनाल जब बनी थी तो कर्नल कोटले ने हरिद्वार से कानपुर गंगा कैनाल को 12 साल में बनाया था जबकि उस समय मैनुअल लेबर थे अब अपर गंगा कैनाल बन रही है रूड़की तक यह नहीं बनी है। 14 वर्ष हो गए हैं और 900 करोड़ का प्रोजेक्ट अब बढ़कर 3700 करोड़ का प्रोजेक्ट हो गया है प्रगति कुछ नहीं है वहां पर गुणवत्ता को देखें जो ईंटों की कैनाल बनाई जा रही थी वह ईंटें दीवाल में धंसती जा रही हैं। एक शेर के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं कि "हमारे सब्र तुम्हारे जब्र की जंग जारी है, अब यह मुस्तकबिल बातयेगा कि पलड़ा किसका भारी है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

हमारे पास 20 माननीय सदस्यों की सूची है जो बोलना चाहते हैं। मैं सब से अनुरोध करता हूं कि कम समय लें ताकि अधिकांश माननीय सदस्यों को समय दिया जा सकें।

वन मंत्री (श्री राजधारी)-

मान्यवर, आपने मुझे बजट चर्चा के इस अवसर पर मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। सत्तापक्ष का कहना है कि बजट

अच्छा है और विपक्ष का कहना है कि बजट बहुत बुरा है। हमें बड़ी प्रशंसा हुई जब हमने माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना। उन्होंने जाहिर किया उन्होंने उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को उजागर किया। चाहे वह बिजली विभाग हो, सड़कों की स्थिति हो, स्वास्थ्य की स्थिति हो, निश्चित रूप से जो स्थिति है वह संतोषजनक नहीं है। हम गहराई में नहीं जाना चाहते कि इसमें किसका दोष है, क्यों ऐसा है, किस कारण है। हम उसकी और आगे विकास समृद्धि करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ठीक कहा कि हमें अब यह सोचना है कि हमें प्रदेश की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करना है।

प्रदेश को कैसे आगे ले जाना है। अभी 10 मिनट पहले विधान सभा में चर्चा हो रही थी। हम प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में हैं मगर ऐसा लगता है जैसे दो देश की सेनायें आमने-सामने खड़ी है। एक दूसरे पर आक्षेप लगा रही है। वह शुभ घड़ी कब आयेगी जब हम लोग पार्टी और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश की वास्तविक चुनौतियों, समस्याओं के बारे में चिन्तन करेंगे और मिलबैठकर रास्ता निकालेंगे। मैं सोचता हूं कि हमारे प्रदेश के विकास में कहीं न कहीं नियोजन की कमी रही है। प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था में बार-बार सरकारें बदलती रहीं। मैं चाहूंगा कि सदन के लोगों से हमारी प्राथमिकतायें तय होनी चाहिए। सरकारें चाहे बदलें परन्तु विकास के जो हमारे मानदण्ड हैं, प्राथमिकतायें हैं और जो मास्टर प्लान है, वह स्थिर रहना चाहिये। अभी कहा गया है कि 1 हजार की आबादी के गांवों को जोड़ा नहीं गया है, मैं कोई आरोप लगाना नहीं चाहता। कभी अम्बेडकर योजना चली और कभी गांधी ग्राम योजना चली, बड़ी आबादी के जो गांव हैं, जिसमें हर वर्ग और जाति के लोग रहते हैं, उनको जोड़ने का काम हम करें। योजना का जो लक्ष्य है, चाहे वह छोटे गांव हों या पुरवे हों, उनको जोड़ने का काम किया गया है। आंकड़ों और नारों से विकास नहीं होगा। आज एकपवित्र आचरण और दृढ़ संकल्प की जरूरत है। हमारे देश के लिये दो आदर्श हैं-चाणक्य और महात्मागांधी जी का आदर्श। यह हमारी जो मूल थाती थी सादा जीवन उच्च विचार, जिसे चाणक्य ने जोड़ने की कोशिश की थी। आज हम चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, उस मूल भावना से अलग हटते जा रहे हैं। वैभव फलफूल रहा है।

मैं किसी से भी तर्क के लिये तैयार हूँ। वैभव जहां है, वहां भ्रष्टाचार है। बिना भ्रष्टाचार के वैभव फलफूल नहीं सकता है। जिस चाणक्य ने महान साम्राज्य की स्थापना करने के बाद राजधानी की एक झोपड़ी में प्रधानमंत्रित्व का काम किया था। चीन का फाह्यान यात्री उनसे मिलना चाहता है और रात में मिलने का अवसर मिलता है तो चाणक्य जी ने जो दीपक जला रखा था, उसे बुझा दिया। इस फाह्यान ने सवाल किया कि इसका रहस्य क्या है। इस पर उन्होंने कहा कि जब वह दीपक जल रहा था तो मैं सरकारी कार्य कर रहा था और सरकारी कोष से वह जल रहा था। दूसरा दीपक जो जलाया गया है वह इसलिये कि हम इस समय व्यक्तिगत बात कर रहे हैं।

तो क्या वह संदेश आज प्रासंगिक नहीं है। क्या वह संदेश ग्राम पंचायत स्तर पर, ब्लाक स्तर पर, एम0एल0ए0 और एम0पी0 स्तर पर, मंत्री स्तर पर और अधिकारी के रूप में हमें प्रेरित नहीं करता है फिजूल खर्ची पर पाबन्दी लगनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आवाज उठायी है और फिजूलखर्ची को रोकने के लिए एक वातावरण बनाया है इसलिए इस वातावरण में सभी को सहयोग करना चाहिए। किसी साथी ने कहा कि ट्रांसफर बड़े पैमाने पर हुए हैं।

मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो पहले ट्रांसफर होते थे बी0एस0पी0 और एस0पी0 के शासनकाल में उन ट्रांसफरों को तो उद्योग के रूप में माना जा सकता है परन्तु इस समय जो स्थानान्तरण हो रहे हैं वह आवश्यकतानुसार और अपेक्षानुसार हुए है। महंगाई के बारे में कहना चाहता हूं। आज हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या महंगाई की है महान विचारक लोहिया जी ने कहा था-दाम बांधो नीति जब तक दाम नहीं बांधे जायेंगे तब तक महंगाई की बात कहना अप्रासंगिक होगा। इसलिए हमें दाम बांधों नीति पर कारगर कदम उठाने होंगे। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे चुनौती के रूप में लेकर एक आन्दोलन का रूप देने का काम किया है। और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने आज यह है कि कल कारखाने बन्द हो रहे हैं। चाहे समाजवादी पार्टी का शासन रहा हो, बहुजन समाज पार्टी का शासन रहा हो या हमारा शासन हो कल कारखाने बन्द हो रहे हैं। इस पर ठंडे दिल से सोचने की जरूरत है कल कारखाने पूर्वांचल में और अन्य दूसरे क्षेत्रों में बन्द हो रहे हैं, इसके क्या कारण हैं। मैं चाहूंगा कि इसकी जवाबदेही फिक्स करनी होगी। जो अधिकारी हो या दूसरे लोग हों जहां ऐसे कल कारखाने बन्द हो रहे हैं उनकी कमियों को जानने की जरूरत है और उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री राजधारी-

मान्यवर, आपकी तरफ से मुझे इंडीकेशन मिल रहा है लालबत्ती का। कहना बहुत कुछ चाहता था। आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बजट के समर्थन पर बोलने का अवसर दिया। उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति एक चुनौती है और इसको एक गम्भीर चुनौती मानते हुए पक्ष और विपक्ष के रूप में नहीं, आरोप प्रत्यारोप के रूप में नहीं इस चुनौती को दूर करने के लिये प्रयास करें ताकि यह तरक्की की तरफ बढ़ सके। उम्मीद है इसमें विपक्ष के लोग भी सहयोग करेंगे।

(तीन चार सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मैं मौका दूंगा। थोड़ा समय संयम रखेंगे तो सबको पर्याप्त समय मिलेगा और काफी संख्या में लोग भाग ले लेंगे।

* श्री कौकब हमीद-

जब मान्यवर, किसी प्रदेश का वार्षिक बजट रखा जाता है तो कोशिश यह करते हैं कि प्रदेश की जनता को एक दिशा देंगें कि आने वाले साल में किस तरह की जिन्दगी व्यतीत हो पायेगी। महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, आपकी तरक्की होगी कि नहीं, सड़कें बनेगीं कि नहीं, विकास की दर बढ़ेगी या घटेगी। उद्योग लगेगें कि नहीं। लगेंगें तो किस तरह के लगेंगे, यह दिशा देनी चाहिए थी। मगर मान्यवर, बड़े अफसोस की बात है कि इस बजट में पता नहीं हरीश जी ने क्या कोशिश की है, किस तरह की दिशा देंगे इस प्रदेश को, मैं नहीं जान पाया हूं। मुझे तो यह बजट ऐसा लगता है कि कहीं से आंकड़े लाकर इसमें दे दिये गये हैं। इसमें कोई दिशा नहीं है। बजट के पृष्ठ-76 से शुरू करता हूं। माननीय मंत्री जी नें एक अपील करी है यहां की जनता से, यहां के कर्मचारियों से कि हम जापान की तरह जो उनका नारा है वह हम भी लें। अफसोस की बात है कि इस सदन में उत्तर प्रदेश में हमको जापान को बीच में लाना पड़ रहा है कि हम उनकी तरह अपील करें। उपयोग करते हैं तो हम फिर टैक्स भी देंगे, वेतन पाते है तो काम भी करेंगे। उनका नारा ठीक है।

यहां तो गाड़ी ऊपर से चलती है मंत्रिमण्डल और मंत्री जितने हैं अगर वो काम करेंगे तो उनकी देखा देखी आपके आई0ए0एस0, प्रमुख सचिव, सचिव, उप सचिव और उसके नीचे के जो स्टाफ है वह भी काम करेंगे। यहां तो मंत्रिमण्डल ही काम नहीं करता है। पूरे सदन की कार्यवाही उठाकर देख लीजिये सब में नहीं आता है कि मंत्री जी कहां थे, यह काम नहीं किया, मंत्री जी कि विभाग ने काम नहीं किया। यह अपील बड़ी अटपटी सी है। दो तीन वर्ष गुजरे हैं इस बी0जे0पी0 सरकार को फाइनेंशियल क्राइसेज के ऊपर दो श्वेत पत्र जारी हो चुके हैं। एक श्वेत पत्र आ चुका है एक आने जा रहा है तो मान्यवर श्वेतपत्र कोई सरकार देती है अपनी स्थिति के बारे में तो जाहिर है वह एक आपातकालीन स्थिति होती है! जानकारी के लिए बता दूं 1998-99 में जो ट्रासंफर पोस्टिंग में आपने खर्चा किया है वह 23 करोड़ है 1999-2000 में 132 करोड़ रुपया आपने ट्रासंफर पोस्टिंग में बेवजह खर्चा किया है यह बात मैं नहीं कह रहा हूं आपके प्लानिंग कमीशन के अधिकारी आपके निमंत्रण पर यहां आए और उन्होंने रिपोर्ट बनाई उसने कहा है कि 100 करोड़ की वृद्धि ट्रासंफर पोस्टिंग में हुई है। मुख्य मंत्री जी ने कानून निकाला कि विधायक जहां कहेंगे वहां उनकी पोस्टिंग कर देंगे तो तूफान मच गया दो विधायक ट्रासंफर करवाने आ गए चार विधायक रूकवाने आ गए। 130 करोड़ रुपया इसमें खर्चा हो गया। स्थिति जब इतनी खराब है खाने पहनने को नहीं था तो ऐसी नीति नहीं बनानी चाहिए थी, हर स्त्रोत का इस्तेमाल होना चाहिए अगर वित्तीय दिक्कत है अगर वेतन नहीं दे पा रहे हैं अगर उत्तर प्रदेश सरकार के चेक बाउन्स हो जाते हैं क्योंकि बैंक लेने से इन्कार कर देते हैं, तो यह सोचने की बात है 18 हजार कन्टेम्प्ट इस सरकार पर पेंडिग हैं यह 600 रुपया प्रतिदिन वकील को देते हैं तो आप देखें 4.32 करोड़ का

व्यय यह खामख्वाह कर रहे हैं। कहीं से कोई पैसा खर्चा नहीं करना है कोई एन0आर0आई0 नहीं चाहिए. आपको यह करना है कि आपने जो वकील कर रखे हैं सेकेट्री जवाब दें, कन्टेम्प्ट खत्म करें। मान्यवर, बहुत जिक्र आया है पी0डब्लू0डी0 का..

श्री अध्यक्ष-

दो मिनट शेष हैं।

श्री कौकब हमीद-

थोड़ा ज्यादा टाइम दे दीजिए एक मद संख्या-54 है 54 से आप 56 कर लें चाहे 56 से 48 में पैसा दे दें लेकिन बात वही है 1737 करोड़ रुपया आप दे रहे हैं उसके रख-रखाव के लिए, यह सेलेरी विभाग का रख-रखाव आपके आने-जाने जितने उद्घाटन सरकार करती है इसके लिए है। इस कारण से विकास नहीं बढ़ रहा है। सड़के बना रहे हैं जिसकी चर्चा की जाती है हाईवे बना रहे हैं वर्ड बैंक से पैसा दिया है 674 करोड़ रुपये की आप सड़क बनायेंगे उसमें 160 करोड़ रुपये की नई सड़कें बनेंगी। बाकी पिछला काम है। फिर इस बजट को लाने का क्या फायदा है।

मान्यवर, एक राय के रूप में हरीश जी को देना चाहूंगा कि जब हर डिपार्टमेंट का बजट पास कर देते हैं और हर डिपार्टमेंट को पैसा दे देते हैं तो फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट क्यो डिले करता है। क्यों 31 मार्च को ऊधम मचाता है दुनिया भर में। 29 तारीख या 31 तारीख को क्यो पैसा बांटता है। आपने एक बार आर्बिटेट कर दिया हो गया। मान्यवर, एक बात और कहना चाहूंगा यह सोचने की बात है और जिसकी तकलीफ पूरे सदन को है। मान्यवर, यह बजट पास हो रहा हैऔर डिस्ट्रिक्ट प्लान की मीटिंग नहीं हुई है। हम कहीं नही गये और इन्होंने खुद ही बना दिया तो यह सोचने की बात है। मान्यवर, यह कहा गया कि 12 प्रतिशत आप विकास दर बनायेंगे। आपके यहां कोई फैक्टरी लगाने को तैयार नहीं है और यहां पर माइनस टू है और आप बजट के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि हम 12 प्रतिशत कर देंगे। बिल क्लिंटन आकर चला गया।

उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा प्रदेश है वहां पर कुछ नहीं और आंध्र प्रदेश ने कम्प्यूटर के मामले में कमाल कर दिया। वहां इण्डस्ट्री लाकर बैठा दी। 1300 करोड़ डालर का काम शुरू होने जा रहा है। वह आगरा आया था मुख्य मंत्री जी ने क्या किया, वह ताजमहल देखकर चला गया। आप भी बैठाते, बात करते लेकिन आपने क्या किया। पिछली बजट स्पीच देखें उसमें आपने लिखा है कि नये एन0आर0आई0 में लगाने के लिए डायरेक्टोरेट बना रहे हैं उसका कोई जिक्र नहीं आया उसका क्या हुआ, ग्रेटर और नोयडा खत्म हो गया, नयी कोई इण्डस्ट्री नहीं आ रही है, हाईवे कोई बन नहीं रहे हैं तो यह सब क्या हो रहा है। आखिर में एक बात कहना चाहूंगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बजट में कुछ नहीं कहा गया है। आपने कहा था कि पैकेज बनायेंगे। पता नहीं कब आया, कहां गया।

आपने कहा कि एग्रीकल्चर इण्डस्ट्री बनायेंगे लेकिन कहीं कुछ नहीं है। एक कमरे में रेवेन्यू बोर्ड का दफ्तर जरूर है। माननीय मुख्य मंत्री जी यदि आपके पास पैसा नहीं है तो फिर क्यों इतना बड़ा प्रदेश चला रहे हैं। इस प्रदेश के टुकड़े कर दीजिये और हमारा पश्चिम हमें दे दीजिये हम उसे संभाल लेंगे।

* गृह राज्यमंत्री (श्री रंगनाथ मिश्र)–

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। विपक्ष ने इस आय-व्ययक की साधारण चर्चा में जो बातें रखी हैं, मैं समझता हूं कि माननीय कुंवर साहब ने कुछ आलोचनाओं के साथ-साथ कुछ सुझाव भी दिये हैं लेकिन बाकी सब लोगों ने केवल आलोचना की है। जो बजट रखा गया है उसमें किसानों के लिए अनेक सुविधायें रखी गयी। स्वास्थ्य, बिजली, शिक्षा कानून और व्यवस्था,सड़क के क्षेत्र में इस प्रदेश की 16 करोड़ जनता के हित में जो भी आवश्यक सुदिधायें हैं उसको आगामी वित्त वर्ष में बढ़ाने का आपने संकल्प व्यक्त किया है।

मान्यवर, किसानों के लिए पिछली सरकारों में जहां पर उनका सरचार्ज इतना अधिक हो जाता था किसानों के पम्पसेटों का वह मूल धन उसका होता था बिजली का बिल वह भी नहीं दे पाते थे और सरचार्ज से कही अधिक हो जाता था! सरचार्ज का उ०प्र० सरकार ने तमाम करोड़ रुपया माफ किया है यह एक ऐतिहासिक कदम है जिसके कारण नये पम्पसेट लगाने की सुविधा हुई है जो लगाये हुए थे काफी बकाया था उसको भी उन्होंने जमा किया। निजी नलकूप को बढ़ावा देने के लिए पिछली सरकार ने 30 हजार 50 हजार सब्सीडी दी थी वह एक लाख रु० अनुदान देने का काम किया गया निजी पम्प सेट पर। जहां सरकारी ट्यूबवेलों की अच्छी स्थिति न होने के बाद किसान आज निजी नलकूप लगाकर इस प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन में एक रिकार्ड स्थापित किया है। सिंचाई के क्षेत्र में आज काफी वृद्धि हुई है।

आजादी के समय उ०प्र० की आबादी 6 करोड़ थी आज 16 करोड़ है जो पहले की सरकारें थी उन्होंने क्या किया हमारी सरकार ने बहुत सी नीतिया बनायी हैं जनसंख्या नियंत्रण पर वह मंत्रिमण्डल में एप्रुव होने वाली है इस आबादी को रोकने का भी हम कदम उठाने जा रहे है। धर्म स्थल विधेयक लाया गया हम किसी मजहब के उपासना स्थल को रोकना नहीं चाहते हैं, हम तो कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहते हैं हम सभी धर्मो के लोगों के लिए एक समान कानून बनाने जा रहे हैं लेकिन उस पर भी आपत्ति हुई, तमाम प्रकार के आरोप लगाये गये।

कुवंर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी बजट पर बोल रहे थे तो मैं आपके माध्यम

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से जानना चाहता हूं कि धर्मस्थल विधेयक यहां पर कहां से आ गया और धर्मस्थल विधेयक पर आप बोल रहे हैं आप गृह राज्य मंत्री हैं आप बतायें कि कितने आई0एस0आई0 के एजेण्ट आपने उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में पकड़े आपने कहा था कि नेपाल के बार्डर पर आई0एस0आई0 की गतिविधियां बहुत तेज हैं और इसके लिए धर्मस्थल विधेयक बनाया तो इसे बार्डर का बनाते या पूरे उत्तर प्रदेश में या आपने लागू कर दिया। आप बजट पर बोल रहे हैं मैं जानना चाहता हूं कि कितने आई0एस0आई0 के एजेंटों को पकड़ा है ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं मैं बजट पर ही बोल रहा था। कुंवर साहब ने जनसंख्या वृद्धि की बात कही उसका मैंने एक संदर्भ लिया। हम जो भी काम करते हैं आप उसकी आलोचना करते हैं जिस दिन हम जनसंख्या की नीति लागू करेंगे। उस दिन भी आप हमारे ऊपर उंगली उठायेंगे। या तो आप कह दीजिये कि हम स्वीकार करेंगे कि आप ले आयें। मान्यवर, बिजली के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुआ है आज कहने के लिए कोई कुछ भी कहे। लेकिन यह सदन जानता है कि जब आपकी सरकार थी तो विधायक एक-एक हैण्डपम्प के लिए तरसता था। जबसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है विधायकों को अनेकों हैण्डपम्प लगाने के लिए दिये गये और इस बार भी 50-50 हैण्ड पम्प आपको दिये जा रहे हैं यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी सरकार में विधायक एक-एक हैण्डपम्प के लिए तरसता रहता था। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने पिछले साल एक कदम उठाया था कन्या हाईस्कूल खोलने के लिए और इस साल भी 10 करोड़ रूपये कन्या हाईस्कूल असेवित विकास-खण्डों में खोलने के लिए दिया है। जहां तक पुलिस का सवाल है, आज भी ददद्दू भाई ने कानून व्यवस्था की बात उठाई, कई दिनों से कानून व्यवस्था की बात उठती रही है, गृह विभाग से मैं संबंधित हूं। मैं कहना चाहता हूं कि 16 करोड़ जनता के लिए एक लाख 76 हजार पुलिस कर्मी हैं वह कम हैं लेकिन पिछली सरकारों की यह जिम्मेदारी थी। हमने 9 हजार पुलिस कर्मियों की भर्ती पिछले साल ईमानदारी से की थी और 3 हजार सब इंसपेक्टर की भर्ती अब हम करने जा रहें हैं रिजल्ट भी आ रहा था लेकिन हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया इस कारण रिजल्ट नहीं आया। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हम अपने इरादों को प्रकट करते हैं।

मान्यवर, आपके समय में पुलिस की भर्ती हुई थी और किस प्रकार से भर्ती हुई थी यह किसी से छिपा नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि उस समय जब मैं सम्पर्क कर रहा था जो 9 हजार पुलिसकर्मी की भर्ती हुई सभी अभ्यर्थियों ने कहा कि यह पहला अवसर है कि कहीं भी थैली देने की जरूरत नहीं पड़ी, दलाल को खोजने की जरूरत नहीं पड़ी और योग्यता के आधार पर पुलिसकर्मी की भर्ती हुई है। एक गांव में मैं सम्पर्क कर रहा था विन्ध्य परिवार के 2 लड़के थे उन्होंने कहा, मालूम सबको है, एक मुख्यमंत्री के भाई ने लिस्ट को बदलवा दिया, पैसा लेकर भर्ती कराई गयी थीं वह किसी से छिपा नहीं है।

सड़क के मामले में बात उठाई गयी मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में जब भी सड़क के निर्माण की बात आयेगी तो उस समय कलराज मिश्र जी का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जायेगा। मान्यवर, एक-एक किलेमीटर सड़क के लिए विधायक तरसता था। गांव के लोग कहा करते थे सड़क नहीं बनवाई इसलिए वोट के लिए नहीं आ सकते हो। पूरे उत्तर प्रदेश की बड़ी-बड़ी सड़के गढ्ढा मुक्त कर दी गयी। आज आपके दलों की सरकार दूसरे प्रदेशों में हैं। मैहर हम जाते हैं गया करने के लिए जाते हैं तो वहां जाने वाले पैसेंजरों को बार्डर पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। जब पैंसेन्जर ऊंघता रहता है, सिर आपस में टकराने लगते हैं तो स्वतः पता लग जाता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा क्रास करके मध्य प्रदेश या बिहार की सीमा में पहुंच गये हैं, उसको यह बताने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने गिरेबान में झांककर देखें, यह जनता कहती है। आज समाजवादी पार्टी के लोग, जनता दल के लोग क्षेत्र में जाते हैं तो लोग कहते हैं, क्या पहले पैसे नहीं आते थे, आज इतनी सड़क कैसे बन रही है, कैसे इतनी सड़के गढ्ढा मुक्त हो गई हैं। एक जगह कवि सम्मेलन चल रहा था, उसमें एक कवि ने कहा, यह मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कहूंगा तो आप नाराज हो जायेंगे। कवि कह रहे थे कि इस बार पैसा कहां से आ गया, बजट तो हर साल बनता रहा, हर साल केन्द्र से अनुदान आता रहा लेकिन जिनके कन्धों पर जनता की सड़क के गड्ढे को भरने की जिम्मेदारी थी, ऐसे लोगों के पेट के गढ्ढे इतने गहरे थे कि उनके सारे पेट के गढ्ढे भर गये, परन्तु जनता की सड़क के गढ्ढे नहीं भरे, इसलिये आप लोग अपने गिरेबान में झांककर देखें। जिनकी जिम्मेदारी थी, उनकी वजह से सन् 1947 से 1996 तक सड़कों की दशा नहीं सुधरी। माननीय कलराज मिश्र और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साढ़े 3 साल के अन्दर उत्तर प्रदेश की सड़कों की दशा सुधारी है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें। बारह मिनट हो गये हैं।

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, मैं समाप्त कर रहा हूं। ऊर्जा के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुये हैं। यह बात अलग है कि नये प्रोजेक्ट तैयार नहीं हो पाये। लेकिन जिस तरह से काम इन 3 साल में हुआ है, वह प्रशसंनीय है। माननीय कुंवर साहब आप भी ऊर्जा मंत्री थे, अनपरा-सी का प्रोजेक्ट कब से विचाराधीन है, मनेरी-भाली अधूरा पड़ा है, श्रीनगर अधूरा पड़ा है, विष्णु प्रयाग की भी यही स्थिति है। इन 3 साल के अन्दर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी रही, जिसने इस क्षेत्र में कदम उठाया है। इस समय विष्णु प्रयाग के प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो रहे हैं, श्रीनगर का एम०ओ०यू० हो चुका है। मनेरी-भाली फेज-1 बन गया था, फेज-2 के लिये 300 करोड़ रुपया खर्च हो गया था, आपकी सरकार आई, 100 करोड़ रुपया नहीं दिया गया, जिसके कारण वह 300 करोड़ रुपये की पूंजी फंसी हुई है, इसी कारण मनेरी-भाली फेज-2 नहीं बन पाया, इसके लिये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार नहीं है, बल्कि आप सबकी सरकार जिम्मेदार है, जिन्होंने आबादी को देखते हुए, पहले से योजना नहीं बनाई, इस कारण अनपरा-सी नहीं बन पाया, मनेरी भाली फेज-2 नहीं बन पाया और तमाम प्रोजेक्ट नहीं बन पायें।

मान्यवर, कुंवर साहब ने पूंजी निवेश की बात कही में बताना चाहता हूं 1600 करोड़ आया है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यह सब इन 3 सालों के अन्दर कानून व्यवस्था में सुधार के कारण सम्भव हुआ है। आपने तो हल्ला बोल का नारा दिया था, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई थीं, उसके कारण भारत में आने वाली पूंजी को लोग यहां नहीं लगाये। जब उन्हें विश्वास हुआ कि एक अच्छी सरकार आई है, राम प्रकाश गुप्त जी योग्य आदमी हैं, ईमानदार हैं, उद्योग मंत्री रहे हैं, अर्थशास्त्री रहे हैं और कानून व्यवस्थ में सुधार हुआ है, तब 1600 करोड़ का पूंजीनिवेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में यहां लगा। यह आपके शासनकाल की दूर्दशा रहीं कि पूंजी निवेश नहीं हुआ।

मान्यवर, नहरों और पानी की बात कही गयी, कहा गया टयूबेल नहीं चल रहें हैं। मैं कहना चाहता हूं कि नहर चली कि नहीं, ट्यूबवेल चले कि नहीं, इस बात का प्रमाण यही हो सकता है कि खेती कैसी रहीं, उत्पादन कैसा रहा, इसी से पता चला सकता है कि नहर चली कि नहीं ओर पानी आया कि नहीं। मान्यवर, इस साल वर्षा भी अच्छी नहीं हुई है वरना आप कह देते कि वर्षा अच्छी होने के कारण फसल अच्छी हुई है। इस साल इतना अधिक अन्न उत्पादन हुआ है, जितना पहले कभी नहीं हुआ था। सिर्फ यही कारण है कि वर्षा न होने के कारण, भी नहरे और ट्यूबवेल अधिक से अधिक चले जिससे पानी की उपलब्धता रही और परिणाम स्वरूप खाद्यान्न का उत्पादन अच्छा रहा।

मान्यवर, ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कही गयी तो मैं कहना चाहता हूं कि कितने स्थानान्तरण हुये इसका मेरे पास रिकार्ड नहीं है लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि सावन के अन्धे को हरियाली ही हरियाली दिखायी पड़ती है। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि जब कुंवर साहेब आपकी सरकार थी तो भदोही में जुलाई, 1994 में भदोही जिला बनाया गया तो जुलाई से लेकर जून, 1995 में आपकी सरकार भी चली गयी तो उस समय चार डी0एम0 बदले गये थे। इसके बाद आपकी सरकार चली गयी क्या उस समय आपका स्थानान्तरण उद्योग नहीं चल रहा था। मान्यवर, मायावती सरकार ने जून, 1995 में जब समर्थन वापस ले लिया था तो क्या उस समय स्थानान्तरण उद्योग नहीं चल रहा था। मान्यवर, हमारी सरकार ने योग्य अधिकारियों का स्थानान्तरण संवेदनशील स्थानों में किया है। इन शब्दों के साथ मैं वित्त मंत्री, श्री हरिश्चन्द्र जी के बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

* श्री राम जग-

अध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मंत्री जी श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ने जो अपना बजट भाषण पेश किया है, जिसकी पुस्तिका मेरे हाथ में है, उसके पृष्ठ-। में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।.

आर्थिक परिवेश के अन्तर्गत कहा है इस समय उत्तर प्रदेश आर्थिक पिछड़ेपन और भीषण आर्थिक कठिनाइयों के दौर से गुजर रहा है आज की यह स्थिति विगत अनेक वर्षों की गलत नीतियों, अनियोजित नियोजन तथा बढ़ते जा रहें भ्रष्टाचार का परिणाम हैं। हमारा यह कहना है कि आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार में लम्बे समय तक रही है इसलिए आप इसके लिए स्वयं जिम्मेदार हैं और जिस तरह से आपने जिस अर्थव्यवस्था को चुना है प्रदेश और केन्द्र में अपनी सरकार है। आपकी गलत विनाशकारी नीतियों के कारण आपने जो कदम उठाया है उसके दुखद परिणाम पूरा उत्तर प्रदेश भुगत रहा है। आप कहते हैं कि ऐसी जतन से ओढ़ी चुंदरिया, जस की तस धर दीन्ही चदरिया। मान्यवर, जो आपने पिछड़ेपन के कारण बताये हैं उसमें उत्तर प्रदेश को आर्थिक बदहाली से निकालने के लिए आपके पास कोई योजनाएं नहीं हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश की हालत यह है कि उसके विकास के लिए और उसके पिछड़ेपन से तथा आर्थिक बदहाली से निकालने के लिए बजट में कोई नीति नहीं दिखाई है जिससे कि लगे प्रदेश में इस बजट के माध्यम से कोई विकास हो सकेगा।

मान्यवर, आपने कहा कि विश्व बैंक की टीम उत्तर प्रदेश में आयी थी तो मैं कहना चाहता हूं कि उसी के निर्देशानुसार और उसकी मर्जी के अनुसार आपने यह बजट पेश किया है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह पहले वित्त मंत्री हैं जिन्होंने किसानों, मजदूरों, युवकों और बेहतर शिक्षा के लिए तथा बेरोजगारी दूर करने के लिए बजट में कोई प्राविधान नहीं किया है और चुप्पी ही नहीं साधा है और छात्रों की फीस बढ़ा दिया। आपकी गलत नीतियों का परिणाम है आज पूरे प्रदेश में फीस बढ़ा दिया। आपकी गलत नीतियों का परिणाम है आज पूरे प्रदेश में फीस बढ़ा दिया। विद्युत की हालत यह है कि पूरे प्रदेश में विद्युत विभाग को पूंजीपतियों के हाथ बेच रहें हैं जिसके परिणाम स्वरूप पूरे प्रदेश में विद्युत की हालत यह हो गयी कि गांव का किसान आज गेंहू की मढ़ाई का समय है, पूरी रात भर बिजली नहीं आ रही है, परीक्षाए चल रही है, छात्रों को बिजली नहीं मिल रही है। सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग हैं, पूंजीपतियों के हाथ बेचें जा रहे हैं। [* * *] और कारखाने देखें चाहे सीमेन्ट निगम का कारखाना हो, चाहे सूती मिल हो, हम मजदूरों की छंटनी कर रहें हैं। आज मान्यवर, उत्तर प्रदेश में ऐसी आर्थिक स्थिति को आपने किया है, आप पूरे प्रदेश में संकट बढ़ाने का काम कर रहें हैं। नोबेल पुरस्कार पाने वाले अमर्त्यसेन ने कहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च किया जाने वाला बजट आर्थिक विकास को बढ़ाने वाला है। आप क्या कर रहें हैं।

लड़कों की, इण्टरमीडिएट के छात्रों की फीस बढ़ा दी, अनुसूचित जातियों के छात्रों की फीस बढ़ा दी [* * *] आपने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की, जबकि पिछली सरकारों ने कक्षा-12 तक की फीस माफ - किया था। आप इसका व्यवसायीकरण कर रहें है। इसका एक मकसद है कि उत्तर प्रदेश जो पहले ही शिक्षा के क्षेत्र में पीछे हैं और

नोट :-[* * *] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

पीछे चला जाये। अस्पतालों की हालत यह है कि गरीब के बच्चे, गरीब लोग दवा के बिना उनकी मौत हो रही है। आज उत्तर प्रदेश की सरकार चाहे जितनी अपनी पीठ ठोंक ले। पी0डब्लू0डी0 मंत्री जहां अपने विधायक हैं साल में चार बार जायेंगे, वहीं आप स्कूल देंगे, सड़क देंगे लेकिन जहां विपक्ष के विधायक है, वहां न रोड देंगे न स्कूल देंगे। मान्यवर, अम्बेडकर ग्राम योजना के अन्तर्गत जो विद्युतीकरण की योजना चलती थी, सड़कों का निर्माण होता था, उत्तर प्रदेश सरकार उससे पीछे हट गयी। ये न अम्बेडकर ग्रामों के विकास के लिए पैसा दे रहें हैं, न गांधी ग्रामों के विकास के लिए और न रोड के लिए दे रहें हैं, न विद्युतीकरण के लिए दे रहें हैं। जो कल्याणकारी योजनाएं चलती रहीं हैं उन कल्याणकारी योजनाओं को (×××) राशन के दाम बढ़ा दिये गये, केन्द्र ने बढ़ाया और आपने उसका स्वागत किया। जो मिट्टी का तेल और चीनी मिलता था, वह भी गरीबों को नहीं मिल पाता है। आप दाम बढ़ाते जा रहे हैं। आपके पास न शिक्षा के लिए पैसा है, न स्वास्थ्य के लिए पैसा है। प्राइमरी स्कूलों के हालत यह है कि पहले एक-एक वर्ष में 10-10 प्राइमरी स्कूल खुलते थे, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है, प्राइमरी स्कूल खुल नहीं रहे हैं। उनकी हालत यह है कि 200-300 बच्चे हैं और एक अध्यापक है उन्हें बढ़ाने वाला। आपका 96 का मन्त्रिमण्डल है, उसके लिए पैसा की कमी नहीं है, आपके जो आई0ए0एस0 अधिकारी हैं, नौकरशाह हैं, उनके लिए पैसा है। जो कार्य योजना आती है आप लाखों लाख, करोड़ों रूपये खर्च कर रहें हैं।

(इस समय 6 बजकर 25 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रवीन्द्र शुक्ल पीठासीन हुए।)

लेकिन जनता के कल्याण की योजनाओं के लिये आपके पास पैसा नहीं है आपके पास कर्मचारियों को वेतन देने के लिये पैसा नहीं है। आज जो वित्तीय संकट है उसके लिये आपकी आर्थिक नीतियां जिम्मेदार हैं। आज पूरे प्रदेश में जो संकट का वातावरण बना है और अपराध बढ़ रहें है, अराजकता बढ़ रही है इसके लिये भाजपा सरकार की आर्थिक नीतियां जिम्मेदार हैं और आप खुद जिम्मेदार हैं। वित्त विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है उसके लिये कोई अर्थशास्त्री होना चाहिये। इसके लिये भाजपा के पास कोई अर्थशास्त्री नहीं है और कोई आर्थिक नीति नहीं है। यह सरकार और इसकी नीतियाँ मजदूर विरोधी हैं और किसी को कोई राहत मिलने वाली नहीं है। पूरे प्रदेश में भाजपा की सरकार ने जो माहौल पैदा किया है उससे गरीब आदमी दर-दर भटक रहा है। जब नौकरी की बात आती है तो उसके लिये 2-3-4 लाख की मांग की जाती है जिसको गरीब आदमी दे नहीं सकता है, गरीब आदमी के लिये सारे दरवाजे बंद हो गये हैं।

आप पब्लिक सेक्टर के निगमों को बेच रहे हैं और बड़ी-बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को ला रहे हैं जिससे इस प्रदेश की कोई तरक्की होने वाली नहीं है।

नोट :- (×××) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

निगमों को कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है। गांव में अगर किसी का लड़का शराबी होता है तो जैसे वह शराब के लिये बाप की जमीन बेच देता है, परिवार के बच्चों को पढ़ाने के लिये पैसा खर्च नहीं करता है लेकिन शराब पर पैसा खर्च करता उसी तरह से भाजपा सरकार कार्य कर रही है। इनकी सरकार ने पेटेंट विधेयक में परिवर्तन किया है और जिस तरह की आर्थिक नीतियां स्वीकार की हैं उससे न तो देश का विकास होगा और न प्रदेश का विकास होगा। वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वह किसान विरोधी है। किसान को बिजली/मंहगी मिल रहीं है, खाद/ महंगी मिल रही है। जैसा कि आपने कहा है कि जस की तस धर दीन्ही चदरिया तो आपकी जो भ्रष्टाचार और लूट पर आधारित व्यवस्थायें हैं उनको आप ज्यों का त्यों रखना चाहते हैं। यह बजट गरीब विरोधी, किसान विरोधी छात्र विरोधी है और उत्तर प्रदेश के अमीरों, लुटेरों, पूंजीपतियों के पक्ष में यह बजट है इस बजट से गरीब को कतई कोई राहत मिलने वाली नहीं है।

डा0 वेद प्रकाश सिंह एम0एस0-

अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे 2000-2001 के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय हरीश जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं। मान्यवर, बजट के 2 प्रमुख घटक होते हैं, आय और व्यय किसी प्रदेश की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिये या तो आय बढ़नी चाहिये या प्रदेश के व्यय कम होने चाहिये। इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा कर सुधारों की जो व्यवस्था की गयी है वह एक सराहनीय कदम है। जैसे एक डाक्टर मरीज को ठीक करने के लिये कभी-कभी कड़वी दवा पिलाता है या इंजेक्शन लगाता है। ठीक उसी प्रकार से वित्तीय स्थिति को ठीक करने के लिये कुछ कर सुधार करने आवश्यक थे। जिस प्रकार से व्यापार कर में सुधार किया गया, शिक्षा में माध्यमिक शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो या कृषि तथा तकनीकी शिक्षा हो उसमें जो फीस बढ़ाई गयी है उससे हमारे प्रदेश की आमदनी बढ़ेगी यह एक अच्छा कदम है। मान्यवर, विपक्ष में बैठे हुये साथीगण बार-बार कहते हैं ठीक वैसे ही जैसे कि मरीज का रिश्तेदार कहता है कि कड़ुवी दवा न दो, सुई चुभ रही है, बहुत दर्द हो रहा है तो उस समय डाक्टर को भावनाओं से ऊपर उठकर उस मरीज के हित के बारे में सोचना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि डाक्टर संवेदनहीन हो जाता है। उसकी मजबूरी है क्योंकि उसे मरीज को ठीक करना है तो उसे कड़ुवी दवा देनी पड़ेगी, सुई लगानी पड़ेगी। ठीक इसी तरह से हमारे वित्त मंत्री जी ने अपने प्रदेश की वित्तीय स्थिति को ठीक करने के लिए कदम उठाये हैं। कम्प्यूटरीकरण जो किया है जैसे आई0सी0यू0 में वायरल्स ठीक-ठीक है या नहीं यह देखा जाता है वैसे ही हम कम्प्यूटर से यह बात पता लगा पायेंगे कि वित्तीय स्थिति क्या चल रही है, यह भी एक सराहनीय कदम है। मान्यवर, अनुदानों की भी समीक्षा होनी चाहिए।

ऊर्जा के क्षेत्र में मैं कहना चाहता हूं कि शुरूआत में बड़े सक्रिय रूप से हमारे ऊर्जामंत्री ने ऊर्जा के क्षेत्र में सुधार किये थे। विद्युत नियामक आयोग भी बनाया था, विद्युत परिषद् को 3 निगमों में बांटकर सराहनीय कार्य किया है। "विद्युत सुधार अन्तरण स्कीम-2000" जो अधिसूचित किया है उससे विद्युत में सुधार होगा। यह सभी चीजें आंकड़ों के साथ में प्रस्तुत किया जाता तो और बेहतर स्थिति बनती। जो 2477 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि ऊर्जा विभाग के अनुदान में रखी गयी है वह एक अच्छा कदम है। केन्द्र सरकार द्वारा 7000 करोड़ रुपये का ऋण देने का आश्वासन दिया गया है। 1000 करोड़ रुपया पारेषण और वितरण के लिए रखा गया है। इससे ऊर्जा की स्थिति में सुधार आयेगा लेकिन मुझे इसमें यह कहना है कि गत वर्ष जो ग्रामीण क्षेत्र का विद्युतीकरण किया गया था और नलकूपों के लिए कार्य किया गया था उसको इस वर्ष भी रखा जाना चाहिए। परन्तु इस बजट में जिक्र नहीं है। मैं चाहूंगा कि इस कार्य के लिए अलग से धन रखा जाना चाहिए। सड़क और पुल में मा0 लो0 नि0 मंत्री जी ने 25 उपरिगामी सेतु बनाने का जिक्र किया गया है और इसके लिए 15 करोड़ रुपया रखा गया है। मैं चाहूंगा कि हमारे यहां सिवहाश नगर है जहां रेलवे क्रासिंग पर भारी भीड़ रहती है उसके लिए एक उपरिगामी सेतु का प्राविधान किया जाये। रामगंगा नदी पर अगर एक पुल बना दिया जाये जो सिवहारा-ठाकुरद्वारा मार्ग जो नेशनल कार्बेट नूरपुर स्योहारा पार्क को जोड़ती है और उससे दिल्ली की दूरी बहुत कम हो जाती है। नूरपुर-स्योहारा ठाकुरद्वारा मार्ग को राजमार्ग घोषित कर दें तो बिजनौर जनपद का विकास होता। समय कम है इसलिए मैं अपनी बात को संक्षेप में रखते हुए बताना चाहता हूं कि जो निर्बल वर्ग के लिये आवासीय सुविधा और अनुदानों की बात की गयी है यह प्रक्रिया काफी लम्बे समय से चलती आ रही है सिर्फ कागजी आंकड़ो में सुधार है वस्तुतः कोई सुधार देखने को नहीं मिलता है।

मैं कहना चाहता हूं कि जब माता-पिता बच्चे को बहुत अधिक प्यार करते हैं, उसकी हर उचित-अनुचित मांग को पूरी करते चले जाते हैं तो अन्तोगत्वा स्थिति यह बनती है कि आज बच्चा साईकिल मांगता है, कल स्कूटर, परसों कार उसके बाद मर्सिडीज की मांग करता है और बच्चा बिगड़ जाता है। मकान देने की सुविधा में करोड़ों-अरबों रुपया खर्च हो रहा है। जो सुविधा दी जा रही है वह एक पक्षीय नहीं होनी चाहिये। आज राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षाविद और मनोवैज्ञानिक ने एक लम्बी खोज के बाद पता लगाया है उसको कुछ देने के बदले में घर में उससे काम करने के लिए कहा जाए कि आपको अमुक काम घर के लिए करना है उससे घर का काम होता है दूसरे बच्चों को अहसास होता है कि वह घर के सदस्य है और यह घर उसका भी है उसको घर से लगाव होता है। यह जो अनुदान दिया जा रहा है या ऋण की सस्ती सुविधा दी जाती है उससे सरकार को एवज में चाहे मजदूरीके रूप में या अन्य किसी रूप में उसके बदले उनसे योगदान लेना चाहिए इस तरह से द्विपक्षीय लेन-देन व्यक्ति और समाज तथा सरकार के बीच रहेगा इससे प्रदेश और देश का भला होगा। अगर एक तरफा बात चलती रही तो पहले चार गरीब होंगे फिर 16 गरीब होंगे एवं यह रोग समाज में कैंसर की तरह फैलता जाएगा। हम उस तरफ न बढ़ें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

धन्यवाद।

श्री गोपाल कृष्ण-

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट के विरोध में बोलने का अवसर दिया। मेरा क्षेत्र पूरनपुर गेहूं का रिकार्ड उत्पादन का क्षेत्र है आज पूरे प्रदेश में किसानों को दुदर्शा है खाद के दाम 100 रुपये बढ़ गये लेकिन गेहूं का मूल्य 30 रूपये कुंतल बढ़ा। मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं, संसदीय कार्यमंत्री भी मौजूद हैं यह बड़ा अहम मसला है गेहूं की खुली लूट हो रही हे। समर्थन मूल्य गेहूं का समर्थन मूल्य 580 रुपये निर्धारित है लेकिन 510 रुपये में किसानों से गेहूं लिया जा रहा हे। यहां बिचौलियों द्वारा गेहूं खरीदा जा रहा है। इस सम्बन्ध में मेंने कई बार सदन में अवगत कराया है परन्तु किसानों को फिर भी पूरा मूल्य नहीं मिल रहा है। दूसरी गम्भीर समस्या हमारे यहां शारदा नदी की बाढ़ की है। शारदा नदी जो नेपाल राष्ट्र से आती है वह हमारे यहां बहुत गम्भीर समस्या बन गई है। नेपाल राष्ट के लोगो ने हमारे यहां शारदा नदी के किनारे हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है। इस सम्बन्ध में "सर्वे आफ इण्डिया" की टीम बुलाई जाय। इसकी मांग मेंने सदन में, कई बार की है। एक तरफ जबकि कारगिल में एक-एक इंच भूमि के लिए हमारे जवानों ने अपना खून बहाया है। हमारे यहां टाटर गंज के पास हजारों एकड़ जमीन नेपाल राष्ट्रके लोग कब्जा कर लिए हैं। इसमें शाही सेना और राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिली भगत है। यहा पर सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रहा है। प्रशासनिक अधिकारी "सर्वे आफ इण्डिया" की टीम नहीं बुला रहे हैं। मुख्यश्मंत्री जी से अनुरोध है कि यदि हमारी भूमि पर कब्जा हो गया तो काला इतिहास हो जायेगा। इस सम्बन्ध में यहां से सब दलों की एक कमेटी भेजिए और भारत भूमि की रक्षा कीजिए। दूसरी बात शारदा नदी से जो नहर निकाली गयी है वह नहर नेपाल राष्ट्र से आती है उससे हमारे क्षेत्र में शारदा नदी तांडव कर रही है। वह हजारों एकड़ भूमि निगल गई है। मकान बह गये हैं। लोगों के मकान टूट गए हैं, लोग झोपड़ी में रह रहे हैं। इस सरकार ने उनके लिये मकान मुआवजा खेती, रोजगार आदि का कोई भी उनके लिये कोई प्राविधान नहीं कियार है, कैसे पता चले कि यह लोक कल्याणकारी सरकार है। हमारे यहां सम्पूर्णानगर चीनी मिल है। यह चीनी मिलें इस क्षेत्र में गन्ना की प्रचुरता अच्छी फसल के आधार पर कृषकों के अंश से विशेष रूप से पीलीभीत जनपद के अधिकांश अंश है। यहां के किसान की जमीन कट गयी है, घर से बेघर हो गये हैं। नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। मय फसल खेत बह गये हैं हजारों एकड़ रेगिस्तान बन गया है। जब वहां पर गन्ना नहीं होगा किसान नहीं होगा तो क्या फायदा चीनी मिल का। बंगालियों को वहां पर बसाया गया है। इन बंगालियों को वहां 40 वर्ष व्यतीत हो गये हैं मगर फिर भी उन्हें, मताधिकार से वंचित रखा गया है। मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें मताधिकार का उपयोग करने के निर्देश दें तथा उन्हें जो अनुसूचित जाति-जनजाति का प्रमाण-पत्र नहीं मिलता उसे दिलाया जाय। यह उनके ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है। बहुत शोर सुनता था कि बिजली के पांच गांव दिये जा रहे हैं। मान्यवर, पांच गांव तो विधायकों को दिये जाते हैं। 98-99 के गांव में अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ

है। जो छोटे-छोटे मजरें हैं वहां विद्युतीकरण हो जाता है बाकी गांवों को छोड़ दिया जाता है। वहां की जनता हम विधायकों से कहती है। छवराताड, करेलिया, मुरलरहा जैसे अनेक गांव में विद्युतीकरण नहीं हो पा रहा है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के पूरनपुर क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में हरितक्रांति है। हरितक्रांति के नाम से जाना जाता है पर वहां यातायात बिल्कुल नहीं है। मेरे क्षेत्र शाहजहाँपुर में बगडा, खुटार में यातायात के लिये एक बस भी नहीं है। इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं है। मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी कुरैया सेहरामऊ गांवों को सुल्तानपुर से बस मार्ग शाहजहांपुर बरेली तक के हाईवे से जोड़ दिया जाय। पूरनपुर विधान सभा क्षेत्र में शाहनदीपुर बड़ा खुटार ब्लाक के ग्राम तो मेरे क्षेत्र में आते हैं पीलीभीत से जोड़ दिया जाय। हमारे क्षेत्र में पब्लिक इण्टर कालेज में साइंस नहीं है। धारा-94 में हमारे यहां स्कूलों में पी०आई०सी० में साइंस की मान्यता दी जाय। हमारे यहां एक भी कन्या महाविद्यालय नहीं है, एक कन्या विद्यालय है उसे महविद्यालय किया जाय। मेरे क्षेत्र में बहुत से स्कूल बन्द पड़े है, जहां एक भी अध्यापक नहीं है। जो एक आध है उन्हें जिला मीटिंग में मुख्यालय बुला लिया जाता है। विजयनगर कुठिया गुदिया में अभी नया स्कूल बना था वह भी जर्जर हो गया है। बच्चे खुले में पढ़ रहे हैं। हमारे यहां नालों की सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। खुले आम किसानों की लूट हो रही है। गेहूं के सेन्टरों पर 520 रुपये कुन्तल व्यापारी क्रय करके सेन्टर पर बेच देते हैं। हमारे यहां एक भी अस्पताल नहीं हैं। जो एक अस्पताल हैं भी वहां डाक्टर नजर नहीं आते पूरनपुर में केवल दो डाक्टर हैं। पीलीभीत की बात बता रहा हूं एक गम्भीर हालत में एक मरीज के लिये एक घण्टा खड़ा रहा पर डाक्टर नजर नहीं आये। पता लगाया तो पता चला कि डाक्टर शतरंज खेल रहे थे। यहीं आपके लखनऊ की बात बता रहा हूं यहां में अचानक 11 तारीख को सिविल अस्पताल में जब मैं आया उस दिन डाक्टरों की हड़ताल चल रही थी और एक 6 माह के बच्चे को, जो प्रि डिलिवरी में हो जाता है डफरिन से झलकारी बाई और झलकारी बाई से सिविल अस्पताल भेजा जा रहा था वह बच्चा किसी मुशर्रफ नाम के आदमी का था। यह ऐसी व्यवस्था थी जो मानवीय संवेदनाओं के ऊपर कुठाराघात थी। यहां के डाक्टर प्राइवेट नर्सिंग होम में प्रैक्टिस करते हैं। पूरनपुर में अल्ट्रासाउण्ड मशीन की व्यवस्था कराई जाय। यह बजट सिर्फ पूंजीपतियों का बजट है। इसमें मध्यम वर्ग, किसान वर्ग, निम्न वर्ग के लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मैं इस बजट की भर्त्सना करता हूं और कटौती के प्रस्तार पर बल देता हूं। धन्यवाद।

पूरनपुर से आसाम तक की एक रोड है, यह हाई-वे है, इस पर ट्रैफिक काफी चलता है, इसलिये मेरी मांग है कि पीलीभीत से लखीमपुर तक इसका चौड़ीकरण कराया जाय तथा हाट-मिक्स प्लान्ट से इसे तैयार किया जाये। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करते हुये इस बजट का विरोध करता हूं।

बजट चर्चा में बसपा सदस्यों को संख्या के अनुपात में बोलने का अवसर देने के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न पर श्री अधिष्ठाता का निर्णय

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। संसदीय परम्परा में दलीय संख्या का एक महत्व है। लोकसभा में जब भी बहस होती है तो दलीय संख्या के आधार पर समय निर्धारित किया जाता है। विपक्ष में एस0पी0 के बाद बी0एस0पी0 सबसे बड़ी पार्टी है। अभी तक जितने घंटे चर्चा हुई है, उसके अनुसार बी0एस0पी0 को उस अनुपात में हिस्सेदारी प्राप्त नहीं हुई है। इसलिये इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। बी0एस0पी0 गरीबों का प्रतिनिधित्व करती है। (× × ×)

श्री अधिष्ठाता-

उससे पहले श्री राम ललित चौधरी जी बोल रहे थे और उससे पूर्व सत्ता पक्ष के सदस्य बोल रहे थे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, बी0एस0पी0 के माननीय सदस्यों के साथ पक्षपात किया जा रहा है। उसके देखते हुए यह अनिवार्यता महसूस की जा रही है कि उनका संरक्षण नहीं हो पा रहा है। (× × ×)

श्री अधिष्ठाता-

आप कृपा करके बैठ जायं। आप सदन में रहें। जिस क्रम से मेरे पास नाम आये हैं, उसी क्रम में मैं ले रहा हूं। आपसे मेरा एक अनुरोध है कि बहुजन समाजवादी पार्टी के जो भी सदस्य बोलना चाहते हैं उनकी एक सूची भिजवा दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, समाजवादी नहीं बहुजन समाज पार्टी है। इसको सुधार लें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

मैंने ज्ञानेन्द्र जी को बुला लिया है। इसके बाद श्री राम पाल जी बोल लें उसके बाद जो सदस्य बोलना चाहें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं संरक्षण चाहता हूं। (× × ×)

श्री अधिष्ठाता-

ऐसी कोई मंशा नहीं है कि बी0एस0पी0 के लोग न बोलें। जब से मैं इस पीठ पर बैठा हूं। राम ललित जी बोले, फिर एस0पी0 के माननीय सदस्य बोले। ज्ञानेन्द्र जी को बुला लिया है फिर आपको मौका मिलेगा।

नोट:- (× × ×) यह अंश श्री अधिष्ठाता के अदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (क्रमागत)

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह -

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट के समर्थन पर बोलने का अवसर दिया...

श्री अधिष्ठाता -

कृपया आप लोग बैठ जायं। मैं सबको बारी-बारी से अवसर दूंगा। ज्ञानेन्द्र जी को मैंने बुला लिया है और वे बोलने के लिये खड़े हैं।

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह -

मान्यवर, कानून व्यवस्था पर आरोप प्रत्यारोप होता रहा है। मैं इसके सम्बन्धमें कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश की कानून व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है। मैं 91 में पहली बार इस सदन में चुनकर आया। मुझे अजीब सी बात लगती है कि प्रदेश के किसी भी कोने में चाहे कोई चोरी में पकड़ा जाता है, चाहे डकैती में पकड़ा जाता है, चाहे किसी की हत्या होती है समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से आवाज आती है और सबको समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के नाम से जोड़ दिया जाता है। भ्रष्टाचार पर अभी 45 मिनट आरोप और प्रत्यारोप हुए। मैं इस सदन में कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार कहां नही है। सवाल यह है कि कहीं नहीं है और मान्यवर, भ्रष्टाचार पर अगर अंकुश लगाने की बात करते हैं और सदन में इस पर बात करते हैं तो सबको दलगत भावना से ऊपर उठकर विचार करना पड़ेगा। केवल सदन में खड़े होकर बोल देने से, मंच पर भाषण दे देने से इस पर अंकुश लगने वाला नहीं है। दलगत भावना से ऊपर उठकर कोई नीतिगत निर्णय करना पड़ेगा। यह भी कहा गया है कि यह सरकार किसान विरोधी है।

मैं कहना चाहता हूं कि सरकार किसान विरोधी किस मामले में है। विगत वर्ष खरीफ का रिकार्ड उत्पादन हुआ था। 97 लाख मीट्रिक टन रवि का उत्पादन हो रहा है। पैदावार अच्छी कैसे होती है। सरकार ने समय से खाद, बीज, पानी उपलब्ध पैदावार में रिकार्ड बढ़ोत्तरी हुयी है। औद्योगिक क्षेत्र में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश शून्य है। इसी सदन में मान्यवर, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री एवं वीर बहादुर सिंह गोरखपुर को उद्योग विकास क्षेत्र घोषित करना चाहते थे दुर्भाग्यवश असमय उनकी मृत्यु हो गयी लेकिन यह सरकार उनके सपनों को साकार करने के लिये 10 करोड़ रुपये का प्राविधान करके गोरखपुर विकास प्राधिकरण को दिया है। विकास की बात पर मैं कहना चाहता हूं कि गांव की जनता इस बात को महसूस करती है और कहती है कि जितना विकास का कार्य इस सरकार के समय में हुआ है इतना पिछली किसी भी सरकार में नहीं हुआ था। अधिष्ठाता महोदय मैं आपके माध्यम से मान्यवर, लोक निर्माण मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से विगत वर्ष में लोक निर्माण विभाग द्वारा एक अभियान गड्ढा मुक्त सड़कों के लिये चलाया गया जिसमें एम0डी0आर0ओ0डी0आर0, एन0एस0, की सड़के थी उनके लिये अभियान चलाया गया और गडढा मुक्त किया गया हम ग्रामीण क्षेत्र से चुनकर आते हैं इस बजट में ग्रामीण

सम्पर्क मार्ग गड्ढा मुक्त करने हेतु धन बढ़ाया जाये। ग्रामीण सम्पर्क मार्ग जो क्षतिग्रत हैं उनको मरम्मत के लिए अभियान चलाया जाय। उनको भी गढ्ढा मुक्त कराया जाय। शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय सभी गांवों में सम्पन्न हुए हैं, कन्या इण्टर कालेज सभी वि०ख० में खुले है वर्तमान सरकार द्वारा सभी विकास खण्डों में एक-एक कन्या इण्टर कालेज और दिए जा रहे हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्र में जहां शिक्षा का अभाव है वहां बालिकायें शिक्षा ग्रहण कर सकें।

सत्ता का विकेन्द्रीकरण करके सरकार ने सीधे विकास का काम जनता के हाथ में सौंपा है वह सराहनीय है। स्वास्थ्य के बारे में कहा जा रहा था कि दवाईया नहीं है मान्यवर 9 अप्रैल 2000 को माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी मेरे क्षेत्र में गये थे और एक पी०एस०सी० और एक सी०एस०सी० का उद्घाटन किया। तो ऐसे ही उद्घाटन थोड़े ही हो जाएगा जब पैसा नहीं रहता, तो पी०एस०सी०, सी०एस०सी० भवन का निर्माण कैसे होता, समाज कल्याण विभाग द्वारा विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन में 285 करोड़ का प्राविधान किया गया है। छात्रवृत्ति हेतु छात्रों के लिए 585 करोड़ रुपये का प्राविधान सरकार ने किया है 85-90 रुपये प्रति कुंतल गन्ना मूल्य देने से 225 करोड़ रुपये का 32 लाख गन्ना किसानों का लाभ मिल सकेगा। ऊर्जा के क्षेत्र में भी विकास हुआ है। ऊर्जा के क्षेत्र में दिन-प्रतिदिन स्तर गिरता जा रहा था उसको सुधारने के लिए उसके भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए ऊर्जा विभाग में तीन निगम बनाए गए हैं। सदन सहमत होगा इससे उर्जा क्षेत्र में विकास होगा। मा० अधिष्ठाता महोदय इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया।

* श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, वर्तमान बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। यह बजट जिसकी चर्चा कई दिनों से हो रही है प्रतिपक्ष की ओर से जो विचार नेतागण अपने प्रकट कर रहे हैं यदि सत्तापक्ष उसे सुनकर उसमें जो महत्वपूर्ण सुझाव हैं उसको उसे मानना चाहिए यहां कोई वाद-विवाद प्रतियोगिता नहीं हो रही है। वर्तमान सरकार का जो बजट है आंकड़ों के हिसाब से जो कुछ भी दिया गया है वह आंकड़ों की बाजीगरी है। क्योंकि जो घाटा होता है उसमें आने वाले वर्ष की जो लाभ और प्राप्तियां होती हैं वह जोड़कर बता दी जाती हैं और यह कहा जाता है कि हमारा घाटा कम है। तो आप बाजीगरी में न जाकर धरातल में जाकर देखें आखिर आपने प्रदेश की जनता को किस हद तक लाभान्वित किया है। मान्यवर, 98-99 में इसी सरकार ने उत्तर प्रदेश वर्ग के तहसील मुख्यालयों पर बहुत सारे पत्थर भिजवाये। पूरे प्रदेश की हर तहसीलों में एक साल से पड़े हुए हैं। यह तहसीलों के अन्दर गढवाने थे जो सीमा चिन्ह है उसमें यह पत्थर गढ़ने थे .....

(व्यवधान)

नोट :– [*] वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हम तो सुझाव दे रहें हैं आप इसे माने या न मानें। तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि जो परिवहन विभाग की बसें चल रहीं हैं, कानपुर से इटावा वाया आगरा, कानपुर वाया झांसी इन्दौर यह शताब्दी ट्रैवल्स के नाम से इन्दौर बस जाती है। कानपुर का इनका परमिट नहीं है। कानपुर में औरई में झांसी में रोडवेज स्टैन्ड पर अलग से काउन्टर बना है बकायदा लिखा है शताब्दी ट्रैवल्स तो जो कानपुर से आगरा बस कानपुर झांसी-इन्दौर जा रही है वह करोड़ों रुपया का सरकार का घाटा करके जा रहीं है और इसमें केन्द्र से लेकर स्टेट तक के बड़े-बड़े लोग यह बसें चला रहें हैं। आपने जो गरीब बच्चों पर फीस लगायी है उससे आपको 70,80 करोड़ रुपया मिलेगा लेकिन यह एक सौ करोड़ से ज्यादा नुकसान प्रदेश की बसों के दे रहें हैं। दूसरा जो कैबिनेट रिसोर्सेस मोबिलाइजेशन की 97 में कमेटी हुई थी, उसका मैं भी सदस्य था और मैंने कुछ सुझाव भी दिये थे और उसमें कुछ लागू भी हुए थे, जैसे लाइसेंस का तो मैंने यह सुझाव दिया था कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में और प्रदेश के तमाम हिस्सों में जहां बालू, मौरंग और मिट्टी खनन हो रहा है उसमें जो रसीद प्रीमियम की दी जाती है उसे एम0एम0-11 बोलते हैं, जो पट्टा धारक होता है वह दस हजार की रसीद कटाता है और 10 लाख का खनन करता है। तो मैंने अनुरोध किया था कि इसको कम्प्यूटराइज्ड कर दीजिये ताकि फर्जी एम0एम0-11 न बन पाये और इससे पांच सौ करोड़ का सरकार को लाभ होगा। मैंने पिछली बार कहा था लेकिन इस सरकार में इच्छा शक्ति नहीं है। जो-जो लोग बालू खनन में लगे हैं, बस्ती, देवरिया, जालौन इत्यादि में वह दस हजार की रसीद कटाते हैं और दस लाख का खनन कार्य करते हैं।

मान्यवर, यह सरकार का पैसा भ्रष्टाचार में जाने के बजाय विकास कार्यों में लगे तो प्रदेश का भला हो। सरकार के अधिकारियों को आपने इतनी छूट दे रखी है ललितपुर का प्रकरण है एक अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड तृतीय ललितपुर का मामला है। इसमें कार्यालय अधीक्षण अभियंता, सिंचाई, निर्माण मण्डल, झांसी का पत्र सी-3/सिनिमं/51, 28 अगस्त, 99 का है। इसमें ऊपरी राजघाट नगर, निचली राजघाट नगर के लिए बताया गया है कि वर्ष 98-99 में आवंटित धनराशि 145.34 लाख रु0 और व्यय की धनराशि 581.74 लाख रुपये इस तरह से बिना स्वीकृति के बिना योजना के इन्होंने कागजो पर पैसा खर्च कर दिया।

आपके केबिनेट मंत्री बाबू राम एम0काम0 जी ने इस वेदना को माना उन्होनें अपने पत्र दिनांक 11-10-99 द्वारा सिंचाई मंत्री जी को लिखा जिसमें श्री सी0पी0 सिंह, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण मंण्डल ललितपुर के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया। उन्होंने लिखा कि इन्होंने ठेकेदारों को फर्जी भुगतान किया है जो सरासर गलत है। यह अधिकारी भ्रष्ट है तथा धोखाधड़ी एवं हेराफेरी में माहिर है। जांच उच्चस्तरीय अधिकारी से कराने की बात कही। इनके प्रमुख सचिव सिंचाई ने

भी लिखा कि दण्डित किया जाये और निलम्बित कर दिया जाय। लेकिन वह कुछ नहीं हुआ वह इसलिये नहीं हुआ कि जब सरकार के लोग ही उसे संरक्षण दे रहें हैं ! जालौन में नलकूप विभाग में एक अधिशासी अभियंता एस0सी0कटियार थे यह नलकूप खण्ड प्रथम, उरई, थे इनके विरुद्ध मैंने असेम्बली में प्रश्न भी किया, भाजपा नेताओं ने भी इनके विरुद्ध लिखा रिटायर होने के पहले यह 3 करोड़ रु0 खा गये कोई रत्ती भर काम नहीं हुआ। रिटायरमेंट के बाद सरकार का ध्यान गया कि उनकी चल अचल सम्पत्ति से वसूली की जायेगी।

मान्यवर, जब वह कार्यरत थे और शिकायते की गयीं तो कार्यरत रहते हुये उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी उनको जानबूझकर अवसर दिया गया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूं कि अपने बजट में कुछ भी प्राविधान करें लेकिन जब आपके बजट का पैसा अधिकारी लोग लूट करके खा रहे हैं तो विकास का कार्य कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है।

मान्यवर, इसके साथ ही आपने गरीब छात्रों की फीस बढ़ाई, सिंचाई शुल्क बढ़ा दिया। मान्यवर, इस वर्ष जो सिंचाई शुल्क को बढ़ाने की प्रक्रिया अपनाई गयी है तो इनके सभी पतरौल, सींचपाल तो बहुउद्देशीय कर्मी हो गये हैं कोई पड़ताल करने वाला नहीं रहा। तो सरकार की तरफ से आदेश हुआ कि पिछली बार जितनी सिंचाई हुई थी उसकी दस गुना सिंचाई की दरे लगा दी जांय तो मान लीजिये बुन्देलखण्ड के किसी किसान ने गेहूं की फसल बोई थी और नहर का पानी लगाया था तो उससे शुल्क लिया गया वह ठीक है लेकिन इस साल उसने मसूर की फसल बो दी है उसमें पानी की जरूरत नहीं पड़ती है और बिना पड़ताल किये हुये उस पर ।0 गुना सिंचाई शुल्क लगा दिया है। तो यह सरकार की पूरी तरह से अक्षमता है, यह किसान विरोधी सरकार है। (* * * *) मान्यवर, बुन्देलखण्ड, पूर्वान्चल और उत्तरांचल क्षेत्र में संतुलित विकास के लिए विकास निधि की स्थापना की गयी है। मान्यवर, जो कार्य जिला प्लान से नहीं हो सकता है उन कार्यो को कराने के लिए हम लोग बुन्देलखण्ड विकास निधि में जैसे सड़क है, बिजली है, पुल है उसका प्रयोग करते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें, आप बहुत पुराने सदस्य हैं।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम पाल-

मान्यवर, हम लोगों को 99-2000 का पैसा विद्युतीकरण के लिए दिया। अभी हमने 3 तारीख को एक सूचना लगायी कि इन गांवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ तो ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कमिश्नर कौन होता है, बुन्देलखण्ड विकास निधि के पैसे से

नोट :- (* * *) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

बिजली का काम कैसे स्वीकृत किया है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय पाल जी, समाप्त करें।

श्री श्रीराम पाल-

मान्यवर, हमारे यहां 4 अलग-अलग दल के सदस्य हैं और चारों लोगों ने 99-2000 का पैसा दिया है लेकिन ऊर्जा मंत्री ने शासनादेश जारी कर दिया कि कोई भी पैसा विद्युतीकरण में नहीं लगाया जायेगा। मान्यवर, उसमें टेण्डर हो गये हैं, कार्य प्रारम्भ हो गया है।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम पाल-

आप भी अपने जिले में जाते होंगे, आपको भी डर लगता होगा कि आपको कोई घेर न ले। आज बुन्देलखण्ड का आदमी आतंकित है। बुन्देलखण्ड में कोई उद्योग धन्धा नहीं लगाना चाहता।

श्री अधिष्ठाता-

मुझे विवश होकर न लिखने के लिये कहना पड़ेगा। आपकी पूरी बात आ गई है। माननीय श्रीराम जी आप बैठ जायें।

श्री श्रीराम पाल-

(× × ×)

श्री अधिष्ठाता-

अब आपकी कोई बात लिखी नहीं जायेगी। आप पहले ही काफी समय ले चुके हैं।

* श्री शिव सिंह चक-

मान्यवर, आपने मुझे बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। श्रीमन्, मुझे भी सुना जाय, जब सबको सुना है। मैं माननीय सदन को बता देना चाहता हूं, यहां पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के काफी लोग बोले। लेकिन सच बात आपके सामने यह है कि हमारी केन्द्र और प्रदेश की सरकार ने वर्तमान समय में विकास की गंगा बहा दी है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री, जिन्होंने इस बजट को प्रस्तुत किया है, सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। उसके बाद मैं माननीय कलराज मिश्र जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 1999-2000 के 1474.82 परिव्यय के मुकाबले इस वित्तीय

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- (* * * *) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

वर्ष 2000-2001 में 1615.26 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1140.44 करोड़ रुपये अधिक है।

अभी तक पूरे प्रदेश में सम्पर्क मार्गों का अभाव था, माननीय कलराज मिश्र जी ने पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा दिया है। प्रसव के समय महिलायें अपनी जान तक गवां देती थीं, उनके आवागमन के लिये, किसानों के आवागमन के लिये बहुत अच्छे रास्ते बना दिये गये हैं। यहां पर माननीय रमापति शास्त्री जी भी बैठे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे विधान सभा क्षेत्र में 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले हैं। कुछ दिन पहले रमापति शास्त्री जी मेरे क्षेत्र में गये थे और उन्होंने इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का बड़े धूमधाम से उद्घाटन किया।

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा बीच में टोकाटाकी किये जाने से व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

कृपया शान्त रहें। माननीय सदस्य को अपनी बात कहने दें।

श्री शिव सिंह चक-

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में इस सरकार ने ऐसा कार्य किया है, जैसा आज तक पिछले 50 वर्षों में कभी नहीं हुआ। श्रीमन्, मैं प्रदेश के सिंचाई मंत्री जी श्री ओम प्रकाश सिंह को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सिंचाई की सात नई परियोजनायें शुरू की हैं। जिन पर इसी पंचवर्षीय योजना में कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। इस क्षेत्र में 10 चेक डैम और 14 जलाशयों का निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया गया है। श्रीमन्, अब मैं बेसिक शिक्षा के भवनों के सम्बन्ध में सदन को बताना चाहता हूं कि हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने शिक्षा के क्षेत्र में चालू वित्तीय वर्ष 1999-2000 में कुल 488 प्राथमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण कराया है। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 63 नये तथा 516 पुराने भवनों का निर्माण किया गया है। इस कार्य के लिए मैं बेसिक शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

मान्यवर, आपके माध्यम से अब में कृषि के सम्बन्ध में सदन को बताना चाहता हूं। मान्यवर, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। इसलिए हमारी सरकार ने और हमारे मुख्य मंत्री जी ने किसानों के हित के लिए बीमा योजना चालू किया है जो निश्चत ही एक सराहनीय कदम है। मान्यवर, खलिहानों में किसानों की फसल इकट्ठा की जाती है और यदि उसमें आग लग जाती है तो किसानों को काफी नुकसान हो जाता है। इसलिए इस नुकसान को बचाने के लिए किसानों के लिए बीमा योजना हमारी सरकार ने लागू किया है इसलिए सरकार ने किसानों के लिए यह सराहनीय कदम उठाया है। इसके लिए मैं सरकार को और कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहता हूं कि विपक्ष में जो लोग बैठे हैं उनकी सरकारों के समय में विधायकों के लिए कोई निधि नहीं बनायी गयी थी। लेकिन हमारे प्रदेश की सरकार ने पहली बार विधायकों के मान-सम्मान के लिए विधायक निधि की स्थापना किया है जिससे हम सभी संतुष्ट हैं। मान्यवर, मेरा वित्त मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वे इस विधायक निधि को बढ़ाकर एक करोड़ रुपया कर दें तो बहुत अच्छा होगा, यह मेरा सरकार को सुझाव है।इस सम्बन्ध में दूसरे राज्यों की तरह हमारे वित्त मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमारी केन्द्र सरकार और प्रदेश की सरकार दिनों-दिन विकास के क्षेत्र में अग्रसर है। हमारी सरकार के समय में कानून और शांति व्यवस्था अच्छी है जिससे जो पहले की सरकारों में गुण्डों का राज होता था वह हमारी सरकार में समाप्त कर दिया गया है जिससे कहीं लूट-खसोट और चोरी नहीं हो रही है। मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बजट की सामान्य चर्चा में हमें बोलने का समय दिया।

* श्री समरपाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट की सामान्य चर्चा में बोलने का जो समय दिया है मैं उसके लिए आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, यह जो बजट की कापी हमें दी गयी है और जो बजट वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है इसको हमने पढ़ा तो हमें इसमें कुछ नहीं मिला जिससे कि हम कल्पना कर सकते कि प्रस्तुत बजट से प्रदेश का विकास होगा।

मान्यवर, यह बजट निराशापूर्ण है। इस बजट के अन्दर कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे प्रदेश का विकास सम्भव हो सके, जिससे प्रदेश के अन्दर नौजवानों की बेरोजगारी दूर हो सके और आज जो प्रदेश की हालत है वह इनसे छिपी हुई नहीं हैं। मेरे से पहले कई सदस्यों ने आंकड़े प्रस्तुत किये हैं, और उन पर प्रकाश डाला है, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि आज स्थिति बहुत ही चिन्ताजनक है। वित्त मंत्री ने स्वयं अपने बजट भाषण में कहा है कि इस समय उत्तर प्रदेश आर्थिक पिछड़ेपन और भीषण अर्थिक कठिनाइयों के दौर से गुजर रहा है। हमारे प्रदेश के अन्दर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 40 प्रतिशत लोग है जो कि राष्ट्रीय औसत 30-32 प्रतिशत है। इस बात का जिक्र माननीय वित्त मंत्री ने किया है उन्होंने कहा है कि वर्षो की गलत नीतियों, अनियोजित नियोजन तथा भ्रष्टाचार के परिणाम से ऐसा हुआ है, तो मान्यवर, तीन, साढ़े तीन साल से आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीन साल से ज्यादा समय से चल रही है तो जो भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है, उसके लिये कौन जिम्मेदार है। वित्त मंत्री जी ने कहा है कि बढ़ते जा रहें भ्रष्टाचार का परिणाम है कि आर्थिक स्थिति खराब हुई है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस सरकार के चलते भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और अनियोजित नियोजन के कारण यह स्थिति हुई है, यह उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। लेकिन जिस स्थिति से हमारा प्रदेश गुजर रहा है, हम कल्पना करते थे कि हमारे वित्त मंत्री जी अनुभवी हैं और कोई ऐसा बजट प्रस्तुत करेंगे जिससे प्रदेश आर्थिक कंगाली से निकल सके, जिससे प्रदेश का आर्थिक विकास हो सके, जिससे औद्योगिक विकास हो सके, जिससे प्रदेश कृषि के क्षेत्र में विकास कर सके और आम आदमी की प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ सके और लोगों का जीवन खुशहाल हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमें निराशा हाथ लगी। हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री जी ने भी कहा और प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। हमारे प्रदेश के लगभग 74 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर करते हैं, वे या तो किसान हैं या खेतिहार मजदूर हैं, वे परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से खेती से जुड़े हैं, निर्भर हैं। यदि किसान की नीतियां किसान विरोधी होंगी, गांव विरोधी होंगी तो प्रदेश के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि प्रदेश के विकास का रास्ता गांव के खेतों और खलिहान से होकर गुजरता है। इस प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने, देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने जो कहा था, प्रत्येक व्यक्ति इस बात से सहमत है।

जब खेत को पानी नहीं मिलेगा, गांव को बिजली नहीं मिलेगी, किसान के इस्तेमाल की जो चीजें हैं, वह मंहगी मिलेंगी, किसान को अपने अनाज का वाजिब दाम नहीं मिलेगा तो प्रदेश का विकास कैसे हो सकता है। जो बजट वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि यह किसान विरोधी बजट है। प्रदेश के 74 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं। आज किसान घाटे का धन्धा कर रहा है, किसान की स्थिति लगातार खराब होती चली जा रही है, किसान को आमदनी नहीं हो रही है, किसान कंगाल होता चला जा रहा है, इस प्रदेश की सरकार की गलत नीतियों के कारण, किसान विरोधी नीतियों के कारण। मान्यवर, बिजली की समस्या है। यह सीधे कृषि से जुड़ी हुई चीज है। जब बिजली नहीं होगी तो पानी नहीं मिलेगा, यदि पानी नहीं होगा तो खेत सूखेंगे और इससे कृषि का उत्पादन कम होगा। आपने बिजली के सुधार की योजना बनायी। आपने बिजली बोर्ड को तीन हिस्सों में बांट दिया लेकिन उसका नतीजा क्या निकला, वह आपके सामने है। ऊर्जा मंत्री जी कहतें हैं कि 10 घण्टे बिजली आ रही है लेकिन हर सदस्य इससे सहमत होगा कि 2-3 घण्टे से ज्यादा बिजली नहीं आ रही है। ऐसे भी तमाम स्थान हैं जहां एक-एक हफ्ते तक बिजली के दर्शन नहीं होते हैं। इसका नतीजा यह हो रहा है कि किसानों की फसलें सूख रहीं हैं।

बिजली विभाग के अन्दर संसाधन कम हैं। ट्रांसफारमर फुंक जाता है तो 2-2 महीने बदला नहीं जाता है। बिजलीघरों में 100 मीटर तार नहीं है कि अगर कोई फाल्ट हो जाय तो तार जोड़ा जा सके। खासतौर से हमारे यहां पर जितने बिजलीघर हैं वह ओवरलोडेड हैं जो बिजली दी जाती है उसको फीडर वाइज बांट दिया जाता है जिससे जो बिजली 6 घण्टे मिलनी चाहिये वह नम्बर वाइज बांटने से प्रति फीडर पर डेढ़ घण्टे से ज्यादा नहीं दी जाती है क्योंकि बिजलीघर ओवरलोडेड हैं, लेकिन इसके लिये इस बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है जिससे सुधार हो सके। मेरे यहां छपरौली में 1996 में 132 कि0 वाट का बिजलीघर बन रहा था।

राज्यपाल महोदय ने उसका उद्घाटन किया था उस पर काम शुरू हो गया था लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि जबसे भाजपा सरकार आयी तो उसने छपरौली बिजलीघर का काम रूकवा दिया और वहां पर जो सामान गया था उसको दूसरे जिले को भेज दिया गया। क्या हमारे यहां के किसान को बिजली की आवश्यकता नही है। किसान के आवश्यकता की जो चीजें हैं उनकी कीमतें बढ़ा दी गयी हैं। आपने गेहूं का समर्थन मूल्य 30 रुपये बढ़ाया और गन्ने का मूल्य 5 रुपये बढ़ाया लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि किसान की बिजली के दाम, बस का किराया, डीजल के दाम, कीटनाशकों के दाम, खाद के दाम कितने बढ़ा दिये गये हैं। किसान के उपयोग की चीजों के दाम 40-45 प्रतिशत बढ़ा दिये गये पर किसान की फसल के मूल्य केवल 4-5 प्रतिशत बढ़ाये गये। आपने गन्ने का दाम केवल 5 रुपये बढ़ाया जबकि हमारे प्रदेश से लगा हुआ यमुना नदी के पार स्थित हरियाणा में गन्ने का दाम 110 रुपये है और हमारे यहां 85 रुपया प्रति क्विंटल है।

एक आवाज-

90 रुपया है।

* श्री समरपाल सिंह-

90 रुपया दाम अर्ली वैरायटीज का है जो केवल 4 फीसदी पैदा होती है जबकि 96 प्रतिशत सामान्य गन्ना होता है जिसकी मूल्य 85 रुपये दिया जाता है। इसी तरह से आलू के बारे में मैं कहना चाहता हूं। यहां सदन में आलू के समर्थन मूल्य के बारे में मांग की गयी लेकिन वह पूरी नहीं की गयी। किसान बड़ी मेहनत से आलू पैदा करता है और उसके बाद शीतगृह ले जाता है। उसको आलू खुदाई, बोरी का खर्च आलू की ढुलाई, शीतगृह का किराया देना पड़ता है। जब आलू को बेचने का समय आता है तो जिस दाम पर आलू बिकता है उससे किसान की लागत नहीं मिलती है। इस सरकार ने आलू के दाम न बढ़ाकर शीतगृहों के मालिकों पर से नियंत्रण हटा दिया जिससे वह किसानों की मनमाने ढ़ग से लूट कर रहें हैं और किसान बरबाद हो रहा है। इसी तरह से आपने शीरे को नियंत्रण मुक्त कर दिया यहां पर मंत्री जी ने कहा था कि इससे गन्ना किसानों को फायदा पहुंचेगा लेकिन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किसानों को कोई फायदा नहीं पहुंचा जबकि चीनी मिल मालिकों को 12 रुपये प्रति क्विंटल शीरे पर फायदा हुआ और किसान के लिये केवल 5 रुपये बढ़ाये गये। इस तरह का काम करके चीनी मिल मालिकों की तिजोरियों को भरने का काम सरकार ने किया है। आज हालत यह है कि गन्ने का मूल्य किसान को 5-5 साल तक नहीं मिलता है। अभी माननीय कलराज मिश्र जी अपने विभाग के बारे में बता रहे थे। मैं कहना चाहूंगा कि आपने जो पैसा दिया, नेशनल हाई वेज की मरम्मत के लिए दिया, स्टेट हाईवेज की मरम्मत के लिए दिया, एम०जी०आर० की मरम्मत के लिए पैसा नहीं दिया गया। आप इस बात से सहमत होंगे कि पिछले 12-12 सालों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसी सड़कों की मरम्मत के लिए एक पैसा नहीं दिया गया। हमारे यहां तमाम सड़के ऐसी हैं जो चलने योग्य नहीं रह गयी हैं।....

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

* श्री समरपाल सिंह–

इसके अलावा क्षेत्रीय असन्तुलन की बात बजट के अन्दर कही गयी है। क्षेत्रीय असन्तुलन के नाम पर पूर्वांचल के विकास के लिए 150 करोड़ रुपये की विकास निधि की स्थापना की गयी। आप पूर्वांचल के लिए 150 के बजाय 250 करोड़ रुपये दें कोई हर्ज नहीं है। बुन्देलखण्ड के विकास के लिए 50 करोड़ रुपये दिये गये। मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी मौजूद है और सौभाग्य से वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों ने कौन सा गुनाह कर दिया कि उसके लिए एक नये पैसे कि निधि की घोषणा नहीं की। पिछले कई सालों से मांग चली आ रही है क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को इन्फ्रा स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं हैं, सड़कों की जरूरत नहीं है, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत नहीं है, बिजली घरों के बनाये जाने की जरूरत नहीं है उनकी क्षमता बढ़ाये जाने की जरूरत नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछली बार जब यह मामला उठा था तो विशेष पैकेज की घोषणा भी की गयी थी।.....

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

* श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, समाप्त कर रहा हूं। मान्यवर, 13 मदों की घोषणा की गयी थी। रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की जायेगी लेकिन नहीं की गयी। बजट भाषण में यह कहा गया है कि मेरठ के अन्दर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की जायेगी और यह मोदीपुरम में बनाया जायेगा इसके लिए 400 करोड़ रूपये का प्राविधान किया गया है। इस साल 10 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। अगर इस तरह से रुपया दिया गया तो यह 40 वर्षों के अन्दर भी पूरा नहीं हो पायेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 4 करोड़ लोगों के साथ यह सरकार नाइन्साफी कर रहीं है, ज्यादती कर रही हैं। जो पैकेज घोषित किया गया था उसमें कहा था कि मुरादाबाद के अन्दर एक्सपोर्ट को प्रोत्साहन देंगें, सहारनपुर के अन्दर लकड़ी के एक्सपोर्ट को प्रोत्साहन देंगें नहर पटरी पक्की करायेगें। कहीं दो-चार किलोमीटर भले ही करा दी हो नहीं तो यह काम भी नहीं किया गया।

पी0सी0एस0 का परीक्षा केन्द्र इलाहाबाद और लखनऊ में है लगभग 250 किलोमीटर के बीच में कोई परीक्षा केन्द्र नहीं रखा गया। 1996 में मेरठ में परीक्षा केन्द्र था लेकिन इस सरकार ने उसे हटा दिया। अब छात्रों को 600 से 800 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। यहां उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलती है, उचित माहौल नहीं मिलता और वह परीक्षा देने से बंचित रह जाते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहं रहा हूं कि जो बजट प्रस्तुत किया गया है पूर्ण रूप से निराशाजनक बजट है, इससे प्रदेश का विकास कतई सम्भव नहीं है। यह किसान विरोधी, गांव विरोधी बजट है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस पर पुनर्विचार करें और जो सुझाव माननीय विपक्षी सदस्यों ने रखे हैं उसका समावेश करें। धन्यवाद।

श्री प्रेम स्वरूप पाठक-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार। "जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।".....

...वास्तविकता यह है कि हमारे जो विपक्षी भाई हैं उनकी बहुत ही नकारात्मक सोच है। यह बजट वास्तव में सर्वजन हिताय-सर्वजन सुखाय और लोकोपयोगी है इनेंको तो इसमें खामियां ही नजर आती हैं चाहें कोई भी क्षेत्र हो, चाहे सिंचाई हो दवाई हो या पढ़ाई हो सबकी व्यवस्था बजट में की गयी है। ऊर्जा के क्षेत्र में भी विभाजन करके और गांव और शहर को और ज्यादा बिजली देने का प्राविधान किया गया है। इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य के विषय में भी बहुत ही अच्छा बजट दिया गया है। मैं इस बजट में कुछ बातें समाविष्ट करना चाहता हूं। उसमें अपनी विधान सभा क्षेत्र, नगर बदायूं को लाना चाहता हूं। अगर कोई व्यक्ति किसी वाहन के द्वारा मथुरा के लिए बरेली से जाता है तीर्थ यात्रा के लिए बदायूं होते हुए या ताज नगरी देखने के लिए आगरा जाना है तो बीच में गंगा पड़ती है और गंगा पर कोई पुल नहीं है, वास्तवकिता यह है कि वहां पर रेलवे का पुल है जिसकी दशा भी जीर्ण शीर्ण है उससे ही वाहनों का आवागमन मथुरा और आगरा के लिए किया जाता है इतने बड़े आवागमन के क्षेत्र में कोई पुल नहीं है यह बहुत बड़ी कमी है।

मैं चाहता हूं कि कहीं से भी व्यवस्था की जाये बहुत ही जल्दी वहां पर पुल का निर्माण सुनिश्चित किया जाये। पुल बनने में तीन चार साल लगेंगे। इस बीच में रेलवे अधिकारी कई बार मना कर चुके हैं उन्होंने कहा है कि हमारा पुल इस लायक नहीं है कि इससे वाहन चल सकें। कई बार पुल के ऊपर ट्रक फंस जाते हैं जिससे जाम लग जाता है और ट्रेन और अन्य यातायात बाधित होता है। 8-10 घंण्टे रेलवे का आवागमन भी रूक जाता है। अतः कछला गंगाघाट पर पुल का निर्माण अतिशीघ्र वांछित है। इसी के साथ ही साथ बदायूं नगर जिसकी जनसंख्या डेढ़ दो लाख के लगभग है दो तीन साल पहले एक बदायूं महायोजना बनाई गई थी लेकिन अभी तक उसका कार्यान्वयन नहीं किया गया है, मैं चाहूंगा कि उसको भी समाविष्ट किया जाये। बदायूं महा योजना का कार्य शीघ्र सम्पन्न कराया जाये इसके साथ ही साथ गजरौला में एक आर्गेनिक फैक्ट्री है उसका प्रदूषित पानी एक नाले से आकर बहता है वह पानी महोबा नदी में आता है और महोबा नदी का वह कचड़ा व प्रदूषित पानी गंगा नदी में मिलता है। जिससे आज गंगा घाट पर जहां महोबा नदी मिलती है एकदम लाल पानी हो गया है। वहां पर श्रद्धालुओं को स्नान करनें की इच्छा नहीं होती है। वाम आर्गेनिक फैक्ट्री से निकलने वाले गन्दे पानी को गंगा में मिलनें से रोका जाना चाहिये। अंत में मैं इस बजट की जितनी भी प्रसंशा करूं कम है। धन्यवाद।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी-

मान्यवर, आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके किये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैंने माननीय वित्त मंत्री जी का भाषण ठीक से पढ़ा है। मैं जिन बिन्दुओं को उठाने जा रहा हूं वह आलोचना नहीं हैं बल्कि सुझाव हैं। एक शेर मेरी समझ में नहीं आती "एक समन्दर ने आवाज दी मुझ को पानी पिला दीजिये" इसी तरह से यह जो शेर कही गई है बजट भाषण में कि "ऐसे जतन से ओढ़ो चुंदरिया कि जस की तस धर दीन्ही" यह मेरी समझ में नहीं आती इसकी भाषा कुछ यूं होनी चाहिये कि "ऐसे जतन से ओढ़ो चुंदरिया कि भ्रष्टाचार की न छलके गगरिया, ऐसे लूटों ऐसे खाओं कि पता न पावें सीताराम"। मान्यवर, 3720.02 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है जो इसमें दर्शाया गया है।

यह भी बड़े दावे के साथ कहा गया है कि हम इसे लोक लेखा से पूरा करेंगे जबकि यह धन जनता का पैसा, कर्मचारियों का पैसा, उनके जी0पी0एफ0 का पैसा है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात के लिए (× × ×) नहीं आती कि सरकारी कर्मचारियों की बीमारी को रोक कर, उनकी पुत्रियों की शादी रोक कर, उनके पी0एफ0 को रोक कर उनका पैसा मोटर, बंगलों और हवाई जहाज में खर्च कर रही है। यह जनता के साथ विश्वासघात है, घाटा पूरा करने के लिए कोई योजना नहीं है। वार्षिक योजना में कटौती की गई है। पिछलें वर्ष बजट में 11400 करोड़ रूपये में से 16 करोड़ जनता के लिए है, मात्र 10810.03 करोड़ की वार्षिक योजना स्वीकृत हुई जबकि पिछले वर्ष 11400 करोड़ रूपये थी। यानी सीधे-सीधे एक हजार

नोटः- (× × ×) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

करोड़ रुपये कम यह जनता के साथ अन्याय है। वर्ष 2000-2001 का बजट आगे बढ़ने के बजाय पिछड़ने वाला बजट है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नें बैक गेयर लगा दिया है। यह प्रदेश किसी भी दशा में आगे नहीं चलेगा। केवल बजट का समर्थन तेज आवाज में कर देना अलग बात है। इससे किसी भी तरह की उन्नति नहीं होने वाली। आठवीं पंचवर्षीय योजना के मुताबिक प्रति व्यक्ति आय 1582 थी जबकि नवीं पंचवर्षीय योजना में 900-1000 तक रह गई है। यह कमी क्यों आ रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केन्द्र में भी है तो फिर उत्तर प्रदेश के साथ यह सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? प्रधान मंत्री भी लखनऊ के हैं। फिर इतनी गिरावट क्यों?

बैंकों में ऋण जमा पूंजी का अनुपात बड़ी तेजी से घट रहा है। इनके एजेण्डे में विकास तथा आर्थिक नीति नहीं हैं। यह तो सिर्फ भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। अब आप प्रति व्यक्ति आमदनी को देख लें। हरियाणा में 11 हजार रुपये, गुजरात में 8 हजार रुपये और उत्तर प्रदेश में मात्र 4787 रुपये हैं। फिर भी विकास का ढ़िंढोरा ये पीट रहें है। केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार कर रहीं हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्र ने मात्र 10 परसेन्ट की सहायता दी, जबकि पूरे देश में हमारे सूबे की आबादी 16.6 परसेन्ट है। उत्तर प्रदेश में अब आप बिजली को ले लें। उत्तर प्रदेश में मात्र 197 किलोवाट प्रति घंटा बिजली दी जाती है, पंजाब में यही 786 किलोवाट प्रति घंटा, हरियाणा में 478 किलोवाट, गुजरात में 599 किलोवाट बिजली दी जाती है। अब आप साक्षरता में देख लें। यू0पी0 में 41 परसेन्ट है, पंजाब में 61.3 परसेन्ट हैं, केरल में 90 परसेन्ट हैं, इसके बावजूद भी यह लोग कहते हैं कि बजट अच्छा है। मैं कहता हूं कि बजट दिशाहीन, उद्देश्यहीन, अस्तित्वहीन है।

केरल की पहचान साक्षरता से हैं, आन्ध्रप्रदेश की पहचान सूचना प्रोद्योगिकी से है, पश्चिम बंगाल की पहचान भूमि सुधार से है, मध्य प्रदेश की पहचान प्राथमिक शिक्षा एवं ग्राम्य विकास से है, महाराष्ट्र की पहचान रोजगार गारन्टी कार्यक्रम से है। आखिर उत्तर प्रदेश की पहचान क्या है? इसकी पहचान (×××) भारतीय जनता पार्टी की पहचान साम्प्रदायिक एजेन्ड से है। अब आप बनारस के दंगे को ले लीजिए। हर सूबे की अपनी पहचान है, आप तो उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों की तनख्वाह भी नहीं दे रहे हैं यह बजट उत्तर प्रदेश को दीवालिया करता है केन्द्र में यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार न होती तो यह उत्तर प्रदेश की (×××) कर देते और उत्तर प्रदेश को सुधरने में बहुत समय लगेगा। अभी हमारे लोक निर्माण मंत्री जी बोल रहे थे गड्ढ़ामुक्त के बारे में (×××) डेढ़ घण्टे में मुश्किल से बाहर निकले, मेरे क्षेत्र की जो सड़कें हैं उन्हीं को आप गडढ़ामुक्त कर दीजिये। जहां तक फिजूलखर्ची की बात है एक

नोट :- (×××) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मंत्री एक वर्ष में 48 लाख रुपये जेब खर्च में खर्च करता है तो कहा से प्रदेश का विकास होगा, हथकरघा में आपने कोई पैसा नहीं दिया है। गृह राज्य मंत्री जी कह रहें थे कि आई0एस0आई0 की गतिविधियां नैपाल बार्डर पर बढ़ रही है। (×××) और वे उत्तर प्रदेश के गृह राज्य मंत्री हैं कितने आई0एस0आई0 को पकड़ा, कितने स्कूल में ताले डलवाये। जहां वे संरक्षण लेते हैं यह ताले नहीं डलवा सकते हैं। यह अंकुश नही लगा सकते हैं। (× × × × × × × × × ×)

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी-

अभी कहा गया था कि फसल बहुत अच्छी हुई है। नहरों में पानी नहा जा रहा है नलकूप बन्द पड़े है वह तो ईश्वर की कृपा है कि फसल अच्छी हुई है। यह खुशी ऐसे मना रहे थे जैसे पड़ोसी के घर बच्चा पैदा हुआ (× × ×) नाचने आ गये। फसल तो किसान ने मेहनत करी और ईश्वर की कृपा से फसल अच्छी हुई!

श्री अधिष्ठाता-

कृपया आप बैठें। मैंने राम औतार शाक्य जी को बुला लिया है। आप निर्धारित समय से बहुत अधिक बोल चुके हैं।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी-

समाप्त करने के लिये तो समय दे दीजिये। स्पीड कम होते-होते आयेगी। हमारे यहां शिक्षा की इतनी दुर्दशा है। मान्यवर, आपके यहां भी होगी। बच्चों के पढ़ने के लिये न तो भवन हैं, अगर कहीं हैं तो उनकी हालत जर्जर है, उनकी मरम्मत नहीं होती। उनकी मरम्मत के लिये बजट में पैसा नहीं है। एक भी विधायक के क्षेत्र में स्कूल खोलने की व्यवस्था नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें। बुनियाद हुसैन जी आप लोगों के आचरण पर ही यहां की बुनियाद रखी है।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी-

मान्यवर, जो बिन्दु आपने कहे थे वे तो मैंने उठाये नहीं। मुझे थोड़ा समय दे दीजिये ताकि मैं वो सब बिन्दु माननीय मुख्यमंत्री जी से कह सकूं। आप कह रहे हैं तो बैठ जाता हूं। धन्यवाद!

नोट:- (× × ×) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* श्री राम औतार शाक्य-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट की आलोचना-समालोचना करने के लिये और सुझाव प्रस्तुत करने के लिये अवसर दिया, इसके लिये मैं आभारी हूं और लम्बी चौड़ी भाषणबाजी न करके तीन चार बातें कह कर समाप्त करूंगा। सरकार का यह बजट घाटे का है और जब बजट घाटे का है तो उस घाटे की पूर्ति कहाँ से करेंगे हमारे तो समझ में यह आता है कि उस घाटे की पूर्ति मोटे तौर पर तीन बातों के आधार पर यह कर सकते हैं। अनुत्पादक व्यय में कटौती करें और जो कर अपवंचक हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही करें। तीसरा यह है कि जो लोगों के एरियर्स बकाया हैं उनसे वसूली करें तो इनकी वित्तीय स्थिति किसी हद तक ठीक हो सकती है लेकिन यह ऐसा करने में असफल रहे हैं। न यह पिछले वित्तीय वर्ष में ऐसा कर पाये थे और न ही इस वित्तीय वर्ष में यह कर पायेंगे। दूसरी बात यह है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि इस प्रदेश में गरीबी है, बेरोजगारी है और इस प्रदेश में अमीरी भी है। इस प्रदेश में गरीबी और अमीरी के बीच खाई भी है। यहां पर महंगाई है, यहां पर सम्प्रदायिकता है, तमाम ऐसी समस्यायें पैदा हो गयी हैं। इन समस्याओं का निदान जो बजट होता है वह एक आईना होता है और उस बजट में एक नीति विषयक मामला रखा जाता है कि किस तरह से उन चुनौतियों को सामना करें। गरीबी कैसे मिटे, कोई दिशा तय नहीं की, बेरोजगारी कैसे मिटे कोई दिशा तय नहीं की।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं आपकी क्या औद्योगिक नीति होनी चाहिए। क्या अर्थनीति आपकी होनी चाहिए क्या आपकी कृषि नीति होनी चाहिये। खासतौर से तीन बातों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अर्थनीति क्या हो मुख्य मंत्री जी ने कहा उद्योग प्रदेश बनाना चाहते हैं इससे पहले कोई मुख्य मंत्री उत्तम प्रदेश बनाना चाहते थे, यह कहते हैं जापान की तरह बनाना चाहते हैं मान्यवर जब जापान में हिरोशिमा में बम विस्फोट हुआ तो सारा जापान नेस्तनाबूद हो गया, उसके बाद अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी हो गयी कि दुनिया में गिना जाने लगा, हिन्दुस्तान में अर्थात उत्तर प्रदेश में जो व्यवस्था है जो जलवायु है जो जौग्रफी है, जो यहां की आबादी है।

जो किसान गांव में निवास करते हैं, आप उद्योग प्रदेश बनाना चाहते हैं उद्योग प्रदेश बनाने के लिए जापान का उदाहरण आपके पास है इससे आपकी सारी अर्थनीति ठीक हो सकती है, इस प्रदेश में आलू पैदा होते हैं, जहां ज्यादा आलू पैदा होता है वहां कुटीर उद्योग लगवाये, वहां कच्चा माल और लेबर मिल जायेगा, मूंगफली पर आधारित कुटीर उद्योग लगा सकते हैं, अगर आप कुटीर उद्योग नहीं लगवाते हैं तो प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता है कृषि के बारे में कहना चाहूंगा जनसंख्या की दर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

1.9 प्रतिशन बढ़ी, धान का प्रतिशत 0.9 प्रतिशत, गेहूं का प्रतिशत 1.9 हैं,

(इस समय 08 बजकर 02 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

में यह कहना चाहता हूं कि उसी हिसाब से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है तो उत्पादन कम है। उत्पादन की दर कम है और जनसंख्या की दर ज्यादा बढ़ी हुई है आखिर में एक समय ऐसा आयेगा कि आप नोट की डलिया लिए फिरेंगे पर खाने को अनाज नहीं मिलेगा। जब कृषि विकास निधि बढ़ेगी, गेहूं की पैदावार बढ़ेगी तो आपको कृषि नीति का निर्धारण करना चाहिये कृषि नीति के निर्धारण का कोई कार्यक्रम आपने नहीं बनाया है। मान्यवर, आपको मैंने उद्योग नीति बताई अब अर्थ नीति बताना चाहता हूं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में आप कितना-कितना पूंजीनिवेश करेंगे यह तय कर लें। ताकि संतुलन बना रहे अर्थ नीति क्लीयर होनी चाहिये। पर्यटन की बात कही गयी यह फायदे का उद्योग है मैं लोक निर्माण मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पर्यटन को 10 भागों में बांटा है एक परिपथ के बारे में कहना चाहूंगा एक बौद्ध परिपथ द्वितीय चरण ओ0ई0सी0एफ0 था उसको जेवा आई0सी0 के नाम से किया जा रहा था परमाणु विस्फोट के कारण जापान ने इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया जिसकी बजह से बौद्ध परिपथ योजना पूरी नहीं हो पाई यह गौतम बुद्ध का मुल्क है। मान्यवर, मैं खात्म कर रहा हूं (लाल बत्ती जलने पर) मान्यवर, जिला योजना का कोई अर्थ नहीं क्योंकि जब नीचे से योजना ऊपर होकर आती है।

नीचे की स्तर की जो योजना बनकर आयेगी तभी तो योजना का सही लाभ ग्रामीण क्षेत्रों को मिलेगा मगर आपने अपने स्तर से बिना जाने बिना वहां की भौतिक परिस्थितियों की जानकारी किये योजना बना दी तो कैसे विकास हो पायेगा। आज एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया कि हम सड़कों के लिए बहुत विकास करना चाहते हैं। नाबार्ड द्वारा जो वित्त पोषित योजना आर0आई0डी0एफ0 है इसके तहत 99-2000 में 600 करोड़ लेना था लेकिन आप सवा तीन सौ करोड़ ही ले पाये। इस योजना से सड़कों का, पुलो का निर्माण होता है। यह सरकार जब सवा तीन सौ करोड़ ही ले पायी है तो जो आप घोषणा करते है कि हम नयी विकास योजना चलायेगें तो यह कैसे संभव हो पायेगा?

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, समाप्त कर रहा हूं। मान्यवर, एक क्वेश्चन के जवाब में आपने कहा कि सड़क जल्दी से ज़ल्दी बना रहें हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप वर्ष 97-98 और 98-99 की पेन्टिंग ही नहीं कर पाये हैं। हमारे मैनपुरी जिले में 13 सड़के ऐसी हैं जिसमें पेन्टिंग नहीं हो पायी है। वहां पर कंकड बिछा हुआ है तो इस तरह से आप विकास करेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो पहले के विकास कार्य चल रहें हैं उन विकास कार्यो को पूरा करायें। अन्त में मैं यह ही कहना चाहूंगा कि यह बजट दिशाहीन है इसमें कोई दिशा नहीं है। जिसमें विकास की ही बात नहीं होगी वह बजट क्या होगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं समझता हूं कि इसमें बहुत से माननीय सदस्यों ने दोनों पक्षों के, बोल लिया है और समय भी काफी हो गया है। मैं पहले नेता विपक्ष को आमंत्रित करता हूं उसके बाद फिर माननीय मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी को आमंत्रित करूंगा।

श्री राम ललित चौधरी-

मान्यवर, मुझे थोड़ा समय दे दें। मैं पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

मान्यवर, जो बजट प्रस्तुत किया गया है एक तो विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है, और बजट का जो पवित्र लक्ष्य होना चाहिये वह नहीं है, बजट का लक्ष्य होना चाहिए डेवलपमेंट एण्ड इक्विटी अर्थात बजट का लाभ उनको मिले जिनको इसकी जरूरत है, विकास का लाभ उनको मिले जिसको इसकी जरूरत हो जो विकास की धारा से वर्षों से कटे हुये हैं, ऐसे लोगों के लिये इसमें बजट में कुछ नहीं है। मान्यवर, बी0एस0पी0 सरकार में बहन मायावती जी ने बजट का 21 प्रतिशत धन स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के लिये दिया था तो गांव में बिजली, सड़क, मकान, हैंड पम्प आदि पर काफी कार्य हुआ आज सारे काम ठप्प हैं। मान्यवर, तो यह नियत देखी जाती है कि बजट का आकार क्या है, आपके पास धन कितना है, और किस-किस मद पर क्या खर्च कर रहें हैं। इस पर बजट की अच्छाई निर्भर करती है न कि यह कह देने से कि यह कर रहित बजट है। यह कितने दिन रहेगा। कर रहित रहेगा। जनता को अब यह सरकार गुमराह नहीं कर सकती है क्योंकि वह जानती है कि आपके पास कर लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और आने वाले दिनों में आप करों के बोझ से जनता को लाद देंगे।

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी की भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात अखबारों में छपा है, यह सही बात है। अगर भ्रष्टाचार को नहीं रोका गया तो बीच के लोग सारे बजट को चट कर जायेंगे, पिछलें 3-4 सालों में साढ़े तीन हजार करोड़ के घोटाले प्रकाश में आये हैं, जांच हुई, कुछ नतीजे भी आये हैं। लेकिन केवल छोटे-छोटे कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही हुई। बड़े अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुयी। 65 करोड़ रु0 जांच पड़ताल में चले गये। आई0ए0एस0 एसोसिएशन ने अपने ही कुछ लोगों को चिन्हित किया अपने कैडर के लेकिन मुख्यमंत्री जी की अभी तक हिम्मत नहीं हुई है, मुख्यमंत्री जी के पास 300 फाईलें पड़ी हुयी हैं। अब सूची बन रही है भ्रष्टाचारियों की ताकि और धन कमाने का माध्यम बने। आप इंदिरानगर, गोमती नगर चले जायें, आमदनी से ज्यादा सम्पत्ति का पता चला जायेगा भ्रष्टाचार को रोकने के लिये स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेटिव विल पावर होनी चाहिये जो आपमें नहीं है। बड़े अधिकारियों के खिलाफ आप कार्यवाही नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके सर्विस कन्डक्ट रुल्स में लिखा है एनी एडवर्स इन्ट्री वई एनी प्राविंसियल गर्वन्मेंन्ट शैल

हैव नो इफेक्ट आन दि प्रमोशन आर रिवर्शन आफ दि आफिसर, वह गवर्नमेन्ट आफ इंडिया से गवर्न होते हैं आप उनका प्रामोशन-रिर्वशन कर नहीं कर सकते हैं केवल स्थानांतरण कर सकते हैं।

मान्यवर, इस बजट से न तो प्रदेश की गरीबी दूर होगी, न बेकारी दूर होगी न मुख्य मद जो विकास की हैं सिंचाई, कृषि, ऊर्जा आदि क्षेत्रों में कोई बढ़ोत्तरी होगी। धन्यवाद।

* नेता विरोधी दल (श्री धनी राम वर्मा)-

माननीय अध्यक्ष जी, बजट की सामान्य चर्चा पर पक्ष और विपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखें। श्रीमन्, सभी के विचारों से यह परिलक्षित होता है और उसका सारांश भी यह है कि यह सरकार आर्थिक रूप से पूरी तरह से दिवालिया हो चुकी है। इसके पास विकास के लिये कोई धन नहीं है। प्रदेश की गरीब जनता, किसान, मजदूर और छोटे व्यवसायी पूरी तरह से हताशा और निराशा की ओर जा रहें हैं। बजट में जो कहा गया है कि हम कोई नया कर नहीं लगा रहें हैं मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह आशा करूंगा कि अभी वह घोषणा करेंगे कि हम वित्तीय वर्ष 2000-2001 में कोई नया करारोपण नहीं करेंगे। लेकिन श्रीमन् मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि बहुत शीघ्र कई क्षेत्रों में नया टैक्स लगाये जाने की योजना बन चुकी हैं, सिंचाई का महसूल भी दूना होने वाला है। यह किसान विरोधी सरकार ने तय कर रखा है। यही नही अभी तो माध्यमिक और उच्च शिक्षा में अध्ययन करने वाले छात्रों का शुल्क बढ़ाया हुआ है, जुलाई से और भी बढ़ाये जाने की योजना तैयार कर ली गयी है। मैं चाहता हूं कि अगर यह योजनायें नहीं है सिंचाई का महसूल नहीं बढ़ाने जा रहे हैं, छात्रों का शुल्क नहीं बढ़ाने जा रहे हैं तो यहां माननीय वित्त मंत्री जी को घोषणा करनी चाहिये जो माननीय सदस्यों ने भी आशंका व्यक्त की है, कि इसमें बढ़ोत्तरी नहीं होगी।

श्रीमन्, मैंने अपनी बजट के सामान्य चर्चा में यह मांग की थी कि माननीय वित्त मंत्री जी किसानों के देयों की जो लूट हो रही है, सरकारी केन्द्रों पर तो गेंहू क्रय केन्द्र का बोर्ड लगा हुआ है लेकिन गेहूं खरीदा नहीं जा रहा है, बिचौलिये खरीद रहे हैं। गेंहू की कीमत सरकार की ओर से 580 रुपया निर्धारित है लेकिन किसान का गेहूं 510 रुपये से लेकर 525-30 रुपये में बिक रहा है। किसान की मजबूरी है कि उसको बेचना पड़ रहा है। किसान वैसे ही बरबाद हो चुका है और अब और अधिक बरबादी की ओर जा रहा है। मैंने यह भी मांग की थी माननीय वित्त मंत्री जी से कि आलू, किसान का बरबाद हो गया है उसकी खुशहाली के लिये आपको सोचना चाहिये। आलू का समर्थन मूल्य घोषित करना चाहिये, आलू का निर्यात करना चाहिये। श्रीमन्, प्याज बहुत सस्ते दामों पर बिक रहा है इसके निर्यात की भी बात

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बहुत बड़ी संख्या में, घोषणा होनी चाहिये। केन्द्रीय सरकार ने घोषणा की है लेकिन वह बहुत कम मात्रा में की है, बड़ी मात्रा में जब तक निर्यात नहीं होगा तब तक प्याज का सही मूल्य किसान को नहीं मिल सकता है। श्रीमन्, मैंने यह भी मांग की थी कि विद्यालयों में जो टीचर्स के पद रिक्त पड़े हुये हैं जिनसे शिक्षण कार्य में बाधा पड़ती है, छात्रों के जीवन से खिलवाड़ हो रहा है, भावी पीढ़ी से खिलवाड़ हो रहा हैं उसको रोकने के लिये जो पद खाली पड़े हुये हैं उनको भरा जाये।

मैंने, श्रीमन् यह भी मांग की थी कि महाराष्ट्र से जो सी0पी0एड0 ट्रेनिंग प्राप्त हमारे यहां के छात्र हैं, उनको भी समायोजित किया जाये। इसलिये मैंने कहा था कि सी0पी0एड0 की परीक्षा तो समाप्त हो गयी और उसको 96 से बन्द कर दिया गया है, उसके बाद के लोगों को समायोजित कर लिया गया है। जो श्रीमन्, पैसे वाले छात्र थे, वह हाई कोर्ट चले गये, उनको जगह मिल गई। गरीब, किसान, मजदूर का लड़का जो सी0पी0एड0 किये हुये हैं, वह हाईकोर्ट नहीं जा पाया। तो मैं माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि यह जो दोहरी नीति भेदभाव की नीति जो सी0पी0एड0 लोगों के साथ की गई है, कि कुछ को नौकरी दे दी गई है, प्राइमरी विद्यालयों में और कुछ को नहीं दी गयी है, इस बारे में स्पष्ट घोषणा करनी चाहिये। कि जो शेष बचे हुये लोग हैं, उनको प्राइमरी विद्यालयों में समायोजित किया जायेगा। यह भी श्रीमन्, मैंने मांग की थी जैसे कि सरकार ने पहले घोषणा भी कर रखी थी, नीति बनाई थी कि जो माध्यमिक विद्यालय हैं, जूनियर हाईस्कूल हैं, हाईस्कूल, इटरमीडिएट हैं जो अभी तक ग्रांट इन एड पर नहीं आ सके हैं, उनके सरकार ने ग्रांट पर लेने की नीति निर्धारित की थी, लेकिन श्रीमन्, इन दो सालों में और इस साल के बजट में एक भी विद्यालय को ग्रांट-इन-एड पर लेने का काम नहीं किया गया है और उल्टे छात्रों पर 3 गुना, 4 गुना शुल्क लगा दिया गया है।

श्रीमन्, हमारे बहुत से माननीय विधायकों ने मांग की है और मेरी भी मांग रही है कि माननीय विधायक क्षेत्र में कोई विकास कार्य अगर चाहते हैं तो यह 50 लाख की धनराशि बहुत कम है। इस महंगाई के युग में, जब हर चीज की मंहगाई बढ़ गई है तो श्रीमन् यह 50 लाख की धनराशि बहुत कम है। इसको बढ़ाकर एक करोड़ कर दिया जाय। सांसद निधि एक करोड़ से 2 करोड़ और 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ हो गयी है तो विधायक निधि भी बढ़ायी जानी चाहिये। इसलिये नहीं कि मैं कह रहा हूं। पैसे का प्राविधान कहा से करना पड़ेगा, पैसे के प्राविधान के बारे में पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि जो इन्ट्री शुल्क से पैसा आयेगा, उससे करीब 500 करोड़ रूपया सालाना आयेगा, उसको हम विधायक निधि में दे देगें। इस समय विधायक निधि में पौने 300 करोड़ रुपया, 50 लाख के हिसाब से खर्च आ रहा है। हम चाहते हैं कि उसकों दूना कर दिया जाय। क्योंकि इन्ट्री शुल्क तो आयेगा ही और सरकार को अलग से कहीं कोई पैसे का प्राविधान नहीं

करना पड़ेगा, इससे जो घोषणा की गई थी, वह भी पूरी हो जायेगी और माननीय विधायकगण अपने-अपने क्षेत्र में थोड़ा-बहुत विकास कार्य करा सकेंगे। यह भी मैंने मांग की थी, उस समय माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री बैठे थे, और मंत्रीगण नहीं थे, बहुत कम मंत्री थे, केवल 2-3 थे, मैंने उनसे निवेदन किया था।

मान्यवर, मैंने अनुरोध किया था कि वह सड़कें जिन पर गिट्टी पड़ गयी है उसको बिछवा दें जिससे जनता के पैसे का सदुपयोग हो सके और लेपन स्तर तक वे सड़कें जो जायेंगी तो सारी सामग्री जो वहां पड़ी है उसका उपयोग हो जायेगा और जनता को लाभ होगा।

मान्यवर, इन मूलभूत समस्याओं के लिए और इस प्रदेश के जनता की खुशहाली के लिये, प्रदेश की भावी युवा पीढ़ी की खुशहाली के लिए मैंने जो सुझाव रखे हैं आशा करता हूं कि उनके सम्बन्ध में वित्त मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से आज यहां घोषणायें करेंगे और प्रदेश की जनता को इस प्रकार राहत देने का काम करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

वित्त मंत्री (श्री हरिशचन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी")-

मान्यवर, वर्ष 2000-2001 का बजट मैंने इस सदन में 27 मार्च को प्रस्तुत किया था और उस दिन एक विषय पर विपक्ष के सभी माननीय सदस्य कुंऐ में कूद पड़े थे जिसके परिणामस्वरूप तीन दिन जो चर्चा हुई है उससे मैंने समझा है कि जरूर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे बजट के उन पृष्ठों को खोलने तक की तकलीफ नहीं उठाई जिससे उनको जानकारी हो पाती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें मेरे भाषण को पढ़ने का समय नहीं मिला। मान्यवर, मैं आशा करता हूं कि अब जो विभागीय बजट प्रस्तुत होंगे उनका वह माननीय सदस्य निश्चित रूप से अध्ययन करके आयेंगे और जिससे यहां सकारात्मक चर्चा हो पायेगी।

मान्येवर, पांच दिनों के लिए बजट पर सामान्य चर्चा होनी थी लेकिन आज जब हमने जानकारी प्राप्त की कि चर्चा में भाग लेने के लिए कितने माननीय सदस्यों ने भाग लिया। संख्या कम क्यों है तो मालूम हो कि दो दिन कुएं में आने जाने में उन्होंने लगा दिया और चर्चा के दो दिन खराब गये। इस प्रकार तीन दिन ही केवल चर्चा हो पायी जिसमें 50 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। मुझे संतोष है कि जिन माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया उनके सुझाव और उनकी बातें बड़े काम की हैं जिन्हें मैंने नोट किया है साथ ही साथ हमारे विभागीय अधिकारियों ने भी नोट किया है। मान्यवर, हम उन पर विचार करेंगे और आवश्यकतानुसार उन पर अमल भी करेंगे।

मान्यवर, इस सदन में जो चर्चा हुई उसमें पहले भी मैंने इस सदन में भाग लिया है और चर्चा को सुना है लेकिन उसका स्तर और ऊंचा होना चाहिये। में समझाता हूं कि बजट इस बात के लिए है जिसके सम्बन्ध में मा0 श्री राम ललित चौधरी ने ठीक संकेत किया था कि बजट के क्या मायने हैं? मान्यवर, बजट के मायने

विकास के जो कार्य हैं, जो सेवा के क्षेत्र में कार्य चल रहे हैं, जो नये काम लेने हैं, जो सरकारी तंत्रचल रहा है उन सभी के व्यय की व्यवस्था एक साल के लिये करना ही बजटीय व्यवस्था है। मैं समझता हूं कि इसी बजट को देखा जाना चाहिये। जिन कार्यों का मैंने उल्लेख किया है, श्री रामललित चौधरी ने अपने भाषण के आरम्भ में अपनी बात को रखा, और उसी आधार पर तौला जाय कि बजट अच्छा है या बुरा है।

इन कामों के लिए वित्त व्यवस्था पर्याप्त है कि नहीं। तो मैं समझता हूं कि और ज्यादा सकारात्मक चर्चा हो पायेगी और उधर ध्यान आकृष्ट होगा। मैं समझता हूं कि बजट की मुख्य बात तो यह है कि जिस पर विपक्ष को भी ध्यान देना चाहिए था कि कर तो कोई नहीं लगा इस बजट में, बात सत्य है लेकिन जब विपक्ष यह कहता है कि यह फीस बढ़ जायेगी, यह सिंचाई का शुल्क बढ़ जायेगा, आपने बजट में लगाया नहीं लेकिन बजट के बाद जरूर लगायेंगे। मेरे मन में एक प्रश्न उठता है एक और विपक्ष के माननीय नेता रेवतीरमण जी ने कहा कि बड़ी विपरीत परिस्थितियों में यह बजट आया है। यदि वित्तीय कठिनाई है, कर भी न लगे, किसी से लिया भी न जाये, सारे काम होते रहे, शासन तन्त्र चलता रहे, इन दोनों को देखने की बात है। माननीय बुनियाद अंसारी जी चले गये हैं, उन्होंने जापान का उल्लेख कर दिया कि द्वितीय विश्वयुद्ध में जापान ध्वस्त हो गया था। मान्यवर, मा० राम औतार शाक्य जी ने कहा था, क्षमा कीजिये।

माननीय राम औतार शाक्य जी ने कहा यह बात तो अच्छी लगी; सब को अच्छी लगी; मुझे भी अच्छी लगी।. मैं कहना चाहता हूं, आपने मेरा भाषण पढ़ा होगा तो मैंने जापान का उसमें उल्लेख किया है। लेकिन उनकी मैंने विकास यात्रा जब पढ़ी तो विकास यात्रा के एक पृष्ठ पर लिखा है कि जनता ने इस उद्घोष को स्वीकार कर लिया कि हम उपभोग करेंगे तो कर देंगे क्यों नही, हम वेतन लेंगे तो काम करेंगे क्यों नहीं। इस उद्घोष को जब जनता ने स्वीकार कर लिया। तो जिन लोगों ने उपभोग किया उनसे मांगना नहीं पड़ा, वे देने को आतुर हुए और जिन लोगों ने वेतन लिया उनमें काम की तत्परता आई तो 5 साल के अन्दर जापान खड़ा हो गया और अमेरिका और विश्व के विकसित देशों से टक्कर लेने लग गया। तो जिन माननीय राम औतार शाक्य जी ने जापान की इस बढ़ाई का उल्लेख किया वहां जापान के मूल में कौन सी प्रेरणा थी, उसका अनुकरण हमें जरूर करना चाहिए। इसी दिशा में विपक्ष भी साथ देगा और लोगों को प्रेरित करने में सहयोग करेगा, मैं विपक्ष से इसी सहयोग की अपेक्षा करता हूं। यह बात सत्य है कि एक पैसे का टैक्स नहीं लगा, यह भी सत्य है कि घाटे का बजट है, जिसकी बड़ी चर्चा है, उतना तो नहीं है लेकिन जो बजटीय घाटा वास्तविक है वह मात्र 509.67 करोड़ का है, लेकिन घाटा है। टैक्स लगे नहीं। घाटे का बजट है। यह भी उसमें उद्घोष है। विगत वर्ष की तुलना में 2000–2001 में विकास कार्यों के लिये 65.5 प्रतिशत रुपया अधिक लाया गया है। सच बात तो यह मूल

विचार करने की है कि टैक्स लगा नहीं घाटे का बजट हो और विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष विकास कार्यों में 62.5 प्रतिशत पैसा अधिक लाया जाये, यह होगा कैसे। इसके लिए मैं पूरे सदन का, माननीय विपक्ष के सदस्यों का सहयोग चाहता हूं। यह घाटे का बजट कोई नई बात नहीं है। मैं आगे इसका उल्लेख करूंगा। यह तो पिछले 15, 16 वर्षो से चला आ रहा है। एक मा० सदस्य ने कल वित्त मंत्री के बारे में ऊंगली उठा दी, [* * *]

माननीय जगदम्बिका पाल जी चले गये, कल सदन में एक बात उठी तो उस पर उन्होंने माननीय संसदीय कार्यमंत्री से इशारा करते हुए कहा कि सब बातों का संज्ञान नहीं लिया जाता है। अगर किसी माननीय सदस्य ने सरकार की क्षमता और सरकार के वित्त मंत्री की क्षमता पर संदेह किया है, अक्षम कहा है तो उसका संज्ञान नहीं लेना चाहिये क्योंकि जो बात निरर्थक है, निराधार है, मनगढंत है उसका संज्ञान सचमुच नहीं लेना चाहिये। लोकतंत्र में किसी सरकार की, किसी मंत्री की, किसी पार्टी की क्षमता कैसे नापी जाय। तो सबसे बड़ा नाप करने का तरीका लोकतंत्र में जन विश्वास है। जिन दलों पर से जनता का विश्वास उठ गया है, क्यों वे क्षमतावान है। जिनकी पार्टी टुकड़ों-टुकड़ों में टुट गयी और सारे साथी साथ छोड़ गये वह अपने को क्षमता वान कहते हैं, और जिन्हें जनता ने विश्वास देकर इतना बड़ा दायित्व सौंपा है, सत्ता दे दी है प्रदेश का विकास करने के लिए, उनके ऊपर ऊंगली उठायी जाय तो मैं फिर ऐसे लोगों को क्या कहूँ। मैं अहम में नहीं बोल रहा हूं, मेरा आत्मबल बोल रहा है। माननीय नेता विरोध पक्ष ने कहा कि टैक्स अभी नहीं लगाया गया है, आगे जरूर लगायेंगे।

हम भी हैं और आप भी हैं। अगर टैक्स आगे लगाया जाता है तो आपको टोकने का अधिकार है। मैं बताना चाहता हूं कि 1999-2000 में 9970 करोड़ रुपयों का कर राजस्व आया था अबकी बार हमने हिम्मत बांधी है इसको 15 प्रतिशत बढ़ाकर 11481 करोड़ रुपये का कर राजस्व प्राप्त करेंगे। मान्यवर, करेतर राजस्व 1999-2000 में 1564 करोड़ रुपये का था जिसमें 15 प्रतिशत की वृद्धि होगी और यह 1919 करोड़ रुपये होगा। यह वृद्धि इस बात को दर्शाती है कि व्यय निश्चित रूप से कम होगा। 1999-2000 में 30568 करोड़ रुपये का व्यय था और अबकी बार 32923 करोड़ रुपये का व्यय होगा। जो व्यय की घटने की दर थी वह 15 प्रतिशत की थी अबकी बार यह घटने की दर 8 प्रतिशत होगी। इसलिये व्यय में कमी आयेगी और आय बढ़ेगी। लेकिन इसके साथ-साथ कुछ बातें और हैं जिनका उल्लेख नेता प्रतिपक्ष ने किया जिसमें समान बिक्री कर की बात कही। मैं बताना चाहता हूं कि समान बिक्री कर से 250 करोड़ रुपये का लाभ उत्तर प्रदेश को होने जा रहा है। प्रवेश कर से 500 करोड़ नहीं तो 300 करोड़ की आय होने की संभावना है।

इसी तरह से मोटर कराधान यात्रीकर से 662 करोड़ रुपये की आय हुई थी जो इस बार 729.10 करोड़ होगी। अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया कि करों की चोरी को रोककर, वसूली को बढ़ाकर राजस्व इकट्ठा किया जा सकता

है । मैं इस सुझाव का स्वागत करता हूं । हम 2 योजनायें ला रहे हैं । एक टास्कफोर्स बनायी गयी है जिसके जिलाधिकारी अध्यक्ष होंगे । ए0डी0एम0 (वित्त) कर और करेतर राजस्व से संबंधित विभागों के प्रमुख इसके सदस्य होंगे और पुलिस फोर्स उनके साथ होगी और उसकी जिम्मेदारी होगी कि राजस्व वसूली जो इस समय 40 प्रतिशत है उसको 2000-2001 में 60 प्रतिशत तक ले जाया जाय । यह टास्कफोर्स उत्तरदायी होगी राजस्व की वसूली को बढ़ाने के लिये और कर चोरी, करापवंचन को रोकने के लिये । इस तरह से घाटे का बजट होने पर भी और नया टैक्स न लगने पर भी 62.5 प्रतिशत अधिक धन लगाकर विकास योजनाओं में गति लाई जायेगी । मान्यवर, जहां तक मानसिक स्थिति बनाने का प्रश्न है, मैं विपक्ष के माननीय नेताओं को भी आमंत्रित करूंगा और इस विचार गोष्ठी में जाने के लिये पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों, तहसील मुख्यालयों पर एक जागरण विचार गोष्ठी का आयोजन होने जा रहा है जिसमें अर्थशास्त्री, जन प्रतिनिधि, किसान प्रतिनिधि, व्यापारी प्रतिनिधि, उद्योग प्रतिनिधि होंगे और अनेक इस प्रकार के लोग भी उपस्थित होंगे जिनके द्वारा जनमानस की मानसिकता बनाने का प्रयास होगा कि जिस सरकार को हम बनाते हैं उस सरकार को चलाने के लिए भी हमारा योगदान चाहिए । इस तरह की मानसिकता जनता में पैदा करने का प्रयास करने जा रहे हैं । इससे आय बढ़ेगी । माननीय प्रमोद तिवारी जी ने चोट किया कि जब हमारी सरकार केन्द्र में थी तो उससे ज्यादा पैसा लाते थे अब तो आपकी सरकार है, आप क्यों नहीं ला पा रहे हैं ।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भारत सरकार ने जो योगदान दिया है वह बड़ा उल्लेखनीय है और उसे इस सदन में रखना चाहता हूं । 1999-2000 में राज्यांश 7192.6 करोड़ था, 2000-2001 में जो मिलने जा रहा है जिसका आश्वासन मिला है वह 8345 करोड़ रुपया है अर्थात् 15 प्रतिशत की वृद्धि है । इसी प्रकार भारत सरकार से अनुदान प्राप्त होता है, उसमें 1999-2000 में 3519 करोड़ रुपया मिला था, वर्ष 2000-2001 में जो मुझे बताया गया है 5,292 करोड़ मिलने जा रहा है जिसमें 30 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी है । मान्यवर, सरकार की तरह से जो राज्यांश है वह भी बढ़ रहा है और अनुदान भी बढ़ रहा है । भारत सरकार का ही योगदान है जिसके कारण 2200 करोड़ और शीघ्र ही मिलने जा रहा है जिसका उल्लेख किसी माननीय सदस्य ने किया था वह प्रोग्राम लोन है । उसमें 1100 करोड़ रुपया मिलने जा रहा है । शायद इसका उल्लेख माननीय कलराज जी ने किया था । स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 500 करोड़ मिलने जा रहा है और विद्युत क्षेत्र में जो राज्य से मिला वह मिला लेकिन इसी संदर्भ में केन्द्रीय सहायता 600 करोड़ रुपये की मिलने जा रही है । उसे जनहित में और मजबूत बनाया जायेगा । यह मैंने कुछ बातों का निवेदन करके माननीय सदन का विश्वास अर्जित करने की कोशिश की है । टैक्स नहीं लगाया, घाटे का बजट होगा तो भी विकास के काम तेज होंगे, गतिमान होंगे । कुछ बातें आयी अगर आप पूरा बजट पढ़ेंगे तो मिल जायेगा । कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां विकास की गति तेज करना नितान्त आवश्यक हैं । विकास की दर जब बढ़ती है तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाती है । हमने तो आवश्यकतानुसार पैसा ही दिया लेकिन जब

विभागवार बजट आयेगा तो माननीय सदस्य कहेंगे कि यहां सड़क नहीं बनी, वहां बल्ब नहीं लगा यह काम नहीं हुआ आदि-आदि बातें आयेंगी। यह अलग बात है। ऊर्जा के क्षेत्र में 1999-2000 की तुलना में 2000-2001 में 78.4 प्रतिशत ज्यादा धन आवंटित किया गया है। लोक निर्माण विभाग को विगत वर्ष की तुलना में 2000-2001 के लिए 19.56 प्रतिशत रुपया अधिक आवंटित किया गया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य में विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 7.45 प्रतिशत अधिक धन दिया गया है। समाज कल्याण विभाग में विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 4.22 प्रतिशत अधिक धन दिया गया है। इसी प्रकार शिक्षा विभाग में विगत वर्ष की तुलना में इस बार 4.70 प्रतिशत अधिक धन दिया गया है। सिंचाई विभाग में इस वर्ष 15.21 प्रतिशत अधिक धन दिया गया है मैं केवल कुछ आंकड़े पढ़ रहा हूं। यह इस बात का प्रतीक हैं कि जिस क्षेत्र में विकास करना चाहते हैं उस क्षेत्र में धन भी दिया है। जहां तक राजस्व घाटे की बात है यह बात सही है कि राजस्व घाटे में इस समय उत्तर प्रदेश चल रहा है इसे मैं स्वीकार करता हूं।

लेकिन यह राजस्व घाटा कोई नया होता तब तो वित्त मंत्री के कार्य की क्षमता नापी जाती तो यह घाटा शुरू हो गया था वर्ष 1987-88 से उसके पूर्व 86-87, 83-84 में भी घाटा रहा लेकिन 87 से राजस्व घाटा बढ़ा है लेकिन जब से यह सरकार आई है तब से तीन वर्षों में हम घाटा कम करते जा रहे हैं। वर्ष 1998-99 में यह 7,922, 97 करोड़ अर्थात 5.9% एवं वर्ष 1999-2000 में घाटा 5,885.16 करोड़ रुपये अर्थात् 5% था वर्ष 2000-2001 में यह घाटा और घटने की सम्भावना है। राजस्व घाटा कम होता जा रहा है हम कमी की दिशा में बढ़ रहे हैं इसी प्रकार राजकोषीय घाटे में कमी आई है। वर्ष 1998-99 में सकल घरेलू उत्पाद का 7.90 प्रतिशत घटकर वर्ष 1999-2000 में 7.5 प्रतिशत हो गया है अनुमान है कि वर्ष 2001 में राजस्व घाटा 7 प्रतिशत पर आ जायेगा। हम विकास में धन लगायेंगे एवं टैक्स नहीं लगायेंगे उसके बाद राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटे में घटोत्तरी परिलक्षित करना यह अच्छे बजट का लक्षण है। खराब बजट का नहीं। माननीय सदस्य ने लोक लेखा के संबंध में बाजीगरी का शब्द प्रयोग किया यह कोई नई बात नहीं है। लोक लेखा में सरकार के पास इस तरह का धन रहता है ताकि जब कभी सरकार को आवश्यकता हो उसका उपयोग किया जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बैंक खोलने की बात आई इसमें अरबों रुपये खर्च होगा तब कहीं नींव डाल पायेंगे। यह ठीक है कि उत्तर प्रदेश के बैंक खोल दिए जाएं तो जो पैसा इधर-उधर रहता है वह पैसा हमारे बैंक में रहेगा एवं ओवर ड्राफ्ट के संकट से बच सकेंगे हम इसकी कोशिश में लगे हैं कि उत्तर प्रदेश के बैंक खोले जाए। मुख्यमंत्री जी की कृपा होगी और सदन सहयोग करेगा तो मैं समझता हूं कि आर0बी0आई0 से प्रनुमान लेकर इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन उदाहरण मैंने दिया। लोक लेखा ऐसा है जिसमें से सरकार की जरूरत पूरी की जा सकती है। इसको भी हम क्रमवार नीचे ला रहे हैं। 98-99 में 4515 करोड़ निकाला गया, 1999-2000 में 3521 करोड़ रुपये निकाले गये और 2000-2001 में 3210 करोड़ रुपया निकाला गया है। लेकिन

चर्चा यह हो गई कि सामान्य भविष्य निधि इसमें होती है। बाद में यह बात उठी कि एक कर्मचारी बीमार है, पुत्री की शादी नहीं हुई तो जब विभागीय बजट आये तब आप बोलियेगा। आप देखिये कि 98-99 में 763 करोड़ रुपया कर्मचारियों द्वारा जी0पी0एफ से निकाला गया, 1999-2000 में 850 करोड़ रुपये का भुगतान कर्मचारियों को किया गया।

इसका मतलब यह है कि यदि कर्मचारियों की एप्लीकेशन इतनी अधिक मात्रा में है और धन का भुगतान की दर बढ़ रही है तो कर्मचारी दुखी नहीं है। मैं जल्दी कर रहा हूं क्योंकि भोजन और भाषण दोनों के बीच संघर्ष चल रहा होगा। ऋण के संबंध में बड़ा बोझ हमारे ऊपर लादा गया था। इस समय प्रदेश पर 68 हजार करोड़ का ऋण हैं यह सारी ऋणग्रस्तता 15 वर्षों से नहीं मैं समझता हूं कि और ज्यादा वर्षों से ऋण लेने की परम्परा जारी है। जब राष्ट्रीय घाटा 20 वर्षों से चल रहा है तो राजकोषीय घाटा इसी तरह से पैदा होगा। उसका परिणाम यह होता गया कि और ऋण लेना पड़ा। जितने दिन, साल बढ़ेंगे उतना ही ऋणों का आंकड़ा बढ़ेगा। यह ऋण ग्रस्तता ऐसी है जो हमें जाल में फंसाती जा रही है।मैं कोशिश करूंगा कि 2004-2005 तक ऋण निर्भरता भले रह जाय लेकिन ऋणग्रस्तता से प्रदेश मुक्त हो जाय। इसके लिए हमारे पास योजनायें हैं। विकास के लिये ऋण लेना जरूरी हो सका है। हम वो ऋण लेंगे जिसको वापस करने का ड्यूरेशन लम्बा हो। किसान ऐसे ऋण का क्या करेगा कि बोते समय जो ऋण लिया और जब फसल काटी गई तो घर लाने से पहले ही ब्याज में चली गई और मूल धन वही का वही रहा। हम ऐसा ऋण लेंगे जिसको वापस करने का ड्यूरेशन 15-20 वर्ष का हो और जिस पर ब्याज कम से कम 10-12 प्रतिशत ही हो। मैं समझता हूं कि विश्व बैंक पर ऊंगलिया उठती है। उससे उत्तर प्रदेश का सीधा सम्बन्ध नहीं है भारत सरकार का ही सीधा संबंध है भारत सरकार के माध्यम से 20 साल के ड्यूरेशन और 14 प्रतिशत ब्याज पर ऋण प्राप्त होता है जो सहायता भारत सरकार देती है उसमें 30 प्रतिशत अनुदान होता है और 70 प्रतिशत ऋण होता है जिसके नाते ब्याज दर 8 प्रतिशत हो जाती है। 7 साल में वापस करो और 14 प्रतिशत ब्याज दो। इससे ऋणग्रस्तता और बढ़ती चली जा रही है। हम प्रयास कर रहे हैं कि 2004-2005 तक हम इससे मुक्त हो जायें। यह राजनीतिक पक्ष नहीं है। उत्तर प्रदेश का विकास पूरी जनता का काम है। लेकिन मैं आप पर चोट नहीं करता हूं। अगर सब मिलकर बिगाड़े तो सब हाथ लगाये तभी बनेगा। कोई पार्टी यह नहीं कह सकती है कि वह शासन में नहीं थी। यह कल नहीं बिगड़ा है। श्री रामप्रकाश गुप्ता जी की सरकार या सत्ता पक्ष इसके लिये जिम्मेदार नहीं है। सभी लोगों का कुछ न कुछ योगदान बिगाड़ने में रहा है, इसलिये इसे बनाने में सभी तक सहयोग भी अपेक्षित है। मैं किसी को समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। किसी ने कुछ फुलझड़ी छोड़ दी और भरभराते हुए कुएं में आ गये और कहते हैं कि हमारा काम बन गया। ऐसे लोगों को छोड़कर जो दूसरों को कुऐं में धकेल देते हैं और अपना किनारे लग जाते हैं।

सभी माननीय सदस्य जागरूक हैं, वह इस मौके पर हमारा सहयोग करकें। यदि वह हमारी खिल्ली नहीं उड़ायेंगे और हमारी आलोचना नहीं करेंगे तो हम सजग कैसे रहेंगे लेकिन बिलो दि बैल्ट की मार नहीं करनी चाहिये। 52-54 साल मुझे भी सार्वजनिक जीवन में हो गया है। माननीय पंडित नारायण दत्त तिवारी जी यहाँ बैठते थे, 1986 का समय था, उन्होंने हमारे बारे में जो बोला है, आप उसे पढ़ सकते हैं परन्तु बिलो दि बेल्ट मार नहीं करनी चाहिये इसका कोई औचित्य नहीं है। वार्षिक योजना की बात उठायी गई। 1999-2000 में 7 हजार करोड़ की थी। इस साल योजना आयोग से मा0 मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, मैं समझता हूं कि 10 हजार करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत हो जायेगी। माननीय श्री बी0आर0 वर्मा जी ने एक बात उठायी कि बजट में परिसम्पत्तियों के सृजन के लिये पूंजीगत व्यय का उल्लेख नहीं है। अगर उन्होंने बजट पुस्तिका को पूरा पढ़ लिया होता तो उन्हें पूरा मालूम हो जाता। 1998-99 में 2100 करोड़ रुपये आवंटित थे, 1999-2000 में 2500 करोड़ रुपये आवंटित थे और 2000-2001 में 4100 करोड़ रुपये हैं। यही विकास की गाड़ी को तेज करती है। इसी के साथ जो प्लान असिसटेंस की बात आई। मैं समझता हूं कि इन बातों के साथ मैंने एक बजट का चित्र उपस्थित करने की कोशिश की कि बिना टैक्स लगे घाटे के बजट के साथ भी विकास की गति तेज हो जायेगी. इसलिये तो सोर्सेज हैं, जो संसाधन छिपे हैंउसका मैंने उल्लेख किया है बाकी मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं जिस समय बजट प्रस्तुत किया गया उस समय के अखबार आपने नहीं देखें। अखबारों का एडिटोरियल देखा होता तो आप यह नहीं कहते कि यह बजट खराब है। उस समय लोगों ने ही कहा कि ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी इससे अच्छा बजट नहीं रखा जा सकता है। एक अखबार के एडिटोरियल में लिखा था "हरीश जी छुपे रूस्तम निकले" लोगों ने सोचा कोई आलोचना होगी। काफी अखबार बिके। जब लोगों ने उसे पढ़ा तो जाना कि उसमें बड़ी तारीफ छपी हुई थी उसमें लिखा था कि हमने नहीं सोचा था कि वित्त के मामले में भी इतनी अच्छी दखल रखते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी ऐसा अच्छा बजट रख सकते हैं।

(मेजें थपथपाई गईं)

तो इन्हीं शब्दों के साथ अपने 2000-2001 के बजट पर सूक्ष्म बातें प्रस्तुत करते हुए आप सभी से इस बात की अपेक्षा करता हूं कि आगे समय आयेगा आप अपनी सहमति प्रदान करने की कृपा करेंगें जैसी जो मेरी भावना है माननीय मुख्यमंत्री जी की भावना है कि पक्ष और विपक्ष सदन में आवश्यक चीजों में बातें कर लें। प्रदेश के विकास और उन्नति सिर्फ ऐसी नहीं हो जाती। जब आप लोग तारीफ करते हैं बात करते हैं अभी क्लिंटन आये थे। कहा गया कि आगरा आये और चले गये और आन्ध्र में गये तो कुछ देकर गये। संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि वह तो ताज देखने आये थे, देखकर चले गये। बात इतनी सी है लेकिन मैं समझता हूं कि जब दूसरी बातें आती

हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में मान्यवर, मेरा मन कहता है कि क्यों नहीं सब सोकर जग जाते। उत्तर प्रदेश से बढ़िया उर्वरक धरती कहीं नहीं है, कहीं पर इतना बड़ा जल का भंडार नहीं है, इतनी बड़ी जन शक्ति है, इतनी बड़ी वन सम्पदा है। यह सब प्रकृति ने वरदान के रूप में दिया है इसके बाद भी हम पिछड़े रह गये। थोड़ा सा बजट भाषण का पैराग्राफ पढ़कर मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। प्रमोद जी हैं नहीं बड़े मौके से चले गये। आरम्भ की चार पंचवर्षीय योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र के राष्ट्रीय परिव्यय में उत्तर प्रदेश का अंश केवल 5 से 7.5 प्रतिशत रहा है जबकि जनसंख्या 16 प्रतिशत है। जब विकास की नींव रखनी थी तब ही यह उपेक्षा हो गई आगे इसी प्रकार से लिखा है कि प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में एक भी औद्योगिक परियोजना केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश में नहीं स्थापित की गयी। वर्ष 1968-69 तक केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रकार के पूंजी निवेश में उत्तर प्रदेश का अंश केवल 4.3 प्रतिशत ही रहा। फलतः विकास की दौड़ में उत्तर प्रदेश पिछड़ता गया। मा0 प्रमोद कुमार जी ने कहा कि अब तो आपकी सरकार है। आप कोई योजना परियोजना क्यों नहीं लाते। माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने कहता हूं इन्होंने जब प्रधानमंत्री जी से बात की मैं उस समय उपस्थित था इन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने शुरू से लेकर उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की है उत्तर प्रदेश पिछड़ा रह जायेगा दुनिया के देशों की तुलना में जनसंख्या में उत्तर प्रदेश सातवें स्थान पर आ जायेगा उत्तर प्रदेश अगर डूबेगा तो देश और दुनिया डूबेगी। उत्तर प्रदेश को उद्योग दीजिए ताकि इसका विकास हो सके। मैं इस निवेदन के साथ कि पूरा सदन बजट का समर्थन करेगा इसका परिणाम अच्छा लाने में सबका सहयोग होगा।

श्री धनीराम वर्मा-

मैं दो-तीन बिन्दुओं की तरफ माननीय वित्त मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहूंगा। श्रीमन् पहला बिन्दु यह है कि सम्पूर्ण बजट जो 2000-2001 का है और विगत 1999-2000 का बजट रहा है इन दोनों में प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। मैंने बताया था आपने लिखा भी है ।। प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई मैंने यह भी कहा था कि प्रतिवर्ष इन्क्रीमेंट और महंगाई भत्ते आदि से 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हो जाती है जब 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हर वर्ष हो जाती है और ।। प्रतिशत की सम्पूर्ण बजट पर बढ़ोत्तरी हुई है तो विकास कहाँ हुआ। श्रीमन् अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने उत्तर भाषण में कहा है कि इस प्रदेश को विकास की ओर ले जा रहे हैं मैं स्पष्टीकरण चाहूंगा वर्ष 1999-2000 में प्रदेश की विकास दर क्या थी और देश की विकास दर क्या थी और इस वर्ष विकास दर प्राप्त करने के लिए क्या लक्ष्य रखे हैं केन्द्र की विकास दर का लक्ष्य क्या है पहले इन्हीं दो बातों का उत्तर दे दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

पिछले वर्ष विकास दर क्या थी और इस वर्ष विकास दर क्या है?

श्री हरिशचन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"-

पिछले वर्ष 2.4 प्रतिशत थी इस वर्ष 3.6 प्रतिशत है।

(मेजें थपथपाई गईं)

श्री धनीराम वर्मा-

एक तो उत्तर आपने दे दिया। दूसरे प्रश्न का उत्तर आपने नहीं दिया है। विगत वर्ष और इस वर्ष के बजट में कितनी प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई?

श्री हरिशचन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"-

मान्यवर, यह 15 प्रतिशत है।

श्री धनीराम वर्मा-

अगर 15 प्रतिशत है तो आप आंकड़े निकलवाकर देख लें। श्रीमन् 11 प्रतिशत के लगभग है यह 15 प्रतिशत नहीं है।

श्री हरिशचन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"-

मेरी बात सुन लें जब इतनी चर्चा है। कितनी हालत खराब है, जर्जर है घाटा है अगर 11 प्रतिशत भी है बढ़ोत्तरी तो वह भी सराहनीय है। किसी भी अर्थशास्त्री को बुलाकर बात कर लें इस विषम स्थिति में वह 11 प्रतिशत सुनेगा तो वह भी दांतों तले ऊंगली दबा लेगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष का यह कहना है कि उनके हिसाब से 11 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी है और 10 प्रतिशत इन्क्रीमेंट और महंगाई को जोड़ दीजिये तो यह एक प्रतिशत ही रह जाती है।

श्री धनीराम वर्मा-

आपके उत्तर से ही यह स्पष्ट हो गया है कि निरन्तर विकास की दर इस प्रदेश में गिरती जा रही है। श्रीमन् विगत वर्ष जो विकास की दर थी वह 2.4 प्रतिशत बतलायी थी इसके पहले 98-99 में 2.9 प्रतिशत थी और अब रह गयी है 2.4 प्रतिशत। आपने कहा कि 11 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है तो इसमें 10 प्रतिशत महंगाई और इन्क्रीमेंट को निकाल दें तो इस चालू वर्ष में यह दो प्रतिशत से भी नीचे आ जायेगी जबकि सारे देश की विकास दर 6 प्रतिशत पिछले वर्ष भी रही और इस वर्ष भी आशा की जाती है। तो मान्यवर, यह तो उसका एक तिहाई ही होगा फिर प्रदेश का विकास कैसे संभव है। यह जो ढिंढोरा पीटा गया है, यह आंकड़ों का जाल है।

श्री हरिशचन्द्र श्रीवास्तव (हरीश जी)-

मान्यवर, महंगाई का जो 10 प्रतिशत कहा गया है वह चार प्रतिशत है।

दूसरा जो मैंने कहा कि 3.6 प्रतिशत विकास दर होगी और आप कहते हैं कि नहीं होगी। अभी तो शुरूआत है। आगे-आगे देखिये होता है क्या।

श्री धनीराम वर्मा–

महंगाई चार प्रतिशत है लेकिन इन्क्रीमेंट और भत्ते कहां जायेंगे? इनके आंकड़े सब मिथ्या हैं प्रदेश को गर्त में ले जाने वाले हैं इस सरकार से कोई भला होने वाला नहीं है न होगा। लोक सभा में अपना हाल देख चुके हैं बाई इलेक्शन में देख चुके हैं आगे भी देखेंगे अब तो इनका पता लगने वाला नहीं है।

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

यह तो आपको बहुत पहले कह देना चाहिये था।

श्री राम ललित चौधरी–

हम कर विरोधी नहीं है लेकिन कर कर की तरह लगे। आपने पशु चिकित्सा पर कमर तोड़कर कर लगा दिया है एक हजार दो हजार गुना बढ़ा दिया है क्या उसको वापस लेंगे।

श्री मुन्ना चौहान–

आपने कहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं केन्द्र में इस बात का प्रयास किया कि उ०प्र० के लिए योजनायें परियोजनायें संचालित की जायें नयी परियोजनायें स्वीकृत की जायें। गत वर्ष सेन्ट्रल असिस्टेंस का क्या परसेंटेज था इस वर्ष कितना है? इससे स्पष्ट हो जायेगा कि केन्द्र सरकार प्रदेश के विकास के प्रति क्या नजरिया रखती है?

श्री हरिशचन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

केन्द्र सरकार का पिछले वर्ष जो सहायता अनुदान था वह 3,519 करोड़ था इस साल जो मिलने जा रहा है वह 5,292 करोड़ यानि 30 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी है।

श्री अध्यक्ष–

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा समाप्त।

प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु एक समान नीति बनाये जाने तथा बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों पर कड़ाई से लागू करने विषयक डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी की नियम 103 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 17 स्थगित कर रहा हूं।

नियम 5। के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 26-4-2000 को नियम-5। के अन्तर्गत कुल 30 सूचनाएं प्राप्त हुई।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनायें वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई :-

1-श्री अम्बरीष कुमार	हरिद्वार नगर में सप्त सरोवर मार्ग पर शिवानंद आश्रम, तुलसी मानस मन्दिर के समीप सीवर का सारा गंदा जल, गंगा नदी में जाने से गंगा प्रदूषण एवं यात्रियों की भावनाओं को ठेस पहुंचने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
2-स्वामी ओइम्वेश	जनपद-बिजनौर में जैन पेपर मिल, मोहित पेपर मिल आदि मिलों से निकले कैमिकल युक्त गंदे पानी से उत्पन्न प्रदूषण से जनजीवन पर होने वाले कुप्रभावों के संबंध में।
3-श्री नरेन्द्र सिंह भाटी	चौधरी लक्ष्मी नारायण इण्टर कालेज, मण्डी, श्यामनगर, जनपद-गौतमबुद्धनगर में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में।
4-श्री अजय कुमार पोइया	प्रदेश में समूह "ग" के पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया के अन्तर्गत सम्पन्न हुई 'होम्योपैथिक भेषिजक" की परीक्षा को निरस्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनायें केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई :-

1-श्री राम औतार शाक्य	नाबार्ड द्वारा आवंटित पूर्ण धनराशि को प्रदेश सरकार द्वारा प्राप्त न कर पाने से आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विकास के कार्य प्रभावित होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
2-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी	सम्पूर्ण प्रदेश में कई-कई हत्याओं के आरोपियों तथा सी0बी0सी0आई0डी0 द्वारा दाखिल आरोप पत्रों के मुकदमों की वापसी के कारण बिगड़ती कानून व्यवस्था के संबंध में।
3-श्री पीटर फैन्थम	सेण्ट जॉन कान्वेण्ट हास्टल टिनिसिपुर, बिजनौर तथा मथुरा में एंग्लो स्कूल में अराजक तत्वों द्वारा हमला कर ननों तथा कर्मचारियों को मारे पीटे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

4–श्री पूर्णमासी पंकज — जनपद संत रविदास नगर के नगर पंचायत नई बाजार में फेयर बस स्टाप न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

5–श्री गोरखनाथ पाण्डेय — जनपद संत रविदास नगर (भदोही) (ज्ञानपुर) विधान सभा क्षेत्र के गोपीगंज नगर में सीवर लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में।

6–डा० वकार अहमद शाह — महाराज सिंह इण्टर कालेज, बहराइच से सेवानिवृत्त श्री अली हुसैन को पेंशन प्रपत्र न मिलने से पेंशन के भुगतान में हो रही कठिनाई के सम्बन्ध में।

7–श्री राम विशुन आजाद — जनपद गोण्डा के दक्षिण वन प्रभाग गोण्डा के अन्तर्गत वनाधिकारियों की मिली भगत से अवैध लकड़ी कटान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

8–श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव — क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक परिवहन द्वारा मनमाने ढंग से लखनऊ महानगर बस सेवा के अर्न्तगत संचालित बसों का मार्ग परिवर्तन किये जाने तथा लखनऊ शहर में तथा बाहर को अवैध रूप से चलाई जा रही जीपों, टाटा सूमों तथा डग्गामार बसों से परिवहन निगम को हो रही क्षति के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया :–

1–श्री रामवीर सिंह — उ० प्र० जल निगम फिरोजाबाद में व्याप्त अनियमितताएं तथा अभियन्ताओं द्वारा किये जा रहे घोटालों के सम्बन्ध में।

2–श्री रामाधार सिंह — जनपद–महोबा के थाना पनवाड़ी निवासी लक्ष्मन पाल की हत्या का मुकदमा पंजीकृत न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

3–श्री लाल जी वर्मा — टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना, टाण्डा, जनपद–अम्बेडकर नगर में विभिन्न कार्यों का भुगतान ठेकेदारों तथा श्रमिकों को न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

4–श्री जय प्रकाश — महाप्रबन्धक (परिकल्प एवं निर्माण), गंगा भवन, उ० प्र० जल विद्युत निगम लि०, देहरादून के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

5–श्री समरपाल सिंह — जनपद–फिरोजाबाद के थाना–एका निवासी सियाराम, ओम प्रकाश व जय प्रकाश द्वारा ग्रामीणों के विरुद्ध फर्जी मुकदमें पंजीकृत कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

6-श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद- जनपद-बांदा के विकास खण्ड-जसपुरा अन्तर्गत चंदवाड़ा-सबादा मार्ग के निर्माण हेतु बुन्देलखण्ड विकास निधि से धन आहरित कर मार्ग का निर्माण न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

7-श्रीमती राम सखी- झांसी डिवीजन जल संस्थान, झांसी में महाप्रबन्धक के पद पर कनिष्ठ अभियंता को पदस्थ किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

8-श्री बुनियाद हुसैन अंसारी- जनपद-सीतापुर के तालगांव थानान्तर्गत ग्राम गौरिया में नमाज पढ़े जाने को लेकर हुई घटना में प्रशासन द्वारा कथित रूप से पक्षपातपूर्ण कार्यवाही किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुई वे हैं-श्री विजय कुमार, श्री जय प्रकाश निषाद, श्री विनोद मणि, श्री विजय पाल सिंह, श्री अकबर हुसैन, श्री महेन्द्र कुमार तथा श्री हरपाल सिंह व श्रीमती मिथिलेश कुमारी, डा0 अशोक बाजपेयी, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री अजय कुमार पोइया।

डाक्टरों की प्रदेश व्यापी हड़ताल विषयक नियम 5। की सूचना पर वक्तव्य के सम्बन्ध में डा0लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मद संख्या-।9 आज की कार्यसूची में देखें, सम्पूर्ण प्रदेश में चिकित्सकों पर लगे लाइसेंसिंग शुल्क के कारण डाक्टरों की प्रदेश व्यापी हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, डा0 वकार अहमद शाह तथा श्री रामाधार सिंह की और उसका जो उत्तर प्राप्त हुआ है उसमें है कि डा0 वकार अहमद शाह और श्री रामाधार सिंह का नाम है जबकि नियम 5। की सूचना मेरी स्वीकृत हुयी थी और श्री रामाधार सिंह तथा डा0 वकार अहमद की 3।। में स्वीकृत हुई आज के उत्तर में न तो मेरा नाम है और न ही उन कन्टेन्टस के उत्तर आये हैं इसलिये मेरा आग्रह है कि इस उत्तर को वापस लेकर इसको दुवारा दिलाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

अगर श्री रामाधार सिंह और डा0 वकार अहमद शाह का नाम सूचना के उत्तर में है तो दोनों माननीय सदस्यों का ही वक्तव्य मान लिया जाय। आपकी सूचना पर अलग से वक्तव्य आयेगा।

माननीय मंत्री जी वक्तव्य पढ़ दें।

सम्पूर्ण प्रदेश में चिकित्सकों पर लगे लाइसेंसिग शुल्क के कारण डाक्टरों की प्रदेश व्यापी हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 वकार अहमद शाह व अन्य द्वारा नियम 5। के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्यमंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री-(श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर मैं वक्तव्य पढ़ रहा हूं।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

(डा0 वकार अहमद शाह तथा श्री रामाधार सिंह, सदस्य, विधान सभा ने नियम-31। के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के अधिनियम के अन्तर्गत नगर निगमों तथा नगर परिषदों के चिकित्सकों पर लाइसेंस प्रणाली लागू करने के आदेश के विरूद्ध उत्तर प्रदेश शासन के समस्त जनपदों में चिकित्सा व्यवस्था ठप रही है। इसी परिपेक्ष्य में जनपद बहराइच में भी पूर्ण रूपेण हड़ताल रही और मरीजों को अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जनपद में त्राहि-त्राहि मची रही। सरकार के इस कदम से डाक्टरी पेशें का उत्पीड़न हो रहा है। डाक्टरी पेशा एक प्रतिष्ठित पेशा है और नगर निगमों एवं परिषदों द्वारा चिकित्सकों पर फीस लगाकर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। साथ ही साथ इससे गरीब मरीजों का उत्पीड़न भी बढ़ेगा। चिकित्सा सेवा व्यवसाय नहीं बल्कि एक वृत्ति (व्यवसाय) है। यह राय भारत के माननीय उच्चतम् न्यायालय ने अपने निर्णय में दी है।

1- उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-293-क के अन्तर्गत (नगर पालिका) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, किसी ऐसे संस्थान का, जहां जनता को प्रवेश की अनुमति हो और जहां पर (नगर पालिका) जनता के लिये स्वच्छता और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था कर सकता है, उपयोग करने के लिये फीस अधिरोपित और उदग्रहीत कर सकता है। अधिनियम की धारा-294-में यह व्यवस्था है कि (नगर पालिका) किसी लाइसेंस, स्वीकृति या अनुज्ञा के लिये जिसे वह इस अधिनियम के द्वारा या अधीन देय का हकदार हो या देने की अपेक्षा की जाती हो, कोई फीस ले सकता है, जो उपविधि द्वारा निश्चित की जायेगी। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-541 की उपधारा (41) में यह प्राविधान है कि इस अधिनियम के द्वारा अथवा अधीन अनुज्ञप्ति स्वीकृति अथवा अनुज्ञा प्रदान करने के लिये शुल्क निश्चित की जा सकती है। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298 में उपविधियां बनाने और उपविधियों द्वारा नियत लाइसेंस व अन्य शुल्क प्राप्त किये जाने विषयक प्राविधान हैं।

2- उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों द्वारा सुसंगत उपविधियों के प्राविधानों के अधीन अनेक विषयों पर लाइसेंसिंग

शुल्क व अन्य शुल्क आरोपित किये गये थे। किन्तु पिछलें 35 वर्षों में ऐसे लाइसेंसिंग व अन्य शुल्कों की दरों में कोई वृद्धि न होने वरन् नागरिक सुविधाओं पर उत्तरोत्तर असीम व्यय निहित हो जाने के फलस्वरूप स्थानीय निकायों में पहले से लागू उपविधियों को लागू किये जाने तथा लाइसेंस फीस की दरों में पुनः संशोधन करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये शासन स्तर पर समय-समय पर गठित समितियों की संस्तुतियों को ध्यान में रखते हुये शासनादेश संख्या-2399/नौ-9-94-204ज/90, दिनांक 27-10-1994 में नांगर स्थानीय निकायों द्वारा लगाई जा रहीं लाइसेंसिंग व अन्य शुल्कों की दरों में वृद्धि करते हुये यह निर्देश दिये गये कि सुसंगत उपविधियों में आवश्यक संशोधन दो माह में सुनिश्चित कर लिया जाये। उक्त शासनादेश में यह व्यवस्था की गयी है कि यदि कोई स्थानीय निकाय निर्दिष्ट दरों से असहमत हों, तो पालिका के संकल्प के आधार पर सम्पूर्ण औचित्य सहित शासन को प्रस्ताव भेजा जाये। इस हेतु निर्धारित 30 दिन में इस प्रकार की कोई असहमति शासन स्तर पर प्राप्त न होने के फलस्वरूप यह मानते हुये कि उक्त संदर्भित शासनादेश में अनुसूचित दरें सभी स्थानीय निकायों को स्वीकार हैं, उसे अन्तिम रूप से शासनादेश दि0 31-12-94 द्वारा निर्देशित किया गया कि शासनादेश दिनांक 27-10-1994 में दिये गये निर्देशों के अनुसार सुसंगत उपविधियों में आवश्यक संशोधन शीघ्र कर लिया जाय। उक्त शासनादेश जारी करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि स्थानीय निकायों को आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनाया जा सके, ताकि वे नागरिकों को समुचित नागरिक सुविधाओं को उपलब्ध करा सकें।

3- कालांतर में प्रदेश के व्यापारी वर्ग द्वारा उक्त का विरोध किये जाने पर मा0 मंत्री जी की अध्यक्षता में पुनः एक समिति गठित की गयी जिसमें श्री बनवारी लाल कंछल तथा श्री श्याम बिहारी मिश्र भी सदस्य थे। उक्त समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार नागर स्थानीय निकायों द्वारा लगाई जा रही लाइसेंसिंग शुल्क की 39 मदों की दरों में वृद्धि विषयक शासनादेश संख्या-161 सीएम/नौ-9-97-23ज/97, दिनांक 16 दिसम्बर, 97 जारी किया गया और इन मदों के लिये उल्लिखित दरों के अनुसार लाइसेंसिंग शुल्क लागू/आरोपित किये जाने के निर्देश दिये गये है।)

उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ के प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से नाम मगांकर चयन किये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती कृष्णा राज द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा, भाषा, राज्य मंत्री का वक्तव्य

श्रीमती कृष्णा राज-

मान्यवर, जो उत्तर आया है वह सदन को भ्रमित करने वाला है सैनिक स्कूल में जो चयन प्रक्रिया हुई है वह गलत तरीके से हुई है। मैं चाहूंगी कि हमारे पास अभिलेख हैं और उसके आधार पर कार्यवाही करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप मंत्री जी को लिखाकर दे दीजियेगा।

माध्यमिक शिक्षा भाषा राज्य मंत्री (श्री चन्द्र किशोर)-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल.....

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया) .

(टीचिंग एण्ड एलाइड स्टाफ सेवा नियमावली 1978 के नियम-5(1)के प्राविधानानुसार सैनिक स्कूल के प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्ति भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय से अधिकारियों के नामों का पैनल प्राप्त कर उनमें से चयन करके की जाती है । उ0प्र0 शासन के अर्द्धशासकीय पत्रांक 105से0/15-10-98-2(4)/93, दि0 27-6-1998 द्वारा रक्षा मंत्रालय भारत सरकार से पैनल भेजने का अनुरोध किया गया था। इसी अर्द्धशासकीय पत्र के संदर्भ में रक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ एअर हेडक्वार्टर नई दिल्ली ने अपने पत्र दिनांक 31-5-99 द्वारा प्रधानाचार्य पद हेतु पैनल उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया । यहां यह उल्लेखनीय है कि शासन स्तर से एअर हेडक्वार्टर नई दिल्ली से सीधे कभी भी इस सम्बन्ध में कोई अनुरोध नहीं किया गया है । एअर हेडक्वार्टर रक्षा मंत्रालय के अधीन होने के कारण तथा प्राप्त पैनल शासन के पत्र के सन्दर्भ में होने के कारण प्राप्त पैनल के आधार पर उ0प्र0 सैनिक स्कूल टीचिंग एण्ड एलाइड स्टाफ) सेवा नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत गठित चयन समिति द्वारा प्रधानाचार्य का चयन किया गया है जो पूरी तरह नियमान्तर्गत है । नये प्रधानाचार्य ने कार्य-भार भी ग्रहण कर लिया है ।)

लखनऊ महानगर में पालीथीन के दुष्प्रभाव से पशुओं की हो रही मृत्यु तथा जन-सामान्य के स्वास्थ्य पर पड़ रहे दुष्प्रभाव के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, लखनऊ महानगर में पालीथीन के दुष्प्रभाव से

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)।

(पशुओं की हो रही निरन्तर मृत्यु तथा जनसामान्य के स्वास्थ्य पर पड़ रहें दुष्प्रभाव के फलस्वरूप कूड़े-कचरे के साथ पोलीथीन खाने से लखनऊ, नगर निगम के गो-सदन में मार्च, 2000 तक 25 पशुओं के मरने की सूचना उपलब्ध हैं । पशुओं द्वारा पोलीथीन एवं अन्यजीव अनाशित पदार्थों को खा लेने से आंतों में मलावरोध उत्पन्न हो जाता है जिससे मल एवं गैस नहीं निकल पाती और उनके पेट फूल जाते हैं जिसके कारण पशुओं की मृत्यु हो जाती है । रिसाइकिल्ड पोलीथीन के बने हुये बैग में खाद्य पदार्थ रखने से ऐसे पदार्थ के उपयोग से मानव स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है ।

जीव अनाशित कूड़े-कचरे पोलीथीन आदि के विक्रय, प्रयोग, निस्तारण; विनियमन, प्रतिबन्ध एवं नियंत्रण हेतु नगर निगम की मा0 कार्यकारिणी समिति की

दिनांक 19-04-2000 को सम्पन्न हुई बैठक में उपविधि बनाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। नगर निगम द्वारा इस क्षेत्र में सहभागिता बढ़ाने के लिये समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार भी किया गया और इस क्षेत्र में एक स्वैच्छिक संस्था एक्सनोरा के मध्यम से भी जागरूकता लाने की कार्यवाही प्रगति पर है। वैसे भी पोलीथीन के खाने से जो पशु मरणासन्न स्थिति में होते है उन्हें नगर निगम द्वारा संचालित गो-सदन में पहुंचा कर शल्य चिकित्सा द्वारा पोलीथीन को निकाले जाने की कार्यवाही युद्ध स्तर पर की जाती है और इस प्रकार अब तक 6 पशुओं को स्वास्थ्य भी किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त पोलीथीन एवं जीव अनाशित कूड़ा-कचरा के नियंत्रण, विनियमन, निस्तारण और उससे सम्बंधित या अनुसांगिक विषयों की व्यवस्था करने हेतु एवं इसके विनियमन, नियंत्रण और निस्तारण हेतु विधेयक को अन्तिम रूप दिये जाने विषयक कार्यवाही शासन स्तर पर प्रगति पर है। उक्त विधेयक शीघ्र ही सदन में प्रस्तुत किया जायेगा।)

जनपद लखीमपुर खीरी के थाना फूल बेहड़ की चौकी सुन्दर बल की पुलिस द्वारा एक दलित युवक को उत्पीड़ित किये जाने तथा उसे कथित रूप से गायब कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्रीमती माया प्रसाद द्वारा नियम 5। के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में .....(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

(पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी से प्राप्त सूचना के अनुसार जांच में पाया गया कि श्री दलबीर सिंह पुत्र गुरूनाम सिंह, निवासी दाउदपुर, थाना फुलबेहड़ खीरी के घर में घटित हुई चोरी की घटना के सम्बन्ध में थाना फूलबेहड़ खीरी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-15/2000 धारा 457/380 भा0दं0वि0 की विवेचना प्रभारी पुलिस चौकी सुन्दरबन श्री नन्दलाल यादव द्वारा की जा रही है, जिसमें दिनांक 29-02-2000 को गिरफ्तार किये गये अभियुक्त रामस्वरूप द्वारा विवेचक को अन्य अभियुक्तों के अतिरिक्त टहलू पुत्र छोटे नि0 दाउदपुर को भी इस घटना में सम्मिलित होना बताया गया। दिनांक 07-03-2000 को हे0कां0 परमहंस कानि0 919 राजकुमार यादव व कानि0 901 ना0पु0 लालजी टण्डन के ग्राम दाउदपुर जाने एवं टहलू को पकड़कर चौकी लाने की पुष्टि क्षेत्राधिकारी की जांच से होती है किन्तु कानि0 अजयपाल सिंह का ग्राम दाउदपुर में जाना एवं टहलू को पकड़कर लाने की पुष्टि नहीं हुई हैं। इस सम्बन्ध में टहलू के भाई शत्रोहन लाल पुत्र छोटेलाल की तहरीर के आधार पर न्यायालय के आदेश पर थाना फूलबेहड़ में अभियोग अपराध संख्या-52/2000 धारा 364/323/504/506 भा0दं0वि0 व 3 (1)(10)एस0सी0/एस0टी0 एक्ट दलवीर सिंह आदि व

नोट : - ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कर्मचारीगण चौकी सुन्दरबन उपरोक्त के पंजीकृत कर विवेचना क्षेत्राधिकारी, सदर श्री अशोक कुमार वर्मा द्वारा की जा रही थी।

2-क्षेत्राधिकारी की जांच से यह प्रथम दृष्टया सिद्ध हो गया है कि श्री टहलू नामक व्यक्ति को चौकी सुन्दरबन के पुलिस कर्मियों द्वारा पकड़कर लाया गया और दो दिन तक बैठाये रखा गया। उसके बाद टहलू गायब हो गया, जिससे पूरा प्रकरण संदिग्ध हो जाता है। इस मामले में दोषी तीन पुलिस कर्मियों को निलम्बित कर दिया गया है।

3-प्रश्नगत प्रकरण पर गम्भीरता से विचार करते हुए इस मामले की निष्पक्षता एवं गहराई से जांच करने हेतु मु0अ0सं0-52/2000 धारा 364/323/504/506 भा0 दं0वि0 व 3(1)10 एस0सी0/एस0टी0एक्ट की विवेचना, शासनादेश संख्यां-36 सी0आई0डी0/छः-पु-4-2000-एक्यू(26)बी/2000, दिनांक 20 अप्रैल, 2000 द्वारा अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गयी है।)

कानपुर लखनऊ राज मार्ग पर स्थित पुराने गंगा पुल के जले हुये स्लीपरों को न बदले जाने से जनता के समक्ष उत्पन्न गम्भीर आवागमन की समस्या के सम्बन्ध में श्री राम कुमार एडवोकेट द्वारा नियम 5। के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

लोक निर्माण एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री कलराज मिश्र)-

कानपुर उन्नाव मार्ग पर स्थित गंगा पुल अत्यधिक पुराना है।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

(जिसकी लम्बाई 870 मीटर है। इसमें ऊपरी व निचले डेक मार्ग है। ऊपरी डेक मार्ग मुख्यतया हल्के वाहनों (जैसे कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, रिक्शा इत्यादि) एवं निचला डेक मार्ग पैदल एवं साइकिल यातायात हेतु प्रयोग में आता है। निचले डेक मार्ग में उन्नाव की ओर लगभग 222 मीटर लम्बाई में लोहे के लांगीट्यूडनल तथा क्रास गर्डर्स के ऊपर आर0सी0सी0 स्लैब है तथा शेष 648 मीटर लम्बाई में लकड़ी की बीम्स के ऊपर लकड़ी के स्लीपर लगे हुये हैं।

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 30-3-2000 को अपरान्ह 2.30 बजे पिलर नं0 18 तथा 19 के मध्य स्लीपर्स तथा बीम्स में आग लग गई, जिसे पुल पर तैनात विभागीय कर्मचारियों द्वारा त्वरित कार्यवाही कर बुझाया गया। इस आग के फलस्वरूप निचले डेक के 3 बीम्स, 6 स्लीपर्स तथा दो साइड बैटन्स जल गये एवं निचला डेक यातायात हेतु असुरक्षित हो गया। अतः पुल के निचले डेक को यातायात हेतु दिनांक 30-3-2000 को बन्द कर दिया गया। पुल बन्द होने के दौरान पैदल यात्रियों द्वारा ऊपरी डेक मार्ग का उपयोग आने-जाने हेतु किया गया। पुल बन्द होने की

नोट :- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सूचना जिलाधिकारी कानपुर नगर/कानपुर देहात/उन्नाव एवं ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक कानपुर नगर/कानपुर देहात/उन्नाव को दी गयी।

हल्के वाहनों के लिए निर्धारित मार्ग (ऊपरी डेक) पर वर्तमान में कोई फुटप्राथ नहीं है अतः उसे समाप्त करने का प्रश्न नहीं उठता है।

पुल के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर पूर्ण कर पुल की निचली डेक को यातायात हेतु दिनांक 07-04-2000 को पूर्वान्ह 10.30 बजे खोल दिया गया एवं वर्तमान में इसका उपयोग किया जा रहा है।)

जनपद चित्रकूट के पठारी क्षेत्र के गांवों में पेयजल के गम्भीर संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री ददद्दू प्रसाद द्वारा नियम 5। के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री-(श्री राजेन्द्र सिंह पटेल)-

मान्यवर, जनपद चित्रकूट के पाठा क्षेत्र में.....

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

(गर्मी के दिनों में भूगर्भ जल-स्तर नीचे चले जाने तथा पेयजल के समस्त प्राकृतिक स्रोत सूख जाने के कारण पेयजल की कठिनाई उत्पन्न हो जाती है तथा इस क्षेत्र में निर्मित पुराने कूप, जल निगम द्वारा स्थापित इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प तथा पाठा पेयजल योजना द्वारा पाईप लाईन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति है। माननीय विधायक द्वारा क्षेत्र की बरदहा नदी के गन्दे जल के उपयोग तथा संक्रामक बीमारियों के फैलने की सम्भावना व्यक्त की गयी है, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि बरदहा नदी के पानी का प्रयोग पशुओं/जानवरों द्वारा करने की बात सत्य है। परन्तु मानव उपयोग में इसे नहीं लिया जा रहा है तथा न ही क्षेत्र में किसी प्रकार के संक्रामक बीमारियों के होने की बात प्रकाश में आयी है। इस क्षेत्र में पेयजल संकट के कारण किसी की भी मौत नहीं हुई है। विकास खण्ड मानिकपुर के ग्राम टिकुरी में श्रीमती प्रमिया पत्नी राम सजीवन कौल की मृत्यु पेयजल के अभाव के कारण न होकर अपितु लम्बी बीमारी की वजह से हुई है।

जहाँ तक पाठा पेयजल योजना के पानी को योजना से आच्छादित गांव में न पहुंचने तथा पेयजल पाईप को विभागीय कर्मचारियों द्वारा बेच डालने की बात कही गयी है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट करना है, कि इस पेयजल योजना का निर्माण वर्ष 1972 में जल निगम द्वारा किया गया था। यह क्षेत्र पठारी, बीहड़, जंगली एवं दस्यु प्रभावित होने के कारण जिन स्थानों पर पाईप लाइन जमीन के ऊपर रहती है, वहां पर प्रायः तोड़-फोड़ एवं चोरी की घटनाएं होती रहती हैं। अतएव पाईप लाइन की तोड़-फोड़ एवं चोरी की अत्यधिक घटनाओं के कारण जलापूर्ति में व्यवधान होना स्वाभाविक है। माननीय विधायक द्वारा पेयजल के गंभीर संकट के जिन गांवों का

नोट :- ( ) यह अंश पढा हुआ माना गया।

उल्लेख किया गया है, उनमें हरिजनपुर, एलहा बढ़या, वगदरी, छेरिहा बुजुर्ग, अमचुरनेरूआ तथा ददरी में पेयजल की आपूर्ति वर्तमान में चालू है तथा अन्य गावों में जल निगम द्वारा स्थापित इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प के माध्यम से पेयजल उपलब्ध हो रहा है । पाठा पेयजल योजना के ग्राम कैलहा, सपहा, सपहा का पुरवा तथा कुसहाई गांव में पाईप लाइन चालू करने की कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है । क्षेत्र में हैण्डपम्पों की मरम्मत का सम्पूर्ण कार्य अब विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को स्थानान्तरित कर दिया गया है । पाठा क्षेत्र की चट्टानों में दरार होने तथा भूगर्भ जल प्रदूषित होने की बात प्रकाश में नही आयी । इसके अतिरिक्त हैण्डपम्पों के पानी में रेडियोधर्मी तत्वों की मिलावट एवं कीटाणुयुक्त होने की बात भी पुष्ट नहीं हुयी है ।

इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना समीचीन होगा, कि विगत 4 अप्रैल, 2000 को माननीय जन प्रतिनिधियों, माननीय सांसद तथा माननीय विधायक कर्वी की उपस्थिति में समस्त संबंधित अधिकारियों तथा समाजसेवी संगठनों की एक बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई थी, जिसमें समस्याग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल की निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु स्थानीय स्तर पर निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं :-

1-जनपद के पाठा क्षेत्र के विकास खण्डों में जल निगम के दो प्रशिक्षित मिस्त्री प्रत्येक विकास खण्ड मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे, जो स्थानीय मिस्त्रियों की मदद से क्षेत्र में खराब हैण्डपम्पों के मरम्मत का कार्य प्राथमिकता पर करेंगे ।

2-विकास खण्ड स्तर पर पूर्व की भाँति कन्ट्रोल रूम खोला गया है, जिसमें क्षेत्र के गांवों से खराब हैण्डपम्पों/पेयजल समस्या के सम्बन्ध में विभिन्न स्रोतों से सूचना प्राप्त कर अंकित की जाती है । खण्ड विकास अधिकारियों को यह निर्देश दिये गये हैं, कि ऐसे मरम्मत कार्य जो स्थानीय स्तर पर सम्भव न हो उनकी सूचना तुरन्त जिला मुख्यालय पर उपलब्ध करायी जाय ।

3-पशुओं को पेयजल उपलब्ध कराने की दृष्टि से तालाबों को पानी से भरने का निर्णय लिया गया है । पशुपालन विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गयी है ।

4-जनपद स्तर पर प्रत्येक सप्ताह सोमवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पेयजल की उपलब्धता एवं हैण्डपम्पों के मरम्मत कार्य की समीक्षा की जा रही है और यह सुनिश्चित किया गया है, कि प्रत्येक बस्ती में कम से कम पेयजल का एक सुरक्षित स्रोत सदा उपलब्ध रहे । इसके साथ ही साथ जनपद स्तर पर एक कंट्रोल रूम की स्थापना की गयी है, जिसमें पेयजल की कठिनाई/हैण्डपम्पों की खराबी से सम्बन्धित सूचना को प्राप्त कर उसके निराकरण की कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद बांदा में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भैलानी के भवन निर्माण में की गई अनियमितताओं तथा निर्माण कार्य की टी0ए0सी0 द्वारा जांच कराकर दोषी जनों को दण्डित किये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

यह माननीय मंत्री जी के अनुरोध पर स्थगित किया जाता है।

अब हम उठते हैं। कल 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 9 बजकर 25 मिनट पर अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक 26 अप्रैल, 2000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "क"

(देखिये अता० प्र० सं०–19 का उत्तर पीछे पृष्ठ–40 पर)

आदेश संख्याः–सी०–6066, दिनांक 13-3-2000 का अनुलग्नक ।

प्रशिक्षित नर्स (वेतनमान रु० 4500–7000 में तैनात) की वरिष्ठता सूची का विवरण ।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम	गृह जनपद	जन्म तिथि	नियुक्ति तिथि	तैनाती स्थान
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती आत्मास्वरूप गौतम (सेवानिवृत्त जुलाई, 97)	—	07-07-1939	21-06-1968	रा० संरक्षण गृह, लखनऊ ।
2	सुश्री रिबेका सिंह (सेवानिवृत्त 30-11-99)	हमीरपुर	03-11-1941	02-04-1971	रा० बाल सदन, मेरठ ।
3	श्रीमती सुशीला कुमारी	गोरखपुर	08-03-1957	15-11-1978	बालवाड़ी केन्द्र, वाराणसी ।
4	श्रीमती चिनमा पीटर	—	—	17-01-1979	रा० शिशु सदन, आगरा ।
5	श्रीमती आर० आई० जोजफ	ललितपुर	04-11-1945	11-02-1980	रा० किशोर गृह, ललितपुर ।
6	श्रीमती कमला देवी	देहरादून	11-11-1951	10-12-1980	बालिका निकेतन, देहरादून ।
7	श्रीमती पुष्पा देवी (प्रथम)	नैनीताल	08-07-1954	14-04-1981	रा० उत्तर रक्षा गृह, मेरठ ।
8	श्रीमती उमा गुप्ता	वाराणसी	01-01-1957	27-09-1982	बालवाड़ी केन्द्र, वाराणसी ।
9	श्रीमती रामबेटी चौहान (सेवानिवृत्त 30-11-98)	इटावा	11-11-1940	24-04-1984	रा० किशोर गृह, ललितपुर ।
10	श्रीमती स्नेहलता भामड़ी	हरियाणा	12-07-1945	26-04-1984	बालवाड़ी केन्द्र, मेरठ ।
11	श्रीमती ज्योनाचन्द्र	कानपुर	11-03-1950	26-04-1984	रा० निराश्रित महिला कर्मशाला, लखनऊ ।
12	श्रीमती दयावती	हमीरपुर	22-02-1957	20-02-1985	बालवाड़ी केन्द्र, हमीरपुर ।

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम	गृह जनपद	जन्म तिथि	नियुक्ति तिथि	तैनाती स्थान
1	2	3	4	5	6
13.	श्रीमती विनोद गर्ग	देहरादून	10-11-1944	21-02-1985	उद्धार गृह, छुटमलपुर सहारनपुर।
14.	श्रीमती ऊषा हाफिज	लखनऊ	01-09-1947	30-04-1986	रा0 उत्तर रक्षा गृह, लखनऊ।
15.	श्रीमती चन्द्रा एस0 एस0 सिंह	अल्मोड़ा	16-02-1948	30-04-1986	बालवाड़ी केन्द्र, हल्द्वानी नैनीताल।
16.	श्रीमती मीना श्रीवास्तव	लखनऊ	16-05-1959	12-01-1988	रा0 पोषण गृह, लखनऊ।
17.	श्रीमती चंचल राय	गाजीपुर	12-07-1956	01-12-1988	बालिका निकेतन, इलाहाबाद।
18.	श्रीमती सोफी टेनिसन	मुरादाबाद	16-08-1954	05-12-1990	रा0 किशोर गृह, मुरादाबाद।

बी0 के0 सिंह,
शोध अधिकारी
कृते निदेशक।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

आदेश संख्या सी०–6067, दिनांक 13 मार्च, 2000 का अनुलग्नक ।

अप्रशिक्षित नर्स (आक्जेलरी) वेतनमान 3050–4590 में कार्यरत की वरिष्ठता सूची ।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम	गृह जनपद	जन्म तिथि	नियुक्ति तिथि	तैनाती स्थान
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती संतोष सक्सेना	रामपुर	20-12-1947	06-09-1973	रा० किशोर गृह, शाहजहांपुर ।
2	श्रीमती सरोजनी वर्मा	लखनऊ	15-07-1948	10-12-1976	रा० किशोर गृह, लखनऊ ।
3	श्रीमती कौशिल्या देवी	जौनपुर	12-08-1954	14-01-1978	बालवाड़ी केन्द्र, जौनपुर ।
4	श्रीमती लक्ष्मी देवी	अल्मोड़ा	01-06-1947	14-05-1979	रा० संरक्षण गृह, अल्मोड़ा ।
5	श्रीमती एलिजाबेथ	गोरखपुर	16-03-1953	14-05-1979	बालवाड़ी केन्द्र, बरेली ।
6	श्रीमती जी० डी० लाल	एटा	17-10-1940	18-12-1979 (से०नि०–31-10-98)	बालवाड़ी केन्द्र, आगरा ।
7	श्रीमती बी० मेरी	कानपुर	26-10-1946	11-02-1980	बाल सदन, कानपुर ।
8	श्रीमती पुष्पा देवी (द्वितीय)	गोरखपुर	06-01-1956	11-02-1980	बालवाड़ी केन्द्र, गोरखपुर ।
9	श्रीमती एनामेरी पाल	लखनऊ	25-12-1956	11-02-1980	रा० शिशु सदन, सीतापुर ।
10	श्रीमती शारदा खेड़ा	आगरा	19-7-1945	07-07-1980	बालवाड़ी केन्द्र, आगरा ।
11	श्रीमती सुन्दरी मौर्य	लखनऊ	19-05-1956	07-07-1980	जिला शरणालय, बरेली ।
12	श्रीमती बीरू श्रीवास्तव	लखनऊ	05-05-1950	02-08-1980	महिला आश्रम, कानपुर ।
13	श्रीमती एलिमा वर्गिस	केरल	15-11-1955	27-03-1981	रा० निरा० म० कर्म०, वाराणसी ।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम	गृह जनपद	जन्म तिथि	नियुक्ति तिथि	तैनाती स्थान
1	2	3	4	5	6
14	श्रीमती अन्नपूर्णा देवी गुप्ता	लखनऊ	08-12-1948	14-04-1981	बालवाड़ी, कानपुर।
15	श्रीमती निर्मला आर्या	लखनऊ	06-04-1950	14-04-1981	बालवाड़ी, सीतापुर।
16	श्रीमती निलोफर खान	बरेली	01-01-1957	14-04-1981	रा० मानसिक रूप से अविकसित महिलाओं का प्रकोष्ठ, बरेली।
17	श्रीमती मूर्ति देवी	आजमगढ़	15-11-1959	14-04-1981	रा० संरक्षण गृह, वाराणसी।
18	श्रीमती नीमा खान	कानपुर	01-01-1962	14-04-1981	बालवाड़ी केन्द्र, आगरा।
19	कु० उमा जायसवाल	इलाहाबाद	22-08-1958	23-11-1982	बालवाड़ी केन्द्र, कानपुर।
20	कु० सन्ध्या ढौढ़याल	नैनीताल	02-02-1955	30-01-1983	रा० नारी निकेतन, टिहरी।
21	श्रीमती ग्रेसवेकन	ललितपुर	08-07-1947	19-10-1983	बालवाड़ी केन्द्र, ललितपुर।
22	श्रीमती शोभा रानी	इलाहाबाद	16-06-1963	18-07-1984	रा० बालिका निकेतन इलाहाबाद।
23	श्रीमती कान्ती सिंह	हरदोई	01-01-1981	21-11-1984	रा० किशोर गृह, कानपुर।
24	श्रीमती नेत्रा जोशी	पिथौरागढ़	25-03-1963	25-12-1984	रा० निरा० महिला कर्म० पिथौरागढ़।
25	कु० कृष्णावती देवी विश्वकर्मा	देवरिया	22-01-1965	23-01-1985	रा० किशोर गृह, वाराणसी।
26	श्रीमती रश्मि तिवारी	बिहार प्रान्त	[illegible]-12-1959	[illegible]-02-1985	बालवाड़ी केन्द्र, लखनऊ।
27	श्रीमती पूनम मिश्रा	हरदोई	22-02-1959	27-07-1985	बालवाड़ी केन्द्र, इलाहाबाद।
28	श्रीमती विजय लक्ष्मी गुप्ता	इलाहाबाद	05-11-1957	03-01-1986	बालवाड़ी केन्द्र, इलाहाबाद।
29	श्रीमती मंजू गुप्ता	मुरादाबाद	06-07-1960	30-01-1986	रा० शिशु सदन, रामपुर।
30	श्रीमती जरीना बेगम	वाराणसी	05-08-1959	31-05-1986	रा० शिशुशाला एवं बालवाड़ी केन्द्र।
31	श्रीमती इन्दु देवी	गाजीपुर	01-12-1964	16-06-1986	बालवाड़ी केन्द्र, गोरखपुर।

1	2	3	4	5	6
32	श्रीमती विमला सिंह	बलिया	01-07-1964	31-07-1986	बालवाड़ी केन्द्र, बलिया।
33	श्रीमती विजयानन्द	आगरा	25-06-1956	11-08-1986	बालवाड़ी केन्द्र, आगरा।
34	श्रीमती काशी देवी	-	-	24-10-1986	बालवाड़ी केन्द्र, लखनऊ।
35	श्रीमती सुनीता	इलाहाबाद	01-07-1960	31-12-1986	बालवाड़ी केन्द्र फतेहपुर।
36	श्रीमती नन्दा सिंह	कानपुर	04-12-1965	31-12-1986	बालवाड़ी केन्द्र, फतेहपुर।
37	श्रीमती सावित्री देवी	देवरिया	11-12-1966	20-06-1987	रा0 बाल सदन, देवरिया।
38	श्रीमती मीना शिसौदिया	मेरठ	10-12-1966	24-09-1987	रा0 संरक्षण गृह, मेरठ।
39	श्रीमती आशा देवी	गाजीपुर	16-10-1958	26-10-1987	बालवाड़ी केन्द्र, गाजीपुर।
40	श्रीमती सुषमा जोजफ	केलियाम (केरल)	28-11-1959	02-01-1988	बालवाड़ी केन्द्र, इलाहाबाद।
41	श्रीमती अमर ज्योति चौरसिया	बांदा	12-05-1954	12-01-1988 (स्वर्गवास 03-06-1996)	रा0 शिशु सदन, मथुरा।
42	श्रीमती बीना देवी	इटावा	10-07-1959	12-01-1988	रा0 शिशु सदन, आगरा।
43	श्रीमती फूला कुशवाहा	ललितपुर	18-01-1965	12-01-1988	बालवाड़ी केन्द्र, मिर्जापुर।
44	श्रीमती चम्पा जोशी	अल्मोड़ा	01-07-1968	12-01-1988	रा0 बालिका निकेतन, अल्मोड़ा।
45	श्रीमती राजकुमारी यादव	हरदोई	05-07-1954	20-04-1988	बालवाड़ी केन्द्र, हरदोई।
46	कु0 रत्ना श्रीवास्तव	लखनऊ	01-10-1965	03-11-1988	रा0 निराश्रित महिला कर्मशाला, रायबरेली।
47	श्रीमती केशरी देवी		15-07-1964	08-03-1991	बालवाड़ी केन्द्र, फैजाबाद।

बी0 के0 सिंह,
शोध अधिकारी,
कृते निदेशक।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ख"

(देखिये अता0प्र0सं0-84 का उत्तर पीछे पृष्ठ 67 पर)

श्री संजय गर्ग, सदस्य विधान सभा द्वारा विधान सभा के प्रथम सत्र 2000 के दूसरे बुधवार के लिए पूछे गयें अतारांकित प्रश्न संख्या-84 के उत्तर का संलग्नक।

क्र0सं0	उपचारिका का नाम	अवकाश की तिथि	अवकाश का प्रकार
जनवरी, 99			
1-	श्रीमती भनमती	4-1-99 से 9-1-99	उपार्जित अवकाश
2-	श्रीमती अनिता जौनसन	27-12-98 से 11-1-99	चिकित्सा अवकाश
3-	श्रीमती जे0 सिंह	30-12-98 से 18-1-99	चिकित्सा अवकाश
4-	श्रीमती जयनम्मा मारकोज	18-12-98 से 6-1-99	उपार्जित अवकाश
5-	श्रीमती सुमन शुक्ला	1-1-99 से 27-1-99 तक	चिकित्सा अवकाश
6-	श्रीमती रीना सालोमन	अनुपस्थित (दि0 1-1-99 से 24-12-99 तक)	
7-	श्रीमती विमला सक्सेना	2-1-99 से 31-1-99	चिकित्सा अवकाश
फरवरी, 99			
1-	श्रीमती डोरिन टाइटस	15-2-99 से 19-2-99 तक	चिकित्सा अवकाश
2-	श्रीमती सुमन शुक्ला	14-2-99 से 21-2-99	चिकित्सा अवकाश
3-	श्रीमती प्रोमिला पौल	5-2-99 से 20-2-99	उपार्जित अवकाश
4-	श्रीमती मन्जू सिंह	17-2-99 से 8-3-99	उपार्जित अवकाश
मार्च, 99			
1-	सुश्री आई0 के0 वर्मा	4-3-99 से 15-3-99	उपार्जित अवकाश
2-	श्रीमती एम0जी0 लायल	11-3-99 से 25-3-99	उपार्जित अवकाश
3-	श्रीमती अनिता जौनसन	28-3-99 से 21-5-99	चिकित्सा अवकाश
4-	कु0 जे0 विष्ट	15-3-99 से 26-3-99	चिकित्सा अवकाश
5-	श्रीमती सुमन शुक्ला	4-3-99 से 17-3-99	चिकित्सा अवकाश
अप्रैल, 99			
1-	श्रीमती उमा सिंह	21-4-99 से 5-5-99	उपार्जित अवकाश
2-	श्रीमती पी0 एल0 सिन्हा	14-4-99 से 24-4-99	चिकित्सा अवकाश
3-	श्रीमती सुमन शुक्ला	4-4-99 से 18-4-99	चिकित्सा अवकाश
4-	श्रीमती एल0 पाठक	20-4-99 से 5-5-99	उपार्जित अवकाश

मई, 99		
1-श्रीमती सुमन शुक्ला	12-5-99 से 10-6-99	चिकित्सा अवकाश
2-श्रीमती मीना देवी	20-5-99 से 20-6-99	उपार्जित अवकाश
3-श्रीमती शशि सक्सेना	21-5-99 से 27-5-99	उपार्जित अवकाश
4-श्रीमती सावित्री यादव	19-5-99 से 28-5-99	उपार्जित अवकाश
जून, 1999		
1-श्रीमती डोरिन टाइटस	11-6-99 से 30-6-99 तक	उपार्जित अवकाश
2-श्रीमती विमला सक्सेना	7-6-99 से 30-6-99 तक	उपार्जित अवकाश
3-कु0 आई0 के0 वर्मा	2-6-99 से 19-6-99 तक	उपार्जित अवकाश
जुलाई, 99		
1-श्रीमती जयनम्मा मारकोज	21-7-99 से 5-8-99 तक	उपार्जित अवकाश
2-श्रीमती मायावी सिंह	22-7-99 से 5-8-99 तक	उपार्जित अवकाश
अक्स्त, 1999		
1-श्रीमती सरिता अन्सारी	25-8-99 से 1-9-99 तक	चिकित्सा अवकाश
2-श्रीमती पुष्पा देवी उपचारिका	12-8-99 से 26-8-99 तक	उपार्जित अवकाश
3-श्रीमती सुभावती देवी	1-8-99 से 15-8-99 तक	चिकित्सा अवकाश
सितम्बर, 99		
1-श्रीमती डोरिन टाइटस	4-9-99 से 16-9-99 तक	उपार्जित अवकाश
2-श्रीमती जयनम्मा मारकोज	20-9-99 से 29-9-99 तक	चिकित्सा अवकाश
3-श्रीमती सुभावती देवी	1-9-99 से 24-9-99 तक	चिकित्सा अवकाश
4-श्रीमती सावित्री यादव	18-9-99 से 31-10-99 तक	उपार्जित अवकाश
अक्टूबर, 1999		
1-श्रीमती किरन सिंह	19-10-99 से 15-11-99 तक	चिकित्सा अवकाश
नवम्बर, 1999		
1-श्रीमती रमा चौहान	23-11-99 से 23-12-99 तक	उपार्जित अवकाश

दिसम्बर, 1999

1–श्रीमती एम० जी० लायल	6-12-99 से 15-12-99 तक उपार्जित अवकाश ।
2–श्रीमती एल० एल० लायल	24-12-99 से 2-1-2000 तक उपार्जित अवकाश ।
3–श्रीमती किरन मैथ्यूज	17-12-99 से 26-12-99 तक उपार्जित अवकाश ।
4–श्रीमती अनिता उपाध्याय	16-12-99 से 45 दिन तक एम०टी०पी० लीव पर
5–श्रीमती टी० जगदम्बा	15-12-99 से 5-1-2000 तक उपार्जित अवकाश

नत्थी "ग"

(देखिये अता०प्र०सं०–105 का उत्तर पीछे पृष्ठ 77 पर)

अतारांकित प्रश्न संख्या–105 के उत्तर का संलग्नक

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आवासीय समस्याओं के सम्बन्ध में दिनांक 27-10-99 को हुयी बैठक के उपरान्त अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ खण्ड, शारदा नहर, लखनऊ के अ०शा०पत्रांक : 7552/लखशान, दिनांक 28-10-99 पर की गयी कार्यवाही का बिन्दुवार विवरण :–

बिन्दु–1 गार्ड को निर्देश देकर गेट संख्या–1 के पास रिक्शे व ठेले खड़े न रहने देने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है ।

बिन्दु–2 उन कार्मिकों जो किसी प्रकार के राजकीय संसाधनों से निर्मित स्थान पर निवास करते हैं, को आवास भत्ता नहीं दिया जा रहा है ।

बिन्दु–3 विद्युत मीटर लगाने की कार्यवाही की गयी है ।

बिन्दु–4 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के आवासों के आवंटन की बैठक सम्पन्न हो चुकी है ।

बिन्दु–5 डारमेंट्री में ठेकेदार के मजदूर नहीं रहते हैं ।

बिन्दु–6 विद्युत मीटर लगाने की कार्यवाही विद्युत विभाग से होती है जिसके लिये विभाग के स्तर से कार्यवाही की गयी है ।

बिन्दु–7 श्री राम कुमार, मेट के अवैध अध्यासन को रिक्त कराये जाने के संबंध में कार्यवाही नियमानुसार किये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ खण्ड–2 शारदा नहर, लखनऊ को लिखा गया है ।

बिन्दु–8 कैनाल कालोनी गेट नं०–1 के पास चतुर्थ श्रेणी प्रादेशिक कार्यालय के बगल श्री इन्द्रपाल शर्मा, चपरासी के अध्यासन को रिक्त कराने की कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है ।

बिन्दु–9 श्री नन्हें, सेवानिवृत्त चौकीदार के अवैध अध्यासन को रिक्त कराने की कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न की गयी है ।

ओम प्रकाश सिंह,
मंत्री
सिंचाई विभाग ।

"नत्थी घ"

(देखिये अता०प्र०सं०–170 का उत्तर पीछे पृष्ठ 110 पर)

मा० विधायक श्री अफजाल अहमद द्वारा प्रथम सत्र, 2000 के तीसरे बुधवार को लिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या–170 का ग्रामवार चौड़ाई/गहराई का विवरण।

क्र०सं०	ग्राम का नाम	चैनेज (कि०मी०)में			पैरामीटर	महफाड (फिट में)
		कहां से	कहां तक	गहराई (फिट में)	तली की चौड़ाई (फिट में)	
1	2	3	4	5	6	7
1	खलीलपुर	0.000	0.950	2.4	8.0	10.4
2	भरोठा	0.950	1.800	2.4	8.0	10.4
3	करौदी	1.800	2.000	2.4	8.0	10.4
4	वसीरपुर	2.000	2.210	2.4	8.0	10.4
5	थोरइल	2.210	3.400	2.4	8.0	10.4
6	हड़ही	3.400	4.900	2.4	8.0	10.4
7	सोनिकपुर	4.900	5.900	2.3	7.0	9.3
8	मेहरावां	5.900	6.400	2.3	7.0	9.3
9	राजेपुर	6.400	7.600	2.3	7.0	9.3
10	लपरी	7.600	8.900	2.2	6.0	8.2
11	मखमेलपुर	8.900	9.600	2.0	6.0	8.0

उत्तर प्रदेश विधान सभा

"नत्थी ड"

देखिये अता0प्र0सं0-175 का उत्तर पीछे पृष्ठ113पर)

राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, इलाहाबाद में वर्ष 1996-97 से 1999-2000 के मध्य आवंटित धनराशि का व्यय एवं वितरण (वर्षवार एवं मदवार) (धनराशि रुपये में)

वर्ष	(भोजन व्यय)		(सामग्री आपूर्ति)	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1996-97	1,20,000.00	भोजन- 1,09,998.20 वेतन 8,744.30 अन्य- 1,257.50 (मंजन, साबून आदि)	21,000.00	वस्त्र..... बर्तन..... अन्य-21,000.00 (तख्त, फर्नीचर, चादर आदि)
योग	1,20,000.00	1,20,000.00	21,000.00	21,000.00
1997-98	1,11,000.00	भोजन-1,10,998.15 वस्त्र... अन्य...	65,000.00	वस्त्र-45079.55 बर्तन..... अन्य-19,920.40 (सिलाई, तख्त आदि)
योग	1,11,000.00	1,10,998.15	65,000.00	64,999.95
1998-99	1,80,000.00	भोजन-1,67,116.15 वस्त्र- 5,650.00 अन्य....	55,000.00	वस्त्र-29,425.00 बर्तन-1,718.00 अन्य-23,848.95 (सिलाई, तख्त, फर्नीचर आदि)
योग	1,80,000.00	1,72,766.15	55,000.00	54,991.95
1999-2000	2,50,000.00	भोजन-2,31,000.00 वस्त्र..... अन्य.....	50,000.00	50,000.00
योग	2,50,000.00	2,31,000.00	50,000.00	50,000.00

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 6 विधान सभा-14-3-2001-(7310)-813-(आफसेट) ।